

# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 के लिए समाप्त वर्ष हेतु



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15  
(अनुपालना लेखापरीक्षा)



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2021 के लिए समाप्त वर्ष हेतु**

**संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15  
(अनुपालना लेखापरीक्षा)**



## विषय सूची

पैरा संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	iii
	विहंगावलोकन	v
<b>अध्याय I: प्रस्तावना</b>		<b>1-28</b>
1.1	इस प्रतिवेदन के सम्बंध में	1
1.2	सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार	1
1.3	लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	2
1.4	लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	2
1.5	लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय	3
1.6	संचार मंत्रालय	3
1.7	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)	18
1.8	वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)	21
1.9	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)	25
1.10	लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियां	26
1.11	लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों की प्रतिक्रिया	26
1.12	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)	27
1.13	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)	27
1.14	संचार मंत्रालय/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय के स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति	28
<b>खंड-क</b>		
<b>अध्याय II: दूरसंचार विभाग</b>		<b>29-43</b>
2.1	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) से लाइसेंस प्रभार की कम उगाही	29
2.2	माइक्रोवेव एक्सेस नेटवर्क और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपर्दगी के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित देरी	38
<b>अध्याय III: डाक विभाग</b>		<b>44-95</b>
3.1	डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा	44
3.2	डाक विभाग में रेलवे डाक सेवा एवं सड़क परिवहन नेटवर्क की कार्यप्रणाली	63
3.3	डाकघर आधार केंद्रों में आधार नामांकन किट का निष्क्रिय होना	85
3.4	डाकघरों द्वारा पेंशन का अनियमित भुगतान	89
3.5	डाक विभाग में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग	91

<b>अध्याय IV: इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		<b>96-117</b>
4.1	पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा नए/ उन्नत केंद्रों की स्थापना	96
4.2	राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान	113
<b>खंड-ख</b>		
<b>अध्याय V: संचार मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		<b>119-138</b>
5.1	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में संपदा प्रबन्धन	119
5.2	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में टेलीकॉम फैक्ट्रियों का भंडारण प्रबंधन	134
<b>अध्याय VI: इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		<b>139-141</b>
6.1	एन आई सी एस आई की अपर्याप्त ऋण वसूली तंत्र	139
<b>अध्याय VII: वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		<b>142-145</b>
7.1	अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) पर परिहार्य वित्तीय बोझ	142
<b>परिशिष्ट एवं अनुलग्नक</b>		
परिशिष्ट I		147
परिशिष्ट II		149
परिशिष्ट III		150
परिशिष्ट IV		153
अनुलग्नक 3.1 – 3.5		157-181
अनुलग्नक 4.1 – 4.2		182-184
अनुलग्नक 5.1		185-187
शब्दावली		188-191

## प्राक्कथन

मार्च 2020 और 2021 को समाप्त हुए वर्षों के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन के अध्याय V से VII, जो संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें (डी पी सी)) अधिनियम, 1971 जैसा कि 1984 में संशोधित है, की धारा 19 (क) के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किये गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और इन मंत्रालयों के तहत विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण, वे हैं जो 2019-20 व 2020-21 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही जो पूर्व के वर्षों में सामने आए, परंतु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।





विहंगावलोकन




## विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष है। इसमें सात अध्याय हैं। **अध्याय I** संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के व्यय विभाग (डी ओ ई) और आर्थिक मामलों के विभाग (डी ई ए) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) और उनके तहत स्वायत्त निकायों (ए बी) / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देता है। **अध्याय II से VII** दो खंडों में विभाजित है। **खंड क** में **अध्याय II से IV** हैं, जोकि क्रमशः संचार मंत्रालय के अन्तर्गत दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) व डाक विभाग (डी ओ पी) व इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत वर्तमान निष्कर्षों/ टिप्पणियों के संबंध में है। **खंड ख** में **अध्याय V से VII** हैं, जोकि क्रमशः संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बंध में है।

**प्रमुख लेखापरीक्षित संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:**

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पांच नागरिक अनुदान और एक गैर-नागरिक अनुदान (डी ओ पी) शामिल हैं, नीचे दिए गए हैं।




(स्रोत: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए विभागों के विनियोग लेखे)

## दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृत्ति आवंटन, अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार, बेतार नियामक उपायों को लागू करने और बेतार संचरण का अनुश्रवण और सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न दूरसंचार परिमंडलों में आधारभूत और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व हैं। इन्हें लेखों में "गैर-कर राजस्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेखे)

2019-20 और 2020-21 में, लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व के माध्यम से गैर-कर राजस्व क्रमशः ₹69,365.77 करोड़ और ₹45,214.97 करोड़ था।

डी ओ टी ने मुकदमेबाजी के तहत बताए गए इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई एस पी) लाइसेंसों को छोड़कर वर्ष 2017-18 तक सभी प्रमुख टी एस पी के लिए लाइसेंस शुल्क का आकलन सामान्य तौर पर पूरा कर लिया है। संचार लेखा नियंत्रकों (सी सी ए) से विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में निर्धारण वर्ष 2018-19 से आगे के लिए प्रगति पर बताया गया था।

डी ओ टी में महत्वपूर्ण इकाइयाँ जैसे दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी (टी ई आर एम) प्रकोष्ठ, संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी), बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यू एम ओ), नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान, (एन टी आई पी आर आई टी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी- डी ओ टी), जो एक अनुसंधान और विकास इकाई है, शामिल हैं।

डी ओ टी के प्रशासनिक नियंत्रण में 11 (ग्यारह) पी एस यू थे, जिनमें से महत्वपूर्ण पी एस यू भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल), मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल), इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई) दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल) और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल) हैं।


दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ढांचे के लिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ का निर्धारण/ संशोधन शामिल था जो पहले केंद्र सरकार में निहित था। इसके अलावा, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी सैट) की स्थापना (जनवरी 2000) ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी, सेवा प्रदाताओं, सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच किसी भी विवाद का न्याय करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनना और उनका निपटान करने के लिए की गई थी।

### **डाक विभाग (डी ओ पी)**

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जिसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं और यह देश के सबसे दूर के कोने तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी प्रदान करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन, कोयला खदान कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के वितरण में भी लगा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी डाक विभाग को दी गई है।

विभाग ने उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुयोजकता के माध्यम से सभी डाक इकाइयों की परिचालन दक्षता को बदलने और वितरण सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को लागू किया है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां, वसूली और राजस्व व्यय नीचे दिखाया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए डाक विभाग के वित्त और विनियोग लेखे)

2019-20 और 2020-21 में, जबकि विभाग का राजस्व व्यय क्रमशः ₹29,139.74 करोड़ और ₹29,261.20 करोड़ था, राजस्व प्राप्तियाँ क्रमशः ₹13,558.20 करोड़ और ₹10,362.31 करोड़ थीं।


डाक विभाग के पास अगस्त 2016 में निगमित, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था।

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एम ई आई टी वाई का उद्देश्य एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज में परिवर्तन के इंजन के रूप में भारत का ई-विकास है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को पाटने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, एम ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान नीचे दिया गया है।



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए एम ई आई टी वाई के वित्त और विनियोग लेखे)


एम ई आई टी वाई के दो संलग्न कार्यालय (नामतः, एन आई सी, एस टी क्यू सी), छह स्वायत्त समितियाँ (नामतः, सी -डी ए सी, सी एम् ई टी, एन आई ई एल आई टी, एस ए एम् ई ई आर, एस टी पी आई और ई आर एन ई टी इंडिया), तीन खंड 8 कंपनियाँ [नामतः, एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)], तीन सांविधिक संगठन (नामतः, सी सी ए, आई सी ई आर टी और यू आई डी ए आई) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (नामतः, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) मंत्रालय को आवंटित व्यवसाय को चलाने के लिए अपने प्रभार के तहत थीं।

उपरोक्त में से, महत्वपूर्ण कार्यालय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) जो भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी), जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है, हैं।

### आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए)

डी ई ए वित्त मंत्रालय के अंतर्गत मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता, घरेलू वित्त और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ई ए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है।



(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे)

भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एस.ई.बी.आई) एम ओ एफ के डी ई ए के अंतर्गत स्थापित (अप्रैल, 1992) एक वैधानिक नियामक निकाय है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए, नियम और दिशानिर्देश तैयार करते हुए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना है।

डी ई ए के तहत चार पी एस यू जैसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल), बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई एल) और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल) हैं।

**मंत्रालय/ विभाग-वार लेखापरीक्षा निष्कर्ष संक्षेप में नीचे वर्णित हैं:**

## खंड क

### मंत्रालय/ विभाग

#### अध्याय II: दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

##### टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) से लाइसेंस प्रभार की कम उगाही

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए टी सी एल के एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी- आई टी लाइसेंसों के संबंध में लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट के संदर्भ में लेखा परीक्षित ए जी आर विवरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सकल राजस्व (जी आर) की ₹13,252.81 करोड़ की कम रिपोर्टिंग थी और परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क ₹950.25 करोड़ का कम आरोपण था। डी ओ टी के एलएफ के ₹305.25 करोड़ के आकलन में कटौती के बाद, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस शुल्क उक्त अवधि के लिए ₹645 करोड़ कम था, जिसकी मांग और वसूली आवश्यक है।

**डी ओ टी को 2006-18 की अवधि के लिए आकलन पूरा करने और लाइसेंस शुल्क बकाया वसूलने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि टी सी एल के एन एल डी,**



**आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के संबंध में लाइसेंस शुल्क के निर्धारण को अंतिम रूप देने में पहले ही काफी देरी हो चुकी थी।**

**(पैराग्राफ 2.1)**

**माइक्रोवेव एक्सेस नेटवर्क और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित देरी**

दूरसंचार विभाग ने टी.आर.ए.आई की सिफारिशों के बावजूद और मोबाइल संचार के बढ़ते घनत्व के कारण स्पेक्ट्रम की पर्याप्त मांग होने के बावजूद, इसके साथ उपलब्ध ई और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ असाइनमेंट के लिए दिसंबर 2015 से कोई निर्णय नहीं लिया है। माइक्रोवेव एक्सेस कैरियर्स के असाइनमेंट के लिए दिसंबर 2021 तक 23 (तेईस) आवेदन डी ओ टी के पास लंबित थे। नतीजतन, ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया है और इसलिए सरकार ने बिना बिके स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क के मुद्दीकरण लाभों को छोड़ दिया है और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और उच्च अंत सेवाओं के लाभों से भी वंचित किया है।

स्पेक्ट्रम प्रभारों के लिए ए जी आर के 0.15 प्रतिशत की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही रूढ़िवादी आधार पर परित्यक्त अनुमानित राजस्व ई एंड वी बैंड के एक वाहक के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए ₹67.53 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के लिए टी एस पी द्वारा रिपोर्ट किए गए औसत ए जी आर के आधार पर एक अकेले परिमंडल के लिए परित्यक्त वार्षिक अपेक्षित राजस्व ₹3.30 करोड़ था। यह केवल एक सांकेतिक आंकड़ा है और उपयोगकर्ताओं को आवंटित वाहकों की संख्या और बैंडविड्थ के आधार पर अपेक्षित वास्तविक राजस्व अधिक हो सकता है।

**दूरसंचार विभाग मोबाइल संचार, आई एस पी सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करने और 5जी सेवाओं के प्रभावी रोल आउट के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में माइक्रोवेव एक्सेस और बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ असाइनमेंट पर टी.आर.ए.आई के परामर्श से शीघ्र निर्णय ले सकता है। यह न केवल अनावंटित ई और वी बैंड में स्पेक्ट्रम का मुद्दीकरण करेगा बल्कि सरकार को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप इन स्पेक्ट्रम बैंडों का प्रभावी उपयोग होगा, जिससे ग्राहकों को सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।**

**(पैराग्राफ 2.2)**

**अध्याय-III: डाक विभाग (डी ओ पी)**

**डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा**

डी ओ पी में आई.टी आधुनिकीकरण परियोजना को 2012 में ₹4,909 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य डी ओ पी के 1.55 लाख से अधिक क्षेत्र संरचनाओं में परिचालन और सेवा वितरण दक्षता में सुधार करना है। हालांकि परियोजना

₹3,447.98 करोड़ (सितंबर 2021) के व्यय के साथ, विक्रेताओं को ₹1,376.83 करोड़ की शेष देनदारियों सहित, पूरी हो गई थी, परियोजना के महत्वपूर्ण खंडों जैसे फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर (एफ एस आई), कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सी एस आई), नेटवर्क इंटीग्रेटर (एन आई) और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर (आर एस आई), को पूरा करने में एक से चार साल तक महत्वपूर्ण देरी हुई थी। कुछ क्षेत्रों में प्री-रोलआउट प्रारंभिक गतिविधियों, डेटा के स्थानांतरण और किसी भी नेटवर्क की अनुपलब्धता में प्रारंभिक समस्याएं थीं, जिससे परियोजना गतिविधियों में देरी हुई। जनवरी 2022 तक बजट, एसेट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग मॉड्यूल को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था।

हालांकि आधुनिकीकरण परियोजना ने कहीं भी, कभी भी बैंकिंग, ए.टी.एम जैसी सुविधाओं तक पहुंच, त्वरित धन हस्तांतरण और नेट बैंकिंग, ग्रामीण आबादी के लिए बीमा सुविधाओं में वृद्धि, एंड-टू-एंड लेख दृश्यता और वास्तविक समय के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना के प्रावधान के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्राप्त किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि कोर बैंकिंग समाधान, एकीकरण और नेटवर्किंग मुद्दों के लिए विरासत डेटा का अनुचित सत्यापन और स्थानांतरण जैसे प्रमुख विचलन थे। जब तक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, इन कमियों के कारण दुर्विनियोजन के मामले सामने आते हैं और भविष्य में भी अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है।

डाकघरों में निर्धारित मानदंडों, व्यावसायिक नियमों, खराब नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी मुद्दों की निगरानी में अपर्याप्त प्रणाली नियंत्रण के कारण मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्डों की बेकार खरीद हुई, खराब नेटवर्क के कारण आर आई सी टी उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वैकल्पिक वितरण चैनलों यानी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एस एम एस ट्रेकिंग और ग्राहकों को अलर्ट आदि के प्रावधान में असामान्य देरी हुई थी। परियोजना कार्यान्वयन समितियों और इसकी संबंधित मुख्य उप-समितियों ने उचित अनुकूलन/ कार्यान्वयन और परियोजना को पूरा करने के लिए समय-सीमा का पालन करने के लिए विक्रेताओं के साथ ठीक से प्रयास नहीं किया।

- ❖ **लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि डाक विभाग बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए निर्बाध नेटवर्क कनेक्टिविटी, अन्य प्रणालियों के साथ कोर सिस्टम का एकीकरण सुनिश्चित करे। इसके अलावा, डाकघर के नियमों और विनियमों के संदर्भ में कोर बैंकिंग समाधान का अनुकूलन और के वाई सी मानदंडों का सख्त कार्यान्वयन, पी ओ एस बी नियमों के उचित आवेदन को सुनिश्चित करने, अनियमित खाता शेष की सफाई, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए किया जाना चाहिए।**
- ❖ **डाक विभाग अपने ग्राहकों के लिए प्रभावी और गुणात्मक सेवाओं के लिए सभी मॉड्यूलों के कार्यान्वयन, सभी डाकघरों में दो नेटवर्क सेवाओं से कोर सिस्टम और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ सभी सॉफ्टवेयर के एकीकरण को सुनिश्चित कर सकता है।**

(पैराग्राफ 3.1)

## डाक विभाग में रेलवे डाक सेवा एवं सड़क परिवहन नेटवर्क की कार्यप्रणाली

रेलवे मेल सेवा (आर एम एस) डाक सामग्रियों को देश के सभी भागों में ले जाने और प्रेषित करने के लिए डी ओ पी द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। आर एम एस के अलावा, डाक विभाग ने ई-कॉमर्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए चयनित मार्गों पर पार्सल और प्रीमियम मेल की ढुलाई के लिए "सड़क परिवहन नेटवर्क के विकास" के लिए एक योजना पद्धति तैयार की।

रेलवे मेल सेवाओं के कामकाज की लेखापरीक्षा संवीक्षा में रेलवे द्वारा आर एम एस को आवंटित बर्थों के प्रबंधन में कमियों का पता चला, आर एम एस सेवाओं के लिए आवंटित/ उपयोग किए जा रहे स्थान का उप इष्टतम उपयोग और रेलवे को गलत/ अधिक भुगतान किया जा रहा था जो सहमति शर्तों आदि के अनुरूप नहीं थे और रेलवे द्वारा किए गए दावों के गैर/ अनुचित सत्यापन के कारण समय पर पता नहीं लगाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच पर देखे गए अधिक/ गलत बिलिंग/ भुगतान के उदाहरण ₹133.72 करोड़ के थे, जो आंतरिक नियंत्रणों की कमी को दर्शाते हैं जिसके कारण ढुलाई प्रभार, रेलवे से किराए पर लिए गए भवनों पर किराए आदि के लिए अधिक/ परिहार्य भुगतान हुआ।

इसके अलावा डी ओ पी के खाते को डेबिट करने से पहले रेलवे द्वारा किए गए दावों के पूर्व-सत्यापन के संबंध में आर बी आई को जारी किए गए डी ओ पी निर्देशों (सितंबर 2017) का उचित रूप से पालन नहीं किया गया था, जिसके कारण आर बी आई द्वारा निरंतर अधिक प्रत्यक्ष डेबिट किया गया था जो लंबी अवधि के लिए अनुचित तरीके से पड़ा हुआ था।

डाक विभाग द्वारा प्राप्त आयामी वजन प्रणाली (डी डब्ल्यू एस) प्रणाली को सी एस आई सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं पाया गया था और इसलिए इसे पांच परिमंडलों में उपयोग नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसी प्रकार, आवश्यक विनिर्देशों का आकलन किए बिना मेल हार्डवेयर की खरीद के परिणामस्वरूप ₹76.39 लाख का व्यर्थ व्यय हुआ।

आर टी एन सेवाओं को भी ग्राहकों को समय पर निश्चित सेवा प्रदान करके भारत में ई-कॉमर्स के विकास द्वारा पेश किए गए अवसरों पर कब्जा करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया जाना नहीं पाया गया था, निगरानी दोषपूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 20 के अंत तक किए गए ₹57.72 करोड़ के खर्च के बावजूद पार्सल यातायात में 25 प्रतिशत की वृद्धि का योजना लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई थी।

❖ **लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि डाक विभाग को रेलवे द्वारा किए गए दावों के सत्यापन के लिए आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि ढुलाई शुल्क, किराए आदि के अधिक भुगतान से बचा जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से डी ओ पी रेलवे द्वारा उठाए गए दावों का पूर्व-सत्यापन शुरू करके भुगतान प्रणाली में उनका खाता डेबिट होने से पहले परिवर्तन कर सकता है।**

- ❖ डाक विभाग अपने कब्जे वाली आर एम एस संपत्तियों में स्थान की समीक्षा कर सकता है और आर्थिक कार्यों के हित में अतिरिक्त/ रिक्त स्थान खाली कर सकता है।
- ❖ डाक विभाग को राजस्व लाभप्रद बनाने के लिए आर टी एन मार्गों की समय पर समीक्षा के लिए विशेष प्रकोष्ठों के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। उन्हें संभावित शहरों/ कस्बों के लिए दैनिक कनेक्टिविटी को ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए सक्षम बनाने और आर टी एन के माध्यम से विभाग के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(पैराग्राफ 3.2)

### डाकघर आधार केंद्रों में आधार नामांकन किट का निष्क्रिय होना

डाक विभाग (डी ओ पी) ने यू आई डी ए आई के अनुरोध पर आधार नामांकन केंद्र स्थापित करने पर सहमति दी और 2018-19 के दौरान ₹178.08 करोड़ के व्यय के साथ 13,353 आधार नामांकन किट खरीदे। इनमें से, 21 परिमंडलों में हार्डवेयर, नेटवर्क और कर्मचारियों की कमी के कारण 1,976 किट परिचालन में नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप ₹25.75 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हो गई। इसके अलावा, सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण, यू आई डी ए आई ने डी ओ पी पर ₹3.84 करोड़ का निवर्तक लगाया।

डाक विभाग निष्क्रिय किटों/ शून्य व्यापार केंद्रों की स्थिति की निगरानी/ समीक्षा कर सकता है ताकि उन्हें जरूरतमंद परिमंडलों में स्थानांतरित करने हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके। विभाग को उन पर लगाए गए निवर्तक/ अर्थदंड को रद्द करने और वापस करने हेतु यूआईडीएआई से प्रयास करना चाहिए।

(पैराग्राफ 3.3)

### डाकघरों द्वारा पेंशन का अनियमित भुगतान

डाक विभाग (डी ओ पी) पेंशनभोगियों के जीवन की निरंतरता के सत्यापन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य करता है। लेखापरीक्षा ने पश्चिम बंगाल परिमंडल के अंतर्गत पांच प्रधान डाकघरों (एच पी ओ) में देखा कि पेंशनभोगियों से अनिवार्य जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पेंशन को लगातार आहरित करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप एक से दस वर्ष तक के 122 मामलों में ₹6.02 करोड़ की पेंशन का अनियमित आहरण हुआ। लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर, 14 मामलों में, अनियमित रूप से आहरित पेंशन राशि ₹64.51 लाख सरकारी खातों में वापस जमा कर दी गई, जबकि शेष मामलों में वसूली लंबित थी।

डी ओ पी उन मामलों में पेंशन के स्वतः जमा होने को रोकने के लिए फिनेकल सॉफ्टवेयर में अपेक्षित नियंत्रण लागू कर सकता है जहां पेंशनभोगी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इसके अलावा डाक विभाग सभी परिमंडलों में इसी तरह के मामलों की समीक्षा कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में सुधार की प्रक्रिया को अंजाम

दे सकता है, जिसमें अनियमित पेंशन जमा करने के लिए डाक परिमंडलों पर जिम्मेदारी तय करना शामिल है।

(पैराग्राफ 3.4)

### डाक विभाग में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

डाकघर बचत बैंक नियमावली आंतरिक जांच निर्धारित करती है और विभिन्न स्तरों के लिए बचत बैंक संचालन में धोखाधड़ी और धोखाधड़ी गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। मैनुअल की पुष्टि करने के लिए, डाक विभाग ने समय-समय पर आंतरिक आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से डाक परिमंडलों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अपने कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की जाने वाली निवारक जांच/ कार्रवाई शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डाक विभाग के प्रधान डाकघरों की बचत शाखा और बचत बैंक नियंत्रण संगठन (एस बी सी ओ) डाक विभाग द्वारा संहिताबद्ध आंतरिक जांचों और निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को लागू करने में विफल रहे। डाक कर्मचारियों द्वारा बंद बचत खातों से की गई निकासी, फर्जी प्रविष्टियां, फर्जी खाते खोले जाने, ग्राहकों से लिए गए नकद जमा को उनके खातों में दर्ज नहीं किया गया और डाक कर्मचारियों द्वारा यूजर आई डी और पासवर्ड का अनधिकृत उपयोग जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों को पाया गया। इन अनियमितताओं के कारण नवंबर 2002 से सितंबर 2021 की अवधि में चौदह डाक परिमंडलों में फैले डाकघरों में ₹95.62 करोड़ की राशि के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ, जिसमें से ₹14.39 करोड़ (₹40.85 लाख के जुर्माने/ ब्याज सहित) की वसूली की गई और शेष राशि की वसूली अभी तक की जानी थी।

**सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए डाक विभाग यह सुनिश्चित करे कि डाकघरों द्वारा प्रभावी और सख्त आंतरिक जांच की जाए और आंतरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर अक्षरशः क्रियान्वित किया जाए। वे केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से पी ओ एस बी लेनदेन की सूचना, सभी मामलों में मैनुअल प्रविष्टियों की सख्त रोकथाम और प्रभावी पासवर्ड नीति के कार्यान्वयन आदि सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा, डी ओ पी अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर सकता है, जिनके कार्यकाल में अनियमितताएं हुई हैं।**

(पैराग्राफ 3.5)

### अध्याय IV: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नए/ उन्नत केंद्रों की स्थापना

एम ई आई टी वाई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नए केंद्रों की स्थापना/ मौजूदा केंद्रों के उन्नयन के लिए, एन ई आर के छात्रों को आवासीय सुविधा

के साथ उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए आई ई सी टी परियोजना को मंजूरी दी (मई 2012)। एन आई ई एल आई टी कार्यान्वयन एजेंसी थी और परियोजना को पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। हालांकि, परियोजना क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि नए स्थापित या उन्नत किए जाने वाले 18 केंद्रों में से छह परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था और छह परियोजनाओं को भूमि उपलब्ध नहीं कराने/राज्य सरकारों द्वारा बाधा मुक्त भूमि प्रदान नहीं की गई, दोषपूर्ण परियोजना प्रबंधन आदि जैसे कारणों से गंभीर रूप से विलंबित किया गया था। संकाय विकास योजना में अपर्याप्तता, उद्योग इंटरफेस की कमी, एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार क्षमता, परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पी एम सी) द्वारा परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं थीं। परियोजना की समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) परियोजना की निगरानी में अप्रभावी था। ₹27.58 करोड़ का व्यय नए/विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था और ₹3.95 करोड़ का व्यय छोड़ी गई परियोजनाओं पर व्यर्थ हो गया था।

**लेखापरीक्षा अनुशासन करता है कि एन आई ई एल आई टी**

- ❖ सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त योजना और चर्चा के बाद परियोजनाओं को मंजूरी दें और पी एम सी के साथ किए गए अनुबंधों में उपयुक्त खंड सुनिश्चित करें जो भारत सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा करते हैं।
- ❖ अपूर्ण और विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करें और छोड़ी गई/विलंबित परियोजनाओं के लिए पी एम सी/ ठेकेदारों पर जवाबदेही तय करें। इसके अलावा, राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर संवाद स्थापित करके छोड़ी गई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- ❖ मुख्यालय के साथ-साथ इकाई स्तर पर केंद्रित पी आर एस जी बैठकें आयोजित करके, समरूप निर्माण समिति को संशोधित करके, नियमित साइट का दौरा आदि करके परियोजना निगरानी नियंत्रण को मजबूत करें।
- ❖ एक प्रशिक्षण कैलेंडर के साथ मिश्रित शिक्षण मोड में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ डी पी) पर विचार करें ताकि छोटे केंद्र भी पहले से अच्छी तरह से योजना बना सकें और संकायों को लंबे समय तक लगातार स्टेशन छोड़ने के बिना प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए छोड़ दें।

(पैराग्राफ 4.1)

**राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान**

एन आई ई एल आई टी अपने कर्मचारियों और विभिन्न परियोजनाओं/स्कीमों में उनके द्वारा लगाए गए मानवशक्ति के लिए मासिक कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) योगदान के



सांविधिक बकायों का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, एन आई ई एल आई टी को सांविधिक बकायों अर्थात् ई पी एफ अंशदानों के विलम्ब से प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभारों के कारण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ₹71.71 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

**कर्मचारी और नियोक्ता के ई पी एफ योगदान को नियत तिथि तक संबंधित ई पी एफ कार्यालय में जमा करना एक सांविधिक आवश्यकता है। ब्याज और क्षति प्रभारों से बचने के लिए, मंत्रालय सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी कर सकता है और ई पी एफ ओ द्वारा एन आई ई एल आई टी पर लगाए गए दंडात्मक प्रभारों के लिए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है।**

(पैराग्राफ 4.2)

## खंड ख

### मंत्रालयों के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

**अध्याय V: संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में संपदा प्रबन्धन**

एम टी एन एल के पास दिल्ली और मुंबई शहरों में भूमि/भवन, कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों का कब्जा था। सभी संपत्तियों का अनंतिम अनुमानित मूल्यांकन ₹57,750 करोड़ (दिल्ली में ₹26,400 करोड़ और मुंबई में ₹31,350 करोड़) था। 2015-16 से 2020-21 की अवधि को कवर करते हुए एम टी एन एल के स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन की जांच करने के लिए एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम टी एन एल में संपदा प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक प्रलेखित व्यापक संपदा प्रबंधन नीति और एक समर्पित प्रशासनिक संरचना अनुपस्थित थी। डी ओ टी ने कंपनी के साथ खाली संपत्ति/संपत्तियों के उपयोग पर समय पर निर्देश प्रदान नहीं किया, एम टी एन एल की खाली/ प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में निराशाजनक प्रदर्शन में योगदान दिया। कंपनी के पास उनके कब्जे में संपत्तियों के संबंध में शीर्षक विलेख/ पट्टा विलेख नहीं थे। इसके कारण अधिग्रहीत भूमि/संपत्ति का उपयोग नहीं किया गया, खाली भूमि का अतिक्रमण किया गया और संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई। कंपनी ने अपने पक्ष में संपत्ति के पुनः आवंटन के कारण संरचना शुल्क और अन्य भूमि शुल्क के कारण अप्रयुक्त संपत्तियों पर ₹113.91 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न पार्टियों को किराए पर दी गई संपत्तियों पर ₹150.74 करोड़ का बकाया भी जमा किया था और रिक्त स्थान न देने के कारण ₹205.80 करोड़ की संभावित हानि हुई थी।

**लेखापरीक्षा की निम्नलिखित अनुशंसाएं हैं**

- ❖ कंपनी अपनी संपत्तियों के लिए स्पष्ट शीर्षक प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास कर सकती है और संपत्तियों के मूल्य और मात्रा/ आकार के संबंध में डेटा का मिलान कर

सकती है, जो एक गंभीर कमी है जिसका तत्काल समाधान करने की आवश्यकता है ताकि बिक्री/ विनिवेश/ पूंजी पुनर्गठन की स्थिति में कंपनी के हित सुरक्षित रहे।

- ❖ कंपनी अन्य संगठनों को संपत्तियों को पट्टे पर देने/ किराए पर देने से संबंधित मामलों को हल करने और अपनी वित्तीय तरलता को मजबूत करने के लिए किराये की बकाया राशि की वसूली के लिए उचित कदम उठा सकती है। कंपनी कब्जे वाले अधिकारियों के साथ वैध किराया समझौते भी सुनिश्चित कर सकती है।
- ❖ डी ओ टी भूमि जोत के परिवर्तन, आरक्षण और पदनाम के मुद्दों से संबंधित विभिन्न निर्णय लेने में लेखापरीक्षा में देखी गई देरी और कमियों की व्यापक जांच करने पर विचार कर सकता है, जो कंपनी की भूमि संपत्ति के मुद्रीकरण को प्रभावित कर रहे हैं और इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर सकते हैं।

(पैराग्राफ 5.1)

### भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में टेलीकॉम फैक्ट्रियों का भंडारण प्रबंधन

बी एस एन एल की दूरसंचार फैक्ट्रियों ने अतिरिक्त सामग्री की खरीद की जिससे माल और भंडार का संचय हुआ। घटती माँगों के परिणामस्वरूप 2015-16 से क्रमशः ₹18.45 करोड़ का अप्रयुक्त कच्चा माल और ₹47.44 करोड़ मूल्य का तैयार टॉवर सामग्री स्टोर में बेकार पड़ा हुआ है जो कंपनी को एक नुकसान है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि बी एस एन एल मौजूदा बाजार स्थितियों और मांग में प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल और उत्पादन की वास्तविक खरीद की योजना बना सकता है ताकि कच्चे माल और उत्पादन की अधिक खरीद से बचा जा सके। वे सामग्री के मूल्य में और गिरावट से बचने के लिए बेकार पड़ी टावर सामग्री के साथ-साथ अप्रचलित सूची के स्टॉक के उपयोग/ निपटान के लिए शीघ्र निर्णय ले सकते हैं।

(पैराग्राफ 5.2)

### अध्याय VI: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

#### एन आई सी एस आई की अपर्याप्त ऋण वसूली तंत्र

एन आई सी एस आई में देनदारों से देय राशि की उचित प्रक्रिया और वसूली तंत्र के अभाव के कारण सरकारी विभागों/ एजेंसियों से ₹111.20 करोड़ के देय राशि का संचय था। वसूलियों के प्रति इस दुलमुल रवैये ने कंपनी को पूर्ण परियोजनाओं के कारण राजस्व की हानि के जोखिम के प्रति उजागर कर दिया।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि एन आई सी एस आई चालू और पूर्ण परियोजनाओं के मामले में एक कुशल वसूली तंत्र सुनिश्चित कर सकता है। उन्हें ग्राहकों के लिए नई परियोजनाएं शुरू



करने से पहले उनके साथ पिछले खातों का निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। वे विभिन्न ग्राहकों से अपने लंबित बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।

(पैराग्राफ 6.1)

अध्याय VII: वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) पर परिहार्य वित्तीय बोझ

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) को अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) ट्रस्ट के एक निजी कंपनी में अपने अधिशेष धन का निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण ₹1.37 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ उठाना पड़ा। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान के लिए भी ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति करनी होगी, क्योंकि निवेशिती कंपनी (आई एल एंड एफ एस) ने न केवल ब्याज के भुगतान में चूक की थी बल्कि परिसमापन में चली गई थी।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि

- ❖ कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईपीएफ ट्रस्ट निवेश के दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे ताकि हानि वाले निवेशों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- ❖ कंपनी ट्रस्ट के उन कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जिनके अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।

(पैराग्राफ 7.1)



## अध्याय

## I

## प्रस्तावना

## 1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बंध में

इस प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020- 21 के लिए भारत सरकार के अधीन संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग और व्यय विभाग) और सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई), इन मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) सहित के वित्तीय लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इसमें मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कवर करने वाली अनियमितताओं के 13 उदाहरणात्मक मामले शामिल हैं जिनमें लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली से संबंधित एक मामला भी शामिल है।

प्रतिवेदन को दो खंडों **खंड क** और **खंड ख** में व्यवस्थित किया गया है। **खंड क** में दूरसंचार विभाग (डी ओ टी), डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा मुद्दे शामिल हैं। जबकि **खंड ख** में इन मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय इस प्रकार हैं:

अध्याय I इन मंत्रालयों के अधीन मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं की रूपरेखा और उनकी प्राप्ति और व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। इसमें इन मंत्रालयों/विभागों और मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी शामिल है।

खंड क के तहत अध्याय II से IV में एम ओ सी और एम ई आई टी वाई के तहत डी ओ टी, डी ओ पी की लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष/टिप्पणियां शामिल हैं।

खंड ख के तहत अध्याय V से VII में एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण टिप्पणियां शामिल हैं।

## 1.2 सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार

सी ए जी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करता है, नामतः वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के समुच्चय पर लेखापरीक्षा राय की अभिव्यक्ति है, जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात की जांच करने का प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा भारत के संविधान

के प्रावधानों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और विभिन्न आदेशों के अनुपालन की जांच करने और प्रतिवेदित करने के लिए लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्ति और देनदारियों से संबंधित लेनदेन की जांच को संदर्भित करती है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों की जांच भी शामिल है। लेखापरीक्षा अनुमोदित सी ए जी के लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर आयोजित की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के संचालन में पालन करने की अपेक्षा की जाती है और गैर-अनुपालन के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन की प्रणालियों में मौजूद कमजोरियों और लेखा परीक्षित संस्थाओं के आंतरिक नियंत्रण पर प्रतिवेदन करने में आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है जिससे संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर शासन में योगदान होगा।

### 1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को प्रतिवेदन करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से लिया गया है। सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 और 17 के तहत सी ए जी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या बनाए गए कानून के तहत स्थापित और सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19 (2) के तहत लेखापरीक्षा के लिए वैधानिक रूप से लिया जाता है। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी जाती है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी ए बी), जिन्हें भारत की संचित निधि से अनुदानों/ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सी ए जी द्वारा की जाती है।

### 1.4 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अलावा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, गबन के पिछले उदाहरण, दुर्विनियोग, गबन आदि के साथ-साथ पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी की जाती है। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, जहां आवश्यक हो, विवेचित अनुपालन के लिए कार्रवाई के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटारा किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिव से प्रतिक्रिया प्राप्त करने


के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए मसौदा पैराग्राफ के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद/संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती हैं। महानिदेशक, लेखापरीक्षा (वित्त और संचार), दिल्ली का कार्यालय सी एंड ए जी का क्षेत्रीय कार्यालय है जो सी ए जी के कार्यालय के समग्र पर्यवेक्षण के तहत पैरा 1.1 में उल्लिखित मंत्रालयों/ विभागों/ संस्थाओं की लेखापरीक्षा की योजना और संचालन करता है।

### 1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मंत्रालयों/ विभागों का अनुदान और व्यय चित्र 1.1 में दिया गया है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पांच नागरिक अनुदान और एक गैर-नागरिक अनुदान (डी ओ पी) शामिल हैं।

चित्र 1.1: मंत्रालय/ विभागवार अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए विभागों के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षित संस्थाओं की संक्षिप्त रूपरेखा पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 1.6 संचार मंत्रालय

#### 1.6.1 दूरसंचार विभाग

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबंधन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण का

अनुश्रवण करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न दूरसंचार परिमंडलों में आधारभूत और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करता है।

### 1.6.1.1 महत्वपूर्ण दूरसंचार विभाग इकाइयाँ


दूरसंचार विभाग में दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी (टी ई आर एम) प्रकोष्ठों, संचार लेखा नियंत्रक (सी सी ए), वायरलेस योजना और समन्वय (डब्ल्यू पी सी), दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी), बेतार अनुश्रवण संगठन (डब्ल्यू एम ओ), नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान (एन टी आई पी आर आई टी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र (सी - डी ओ टी), जो एक अनुसंधान और विकास इकाई है, शामिल हैं।

### 1.6.1.2 दूरसंचार विभाग के अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान डी ओ टी के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.2 में दी गई है।

चित्र 1.2: डी ओ टी का राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग और वित्त लेखे)


2020-21 में, डी ओ टी का कुल अनुदान ₹79,431.71 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 97 प्रतिशत अधिक था। यह मुख्य रूप से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्राप्त अनुदान, बी एस एन एल के साथ-साथ एम टी एन एल कर्मचारियों की वी आर एस योजना और बी एस एन एल और एम टी एन एल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी के लिए

अनुदान के कारण था। जैसे कि 2020-21 में डी ओ टी का व्यय ₹53,504.15 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक था।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व हैं। इन्हें लेखों में "गैर कर राजस्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण चित्र 1.3 में दिया गया है।

**चित्र 1.3: 2016-21 के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व का विवरण**

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोग लेखे)


स्पेक्ट्रम राजस्व का मुख्य घटक स्पेक्ट्रम की नीलामी से एकत्र की गई राशि और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान स्पेक्ट्रम राजस्व में उतार-चढ़ाव होता रहा है, जो 2017-18 में ₹18,000.97 करोड़ से लेकर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹53,860.69 करोड़ के बीच स्पेक्ट्रम नीलामी प्राप्तियों के संग्रह, नीलामी अग्रिम प्राप्तियों और नीलामी स्थगित रसीदों होने के कारण रहा है। 2020-21 में स्पेक्ट्रम राजस्व ₹29,941.38 करोड़ था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के अनुसरण में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त एक वर्ष में ₹29,256.31 करोड़ एलएफ राशि के थोक संग्रह के कारण लाइसेंस शुल्क ₹39,647.82 करोड़ संग्रहीत किया गया था, जबकि 2020-21 में संग्रहीत लाइसेंस शुल्क ₹15,273.59 करोड़ था।

### 1.6.1.3 दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रूपरेखा

दूरसंचार देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। पिछले दशक के दौरान दूरसंचार क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान, टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 119.50 करोड़ से बढ़कर 120.12 करोड़ हो गई, जिसमें ग्रामीण ग्राहकों की संख्या 44.74 प्रतिशत और शहरी ग्राहकों की संख्या 55.26 प्रतिशत थी। दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए समग्र विकास की स्थिति चित्र 1.4 में दी गई है।

चित्र 1.4: 2016-2021 के दौरान ग्राहकों की वृद्धि




(स्रोत: ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

ग्राहक आधार के संदर्भ में पिछले पांच वर्षों के दौरान दूरसंचार क्षेत्र की वृद्धि को चित्र 1.5 में दर्शाया गया है।



**चित्र 1.5: ग्राहक आधार में वृद्धि - निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  
(ग्राहकों की संख्या करोड़ में)**



(स्रोत: ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

चित्र 1.5 से पता चलता है कि हालांकि 31 मार्च 2021 को समाप्त पांच साल की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के ग्राहक आधार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, निजी दूरसंचार कंपनियों के पास दूरसंचार क्षेत्र में लगभग 89 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है।

#### 1.6.1.4 2020-21 के दौरान दूरसंचार राजस्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं

नई दूरसंचार नीति-1999 ने राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसमें दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को "निश्चित" लाइसेंस शुल्क के स्थान पर लाइसेंस शुल्क के रूप में "अपने समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का प्रतिशत" का भुगतान करना आवश्यक था। विभिन्न न्यायालयों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा सकल राजस्व/ समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा पर विवाद किया गया था और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लाइसेंस शुल्क के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की सरकार की परिभाषा को बरकरार रखते हुए अक्टूबर 2019 में अपना निर्णय दिया था। परिणामस्वरूप, दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए निर्धारणों के आधार पर, टी एस पी को बकाया देय राशि का भुगतान करना पड़ा। टी एस पी ने बकाया देय राशि को फिर से चुनौती दी और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 के अपने फैसले में टी एस पी की बकाया राशि की मात्रा निर्धारित की और उन्हें सरकार को बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। टी एस पी द्वारा बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक शुरू होने वाले 10 वर्षों की एक विंडो प्रदान की। सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2020 के फैसले के अनुसार कुछ प्रमुख टी एस पी की 2016-17 तक बकाया राशि लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, ब्याज और जुर्माना तालिका 1.1 के अनुसार हैं:

तालिका 1.1: प्रमुख टी एस पी विरुद्ध एल एफ और एस यू सी की बकाया राशि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	दूर संचार विभाग की कुल मांग	प्राप्त भुगतान (मार्च 2020 तक)	शेष राशि
1	भारती एयरटेल समूह	43,980	18,004	25,876
2	वोडाफोन समूह की कंपनियाँ	58,254	3,500	54,754
3	टाटा समूह की कंपनियाँ	16,798	4,197	12,601
<b>कुल बकाया राशि</b>				<b>93,231</b>

(स्रोत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सितंबर 2020)

डी ओ टी ने आम तौर पर मुकदमे के तहत बताए गए आई एस पी लाइसेंसों को छोड़कर वर्ष 2017-18 तक सभी प्रमुख टी एस पी के लिए लाइसेंस शुल्क का आकलन पूरा कर लिया है। वर्ष 2018-19 के बाद से डी ओ टी के तहत विभिन्न सी सी ए से विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट के अभाव में निर्धारण प्रगति पर बताया गया था।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सरकार ने संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों को संबोधित करते हुए दूरसंचार सुधार पैकेज, 2021 को मंजूरी दी। प्रमुख दूरसंचार सुधारों में से एक 'समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) सुधार' था, जिसके तहत मोटे तौर पर टी एस पी के गैर-दूरसंचार राजस्व को अक्टूबर 2021 से राजस्व हिस्सेदारी के लिए संभावित रूप से नहीं माना जाना था।

इस प्रकार, तनावग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र को राहत देने के कथित इरादे से राजस्व हिस्सेदारी से संबंधित विवादों का समाधान किया गया है।

इसके अलावा, टी एस पी की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने (सितंबर 2021) ए जी आर फैसले से उत्पन्न होने वाले लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण बकाया राशि के वार्षिक भुगतान में चार साल तक की अधिस्थगन/ आस्थगन को मंजूरी दी; पिछली नीलामी (2021 की नीलामी को छोड़कर) में चार साल तक खरीदे गए स्पेक्ट्रम का देय भुगतान; टी एस पी को इक्विटी के माध्यम से भुगतान के उक्त आस्थगन के कारण उत्पन्न होने वाली ब्याज देयता राशि का भुगतान करने और अधिस्थगन/ आस्थगन अवधि के अंत में इक्विटी के माध्यम से उक्त आस्थगित भुगतान से संबंधित बकाया राशि को परिवर्तित करने का विकल्प दिया। वित्त मंत्रालय द्वारा इसके लिए दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाना था।

उपरोक्त उपाय उनकी तरलता और नकदी प्रवाह की कमी को कम करके राहत प्रदान करने के लिए थे। इससे विभिन्न घरेलू बैंकों को दिए गए ऋणों के माध्यम से दूरसंचार क्षेत्र में पर्याप्त जोखिम रखने में मदद मिलेगी।

एक अन्य प्रमुख दूरसंचार सुधार टी एस पी द्वारा प्रदान की जाने वाली बैंक गारंटी का युक्तिकरण था। सरकार ने लाइसेंसधारियों द्वारा बैंक गारंटी जमा करने की आवश्यकता को मौजूदा आवश्यकता के 20 प्रतिशत तक कम कर दिया। दूरसंचार सुधार 2021 के अनुरूप, संचार लेखा के प्रधान नियंत्रक, दिल्ली ने बैंक गारंटी की समीक्षा की और यू एल-एक्सेस सेवा, आई एल डी (अखिल भारतीय), एन एल डी (अखिल भारतीय), आई एस पी, वीसैट (एल एफ), एक्सेस (एस यू सी) और वीसैट (एस यू सी) के तहत विभिन्न लाइसेंस रखने वाले टी एस पी को ₹1,099.15 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की।

इस प्रकार डी ओ टी में सरकार ने टी एस पी के सामने आने वाली प्रमुख वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया था, जिससे भारत में दूरसंचार क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

#### 1.6.1.5 क्षेत्र का नियामक ढांचा

##### अ. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसमें दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्कों का निर्धारण/ संशोधन शामिल है, जो पहले केंद्र सरकार में निहित था। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करता हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता हो और सभी को तकनीकी लाभ पहुंचाने में सक्षम बनाता हो। अधिनियम के तहत, ट्राई के लिए अनिवार्य है:

- ❖ दूरसंचार लाइसेंसों के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ❖ सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- ❖ टैरिफ नीति निर्दिष्ट करना और नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए शर्तों के साथ-साथ सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियम और शर्तों की सिफारिश करना;
- ❖ टैरिफ नीति, अंतःसंबंध के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं की निगरानी से संबंधित मुद्दों पर विचार और निर्णय;
- ❖ कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;
- ❖ विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए जनता के लिए मुफ्त विकल्प और समान सुगमता;
- ❖ विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए बाजार के विकास और विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों का समाधान;
- ❖ मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता; तथा

- ❖ सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत के लिए मंचों का विकास और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत

ट्राई भी प्रसारण और केबल सेवाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामले में या तो स्वप्रेरणा से या लाइसेंसकर्ता यानी डी ओ टी, एम ओ सी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) के संदर्भ पर सिफारिशें करता है। यह निर्देश जारी करने से पहले हितधारकों के साथ चर्चा के लिए संबंधित विषयों पर परामर्श पत्र प्रकाशित करता है।

ट्राई ने वर्ष के दौरान प्राप्त ₹110.84 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹89.78 करोड़ की राशि का उपयोग किया है। ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध उनके वार्षिक प्रतिवेदन में ट्राई के कार्यों और गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

## ब. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी) की स्थापना 24 जनवरी 2000 से ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी के बीच, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपीलों को सुनने और उनका निपटान करने के लिए की गई थी।

वर्ष 2021 तक, टी डी एस ए टी को याचिकाओं, समीक्षा आवेदनों, ट्राई/ उच्च न्यायालय से स्थानांतरण आदि के रूप में कुल 11,175 मामले प्राप्त हुए थे। उनमें से 7,251 मामलों का निपटारा किया गया था और मार्च 2021 को 3,924 मामले टी डी एस ए टी के पास विभिन्न चरणों में लंबित थे।

### 1.6.1.6 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ)

ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार (जी ओ आई) ने 01 अप्रैल 2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ) का गठन किया। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन (यू एस ओ) को पूरा करने के लिए संसाधनों को यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के माध्यम से विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जुटाया जाना था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 2003 के पैरा 9ब के अनुसार, यू एस ओ एफ के लिए प्राप्त राशि को सबसे पहले भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा और केंद्र सरकार, यदि संसद इस संबंध में विनियोग द्वारा ऐसा प्रावधान करती है, तो इस तरह की आय को यू एस ओ की बैठक के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने के लिए समय-समय पर निधि में जमा कर सकती है। पिछले पांच वर्षों के लिए निधि से प्राप्त प्राप्तियों और व्यय का विवरण तालिका 1.2 के अनुसार है।

तालिका 1.2: यू एस ओ एफ से प्राप्त प्राप्तियों और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	रसीद (यूनिवर्सल एक्सेस लेवी)	यू एस ओ कोष में अंतरण		कोष में वास्तविक अंतरण	वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में लघु अंतरण	निधि से वास्तविक संवितरण	यू जी एफ ए के अनुसार निधि में शेष राशि
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2)-(5)	(5) के समान	
2016-17	9,763.87	2,755.00	7,625.79	7,225.79	2,538.08	7,225.79	-1.24
2017-18	7,019.26	11,636.18	7,000.00	7,000.00	19.26	7,000.00	0.00
2018-19	6,911.50	10,000.00	5,000.00	4,788.22	2,123.28	4,788.22	0.00
2019-20	7,961.53	8,350.00	3,000.00	2,926.00	5,035.53	2,926.00	0.00
2020-21	9,471.23	8,000.00	7,200.00	7,200.00	2,271.23	7,200.00	0.00

स्रोत: वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 21 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे

तालिका 1.2 से पता चलता है कि नामित निधि में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) का हस्तांतरण वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में कम था और 2019-20 के दौरान यू ए एल का लघु हस्तांतरण बहुत अधिक था।


#### 1.6.1.7 दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

दूरसंचार विभाग के तहत कुल 11 सार्वजनिक उपक्रम हैं। 31 मार्च 2021 के अंत तक इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹6,314.28 करोड़ था (परिशिष्ट I के अनुसार विवरण)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

##### i. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल)

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला, अक्टूबर 2000 में गठित, दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश भर में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख कंपनी है और विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं जैसे लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, स्थानीय लूप में वायरलेस (डब्ल्यू एल एल) और मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था (जी एस एम), ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। मार्च 2021 के अंत में कंपनी में सरकारी निवेश ₹5,000.00 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹18,594.81 करोड़ और ₹7,441.12 करोड़ थी। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के प्रावधानों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, बी एस एन एल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की, जिसने मार्च 2021 के अंत तक कंपनी की मानवशक्ति को लगभग 53 प्रतिशत कम कर दिया। पिछले तीन वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.6 में दिया गया है।

चित्र 1.6: पिछले तीन वर्षों के दौरान बी एस एन एल का प्रदर्शन




(स्रोत: बी एस एन एल का 2021 का वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

जैसा कि चित्र 1.6 से स्पष्ट है, पिछले तीन वर्षों में ग्राहक आधार में लगातार वृद्धि हुई है, हालांकि, कंपनी के राजस्व में लगातार गिरावट देखी गई है। कंपनी ग्राहक आधार में वृद्धि को राजस्व में बदलने में सक्षम नहीं हुई है। 4जी सेवाओं के लिए कंपनी को स्पेक्ट्रम देने का सरकार का फैसला 2020-21 के दौरान भी अमल में नहीं आया।

## ii. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की स्थापना 1986 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाओं और जी एस एम मोबाइल सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल अलग-अलग गैर-अनन्य लाइसेंस समझौते के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं भी प्रदान करता है। यह ब्रॉडबैंड और 3जी सेवाएं भी प्रदान करता है। सरकार ने 1994 में बैंकों/उनकी सहायक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों में 20 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया। एम टी एन एल एक सूचीबद्ध कंपनी है और मार्च 2021 के अंत में, ₹354.38 करोड़ मूल्य के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और शेष निजी शेयरधारकों के पास हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,788.41 करोड़ था और उसे ₹2,461.79 करोड़ का नुकसान हुआ। पिछले चार वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन तालिका 1.7 में दिया गया है।

चित्र 1.7: पिछले चार वर्षों के दौरान एम टी एन एल का प्रदर्शन



(स्रोत: 2021 के लिए एम टी एन एल की वार्षिक रिपोर्ट और टी.आर.ए.आई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

कंपनी के ग्राहक आधार और राजस्व में लगातार गिरावट आ रही थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल (2019-20) ने कर्मचारी लागत को कम करके, 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन, सॉवरेन गारंटी ऋण-पत्रों को बढ़ाकर ऋण पुनर्गठन, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण आदि द्वारा "बी एस एन एल और एम टी एन एल के लिए पुनरुद्धार योजना" को भी मंजूरी दी थी। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की लागत में कमी आई थी। इसने कंपनी के लिए केंद्र सरकार की पुनरुद्धार योजना के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में ₹6,500 करोड़ के ऋण-पत्र जारी करके भी धन जुटाया।

### iii. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का गठन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 2000 में पनडुब्बी केबल परियोजना की स्थापना और आई टी समाधान प्रदान करने के लिए किया गया था। कंपनी का कुल राजस्व ₹0.27 करोड़ था और इसने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0.14 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### iv. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आई टी आई)

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बेंगलुरु में अपना संचालन शुरू किया, जिसे जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के नैनी, रायबरेली और मनकापुर और केरल के पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करके अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2021 को सरकार के पास कंपनी के 90 प्रतिशत शेयर थे,

जिनका मूल्य ₹840.70 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹2,523.56 करोड़ और ₹11.20 करोड़ था।

#### v. दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में, दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1978 में स्थापित किया गया था, ताकि उचित विपणन रणनीतियों का विकास करके और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करके विदेशी और घरेलू बाजारों में अपने संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके। मार्च 2021 के अंत में कंपनी में सरकार का निवेश ₹59.20 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹1,765.80 करोड़ और ₹52.76 करोड़ था।

#### vi. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), एक विशेष उद्देश्य वाहन (एस पी वी), जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, को 2012 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) को निष्पादित करने के लिए निगमित किया गया था। बी बी एन एल को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पी एस यू नामतः बी एस एन एल, रेलटेल और पावर ग्रिड के मौजूदा फाइबर का उपयोग करते हुए और ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच अनुयोजकता अंतर को पाटने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, वृद्धिशील फाइबर बिछाते हुए, जो पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, देश के लगभग 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹60.00 करोड़ था। कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹933.63 करोड़ का राजस्व और ₹1.44 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

#### 1.6.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है जिसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं और यह देश सुदूर कोने तक फैला हुआ है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, यह धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन, कोयला खदान कर्मचारियों और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के वितरण में भी लगा हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी डाक विभाग को दी गई है।



नागरिकों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों के लाभ के लिए व्यापक क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के रूप में डाकघर के नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए विभाग ने विदेश मंत्रालय के साथ करार किया है। सरकार द्वारा डाकघरों में आधार नामांकन सह अद्यतन केंद्र स्थापित करने के लिए भी विभाग को अनिवार्य किया गया है।

व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने और विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने कई प्रीमियम सेवाएं जैसे स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, लॉजिस्टिक्स पोस्ट आदि और ई-उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला जैसे ई-पोस्ट, ई-पेमेंट, ई-पोस्ट ऑफिस आदि शुरू की है।


विभाग ने उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुयोजकता के माध्यम से परिचालन दक्षता को बदलने और डाक इकाइयों की डिलीवरी सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से आई टी आधुनिकीकरण परियोजना को लागू किया है। इसने 1.55 लाख डाकघरों को जोड़ा है, जिनमें से 90 प्रतिशत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इस प्रकार विभाग के सभी प्रकार के जवाबदेह मेल, पार्सल और अन्य संचालन/ सेवाओं की ट्रेकिंग और ट्रेसिंग को सक्षम बनाता है।

### 1.6.2.1 वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियां' और 'वसूली'<sup>1</sup> के रूप में होती है। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां, वसूली और राजस्व व्यय चित्र 1.8 में दिखाया गया है।

चित्र 1.8: डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए डाक विभाग के वित्त और विनियोग लेखे)

राजस्व प्राप्तियां 2016-17 में ₹11,511.00 करोड़ से थोड़ा कम होकर 2020-21 में ₹10,362.31 करोड़ हो गईं। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों के साथ-साथ वसूली में लगातार वृद्धि हुई है, राजस्व व्यय में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता रहा जो 2019-20

<sup>1</sup> अन्य सरकारों और केंद्र सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं पर वसूली का प्रतिनिधित्व करता है

में ₹29,139.74 करोड़ से बढ़कर ₹29,261.20 करोड़ हो गया। राजस्व व्यय में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा कार्य व्यय जैसे वेतन, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं और अन्य शुल्कों आदि में वृद्धि को जिम्मेदार ठहराया गया है।

### 1.6.2.2 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा (पी एल आई) देश का सबसे पुराना जीवन बीमाकर्ता है, जिसे 01 फरवरी 1884 को डाक कर्मचारियों के लाभ के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप में पेश किया गया था और बाद में वर्ष 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया था। 1894 में, पी एल आई ने पी एंड टी विभाग की महिला कर्मचारियों को बीमा कवर दिया, जब कोई अन्य बीमा कंपनी महिला जीवन को कवर नहीं करती थी।

अब इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, न्यूनतम 10 प्रतिशत सरकारी/पी एस यू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सहकारी समितियों आदि के कर्मचारी शामिल हैं। पी एल आई रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बीमा कवर भी प्रदान करता है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) 24 मार्च 1995 को भारत के ग्रामीण लोगों के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर, श्री आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफारिशों पर शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को बीमा कवर प्रदान करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और महिला श्रमिकों को लाभ पहुंचाना और ग्रामीण आबादी के बीच बीमा जागरूकता फैलाना है। 2014-21 की अवधि के दौरान पी एल आई और आर पी एल आई व्यवसाय का रुझान तालिका 1.3 में दिया गया है।

**तालिका 1.3: डाक विभाग में पी एल आई और आर पी एल आई व्यवसाय का रुझान**

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	52,42,257	1,09,106.93	1,52,45,387	82,822.26
2015-16	49,30,838	1,09,982.10	1,49,15,652	81,733.73
2016-17	46,80,013	1,13,084.81	1,46,84,096	83,983.47
2017-18	43,59,855	1,16,499.40	1,36,61,694	80,811.39
2018-19	39,33,973	1,17,045.90	1,30,80,337	80,568.72
2019-20	नए व्यवसायों के छोटे छोटे भागों/ कमियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा प्राप्त नहीं किया जाता है।			
2020-21	45,45,642	उपलब्ध नहीं है*	51,10,828	उपलब्ध नहीं है*

\*कुल बीमित राशि प्रदान नहीं की गई है।

2014-21 की अवधि के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या तालिका 1.4 में दर्शाई गई है।

**तालिका 1.4: डाक विभाग में पी एल आई और आर पी एल आई के सम्बंध में जारी की गई नई पॉलिसियां**

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान जारी पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2014-15	3,24,022	14,276.92	4,77,360	4,652.36
2015-16	1,98,606	9,644.98	2,58,225	2,668.91
2016-17	2,13,323	11,096.68	3,75,134	6,850.46
2017-18	2,43,654	13,305.73	5,23,899	7,298.29
2018-19	2,89,908	17,094.44	7,72,650	9,875.79
2019-20	नए व्यवसायों के छोटे छोटे भागों/ कमियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा प्राप्त नहीं किया जाता है।			
2020-21	2,85,032	18,707.04	7,09,344	10,673.34

(स्रोत: वर्ष 2014-21 के लिए विनियोग लेखे)

उपरोक्त तालिकाओं से पता चलता है कि यद्यपि पी एल आई के साथ-साथ आर पी एल आई के तहत प्रत्येक वर्ष जारी की जा रही पॉलिसियों की संख्या के साथ-साथ इन पॉलिसियों के लिए बीमित राशि ने 2018-19 तक बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है, जारी पॉलिसियों की संख्या में 2020-21 में कमी आई है।

### 1.6.2.3 डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डाक विभाग के पास अगस्त 2016 में निगमित, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था।

#### i. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी)

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 को डी ओ पी के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार से 100 प्रतिशत इक्विटी थी। बैंक की दो प्रायोगिक शाखाएं 30 जनवरी 2017 को झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ में रायपुर में शुरू की गई थीं और 01 सितंबर 2018 को अखिल भारतीय परिचालन शुरू किये गये थे। आई पी पी बी बचत और चालू खातों जैसे एक लाख तक के एक शेष राशि की मांग जमा, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रस्तुत करता है और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंकों, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संगठन, आदि के साथ साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पाद और विदेशी मुद्रा जैसी तृतीय पक्ष वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।

31 मार्च 2021 के अंत तक इस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार का कुल पूंजी निवेश ₹1,255.00 करोड़ था। कंपनी का कुल राजस्व ₹213.13 करोड़ था और 31 मार्च 2021 को

समाप्त अवधि के दौरान उसे ₹320.54 करोड़ का नुकसान हुआ। आई पी पी बी ने 31 मार्च 2021 तक ₹400 करोड़ के कुल स्वीकृत अनुदानों में से ₹389.50 करोड़ की राशि का अनुदान उपयोग किया था (परिशिष्ट I के अनुसार विवरण)

### 1.7 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामलों) के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। एम ई आई टी वाई का उद्देश्य एक विकसित राष्ट्र और एक सशक्त समाज में परिवर्तन के इंजन के रूप में भारत का ई-विकास है।


एम ई आई टी वाई के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, या तो सीधे या इसके अधिकार क्षेत्र में इसके उत्तरदायित्व केंद्रों (संगठन/ संस्थान) के माध्यम से योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित किया जाता है। प्रौद्योगिकी को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने के लिए अकादमिक और निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र के साथ सहयोग भी मांगा गया है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को पाटने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, एम ई आई टी वाई को भारत सरकार से अनुदान के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान चित्र 1.9 में दिया गया है।

चित्र 1.9: 2016-21 के दौरान एम ई आई टी वाई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2016-21 के लिए एम ई आई टी वाई के वित्त और विनियोग लेखे)

2020-21 में, एम ई आई टी वाई का कुल अनुदान ₹ 6992.05 करोड़ था जो पिछले वर्ष से थोड़ा बढ़ (लगभग पाँच (5) प्रतिशत) गया था। इसी तरह 2020-21 में एम ई आई टी वाई का व्यय ₹5,523.2 करोड़ था जो पिछले वर्ष से गिरावट (लगभग पाँच प्रतिशत) दर्शाता है।

एम ई आई टी वाई के दो संलग्न कार्यालय (नामतः, एन आई सी, एस टी क्यू सी), छह स्वायत्त समितियाँ (नामतः, सी- डी ए सी, सी एम् ई टी, एन आई ई एल आई टी, एस ए एम् ई ई आर, एस टी पी आई और ई आर एन ई टी इंडिया), तीन खंड 8 कंपनियाँ [नामतः, एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)], तीन सांविधिक संगठन (नामतः, सी सी ए, आई सी ई आर टी और यू आई डी ए आई) और कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी (नामतः, सी एस सी ई-गवर्नेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड) मंत्रालय को आवंटित व्यवसाय को चलाने के लिए अपने प्रभार के तहत थीं।

### 1.7.1 एम ई आई टी वाई के संलग्न कार्यालयों की रूपरेखा

#### i. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैकबोन और ई-गवर्नेस सहायता प्रदान करता है। यह (अ) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, और (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

#### ii. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

एस टी क्यू सी, वर्ष 1980 में स्थापित, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने और आईटी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के जनादेश के साथ संरेखित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आश्वासन सेवा प्रदाता है।

#### iii. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई), एम ई आई टी वाई के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थापना से पहले, यू आई डी ए आई तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के 28 जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने यू

आई डी ए आई को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) में संलग्न करने के लिए व्यापार नियमों के आवंटन को संशोधित किया।

यू आई डी ए आई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो (अ) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, और (ब) एक आसान, किफ़ायती तरीके से प्रमाणित और सत्यापित किया जा सकता है। 31 मार्च 2021 तक, यू आई डी ए आई ने देश के निवासियों के लिए 129.04 करोड़ आधार संख्याएँ तैयार की थीं।

यू आई डी ए आई को 2021-21 के दौरान ₹756.78 करोड़ की सहायता अनुदान प्राप्त हुआ और उन्होंने ₹743.78 करोड़ खर्च किए। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण और नामांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त शुल्क के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है। सभी प्राप्तियां मार्च 2019 से सरकार द्वारा बनाए गए यू आई डी ए आई कोष में जमा की जाती हैं।

### 1.7.2 एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

एम ई आई टी वाई के तहत कुल चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2021 के अंत में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹ 60.26 करोड़ था (परिशिष्ट I के अनुसार विवरण) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

#### i. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जिसे पहले मीडिया लैब एशिया के नाम से जाना जाता था, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित एक 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को आई सी टी का लाभ पहुंचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए आई सी टी का उपयोग शामिल है। यह एक ऐसी कंपनी है जो गारंटी द्वारा सीमित है और उसके पास कोई शेयर पूंजी नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के तहत इस कंपनी की लेखापरीक्षा सीएजी को सौंपी गई थी। कंपनी विकास कार्य करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान इसकी कुल आय ₹152.76 करोड़ (मुख्य रूप से सहायता अनुदान के कारण) थी।

#### ii. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के तहत सरकारी संगठनों को कुल आई टी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत का आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी,

सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,356.61 करोड़ था और इसने ₹98.23 करोड़ का लाभ कमाया।

### iii. सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, एक विशेष प्रयोजन वाहन, सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एम ई आई टी वाई द्वारा स्थापित किया गया है। सी एस सी एस पी वी योजना की प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹58.26 करोड़ थी; वर्ष 2020-21 के दौरान कुल राजस्व ₹1,441.81 करोड़ था और इसने ₹124.96 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### iv. सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2016 की शुरुआत में, सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विस इंडिया प्रा. लिमिटेड को ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और विश्वसनीय आई सी टी समाधान के विकास के लिए पेश किया गया था। यह पहल भारत नेट इन्फ्रास्ट्रक्चर वाई-फाई चौपाल के अंतिम छोर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर केंद्रित है, जो अनिवार्य रूप से एक सेवा वितरण पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा प्रदान करता है जिसका उपयोग निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है:

- ❖ सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- ❖ फाइबर रखरखाव, पेशेवर टीमों के साथ जी पी ओ एन बुनियादी ढांचा।
- ❖ वाई-फाई ऑडियो/ वीडियो कॉलिंग समाधान
- ❖ ऑफलाइन सामग्री स्ट्रीमिंग जिसमें क्षेत्रीय और बहुभाषी सामग्री शामिल है।
- ❖ विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिए अनुप्रयोग विकास और सहायता।

वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹211.66 करोड़ था और इसने ₹13.91 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

## 1.8 वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)

### 1.8.1 आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए)

डी ई ए मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता, घरेलू वित्त और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित अन्य देश, भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर असर डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है। विभाग भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग का रखरखाव करता है। डी ई ए को पंद्रह कार्यात्मक प्रभागों में विभाजित किया गया


है, नामतः (i) प्रशासन और समन्वय, (ii) द्विपक्षीय सहयोग (iii) बजट, (iv) आर्थिक प्रभाग, (v) वित्तीय बाजार, (vi) मुद्रा और सिक्का, (vii) निवेश, (viii) बुनियादी ढांचा नीति और वित्त (ix) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध, (x) फंड बैंक और ए डी बी, (xi) संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थान, (xii) वित्तीय क्षेत्र में सुधार और कानून, (xiii) वित्तीय स्थिरता और साइबर सुरक्षा, (xiv) सहायता, लेखा और लेखापरीक्षा, (xv) सांख्यिकीय और डेटा विश्लेषण और निगरानी।

### 1.8.1.1 डी ई ए का अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ई ए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.10 में दी गई है।

चित्र 1.10: डी ई ए का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे)

2020-21 में, डी ई ए का कुल अनुदान ₹60,830.72 करोड़ था जो पिछले वर्ष के दोगुने से अधिक था। यह मुख्य रूप से अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश और मुद्रा, सिक्का और टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय के बढ़े हुए आवंटन के कारण था। 2020-21 में डी ई ए का व्यय ₹26,855.69 करोड़ था, जबकि 2019-20 में ₹16,203.69 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 66 प्रतिशत अधिक था, लेकिन ₹33,975.03 करोड़ की बचत विभाग में खराब बजट को दर्शाती है। यह मुख्य रूप से विभिन्न खर्चों को स्थगित करने और कोविड-19 महामारी के कारण सोने की कम जमा के कारण था।

### 1.8.1.2 क्षेत्र का नियामक ढांचा

#### भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एस.ई.बी.आई)

एस.ई.बी.आई 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए, नियम और दिशानिर्देश तैयार करते हुए भारतीय पूंजी और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना है।



एस.ई.बी.आई के बुनियादी कार्य हैं:

- i. स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार के नियम।
- ii. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार का निषेध।
- iii. प्रतिभूति बाजार के बिचौलियों की शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार।
- iv. निवेशकों को बढ़ावा देना और बिचौलियों का पंजीकरण करना।
- v. शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना।

एस.ई.बी.आई ने 2020-21 के दौरान भारत सरकार से कोई सहायता अनुदान/ सब्सिडी प्राप्त नहीं की और अपने स्वयं के संसाधनों से कार्य करने में सक्षम था।

### 1.8.1.3 डी ई ए के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डी ई ए के तहत चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2021 के अंत तक इन सार्वजनिक उपक्रमों में कुल पूंजी निवेश ₹3,587.52 करोड़ था। इन सार्वजनिक उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

#### i. सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' मिनीरत्न श्रेणी- I कंपनी को 13 जनवरी, 2006 को मुद्रा और सिक्का प्रभाग, डी ई ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पूर्ववर्ती नौ उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव और संचालन के लिए निगमित किया गया था। एस पी एम सी आई एल, तकनीकी रूप से एक नई इकाई है, जिसे सुरक्षा मुद्रण और ढलाई का सदियों पुराना अनुभव है।

एस पी एम सी आई एल मुद्रा और बैंक नोट, प्रतिभूति कागज, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेजों अर्थात पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाण पत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचालन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन, और कीमती धातुओं की परख निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹987.50 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹4,883.74 करोड़ था और इसने ₹423.81 करोड़ का लाभ कमाया।

#### ii. भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) 1995 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है। यह भारतीय बैंक नोटों और सिक्कों की ढलाई करता है। बी आर बी एन एम पी एल देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है साथ ही शेष आवश्यकताओं को एस पी एम सी आई एल के माध्यम से पूरा

किया जाता है। प्रेस की वर्तमान क्षमता दो पाली के आधार पर प्रति वर्ष 16 बिलियन नोट पीस है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹1800.00 करोड़ था और वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2,806.17 करोड़ था और इसने ₹446.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### iii. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)

बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल) को बैंक नोट पेपर के उत्पादन के लिए एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 13 अक्टूबर 2010 को निगमित और पंजीकृत किया गया है। 31 मार्च 2021 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹800.00 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,126.46 करोड़ था और इसने ₹271.21 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### iv. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल)

नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल) भारत का पहला बुनियादी ढांचा विशिष्ट निवेश कोष या एक संप्रभु धन कोष है जिसे फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस कोष को बनाने के पीछे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना था।

एन आई आई एफ टी एल तीन कोषों का प्रबंधन करता है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए फंड की स्थापना की गई थी। कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹0.02 करोड़ है और कंपनी का कुल राजस्व वर्ष 2020-21 के दौरान ₹0.22 करोड़ था और इसने ₹0.05 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### 1.8.2 व्यय विभाग (डी ओ ई)

डी ओ ई केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों/ टिप्पणियों की निगरानी, केंद्र सरकार के लेखों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। यह केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों को अनुकूलित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करने में सहायता करता है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में व्यय प्रबंधन की निगरानी करना और वित्तीय नियमों/ विनियमों/ आदेशों का प्रशासन, प्रमुख


योजनाओं/ परियोजनाओं का पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन, बड़ी मात्रा में राज्य को हस्तांतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है।

### 1.8.2.1 डी ओ ई का अनुदान और व्यय

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान डी ओ ई के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.11 में दी गई है।

चित्र 1.11: डी ओ ई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ओ ई के विनियोग लेखे)

2019-20 के लिए ₹442.88 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान ₹535.56 करोड़ था, जबकि 2019-20 के दौरान ₹413.73 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए व्यय ₹289.31 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में डी ओ ई के अनुदान में मामूली वृद्धि हुई थी जबकि व्यय में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई थी। विभाग ने कम दौरे, कंप्यूटर/ सॉफ्टवेयर की खरीद न होने, कोविड-19 महामारी के कारण सलाहकारों की कम भर्ती और लेखा महानियंत्रक (सी जी ए) कार्यालय द्वारा नए भवन को किराए पर लेने में देरी के कारण शीर्ष में बचत को जिम्मेदार ठहराया।


## 1.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)

एम ओ एस पी आई भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो जारी किए गए आंकड़ों के कवरेज और गुणवत्ता पहलुओं से संबंधित है। मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों पर आधारित हैं। सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15 अक्टूबर 1999 को मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय के दो स्कंध हैं, एक सांख्यिकी से और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) नामक सांख्यिकी स्कंध में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के तीन प्रभाग हैं, अर्थात् (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) अवसंरचना निगरानी

और परियोजना निगरानी और (iii) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अलावा, भारत सरकार के एक प्रस्ताव (एम् ओ एस पी आई) और एक स्वायत्त संस्थान, नामतः भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया है, के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया है।

वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एम् ओ एस पी आई के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.12 में दी गई है। 2019-20 के लिए ₹5,231.06 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान ₹5,444.02 करोड़ था, जबकि 2019-20 के दौरान ₹4,919.30 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2020-21 के लिए व्यय ₹2,438.22 करोड़ था। 2020-21 में एम् ओ एस पी आई के अनुदान में पिछले वर्ष से मामूली वृद्धि हुई थी जबकि व्यय पिछले वर्ष के आधे से भी कम हो गया था। यह कुछ राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू होने, जिला प्रशासन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और कोविड-19 महामारी के कारण एम ओ एफ द्वारा एम पी एल ए डी एस योजना के निलंबन के कारण इस मद में बचत के कारण था।

चित्र 1.12: एम ओ एस पी आई का अनुदान और व्यय



(स्रोत: वर्ष 2018-21 के लिए डी ओ ई के विनियोग लेखे)

### 1.10 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियां

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, सभी मंत्रालयों और सी पी एस ई/ ए बी में निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से ₹3,822.80 करोड़ की वसूली को लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। इसमें से विभागों/ लेखापरीक्षा इकाइयों ने ₹3,140.85 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹250.66 करोड़ की वसूली की।

### 1.11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया पैराग्राफ की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश जारी किए। तदनुसार, मसौदा पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों की

और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अग्रेषित किए जाते हैं और उनसे छह सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों ने अध्याय II से VII में दर्शाए गए 13 पैराग्राफ में से मार्च 2022 के अंत तक तीन (3) का उत्तर नहीं भेजा। शेष पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों/विभागों की प्रतिक्रिया पर विचार किया गया है और प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

### 1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल)

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने वांछित किया कि मार्च 1994 और 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित एक्शन टेकन नोट्स (ए टी एन) को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसित किया कि आगे मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर ए टी एन संसद में प्रतिवेदनों को रखे जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित उन्हें प्रस्तुत किया जाए।

इसके अलावा, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में सिफारिश की कि उपचारात्मक कार्रवाई करने और पी ए सी को ए टी एन जमा करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच किए गए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से ए टी एन के समन्वय और संग्रह का कार्य सौंपा गया है और उन्हें संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से चार महीने की निर्धारित अवधि के भीतर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

दिसंबर 2021 तक केंद्र सरकार (संचार और आई टी) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल अनुच्छेदों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि एम ओ सी, एम ई आई टी वाई, एम ओ एफ और एम ओ एस पी आई से संबंधित 48 पैराग्राफों के संबंध में ए टी एन विभिन्न चरणों में लंबित थे। वर्षवार विवरण **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

### 1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (वाणिज्यिक)

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया (जुलाई 1985) कि वे सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न अनुच्छेदों/ मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाली टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) प्रस्तुत करें, जैसा कि संसद के दोनों सदनों में रखा गया है। ऐसी टिप्पणियों को उन अनुच्छेदों/ मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था जिन्हें विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यू) द्वारा नहीं चुना गया था।

सचिवों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया (जून 2010) कि सी ए जी लेखापरीक्षा पैराओं और सी ओ पी यू सिफारिशों पर लंबित ए टी एन/ ए टी आर को अगले तीन महीनों के भीतर निपटाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इस निर्णय से अवगत कराते हुए (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

दिसंबर 2021 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल एम ओ सी और एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पी एस यू से संबंधित ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक 78 पैराओं के संबंध में ए टी एन लंबित थे जैसा कि परिशिष्ट III में वर्णित है।

#### 1.14 संचार मंत्रालय/ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/ वित्त मंत्रालय के स्वायत्त निकायों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (ए बी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखा प्रस्तुत करने, प्रमाणन और संसद में प्रस्तुत करने में देरी के कारणों के साथ स्थिति आदि का विवरण परिशिष्ट IV में दिया गया है।

---

---

**खंड-क**  
**मंत्रालय / विभाग**

---

---





## अध्याय

## II

## दूरसंचार विभाग

## 2.1 टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) से लाइसेंस प्रभार की कम उगाही

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिये टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) के एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस से संबंधित राजस्व शेयर में टी सी एल द्वारा जी आर और ए जी आर ₹13,252.81 करोड़ कम बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹950.25 करोड़ के एल एफ की कम उगाही की गई। देय एल एफ में से ₹305.25 करोड़ के डी ओ टी आंकलन की कटौती के बाद, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस प्रभार ₹645 करोड़ कम था, जिसकी मांग और उगाही की जानी चाहिए।

## 2.1.1 प्रस्तावना

दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) विभिन्न दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा प्रदाताओं (एस पी) के साथ लाइसेंस करार करता है। ये करार वार्षिक लाइसेंस प्रभार के भुगतान सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करते हैं। राजस्व शेयरिंग व्यवस्था (अगस्त 1999) की शुरुआत के बाद, लाइसेंसधारी कंपनियों/ एस पी को लाइसेंस प्राप्त सेवा के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) के सहमत प्रतिशतता पर दूरसंचार विभाग को वार्षिक लाइसेंस प्रभार (एल एफ) का भुगतान करना आवश्यक है। डी ओ टी द्वारा जारी लाइसेंस करार में सकल राजस्व (जी आर), कटौती और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) को परिभाषित किया गया है।

सरकार को भुगतान किए गए राजस्व साझा की सटीकता और पूर्णता यह सुनिश्चित करने पर निर्भर है कि एस पी द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना लाइसेंस शर्तों के अनुसार की जाती है और डी ओ टी के पास इसकी सत्यता को सत्यापित/आकलित करने के लिए सिस्टम हैं। जी आर के आकलन और देय राजस्व शेयर की अंतिम गणना की जिम्मेदारी दूरसंचार विभाग में लाइसेंस वित्त (एल एफ) विंग की है, जो लेखापरीक्षित ए जी आर और पी एस पी से प्राप्त रिपोर्ट/समायोजित विवरण के आधार पर आकलन करता है।

एस पी द्वारा भुगतान किया गया एल एफ सरकार की राजस्व प्राप्तियों को तैयार करता है। इस प्रकार, एस पी द्वारा किए गए भुगतानों के डी ओ टी द्वारा किए गए सत्यापन के अलावा, एल एफ प्राप्तियां भी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सेवा प्रदाता (लेखों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव) नियम, 2002 भी सी ए जी द्वारा एस पी से भुगतान किए गए एल एफ की

लेखापरीक्षा को अनिवार्य करता है। अतीत में, कुछ निजी सेवा प्रदाताओं (पी एस पी)<sup>2</sup> द्वारा वर्ष 2006-07 से 2014-15 के दौरान भुगतान किए गए राजस्व शेयर/ एल एफ की लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की गई थी और उसके निष्कर्षों को 2016 की रिपोर्ट संख्या 4 और 2017 की रिपोर्ट संख्या 11 और 35 में प्रतिवेदित किया गया है।

## 2.1.2 टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल) का एल एफ मूल्यांकन

### 2.1.2.1 टी सी एल का लाइसेंस धारण

टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड (टी सी एल)<sup>3</sup> दूरसंचार सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक एस पी है नामतः अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आई एल डी) और राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) लाइसेंस के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय वॉयस ट्रैफिक और डेटा यातायात, और इंटरनेट सेवा प्रदाता-आईटी (आई एस पी-आई टी) लाइसेंस के तहत इंटरनेट सेवाएं। इसने 2002 से आई एल डी और एन एल डी लाइसेंस और 1999 से आई एस पी-आई टी लाइसेंस धारण किया है। इन लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं की तरह टी सी एल को डी ओ टी को वार्षिक लाइसेंस प्रभार (एल एफ) का भुगतान करना आवश्यक है, जो प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा के लिए रिपोर्ट किए गए समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का एक निर्दिष्ट प्रतिशत थी। इस प्रकार, एल एफ, आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस करार में परिभाषित सकल राजस्व (जी आर), कटौती और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) पर निर्भर है।

### 2.1.2.2 टी सी एल के आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के लिए लागू सकल राजस्व, समायोजित सकल राजस्व और लाइसेंस प्रभार

आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी (आई टी) करार में दिखाई देने वाले जी आर और ए जी आर की परिभाषा इस प्रकार है:

#### (i) अंतरराष्ट्रीय लम्बी दूरी (आई एल डी)

जी आर में आपूर्ति की गई वस्तुओं, प्रदान की गई सेवाओं, बुनियादी ढांचे को पट्टे पर देने, दूसरों द्वारा इसके संसाधनों का उपयोग, आवेदन प्रभार, स्थापना प्रभार, कॉल प्रभार, विलंब प्रभार, उपकरणों की बिक्री से प्राप्त आय (या एक्सेसरीज सहित किसी भी टर्मिनल उपकरण)

<sup>2</sup> भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड, आइडिया सेल्युलर लिमिटेड और आदित्य बिड़ला टेलीकॉम लिमिटेड, टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड और टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड, एयरसेल ग्रुप (डिशनट वायरलेस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड), सिस्टेमा श्याम टेलीसर्विसेज लिमिटेड और श्याम इंटरनेट सर्विसेज लिमिटेड, टेलीनॉर (इंडिया) कम्युनिकेशन लिमिटेड, वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, क्वार्टेट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

<sup>3</sup> पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड (वी एस एन एल) के नाम से जाना जाता था।

लाइसेंसधारी को होने वाले सभी राजस्व शामिल होंगे। हैंडसेट, बैंडविड्थ, मूल्य वर्धित सेवा से आय, पूरक सेवाएं, एक्सेस या इंटरकनेक्शन, प्रभार, बुनियादी ढांचे आदि को किराए पर लेने के लिए कोई पट्टा या किराया प्रभार, आदि और संबंधित व्यय के लिये बिना किसी समायोजन के ब्याज, लाभांश आदि सहित कोई अन्य विविध मद आदि। एल एफ को राजस्व के प्रतिशत के रूप में उगाही के उद्देश्य से ए जी आर, का अर्थ निम्नलिखित घटाकर जी आर से कम होगा

- ❖ कॉल के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में भुगतान किए गए कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार);
- ❖ सेवा और बिक्री कर के प्रावधान के लिए सेवा कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाता है यदि सकल राजस्व में बिक्री कर और सेवा कर के घटक शामिल हो

### (ii) राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एन एल डी)

राजस्व के प्रतिशत के रूप में एल एफ की उगाही के प्रयोजन के लिए राजस्व का अर्थ होगा लाइसेंस के तहत एन एल डी सेवा प्रदान करने के माध्यम से लाइसेंसधारी को अर्जित सकल कुल राजस्व/आय जिसमें पूरक/मूल्य वर्धित सेवाओं और बुनियादी ढांचे के पट्टे पर राजस्व ब्याज, लाभांश आदि शामिल है, जैसा कि "पास-थू प्रकृति के घटक भाग" द्वारा घटाया गया है, जो अन्य सेवा प्रदाताओं को देय है, जिनके नेटवर्क पर कॉल के लिए लाइसेंसधारी का नेटवर्क परस्पर जुड़ा हुआ है। जी आर में पिछले डेबिट भी शामिल होंगे (उदाहरण के लिए पूर्व के वर्षों में प्रावधानों से अधिक वसूले गए अशोध्य ऋण)। इसके अलावा, लाइसेंसधारी के ग्राहकों से एकत्र और सरकार को दिये गये सेवा कर और बिक्री कर राजस्व का हिस्सा नहीं होगा।

### (iii) इंटरनेट सेवा प्रदाता-आई टी (आई एस पी-आई टी)

सकल राजस्व में इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट सामग्री सेवा, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, स्थापना प्रभार, विलंब प्रभार, टर्मिनल उपकरण की बिक्री आय, ब्याज से प्राप्त राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, बुनियादी सेवाओं के अनुमत शेयरिंग से प्राप्त राजस्व शामिल होगा और कोई अन्य विविध राजस्व, व्यय की संबंधित मद आदि के लिए बिना किसी समायोजन के, शामिल होगा। ए जी आर प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित को जी आर से बाहर रखा जाएगा।

- ❖ इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट सामग्री और इंटरनेट एक्सेस संबंधी इंस्टॉलेशन प्रभार
- ❖ सेवा और बिक्री कर के प्रावधान पर सेवा कर वास्तव में सरकार को भुगतान किया जाता है यदि सकल राजस्व में बिक्री कर और सेवा कर के घटक शामिल हो।

01 अप्रैल 2006 से 2017-18 तक सभी तीन लाइसेंसों के लिए देय एल एफ की दर तालिका 2.1 में दी गई थी।

तालिका 2.1: लाइसेंस के प्रकार और लागू दरें

लाइसेंस का प्रकार		2006-07 से 2011-12	2012-13		2013-14 से 2017-18
			01.04.12 से 30.06.12	01.07.12 से 31.03.13	
एन एल डी	अखिल भारतीय	6%	6%	7%	8%
आई एल डी	अखिल भारतीय				
आई एस पी आई टी	सभी सेवा क्षेत्र				

### 2.1.3 लेखापरीक्षा का औचित्य, कार्यप्रणाली, कार्यक्षेत्र और मानदंड

टी सी एल के मामले में एल एफ/ राजस्व शेयरिंग के निर्धारण की लेखापरीक्षा 2014-15 में अन्य पी एस पी की लेखापरीक्षा के साथ नहीं की जा सकी, क्योंकि कंपनी ने लेखापरीक्षा को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए और इस दलील पर उनके परिसर में लेखापरीक्षा से इनकार कर दिया कि एक आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी सेवाप्रदाता<sup>4</sup> होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का 17 अप्रैल 2014 का फैसला उन पर लागू नहीं था। परिणामस्वरूप, डी ओ टी लाइसेंसधारी के रूप में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए मैसर्स टी सी एल के एल एफ के निर्धारण की लेखापरीक्षा अक्टूबर 2017/ जनवरी 2018 और जुलाई 2019 के दौरान डी ओ टी मुख्यालय में की गई थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत लेखापरीक्षा अन्य पी एस पी के लिए "राजस्व शेयर लेखापरीक्षा" की तरह की गई थी।

यह लेखापरीक्षा एस पी द्वारा दूरसंचार विभाग को प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणियों, समाधान विवरणों, लाभ-हानि खातों तथा तुलन पत्र की जांच पर आधारित थी। अवधि के लिए डी ओ टी के जी आर, ए जी आर और एल एफ के आकलन की भी जांच की गई। लेखापरीक्षा ने 2006-07 से 2017-18 की अवधि और सभी तीन लाइसेंसों के तहत देय एल एफ को कवर किया अर्थात् एन एल डी, आई एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस। लेखापरीक्षा समय-समय पर संशोधित लाइसेंस करार के प्रावधानों और एल एफ और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार के संग्रह पर डी ओ टी द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में की गई थी।

### 2.1.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए मैसर्स टी सी एल के अभिलेखों (लेखापरीक्षित ए जी आर विवरण और साथ में समायोजित विवरण, लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र) की

<sup>4</sup> राजस्व साझेदारी की शर्तें सभी लाइसेंसधारियों पर लागू होती हैं अर्थात् मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाता आदि।

लेखापरीक्षा जांच से प्राप्त निष्कर्ष, जो उनके द्वारा डी ओ टी को प्रस्तुत किए गए हैं, अनुवर्ती पैराग्राफ में हैं।

#### 2.1.4.1 जी आर/ ए जी आर की गणना से "दूरसंचार सेवाओं से राजस्व और अन्य/ विविध आय" को हटाना

इस लेखापरीक्षा के तहत कवर की गई अवधि के दौरान, यह देखा गया कि टी सी एल ने तीन लाइसेंसों के जी आर/ ए जी आर की गणना करते समय दूरसंचार सेवाओं और "अन्य/ विविध आय" से अर्जित राजस्व को शामिल नहीं किया था।

##### (i) जी आर की गणना से राजस्व को हटाना

लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए टी सी एल के अभिलेखों की जांच से पता चला कि लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान, जबकि टी सी एल ने अपने लेखों में आय के रूप में ₹5,048.52 करोड़ का हिसाब लगाया था (जिसमें "डार्क फाइबर" आय, डेटा सेंटर सेवाओं से राजस्व, ग्राहक परिसर उपकरण की बिक्री और किराये से आय, कंपनी के हाइड्रॉ ऑफ रिटेल व्यापार उपक्रम से संबंधित आय, प्रबंधन कंसल्टेंसी सर्विसेज से आय, आईपी सेवाओं से राजस्व, ट्रांसपॉंडर पट्टों से आय, टेलीविजन अप-लिकिंग से आय, नियोटेल्<sup>5</sup> से बिलिंग और सहायता सेवाओं से राजस्व, बिजनेस मैसेजिंग सर्विसेज, ऑडियो वेब कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है), लेकिन कंपनी ने इन राजस्व और आय को आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के जी आर/ ए जी आर की गणना के उद्देश्य से अर्जित राजस्व के रूप में शामिल नहीं किया था। यह लाइसेंस करार का उल्लंघन था जो देय एल एफ के निर्धारण के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए लाइसेंसधारी को अर्जित "सभी राजस्व और आय" पर विचार करने के लिए प्रदान किया गया था।

##### (ii) "अन्य और विविध" आय को हटाना

उपरोक्त के अलावा, टी सी एल ने अपने खातों में "ब्याज आय", "आयकर वापसी पर ब्याज", "लाभांश आय", "वर्तमान निवेश की बिक्री पर लाभ", "लंबी अवधि के निवेश की बिक्री पर लाभ", "स्थिर संपत्तियों की बिक्री पर लाभ", "किराये की आय", "विनिमय लाभ", "विविध आय", "सहायक कंपनियों से आय की गारंटी" और कुछ वैधानिक दायित्वों के खिलाफ इनपुट क्रेडिट शीर्षों के अंतर्गत ₹6,634.25 करोड़ जोड़ा था। यद्यपि लाइसेंस करार में एल एफ गणना के उद्देश्य से जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए आय के यह सभी मद शामिल थे। मैसर्स टी सी एल ने अपने आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंस के जी आर/ ए जी आर की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान अर्जित इस आय को शामिल नहीं किया था।

<sup>5</sup> नियोटेल् पहले एस एन ओ दूरसंचार था, और दक्षिण अफ्रीका में स्थिर लाइन दूरसंचार सेवाओं के लिए दूसरा राष्ट्रीय ऑपरेटर (एस एन ओ) था।

यद्यपि टी सी एल ने नियमित रूप से लेखापरीक्षित ए जी आर पर स्व-निर्धारण के आधार पर एल एफ बकाया का भुगतान किया था, 2006-07 से 2017-18 की अवधि से संबंधित राजस्व और आय की उपरोक्त मदों को शामिल न करने के परिणामस्वरूप, जी आर/ ए जी आर की विवरणी में ₹11,682.77 करोड़ की कम गणना हुई और सरकार को ₹847.01 करोड़ के एल एफ की कम उगाही/ भुगतान हुआ।

#### 2.1.4.2 जी आर में इंटरनेट सेवाओं से राजस्व पर विचार न करना

आई एस पी (आई टी) लाइसेंस के तहत सकल आय की परिभाषा में प्रावधान है कि जी आर में इंटरनेट एक्सेस सेवा, इंटरनेट सामग्री सेवा, व्यय की संबंधित मद के लिये बिना किसी समायोजन के इंटरनेट टेलीफोनी सेवा, आदि राजस्व में शामिल होगा। इसके अलावा जी आर से ए जी आर तक पहुंचने के लिए अनुमेय कटौती केवल इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट सामग्री और इंटरनेट एक्सेस से संबंधित इंस्टॉलेशन प्रभार है।

वर्ष 2006-07 से 2017-18 के वित्तीय विवरणों और टी सी एल के राजस्व समायोजन विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि टी सी एल ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान 'इंटरनेट सेवाओं से ₹1,032.28 करोड़ राजस्व' की राशि अर्जित की थी। इस राजस्व को टी सी एल द्वारा अपने सकल राजस्व में शामिल नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस करार के अनुसार जी आर की परिभाषा का उल्लंघन करते हुए जी आर की कम रिपोर्टिंग हुई थी। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए टी सी एल द्वारा इंटरनेट सेवाओं से ₹1,032.28 करोड़ के राजस्व को जी आर में शामिल न करने के परिणामस्वरूप जी आर की रिपोर्टिंग कम हुई और परिणामस्वरूप एल एफ का ₹69.57 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

#### 2.1.4.3 आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर निकालने के लिए जी आर से अमान्य कटौती

यद्यपि डी ओ टी और टी सी एल के बीच विभिन्न लाइसेंस करार ने जी आर से कुछ कटौतियों की अनुमति नहीं दी, लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि टी सी एल ने आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से अमान्य कटौतियों का लाभ उठाया। 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान की गई ये कटौतियां जो संबंधित लाइसेंस करार के उल्लंघन में थीं, की नीचे चर्चा की गई हैं।

##### (i) आई एल डी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

आई एल डी लाइसेंस करार ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से कटौती करने का प्रावधान है, केवल कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) वास्तव में कॉल के लिए अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को किये गये वास्तविक भुगतान, और सेवा के प्रावधान के लिए सेवा कर, और वास्तव में सरकार को भुगतान किये गये बिक्री कर जहां जी आर में ये कर शामिल थे। हालांकि, 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए मैसर्स टी सी एल के संबंध में दूरसंचार

विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा/ अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि लाइसेंस समझौते के उल्लंघन में बढ़े खाते में डाले गए अशोध्य ऋण, पोर्ट प्रभार, लैंड लाइन का किराया, प्रशासन पट्टा प्रभार, अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ शुल्क, सैटेलाइट शुल्क के लिए किराया, डीओटी को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क (डब्ल्यू पी सी शुल्क), लास्ट माइल/ एक्सेस शुल्क और डेटा लागत (आई पी एल सी), कंपनी द्वारा हिसाब में ₹360.58 करोड़ को एल एफ के उद्देश्य के लिए आईएलडी लाइसेंस के जी आर से घटा कर ए जी आर पर पहुंचें।

### (ii) एन एल डी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

जी आर से ए जी आर प्राप्त करने के लिये "अन्य सेवा प्रदाताओं जिसका एन एल डी नेटवर्क लाइसेंसधारक के नेटवर्क से परस्पर जुड़े हुए हैं को देय, पास थ्रू नेचर के कंपोनेंट पार्ट" से कटौती के लिये प्रावधान है।

टी सी एल की एन एल डी लाइसेंस राजस्व, दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए के लिए 2006-07 से 2017-18 की अवधि का डेटा/ अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि "अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डाले गये और पोर्ट प्रभार "अशोध्य ऋण बढ़े खाते में डाले गये और पोर्ट प्रभार" ₹122.91 करोड़ की राशि एल एफ के प्रयोजन के लिए ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से कटौती की गई थी जो लाइसेंस करार का उल्लंघन था।

### (iii) आई एस पी-आई टी लाइसेंस के मामले में अमान्य कटौती

आई एस पी-आई टी लाइसेंस के मामले में डी ओ टी द्वारा उपलब्ध कराये गये 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिये टी सी एल के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि "अशोध्य ऋण बढ़े खाते" में डाले गये ₹54.27 करोड़ को लाइसेंस करार के उल्लंघन में ए जी आर प्राप्त करने हेतु जी आर से अनियमित रूप से काटा गया था।

मैसर्स टी सी एल द्वारा 2006-07 से 2017-18 की अवधि के दौरान आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर प्राप्त करने के लिए जी आर से अस्वीकार्य कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹537.76 करोड़ ए जी आर की कम गणना हुई और सरकार को ₹33.68 करोड़ के एल एफ की कम उगाही/ भुगतान हुआ।

### 2.1.5 डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन

डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन के संबंध में, डी ओ टी ने अपने प्रारंभिक उत्तर (सितंबर 2018) में बताया कि उसने प्रक्रिया शुरू कर दी थी जिसे वह मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट (सी ए जी की) और अपने स्वयं के निष्कर्षों पर लाइसेंसधारी के जवाब को ध्यान में रखते हुए पूरा करेगा।

इसके बाद अगस्त-सितंबर 2019 में, डी ओ टी ने 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए टी सी एल के वार्षिक एल एफ बकाया का आकलन किया और लेखापरीक्षा प्रति के साथ एक मांग सह कारण बताओ नोटिस जारी किया। टी सी एल को जारी किए गए मांग सह कारण

बताओ नोटिस की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि डी ओ टी ने मैसर्स टी सी एल द्वारा जी आर की कम रिपोर्टिंग के कई उदाहरणों पर विचार नहीं किया था या ए जी आर की गणना करते समय कई अमान्य कटौतियों को अस्वीकार कर दिया था जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

लेखापरीक्षा के अनुसार समेकित आंकड़ों और डी ओ टी द्वारा मूल्यांकन के बीच तुलना में कम रिपोर्टिंग तालिका 2.2 में दिया गया है।

**तालिका 2.2: लेखापरीक्षा और डी ओ टी द्वारा नोट किए गए जी आर/ ए जी आर की कम रिपोर्टिंग की तुलनात्मक स्थिति**

(₹ करोड़ में)

मद	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित जी आर से जी आर/अस्वीकार्य कटौतियों की रिपोर्टिंग के तहत		डी ओ टी द्वारा विचारित जी आर से रिपोर्टिंग/अस्वीकार्य कटौतियों के तहत		अंतर	
	ए जी आर	एल एफ	ए जी आर	एल एफ	ए जी आर	एल एफ
1 जी आर/ ए जी आर के लिए "दूरसंचार सेवाओं और अन्य/ विविध आय से राजस्व" पर विचार न करना	11,682.77	847.01	4,002.47	291.88	7,680.30	555.13
2 जी आर में इंटरनेट सेवाओं से राजस्व पर विचार न करना	1,032.28	69.56	शून्य	शून्य	1,032.28	69.56
3 मैसर्स टी सी एल द्वारा आई एल डी, एन एल डी और आई एस पी-आई टी लाइसेंसों के ए जी आर पर पहुंचने के लिए जी आर से अनियमित कटौती	537.76	33.68	222.82	13.37	314.94	20.31
<b>कुल</b>	<b>13,252.81</b>	<b>950.25</b>	<b>4,225.29</b>	<b>305.25</b>	<b>9027.52</b>	<b>645.00</b>

डी ओ टी ने संशोधित/ अद्यतन रिपोर्ट पर अपने उत्तर (दिसंबर 2020) में सूचित किया कि एल एफ के मूल्यांकन के लिए बार-बार स्मरण दिलाने के बावजूद मैसर्स टी सी एल ने मूल्यांकन के लिए एन एल डी/आई एल डी के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं किए थे। तदनुसार, वित्त वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए कटौती की पूरी राशि को अस्वीकार करते हुए अनंतिम मूल्यांकन किया गया था, और अगस्त/ सितंबर 2019 में मांगें जारी की गई थीं। इसने आगे कहा कि सी ए जी की मसौदा रिपोर्ट में उठाए गए बिंदु ध्यान में नहीं रखे जा सकते क्योंकि इस रिपोर्ट को इसके आकलन के जारी होने के समय अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह कंपनी के उत्तरों के आधार पर परिवर्तनों के अधीन भी था।



डी ओ टी ने यह भी कहा कि मैसर्स टी सी एल ने एन एल डी/आई एल डी के संबंध में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के लिए तिमाही-वार, ऑपरेटर-वार कॉल प्रभार (एक्सेस प्रभार) का विवरण देते हुए निर्धारित सांविधिक लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, और इन वर्षों के पुनर्मूल्यांकन के लिए अनुरोध किया। इसने सूचित किया कि सी ए जी की रिपोर्ट में उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी लागू हो, देय ब्याज और जुर्माना के साथ एक अंतिम मांग मैसर्स टी सी एल को जारी की जाएगी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जी आर/ ए जी आर के उद्देश्य से टी सी एल के वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज डी ओ टी के पास पहले से ही उपलब्ध थे और लेखापरीक्षा ने केवल इन दस्तावेजों के आधार पर कम रिपोर्टिंग/ कम उगाही की गणना की है। अवधि के लिए एल एफ का अंतिम मूल्यांकन पहले ही विलंबित हो चुका था और अगस्त/ सितंबर 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था।

इस प्रकार, 2006-07 से 2017-18 की अवधि के लिए सकल राजस्व और समायोजित सकल राजस्व के लाइसेंसधारी टी सी एल द्वारा टी सी एल के लिए एल एफ के निर्धारण की लेखापरीक्षा में ₹13,252.81 करोड़ की कम रिपोर्टिंग और एल एफ की परिणामी कम उगाही ₹950.25 करोड़ थी। हालांकि, डी ओ टी द्वारा किए गए आकलन में जी आर और ए जी आर को ₹9,027.52 करोड़ से कम बताया गया। परिणामस्वरूप, डी ओ टी द्वारा टी सी एल से मांगा गया लाइसेंस प्रभार ₹645 करोड़ कम था।

**लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि**

**डी ओ टी वित्तीय विवरणों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जो कि टी सी एल द्वारा डी ओ टी को पहले ही प्रस्तुत कर दी गई है और लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने के बाद मूल्यांकन को तत्काल अंतिम रूप दे सकता है। डी ओ टी अंतिम मांग नोटिस जारी कर सकता है और टी सी एल से लाइसेंस प्रभार की उगाही कर सकता है, जिसमें पहले से ही विलम्ब हो गया है।**

## 2.2 माइक्रोवेव एक्सेस नेटवर्क और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के संबंध में निर्णय लेने में अनुचित देरी

दूरसंचार विभाग ने ट्राई की सिफारिशों और मोबाइल संचार के बढ़ते घनत्व के कारण स्पेक्ट्रम की पर्याप्त मांग होने के बावजूद अपने पास उपलब्ध ई और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। परिणामस्वरूप ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम का उपयोग नहीं किया गया और सरकार को स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क और ग्राहकों को बेहतर सेवाओं के मामले में इसका मुद्रीकरण आस्थगित कर दिया गया है। बहुत रूढ़िवादी आधार पर परित्यक्त अनुमानित राजस्व एक वाहक के स्पेक्ट्रम शुल्क से ₹67.53 करोड़ था और अकेले एक सर्किल के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व ₹3.30 करोड़ था।

### 2.2.1 प्रस्तावना

मोबाइल नेटवर्क को एक्सेस स्पेक्ट्रम (अर्थात 2 जी, 3 जी और 4 जी) के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट से बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बी टी एस) के रूप में ज्ञात सेल साइट तक, बैकहॉल नेटवर्क के माध्यम से सेल साइट से बेस स्टेशन कंट्रोलर्स (बी एस सी) एवं बैकबोन नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल स्विचिंग केंद्रों और अन्य प्रमुख तत्वों के इंटरकनेक्शन में कनेक्टिविटी के रूप में देखा जा सकता है।

माइक्रोवेव बैकहॉल सेलुलर टेलीकॉम नेटवर्क का एक अभिन्न हिस्सा है जो बी टी एस को बीएससी से जोड़ता है। माइक्रोवेव (एम डब्ल्यू) फ्रिक्वेंसी को आम तौर पर 2x28 मेगाहर्ट्ज के टुकड़ों में निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्हें एम डब्ल्यू कैरियर के रूप में जाना जाता है। एम डब्ल्यू कैरियर दो प्रकार के होते हैं अर्थात माइक्रोवेव एक्सेस (एम डब्ल्यू ए) कैरियर और माइक्रोवेव बैकबोन (एम डब्ल्यू बी) कैरियर। एम डब्ल्यू ए कैरियर आमतौर पर 10 गीगाहर्ट्ज और उससे अधिक के आवृत्ति बैंड में होते हैं। एम डब्ल्यू ए कैरियर आमतौर पर मोबाइल बैकहॉल नेटवर्क (मुख्य रूप से पूर्व-समूहीकरण भाग) में उपयोग किए जाते हैं और शॉर्ट-हॉल सिस्टम के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं जिनका उपयोग अपेक्षाकृत कम दूरी के माध्यम से ट्रैफिक ले जाने के लिए किया जाता है। एम डब्ल्यू बी कैरियर को अपेक्षाकृत लंबे लिंक 15 किमी की न्यूनतम लिंक लंबाई के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पहाड़ी इलाकों में, इन्हें न्यूनतम लिंक लंबाई 10 किमी के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

### 2.2.2 ट्राई की सिफारिशें

दूरसंचार विभाग के संदर्भ (नवंबर 2012) पर ट्राई ने माइक्रोवेव एक्सेस (एम डब्ल्यू ए) और माइक्रोवेव बैकबोन (एम डब्ल्यू बी) आर एफ कैरियर के आवंटन और मूल्य निर्धारण पर अपनी सिफारिशों (अगस्त 2014) में **कहा कि ई और वी-बैंड के खुलने से बहुत कम दूरी पर नेटवर्क में भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी**, जबकि 15/18/21 गीगाहर्ट्ज और अन्य बैंड अपेक्षाकृत लंबी दूरी पर उपयोग किए जाते रहेंगे। इन नए बैंडों का उपयोग अंतिम मील समाधान के रूप

में घने शहरी मार्गों के लिए तेजी से और किफायती प्रविस्तारण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इन आवृत्ति बैंडों से सेवा प्रदाताओं के लिए कैपैक्स, ओपेक्स, मोबाइल साइटों के बीच व्यवधान में कमी और बैकहॉल समाधान प्रदान करने के लिए फाइबर आधारित सेवाओं पर दबाव कम होने की उम्मीद है। *ट्राई ने अगस्त 2014 में सिफारिश की थी कि, "भारत में ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटन हेतु उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76 / 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के उपयोग की संभावना खोजी जा सकती है।"*

### 2.2.3 राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना

राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना (एन एफ ए पी) 2011 में प्रावधान है कि 31.8-33.4 गीगाहर्ट्ज़, 37-40 गीगाहर्ट्ज़, 40.5-43.5 गीगाहर्ट्ज़, 51.4-52.6 गीगाहर्ट्ज़, 55.78-59 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति बैंड में 64-66 गीगाहर्ट्ज़ के साथ-साथ आवृत्ति बैंड 71-76 गीगाहर्ट्ज़ और 81-86 गीगाहर्ट्ज़ आवृत्ति विभाजन डुप्लेक्सिंग (एफ डी डी) और समय विभाजन डुप्लेक्सिंग (टी डी डी) के आधार पर उनके सह-अस्तित्व के अधीन उच्च क्षमता वाले घने नेटवर्क की आवश्यकताओं/उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

एन एफ ए पी 2018 में प्रावधान है कि "बैंड 71-76 गीगाहर्ट्ज़ और 81-86 गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग फिक्स्ड सर्विस (एफ एस) में हाई-डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट/ मल्टीपॉइंट लिंक के लिए किया जा सकता है, जो फिक्स्ड सैटेलाइट सर्विस (एफ एस एस) का भी ध्यान रखता है। यह आगे इंगित करता है कि "बैंड 57-64 गीगाहर्ट्ज़ का उपयोग हाई डेंसिटी पॉइंट टू पॉइंट/ मल्टीपॉइंट लिंक के लिए किया जा सकता है और बैंड में प्राथमिक के रूप में पहचानी गई अन्य सेवाओं का ख्याल रखते हुए अन्य एक्सेस एप्लीकेशन के लिए भी किया जा सकता है"।

### 2.2.4 राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एन डी सी पी) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने का आह्वान करती है।

### 2.2.5 लेखापरीक्षा अवलोकन

#### 2.2.5.1 ई-बैंड और वी-बैंड के आवंटन के लिए नीति को अंतिम रूप न देना

ई-बैंड और वी-बैंड में बहुत उच्च आवृत्ति मिलीमीटर तरंगों के अनोखे संचरण गुण कम आवृत्ति बैंड की तुलना में बहुत सरल आवृत्ति समन्वय, व्यवधान शमन और पथ योजना को सक्षम बनाते हैं। ये मिलीमीटर तरंगें ब्रॉडबैंड की मांग को पूरा करने के लिए तुलनात्मक रूप से कम लागत पर प्रति बैकहॉल लिंक अधिक क्षमता में सहायक सिद्ध होगी। वी-बैंड में आगे के स्पेक्ट्रम का उपयोग बैकहॉल सेवाओं के लिए इसके उपयोग के अलावा 5 जी सेवाओं के लिए एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए किया जाना है।

इसलिए, मोबाइल माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क में अधिक क्षमता बनाने के लिए नए बैंड के उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है। भारत 5 जी सेवाओं को लॉन्च करने के लिए तैयार है जो माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए अधिक बैंडविथ की आवश्यकता वाले डेटा ट्रैफिक में तेजी से वृद्धि करेगा।

ट्राई ने ई-बैंड और वी-बैंड की चैनलिंग योजना की भी सिफारिश की (अगस्त 2014), जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ❖ ई-बैंड (71-76 गीगाहर्ट्ज़ और 81-86 गीगाहर्ट्ज़) के लिए चैनल बैंडविथ 250 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए जिसमें प्रत्येक 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड के ऊपर और नीचे 125 मेगाहर्ट्ज़ का गार्ड बैंड हो। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है।
- ❖ ई-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के लिए चैनल बैंडविथ 50 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए जिसमें बैंड की शुरुआत में 100 मेगाहर्ट्ज़ गार्ड बैंड हो। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है।

ई/वी-बैंड की चैनलिंग करने के लिए ट्राई की सिफारिशों (अगस्त 2014), जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अलावा ट्राई ने बैकहॉल स्पेक्ट्रम<sup>6</sup> के लिए लगाए जाने वाले शुल्क/दरों की भी सिफारिश की थी।

यह देखा गया कि दूरसंचार विभाग ने इन सभी वर्षों में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए ई बैंड/वी बैंड खोलने के लिए ट्राई की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कि ई-बैंड और वी-बैंड टी एस पी को आवंटित/सौंपे नहीं गए हैं, दूरसंचार विभाग ने कहा (जून 2021) कि भारत में ई-बैंड और वी-बैंड खोलने पर 2014 की ट्राई की सिफारिशों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**सी ए जी की 2018 की प्रतिवेदन संख्या 21 के पैरा संख्या 2.1.10** में एक लेखापरीक्षा अवलोकन भी किया गया था, जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को माइक्रोवेव कैरियर का आवंटन बाजार से संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से समान रूप से किया जाना चाहिए। दूरसंचार विभाग ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा (फरवरी 2021) कि बैकहॉल स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी की कार्यप्रणाली के मुद्दे पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक, दूरसंचार विभाग ने टी एस पी को बैकहॉल स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी को सक्षम बनाने के लिए अंतरिम दिशानिर्देश जारी किए (अक्टूबर 2015)। **हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दूरसंचार**

<sup>6</sup> ई-बैंड कैरियर के लिए 250 मेगाहर्ट्ज़ के प्रत्येक कैरियर पर ₹10,000 प्रति वर्ष चार्ज किया जाना चाहिए और वी-बैंड कैरियर्स को ₹1,000 प्रति वर्ष प्रति कैरियर 50 मेगाहर्ट्ज़ के लिए चार्ज किया जाना चाहिए। एक से अधिक चैनलों की अनुमति दी जा सकती है और समूहीकरण के लिए आवंटित किया जा सकता है। इस बैंड में पहले कैरियर के आवंटन की तारीख से तीन साल के लिए 50 प्रतिशत की प्रारंभिक प्रचार छूट होनी चाहिए।

विभाग ने दिसंबर 2015 से बैकहॉल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम सुपुर्दगी को अंतिम रूप नहीं दिया है।

#### 2.2.5.2 सेवा प्रदाताओं को एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के आवंटन/ सुपुर्दगी में विलंबन

दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (दिसंबर 2021) के अनुसार, 01 अप्रैल 2018 से 30 सितंबर 2021 के दौरान इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) से एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर सुपुर्दगी के लिए 23 आवेदन प्राप्त हुए थे और उपरोक्त 23 आवेदनों में से 19 आवेदन प्रक्रियाधीन थे और चार (4) आवेदन स्टाफ की कमी के कारण लंबित थे। दूरसंचार विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया था कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) को (पुराने लाइसेंस की समाप्ति के बाद) एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के पुनः सुपुर्दगी के लिए 98 आवेदन भी आवंटन/ सुपुर्दगी के लिए प्रक्रियाधीन/ लंबित थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एम डब्ल्यू ए/ एम डब्ल्यू बी कैरियर के आवंटन/ सुपुर्दगी में उपरोक्त विलंब टी एस पी को बैकहॉल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में नीति को अंतिम रूप न देने के कारण राजस्व की संभावित हानि के साथ-साथ जरूरतमंद उपयोगकर्ताओं को बेहतर डेटा सेवाओं के अवसर की हानि हुई विशेष रूप से कोविड -19 महामारी के दौरान जब डेटा उपयोग की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ीं।

इसके अलावा, प्रौद्योगिकी की प्रगति के मद्देनजर, आई एम टी अनुप्रयोगों के लिए नए बैंड की पहचान, एकीकृत एक्सेस बैकहॉल को अपनाने की संभावना, वाणिज्यिक सेवा प्रदाताओं (टी एस पी/ आई एस पी, आदि) को माइक्रोवेव बैकहॉल स्पेक्ट्रम (ई और वी-बैंड में स्पेक्ट्रम सहित) की सुपुर्दगी जहां कहीं संभव/ व्यवहार्य हो, बाजार संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से की जा सकती है।

#### 2.2.5.3 स्पेक्ट्रम नासुपुर्दगी के मौद्रिक निहितार्थ

वर्तमान में, एम डब्ल्यू एक्सेस नेटवर्क और सेल्युलर संचालन के लिए बैकबोन नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर (अर्थात्, समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) का प्रतिशत), 18 अप्रैल 2002 से एम डब्ल्यू एक्सेस/ बैकबोन बैंडविथ के उपयोग के अनुसार लगाया गया था। सेल्युलर नेटवर्क के लिए माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम की इस प्रतिशत दर को डब्ल्यू पी सी द्वारा आगे संशोधित किया गया (03 नवंबर 2006 और 10 नवंबर 2008), जो आज की तारीख में प्रचलित है।

स्पेक्ट्रम शुल्कों<sup>7</sup> के लिए ए जी आर के 0.15 प्रतिशत की न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए, ई एवं वी बैंड के एक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व समस्त भारत के लिए

<sup>7</sup> डब्ल्यू पी सी के 03 नवंबर 2006/ 10 नवंबर 2008 के आदेश में माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम के लिए निर्धारित अनुसार।

₹67.53 करोड़<sup>8</sup> (औसत ए जी आर यानी ₹45,021.45 करोड़<sup>9</sup> के आधार पर) बनता है। यह केवल एक सांकेतिक आंकड़ा है, प्रत्येक टी एस पी को एक से अधिक कैरियर की आवश्यकता हो सकती है।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि अन्य उपयोगकर्ताओं (अर्थात आई एल डी, एन एल डी, कैप्टिव उपयोगकर्ता आदि) के लिए माइक्रोवेव एक्सेस/ बैकबोन स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क फॉर्मूला आधार<sup>10</sup> पर लगाए गए थे। संपूर्ण सर्किल (यानी, नेटवर्क दूरी > 500 किलोमीटर) के लिए बैंडविड्थ कारक और रॉयल्टी कारक के न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व समस्त भारत के लिए ₹3.30 करोड़<sup>11</sup> हो सकता है। गणना रुढ़िवादी आधार पर की गई है और उपयोगकर्ताओं को आवंटित बैंडविड्थ के आधार पर अपेक्षित राजस्व अधिक हो सकता है। इसके अलावा, अपनाए गए ए जी आर आंकड़े टी एस पी की स्व-घोषणा पर आधारित हैं जो अलेखापरीक्षित हैं।

दूरसंचार विभाग ने कहा (सितंबर 2021) कि ई-बैंड और वी-बैंड में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन/ सुपुर्दगी की नीति "मानक और पारदर्शी सुपुर्दगी/ स्पेक्ट्रम के प्राधिकरण के लिए नीति" का हिस्सा थी जो विचाराधीन थी।

विभाग का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ट्राई ने (2014) में सिफारिश की थी कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आवंटन हेतु उच्च क्षमता वाले बैकहॉल ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) के उपयोग की संभावना खोजी जा सकती है और सिफारिशों पर अंतिम निर्णय तब से केवल दूरसंचार विभाग की ओर से लंबित था। इसके बाद, दूरसंचार विभाग द्वारा नियुक्त सचिवों की समिति ने भी सिफारिश की (अक्टूबर 2020) कि वाई-फाई/ सार्वजनिक वाई-फाई, फिक्स्ड लिंक आदि के लिए डीओटी के पास 57-66 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पूरी तरह से उपलब्ध था।

इस प्रकार, ट्राई की सिफारिशों और स्पेक्ट्रम की मौजूदा मांग के बावजूद दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ई-बैंड (71-76/ 81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) में माइक्रोवेव बैकहॉल नेटवर्क के लिए स्पेक्ट्रम के

<sup>8</sup> प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व = ₹45021.45 करोड़ (औसत ए जी आर) x 0.15/100 = ₹67.53 करोड़।

<sup>9</sup> वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों का एजीआर है - (i) भारती एयरटेल लिमिटेड / भारती हेक्साकॉम लिमिटेड ₹45,242.98 करोड़, (ii) रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड - ₹64,779.51 करोड़ और (iii) वोडाफोन आइडिया लिमिटेड - ₹25,041.86 करोड़ (स्रोत: ट्राई वित्तीय रिपोर्ट) और इसलिए, औसत एजीआर = ₹45,021.45 करोड़।

<sup>10</sup> वार्षिक रॉयल्टी =  $\sum_{i=1}^n M_i \times W$ , जहां n = कैरियर की संख्या, W बैंडविड्थ कारक है और M रॉयल्टी चार्ज कारक है जो उस दूरी पर निर्भर करता है जिस पर नेटवर्क संचालित होगा

<sup>11</sup> प्रत्येक कैरियर के लिए वार्षिक अपेक्षित राजस्व = 30 (बैंडविथ कारक का न्यूनतम मूल्य) x ₹ 50000 (नेटवर्क दूरी के लिए रॉयल्टी कारक > 500 किलोमीटर) x 22 सर्किल = ₹ 3.30 करोड़।

आवंटन/सुपुर्दगी के लिए कोई निर्णय नहीं लिया। इस प्रकार सरकार ने बिना बिके स्पेक्ट्रम और उपयोग शुल्क के मुद्रीकरण लाभों को छोड़ दिया और ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता और उच्च स्तरीय सेवाओं के लाभों से भी वंचित कर दिया।

**लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि**

दूरसंचार विभाग ट्राई के परामर्श से मोबाइल संचार, आई एस पी सेवा प्रदाताओं को सहायता प्रदान करने और 5 जी सेवाओं की प्रभावी शुरुआत के लिए माइक्रोवेव एक्सेस और बैकहॉल नेटवर्क के लिए ई-बैंड (71-76/81-86 गीगाहर्ट्ज़) और वी-बैंड (57-64 गीगाहर्ट्ज़) में स्पेक्ट्रम के आवंटन/सुपुर्दगी पर शीघ्र निर्णय ले सकता है। यह न केवल अनावंटित ई-बैंड और वी-बैंड का मुद्रीकरण करेगा, बल्कि सरकार को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी प्रदान करेगा जिसके परिणामस्वरूप इन स्पेक्ट्रम बैंडों का प्रभावी उपयोग होगा, जिससे ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

अध्याय III	<b>डाक विभाग</b>
---------------	------------------

### 3.1 डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

#### 3.1.1 प्रस्तावना

संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग (डा.वि.) अपने 1.55 लाख डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से, जिनमें से 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जनसाधारण को डाक के प्रसारण व वितरण, धन के प्रेषण, बैंकिंग, निवेश एवं बीमा सेवाएं, सामाजिक लाभों का संवितरण तथा सामाजिक सुरक्षा भुगतान जैसी सेवायें प्रदान करता है।

#### 3.1.2 डाक विभाग से सम्बंधित आंकड़े

डाक विभाग की बचत बैंक योजनाओं, बीमा तथा डाक यातायात का ग्राहक आधार तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

**तालिका 3.1: डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें**

वर्ष	डाक घर बचत बैंक योजनायें		बीमा योजनायें		डाक यातायात		
	ग्राहक आधार (करोड़ में)	अवशेष (₹करोड़ में)	नवीन पॉलिसीज (लाख में)	प्रीमियम आय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत (करोड़ में)	गैर-पंजीकृत (करोड़ में)	प्रीमियम उत्पाद* (करोड़ में)
2013-14	34.91	4,33,188	13.05	7312.26	20.08	550.80	37.95
2014-15	39.93	4,48,875	8.01	7946.77	20.48	540.71	41.26
2015-16	40.01	4,86,265	4.56	8669.20	19.83	561.49	42.72
2016-17	35.67	5,39,276	5.88	9353.91	18.34	552.66	47.87
2017-18	37.12	5,97,295	7.68	9704.18	19.33	567.69	47.59
2018-19	36.40	6,96,971	10.57 <sup>#</sup>	10,397.23 <sup>#</sup>	19.79	501.81	54.65
2019-20	36.75	8,23,204	9.10 <sup>##</sup>	9473.74 <sup>##</sup>	19.30	446.66	44.31
2020-21	29.04	9,69,143	8.65 <sup>###</sup>	10908.80 <sup>###</sup>	17.41	430.62	36.31

\*स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

<sup>#</sup>2018-19 के गैर-लेखापरीक्षित आंकड़े

<sup>##</sup>डेटा जनवरी 2019 से नवम्बर 2019 तक सम्बंधित है

<sup>###</sup>डेटा जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक सम्बंधित है

#### 3.1.3 डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण

डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को भारत सरकार द्वारा नवंबर 2012 में ₹4909 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था। परियोजना का उद्देश्य डाक विभाग की परिचालन दक्षता का रूपांतरण एवं उन्नत प्रौद्योगिकी तथा संयोजकता के माध्यम से परिचालन एवं प्रशासनिक इकाइयों की सेवा वितरण में सुधार करना है।



परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों सहित समस्त डाकघरों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण की संकल्पना की गई। इसमें डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, मेल संचालन, लेखा एवं स्थापना सहित डाक विभाग के सभी कार्यों को कवर करने के साथ डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी सेंटर, विभागीय डाकघरों का वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), ग्रामीण डाकघरों में ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ग्रामीण आईसीटी) का विकास सहित आवश्यक आईटी अवसंरचना की स्थापना करने वाले स्केलेबल, एकीकृत एवं मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर का विकास समाहित था।

₹4,909.00 करोड़ की स्वीकृत लागत के विरुद्ध सितंबर 2021 तक परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय ₹3,447.98 करोड़ था।

### 3.1.4 डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन हेतु संगठनात्मक व्यवस्था

डाक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में डाक सेवा बोर्ड (पीएसबी), शीर्ष प्रबंधन निकाय है। डाक विभाग ने एक समग्र संचालन समिति एवं परियोजना समीक्षा समिति के साथ विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना हेतु निगरानी निकाय के रूप में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जो वेंडर बोर्डिंग स्तर से लेकर समाधान परिनियोजन स्तर तक परियोजना दलों के कार्य का मार्गदर्शन तथा समीक्षा करेगी।

परियोजना समन्वय समिति परियोजना की समीक्षा, समस्याओं/ जोखिमों एवं परियोजना के संबंध में निर्णय लेने हेतु उत्तरदायी थी। परियोजना के समस्त आठ खंडों को कवर करने के लिए पांच परियोजना कार्यान्वयन समितियों, जो प्रत्येक चरण में प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत गठित कोर उप-समितियों के उचित सहयोग से परियोजना के डिलिवरेबल्स, कार्यात्मक आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने, ब्लूप्रिंट प्रपत्र, परीक्षण योजना, उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) एवं डेटा माइग्रेशन की समीक्षा, अनुमोदन तथा हस्ताक्षर करने हेतु, गठित की गयीं थीं।

संबंधित परियोजना समितियों को अपनी परियोजनाओं के संबंधित चरणों के पूर्ण होने एवं साइन-ऑफ पर परियोजना को ओएसडी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी), मैसूर तथा उपमहानिदेशक (प्रौद्योगिकी) को सौंपना था, जो परियोजना के संचालन एवं रखरखाव चरण के लिए उत्तरदायी थे। परिमंडलीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालयों में, परिक्षेत्रों, मंडलों (डाक/रेलवे मेल सेवा), डाकघरों तथा स्टाम्प डिपो, स्टोर डिपो एवं मेल मोटर सेवाएं आदि जैसी अन्य कार्यात्मक व सहायक इकाइयों को समाहित करते हुए, परिमंडल स्तर पर परियोजना की निगरानी के लिए पीएमयू अनुभाग भी स्थापित किए गए थे।

डाक विभाग ने मेसर्स एक्सचेंजर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (सितंबर 2009) को "प्रौद्योगिकी भागीदारों की पहचान, बोली प्रक्रिया के प्रबंधन, आवश्यकता विशिष्टियों, आर एफ पी, एटीपीज, मूल्यांकन प्रतिवेदनों, समझौता वार्ता, अनुबंध को अंतिम रूप देने, तथा विक्रेताओं प्रबंधन साधन

एवं तकनीकों आदि सहित डाक विभाग को संस्तुतियां देने हेतु निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ₹15.82 करोड़ की लागत पर आईटी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। डाक विभाग ने ₹21.28 करोड़ (नवंबर 2020) के संशोधित स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध ₹21.12 करोड़ का व्यय किया।

इसके अतिरिक्त, डाक विभाग ने रणनीतिक योजना, परियोजना विकास, परियोजना कार्यान्वयन निगरानी एवं क्षमता निर्माण में परामर्श सेवाएं प्रदान करने वाले ई-गवर्नेंस के क्षेत्रों में सहायता देने हेतु राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान (एनआईएसजी) को भी परियोजना सलाहकार (फरवरी 2011) जैसा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) द्वारा सुझाव दिया गया था, के रूप में ₹20.97 करोड़ की लागत से नियुक्त किया तथा संचालन समिति द्वारा इसे आगे संशोधित कर ₹54.97 करोड़ कर दिया गया। डाक विभाग ने संशोधित अनुमोदित परिव्यय (जुलाई 2021) के प्रति ₹51.92 करोड़ का व्यय किया। अनुबंध को 31 मार्च 2021 से समाप्त कर दिया गया था।

परियोजना को आठ परियोजना खंडों में कार्यान्वित किया गया था तथा विभिन्न विक्रेताओं अर्थात् रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डेटा सेंटर सुविधा परियोजना), सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड (नेटवर्क इंटीग्रेटर प्रोजेक्ट), टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (कोर सिस्टम इंटीग्रेटर एंड चेंज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट), इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड(फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर एंड रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर), टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (ग्रामीण आईसीटी हार्डवेयर) तथा डीजीएसएंडडी (मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर) द्वारा निष्पादित किया गया था।

### 3.1.5 आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के खंड

सितंबर 2021 तक स्वीकृत लागत, खंड-वार एवं किए गए व्यय के साथ आठ परियोजना खंड निम्न तालिका 3.2 में दिए गए हैं:

**तालिका 3.2: आई टी आधुनिकीकरण परियोजना खंडों का विवरण, इसका उद्देश्य एवं लागत**

परियोजना खंड	परियोजना उद्देश्य	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना खंड (₹ करोड़ में)
1. डेटा सेंटर सुविधा (डीसीएफ)	डेटा एकत्र करने, संग्रहीत करने एवं उस तक पहुंच की अनुमति प्रदान करने के लिये।	29.47*	65.59
2.नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई)	वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के अंतर्गत समस्त विभागीय स्थानों की नेटवर्किंग	951.57	946.93
3. चेंज मैनेजमेंट (सीएम)	ग्रामीण डाक सेवाओं सहित विभाग के समस्त कर्मचारियों को आईटी वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु तैयार करना।	12.96	4.90
4. फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर (एफएसआई)	एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकिंग एवं बीमा संक्रियाओं को कम्प्यूटरीकृत करना।	703.59	685.48

5. रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई)	अन्य मुख्य अनुप्रयोगों यथा मेल संचालन, कोर बैंकिंग समाधान, डाक जीवन बीमा समाधान, एवं ई-एमओ आदि के साथ ग्रामीण आईसीटी सेवा वितरण प्लेटफॉर्म एकीकरण की संस्थापना करना।	79.13	37.53
6. कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई)	एक केंद्रीय मंच के माध्यम से विभाग के समस्त डाक, मेल, डाकघर काउंटर संक्रियाओं, वित्त एवं लेखा तथा मानव संसाधन कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करना।	1,140.82	725.07
7. रूरल आईसीटी हार्डवेयर (आरएच)	लगभग 1,30,000 ग्रामीण शाखा डाकघरों को आरआईसीटी उपकरणों, एंटीना और सम्बंधित सेवाओं की आपूर्ति	1,542.42	663.48
8. मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर (एमओएच)	डाक कार्यालयों को हार्डवेयर तथा डाकियों को हस्तचालित उपकरणों की आपूर्ति	401.61	210.93
9. परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू)	परियोजना प्रबंधन इकाई	47.43	108.07**
<b>योग</b>		<b>4,909.00</b>	<b>3,447.98</b>

(स्रोत: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति हेतु नोट दिनांक 10 नवंबर 2012 जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है)

\* नवंबर 2020 के दौरान संचालन समिति द्वारा परियोजना लागत को संशोधित कर ₹75 करोड़ कर दिया गया है।

\*\* सितंबर 2021 की स्थिति के अनुसार पीएमयू मद पर ₹108.07 करोड़ का कुल व्यय जिसमें आईटी सलाहकार के रूप में मेसर्स एक्सचेंजर पर ₹21.12 करोड़ और परियोजना सलाहकार के रूप में एनआईएसजी पर ₹51.92 करोड़ का व्यय शामिल है, जिसके लिए परियोजना संचालन समिति द्वारा अलग से अनुमोदन प्रदान किया गया है।

### 3.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का उद्देश्य यह जांचना था कि क्या:

1. प्रणाली विकास एवं कार्यान्वयन आवश्यकताओं के अनुसार थे।
2. अतिरेक से बचाव एवं प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु आईटी प्रणाली में मैप किए जाने से पूर्व मैनुअल प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन किया गया था।
3. सभी खंडों को प्रभावी ढंग से एकीकृत किया गया था एवं डेटा माइग्रेशन त्रुटि मुक्त था।
4. प्रणाली से जुड़े सुरक्षा नियंत्रण पर्याप्त थे।
5. परियोजनाओं की नियमित एवं प्रभावी निगरानी की गई थी।
6. पूर्ण एवं परिचालित खंडों के संबंध में विभाग तथा ग्राहकों को आधुनिकीकरण के इच्छित लाभ प्राप्त हुए।

### 3.1.7 लेखापरीक्षा क्षेत्र

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2018 से सितंबर 2018 के दौरान आयोजित की गई थी जिसमें दिल्ली में डाक विभाग मुख्यालय, परिमंडल मुख्यालयों, देश भर में चयनित डाक मंडल कार्यालयों (डीओएस), प्रधान डाक घरों (एचपीओ) तथा उप डाकघरों (एसओएस) में 2012-13 से 2017-18 तक के अभिलेखों की

नमूना जांच सम्मिलित थी। लेखापरीक्षा समस्त 23 परिमंडलों में की गई थी तथा डाक विभाग के लिए नमूना आकार यादृच्छिक चयन के आधार पर प्रत्येक परिमंडल में कुल मंडलों की संख्या के 25 प्रतिशत के रूप में लिया गया था। प्रत्येक चयनित मंडल में, न्यूनतम 50 प्रतिशत प्रधान डाकघरों के साथ-साथ प्रत्येक प्रधान डाकघर के न्यूनतम 10 उप डाकघरों को भी लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। तदनुसार, 113 मंडल कार्यालय, 124 प्रधान डाकघर एवं 1,317 उप डाकघर लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए थे। लेखापरीक्षा आपत्तियों को नवंबर 2021 तक आगे अद्यतन करने का कार्य निदेशालय के साथ-साथ चयनित परिमंडलों में भी किया गया है।

### 3.1.8 लेखापरीक्षा कार्य पद्धति

15 मई 2018 को डाक विभाग मुख्यालय में सदस्य प्रौद्योगिकी के साथ एक प्रविष्टि बैठक आयोजित की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा परिमंडल प्राधिकारियों के साथ भी प्रविष्टि बैठकें आयोजित की गईं। प्रविष्टि बैठक में लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र एवं उद्देश्यों पर चर्चा की गई। डाक विभाग मुख्यालय, परिमंडल कार्यालयों, चयनित मंडल कार्यालयों, प्रधान डाकघरों एवं उप डाकघरों में परियोजना संबंधित प्रभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों/ सूचनाओं के आधार पर लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। लेखापरीक्षा ने डाक विभाग एवं अन्य स्रोतों की वेबसाइटों पर उपलब्ध सार्वजनिक दस्तावेज को भी देखा। लेखापरीक्षा निरीक्षण ज्ञापन जारी करके अतिरिक्त आंकड़े, सूचना एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। 25 फरवरी 2019 को डाक विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन जारी की गयी थी एवं तत्पश्चात् मंत्रालय के उत्तरों पर विचार करने के पश्चात् संशोधित प्रतिवेदन 28 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी। प्रतिवेदन में मंत्रालय के उत्तर को ध्यान में रखा गया है, जो जनवरी 2022 में प्राप्त हुए थे।

### 3.1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा में उपयोग किए गये महत्वपूर्ण मानदंड आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित टिप्पणियां (सीसीईए), व्यय वित्त समिति (ईएफसी), विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर, प्रस्तावों हेतु अनुमोदित अनुरोध (आरएफपी), प्रदान की गयीं संविदाओं के प्रपत्र एवं डाक निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किए गए निर्देश हैं।

### 3.1.10 लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति

हम डाक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस लेखापरीक्षा को सुविधाजनक बनाने हेतु धन्यवाद देते हैं।

### 3.1.11 आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की उपलब्धि

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के कार्यान्वयन तथा विभागीय डाकघरों के वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), ग्रामीण डाकघरों में ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (रूरल आईसीटी) के विकास सहित आवश्यक सूचना

प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारभूत संरचना की स्थापना के माध्यम से जनता को निम्नलिखित सुविधाएं/ इच्छित लाभ प्राप्त हुए हैं।

- ❖ सीबीएस सक्षम शाखाओं से कभी भी, कहीं भी, किसी भी शाखा से बैंकिंग एवं ग्रामीण ग्राहकों को त्वरित धन हस्तांतरण सक्षम करना
- ❖ लघु बचत योजनाओं के ग्राहकों हेतु एटीएम एवं नेट बैंकिंग जैसी सुविधाओं तक पहुंच
- ❖ कोर बीमा समाधान के माध्यम से देश में कहीं से भी समस्त नीति संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों हेतु एकीकृत शाखाओं के साथ ग्रामीण जनसाधारण हेतु बीमा सुविधाओं में वृद्धि।
- ❖ सीबीएस का समावेशन यह सुनिश्चित करने हेतु कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं सामाजिक सेवा पेंशन आदि जैसी सरकार की प्रायोजित योजनाओं के संबंध में सेवा वितरण अधिक प्रभावी हो।
- ❖ एंड-टू-एंड वस्तु दृश्यता के माध्यम से श्रेष्ठतर ग्राहक अनुभव तथा वास्तविक समय के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं त्वरित शिकायत निवारण के प्रावधान।

### 3.1.12 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के आठ खंडों की समीक्षा करने पर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई), वित्तीय सिस्टम इंटीग्रेटर (एफएसआई), ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई) एवं नेटवर्क इंटीग्रेटर (एनआई) खंडों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को अनुवर्ती प्रस्तरों में लाया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब का भी लेखापरीक्षा के भाग के रूप में विश्लेषण किया गया है।

### 3.1.13 परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब: आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के महत्वपूर्ण खण्डों के पूर्ण होने में विलम्ब

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को देश के समस्त विभागीय एवं ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण हेतु आठ भिन्न-भिन्न खंडों में प्रारम्भ किया गया था। परियोजना को तीन चरणों अर्थात् पायलट, चरण- I एवं चरण- II में विभाजित किया गया था जिसको 2013 से 2017 की अवधि के दौरान पूर्ण किया जाना था। यद्यपि, परियोजना सितंबर 2021 के अंत तक प्रमुख खंडों में पूर्ण हो गई थी तथापि परियोजना को पूर्ण करने हेतु समय-सीमा के विरुद्ध महत्वपूर्ण खंडों (सीएसआई, एफएसआई एवं एनआई) में चार वर्ष से अधिक तथा ग्रामीण खंड (आरएसआई/ आरएच) में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हुआ था, जैसाकि तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: परियोजना खण्डों के रोल आउट होने का विवरण

खंड/ विक्रेता/ आरम्भ होने की तिथि/ पूर्ण होने की नियत तिथि	संविदा मूल्य	किये गये भुगतान (सितम्बर 2021 के अनुसार)	टिप्पणियां
		(₹ करोड़ में)	
1. डाटा सेंटर सुविधा/ रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 14.05.2012/ 28.09.2013	75.00	65.59	एकीकरण परीक्षण पूर्ण हो गया था (जुलाई 2020) एवं डीसी-डीआर ड्रिल भी भिन्न-भिन्न अंतरालों पर आयोजित की गई थी तथा अंतिम ड्रिल जुलाई 2021 में आयोजित की गई थी।
2. नेटवर्क इंटीग्रेटर/ सिफी टेक्नोलॉजी लिमिटेड 16.05.2012/ 28.12.2013	951.53	946.93	दिसंबर 2013 तक कुल 28,846 अवस्थानों के लक्ष्य के विरुद्ध मार्च 2019 तक 28,290 अवस्थानों (98 प्रतिशत) हेतु नेटवर्किंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया था। यद्यपि, बीएसएनएल दूरभाष केन्द्रों के बंद होने के कारण टेक्निकल नॉट फिजिबल (टीएनएफ) अवस्थान बढ़कर 2,694 हो गये। तथापि, संचालन समिति ने ओएफसी/ एनओएफएन/ आरएफ जैसे समस्त कार्यालयों हेतु नेटवर्क उपलब्ध कराने के वैकल्पिक उपायों पर विचार किया, लेकिन विक्रेता उस समय तक इन अवस्थानों पर नेटवर्किंग प्रदान नहीं कर सका।
3. चेंज मैनेजमेंट/ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 25.06.2012/ 14.10.2014	12.96	4.90	समय सीमा के भीतर पूर्ण किया गया।
4. वित्तीय प्रणाली इंटीग्रेटर/ इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 09.08.2012/ 28.05.2014	703.58	685.48	मई 2014 तक 25,560 अवस्थानों के लक्ष्य के विरुद्ध, कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को विक्रेता द्वारा 24,349 (97 प्रतिशत) डाकघरों/ अवस्थानों (सितंबर 2021) में कार्यान्वित/ परिणियोजित किया गया था। साढ़े सात वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी 643 डाकघर बिना सीबीएस सुविधा के कार्य कर रहे थे तथा 568 डाकघर बंद/ विलय किए गए थे।
5. कोर सिस्टम इंटीग्रेटर/ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड 15.04.2013/ 15.10.2014	1,131.21	725.07	अक्टूबर 2014 तक 511 मंडलों के लक्ष्य के विरुद्ध, कोर सिस्टम इंटीग्रेशन को पोस्टल, आरएमएस एवं स्वतंत्र मंडलों सहित 511 (100 प्रतिशत) मंडलों (मार्च 2019) में पूर्ण किया गया था। अक्टूबर 2014 तक पूर्ण करने के लक्ष्य के विरुद्ध कार्य वर्ष 2017 एवं 2018 के दौरान में पूर्ण किया गया था। विक्रेता अन्य सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले समस्त समाधानों के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था।
6. रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर/ इंफोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड 28.02.2013/ 27.02.2017	79.12	37.53	आरएसआई विक्रेता 1,29,390 बीओज् पर आरएच विक्रेता द्वारा प्रदान किए जाने वाले आरआईसीटी उपकरणों में अनुप्रयोगों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना/ कमीशनिंग हेतु उत्तरदायी था,

7. ग्रामीण आईसीटी हार्डवेयर/ टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड एवं आरआईसीओएच इंडिया लिमिटेड 24.11.2014/ 23.09.2017	1,361.73	663.48	अतः, एक दूसरे पर निर्भर थे। चूंकि आरएच उपकरणों के वितरण को आरएसआई अनुप्रयोग की तैयारी के साथ संरेखित किया जाना था, आरएसआई विक्रेता ने समय पर डिलिवरेबल्स को पूर्ण नहीं किया जिसके कारण आरएच विक्रेता द्वारा डाक विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समाधान की पूर्ति में विलम्ब हुआ। ग्रामीण आईसीटी हार्डवेयर उपकरणों का रोलआउट 1,29,164 शाखा कार्यालयों में पूर्ण किया गया तथा शेष 226 बीओज् को बंद कर दिया गया अथवा अन्य बीओज् के साथ विलय कर दिया गया (मार्च 2019)।
8. मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर/ डीजीएसएंडडी	401.61	210.93	मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर (एमओएच) हेतु सफल बोलीदाता, मेसर्स एचसीएल इंफो सिस्टम्स लिमिटेड ने 03 फरवरी 2014 को जारी किए गए लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) के विरुद्ध अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए। विभाग ने फर्म को काली सूची में डाल दिया तथा पश्चात् में, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) के दर अनुबंध के माध्यम से मेल ऑपरेशंस हार्डवेयर की आपूर्ति की। डीजीएसएंडडी में उपलब्ध नहीं होने वाली वस्तुओं हेतु, आपूर्ति को परिमंडलों में विकेंद्रीकृत किया गया एवं पूर्ण किया गया।
<b>योग</b>	<b>4,716.74</b>	<b>3,339.91</b>	

डेटा का स्रोत: हस्ताक्षरित मास्टर सेवा अनुबंध (एमएसए) एवं विभाग की भुगतान पंजिकाएँ

इस प्रकार, विभिन्न परियोजना घटकों को 98 से 100 प्रतिशत तक पूर्ण किया गया था, तथापि नियत तिथियों के संदर्भ में पूर्ण होने में विलम्ब हुआ था। डाक विभाग ने विक्रेताओं को संविदा मूल्य का 70.81 प्रतिशत तक भुगतान किया था तथा शेष भुगतान (29.19 प्रतिशत) को परियोजना मर्दों (सितंबर 2021) को पूर्ण करने हेतु लंबित रखा गया था। इस प्रकार विभाग पर सितम्बर 2021 के अंत तक परियोजना के वेंडरो को देय बिलों के प्रति ₹1376.83 करोड़ की देनदारी है।

अभिलेखों से देखे गए विलम्ब के मुख्य कारणों में, रूफ टॉप एंटेना हेतु अनुमति, नेटवर्क उपलब्धता का पूर्वानुमान एवं डेटा के स्थानांतरण जैसी प्रारंभिक समस्याओं को दूर करने में उप समितियों की अक्षमता; किसी भी नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण लगभग 2,694 अवस्थानों की नेटवर्किंग की गैर-व्यवहार्यता; समस्त स्थानों पर कोर सिस्टम इंटीग्रेशन (सीएसआई) के कार्यान्वयन में विलम्ब डाक विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों तथा विक्रेता दोनों के द्वारा प्री-रोलआउट प्रारंभिक गतिविधियों में विलम्ब के कारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप सिस्टम का एकीकरण नहीं हुआ; एफएसआई हेतु लगभग 643 अवस्थानों में नेटवर्क की अनुपलब्धता; आरएसआई/ आरएच परियोजनाओं के विक्रेता द्वारा विलम्ब;समाबिष्ट थे।

सभी माँड्यूल यथा, सीएसआई में बजट, परिसंपत्ति लेखा एवं लागत माँड्यूल का परीक्षण तथा कार्यान्वयन चार वर्ष की विलंबता के बाद हुआ जिसका कारण डाक विभाग (डीओपी) द्वारा स्वीकृति परीक्षण में विलम्ब था, यद्यपि विक्रेता ने अप्रैल 2017 में इसकी आपूर्ति की थी।



इस प्रकार, संबंधित परियोजना कार्यान्वयन समितियाँ/ उप-समितियाँ परियोजना को समय पर पूर्ण करने हेतु समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित नहीं कर सकीं। यद्यपि, परियोजना के विलम्ब से पूर्ण करने हेतु विलम्बों के लिए शास्तियां आरोपित की गई थीं तथा विक्रेताओं को भुगतान रोके गये थे लेकिन तथ्य यह है कि कुछ अवस्थानों पर परियोजनाएं अपूर्ण थीं तथा सीएसआई के एकीकरण लाभ डाक विभाग के साथ-साथ इसके ग्राहकों को समग्रता में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि सीएसआई के साथ सीबीएस एवं पीएलआई की कुछ एकीकरण समस्याओं को छोड़कर, जिस पर ध्यान दिया जा रहा था, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना पहले ही पूर्ण हो चुकी थी।

### 3.1.14 कोर सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत एकीकरण समस्याएं-समाधान/ मॉड्यूल/ उप-मॉड्यूल के कार्यान्वयन में विलम्ब तथा समाधानों का गैर-एकीकरण

कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई) अनुबंध के अनुसार, विक्रेता को वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन, मेल संचालन, लॉजिस्टिक पोस्ट, ग्राहक संपर्क प्रबंधन तथा कॉल सेंटर आदि हेतु समाधान/ मॉड्यूल, जिन्हें अक्टूबर 2014 की एक समय-सीमा तक पूर्ण कर प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, विक्रेता अन्य सिस्टम इंटीग्रेटर्स यथा, एफएसआई एवं आरएसआई द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे समाधानों के साथ मुख्य अनुप्रयोगों के समग्र एकीकरण हेतु भी उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि विक्रेता ने अनुबंध के अंतर्गत 2017-18 के दौरान सभी मॉड्यूल की आपूर्ति एसएपी के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) के माध्यम से आरम्भ किए गए कार्यालयों में की अपितु कुछ महत्वपूर्ण उप-मॉड्यूल जैसे बजट, परिसंपत्ति लेखा एवं लागत आदि को चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात् पूर्ण/ लागू किया गया जैसा कि जनवरी 2022 में मंत्रालय द्वारा पुष्टि की गई।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि कोर सिस्टम इंटीग्रेटर (सीएसआई) समाधानों के साथ अन्य सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा आपूर्ति किए गए वित्तीय सेवा सिस्टम इंटीग्रेटर (एफएसआई) एवं ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर (आरएसआई) कोर अनुप्रयोगों का एकीकरण विक्रेता द्वारा सितम्बर 2019 तक पूर्ण नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि मैककैमिश-सीएसआई के मध्य सामान्य लेजर एकीकरण कार्यान्वयन के अंतर्गत था तथा उपयोगकर्ता प्रबंधन एवं सुविधा प्रबंधन के उद्देश्य से आरएसआई को सीएसआई मास्टर डेटा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता थी। यद्यपि विभाग ने समापन हेतु लम्बित का भुगतान रोक दिया तथापि तथ्य यह रहा कि विभिन्न सिस्टम इंटीग्रेटर्स के अंतर्गत प्रदान किए गए समाधानों का एकीकरण छह वर्ष से



अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात् अभी भी लंबित था। समीक्षा समितियों को परियोजना में आयोजित प्रणाली के समग्र कार्यान्वयन/ एकीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए था।

### 3.1.15 वित्तीय सिस्टम इंटीग्रेटर के सम्बन्ध में कार्यान्वयन, सत्यापन एवं प्रवासन समस्याएं

आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के वित्तीय सिस्टम इंटीग्रेटर (एफएसआई) खंड का उद्देश्य "संचय पोस्ट" सॉफ्टवेयर के विद्यमान बैंकिंग प्लेटफॉर्म को प्रतिस्थापित कर पूरे देश में ग्राहकों को पूर्ण बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना है, जो एक सीमित क्षेत्र में बैंकिंग गतिविधियों का संचलन कर रहा था।

अनुबंध के अनुसार, एफएसआई विक्रेता विद्यमान अनुप्रयोगों से डाक बैंकिंग एवं बीमा डेटा के प्रवासन हेतु "डेटा माइग्रेशन रणनीति" तैयार करने के लिए उत्तरदायी था। सत्यापन, डेटा के प्रवासन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित का पता चला।

#### 3.1.15.1 मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्ड्स की आपूर्ति पर अनावश्यक व्यय

डाक विभाग ने तीन साल की अवधि में अपनी कार्ड्स की आवश्यकता के आधार पर 1.55 करोड़ मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड अथवा चिप आधारित कार्ड या एक मिश्रण या भिन्नता में आपूर्ति हेतु एक अनुबंध किया (अप्रैल 2015)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक परामर्शी (मई 2015) जारी की कि सितंबर 2015 से बैंकों द्वारा जारी किए गए समस्त नये कार्ड ईएमवी<sup>12</sup> चिप एवं पिन-आधारित कार्ड होने चाहिए। इसे जनवरी 2016 तक एवं सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जारी कार्डों हेतु सितंबर 2016 तक बढ़ा दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मेसर्स सीएमएस इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, मुंबई से 29,90,813 मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्ड की कुल आपूर्ति के विरुद्ध, डाक विभाग ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की परामर्शी (मई 2015) जारी होने के पश्चात् भी 24,97,394 मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्ड आपूर्ति किये जिसके परिणामस्वरूप विभाग के पास 4,57,458 कार्ड अप्रयुक्त पड़े रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के दृष्टिगत विभाग द्वारा इन्हें या तो अवरुद्ध या बंद कर दिया गया था।

इस प्रकार, उचित योजना द्वारा, विभाग ईएमवी चिप कार्डों की आपूर्ति के द्वारा 24.97 लाख संख्या में मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्डों पर ₹4.23 करोड़ (₹16.95 प्रति कार्ड) के व्यर्थ व्यय से बच सकता था, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्राइप एटीएम कार्डों हेतु क्रय आदेश आरबीआई द्वारा ईएमवी चिप कार्ड के संबंध में परामर्शी जारी करने अर्थात् मई 2015 के पश्चात् अगस्त 2015 से अप्रैल 2016 के मध्य जारी किए गए थे।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि परिमंडलों को मैग्नेटिक स्ट्राइप आधारित कार्डों के निस्तारण पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है तथा स्ट्राइप कार्ड की आपूर्ति पर निरर्थक व्यय के विषय में कोई उत्तर नहीं दिया।

<sup>12</sup> यूरोप, मास्टर कार्ड और वीजा

### 3.1.15.2 पूर्व प्रणाली से विद्यमान डेटा का अनुचित सत्यापन एवं प्रवासन

एफएसआई अनुबंध के अनुसार, एफएसआई विक्रेता विद्यमान अनुप्रयोगों<sup>13</sup> से डाक बैंकिंग तथा बीमा डेटा के प्रवास हेतु "डेटा माइग्रेशन रणनीति" तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, डेटा प्रवासन कार्य प्रारंभ करने हेतु संचय पोस्ट से फिनेकल (सीबीएस) कार्यनीति पर डेटा प्रवासन का अनुमोदन करने का डाक विभाग से अनुरोध किया गया था। इसी प्रकार, एफएसआई को पूर्व एवं पश्य प्रवासन दोनों में डेटा के सत्यापन हेतु नियंत्रण प्रतिवेदन विकसित करने चाहिए।

डेटा के स्थानांतरण से संबंधित 23 परिमंडलों में अभिलेखों की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि एफएसआई परियोजना कार्यान्वयन समिति एवं इसकी मुख्य उप समितियों ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि विक्रेता ने अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उचित सत्यापन के पश्चात्, विद्यमान डेटा का संचय पोस्ट से नई प्रणाली फिनेकल (सीबीएस) में प्रवासन किया है।

परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा ने आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड परिमंडलों में पाया कि सार्वजनिक खातों (दिसम्बर 2005 में समाप्त किये गये) सहित समाप्त एवं चालू नहीं रह गए पीओएसबी खातों/ प्रमाणपत्रों की ₹256.89 करोड़ की राशि (विवरण **अनुलग्नक-3.1** में) को कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के दौरान संचय पोस्ट से फिनेकल में प्रवासित किया गया एवं लाइव स्थिति के रूप में दर्शाया गया। नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश परिमंडलों में प्रकरण अभी भी जारी थे।

दूसरी ओर, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹42.97 करोड़ राशि की लाइव स्थिति (विवरण **अनुलग्नक-3.2** में) के डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) खातों तथा प्रमाणपत्रों के 34,656 प्रकरणों को कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के दौरान संचय पोस्ट से फिनेकल में प्रवासित नहीं किया गया था। नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी लेखापरीक्षा ने छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक परिमंडल में भी इसी प्रकार के प्रकरण देखे।

### 3.1.15.3 प्रवासन के पश्चात् भी खातों के रखरखाव में अनियमितार्यें

बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड परिमंडलों में प्रधान/ उप डाकघरों में नमूना जांच की गई विभिन्न पीओएसबी योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा पर, लेखापरीक्षा

<sup>13</sup> बैंकिंग परिचालनों के लिए संचय पोस्ट पैकेज और बीमा परिचालनों के लिए मैककैमिश सॉफ्टवेयर

ने पीओएसबी नियमों के विपरीत 8523 प्रकरणों में पीओएसबी खाते खोलने तथा उनके रखरखाव में निम्नलिखित प्रकार की अनियमितताओं को पाया।

- क. पीओएसबी नियमों के अनुसार, विधिक अभिभावक/ प्राकृतिक अभिभावक जन्म की तिथि से केवल 10 वर्ष की आयु तक बालिका के नाम पर खाता खोल सकते हैं तथा खाता 21 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् समाप्त किया जा सकता है। यद्यपि, यह पाया गया कि एसएसए खाते पुरुष अथवा अभिभावक के नाम से खोले गए, जो "स्वयं" मोड के रूप में संचालित थे। इसके अतिरिक्त, एसएसए खाते दस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद बालिका के नाम पर खोले गए थे तथा एसएसए खाते निर्धारित नियमों के उल्लंघन में परिपक्वता से पूर्व समाप्त कर दिए गए थे।
- ख. एसएसए/ पीपीएफ/ एससीएसएस एवं टीडी खाते खोले गए तथा शून्य शेष के साथ जारी रहे।
- ग. एसबी/ पीपीएफ/ एसएसए खाते क्रमशः ₹50, ₹500 एवं ₹1,000 के निर्धारित न्यूनतम शेष के विरुद्ध निर्धारित न्यूनतम राशि से कम के साथ खोले गए थे।
- घ. पीपीएफ अंशदान निर्धारित न्यूनतम से कम था तथा पीपीएफ खाते भी संयुक्त नामों से खोले गए थे।
- ङ. एमआईएस खातों में राशि निर्धारित गुणकों में अपेक्षित नियम के अनुरूप नहीं थी कि जमा राशि ₹1,500 के गुणकों में होनी चाहिए।

उपरोक्त अनियमितताओं ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के फिनेकल के कार्यान्वयन के पश्चात् भी प्रणाली में आवश्यक जांचों के न होने को इंगित किया। एफएसआई परियोजना कार्यान्वयन समिति एवं इसकी उप समितियां पीओएसबी नियमों के संदर्भ में फिनेकल में डेटा के सत्यापन तथा स्थानांतरण हेतु उत्तरदायी थीं। नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी, डाक खातों के प्रकरणों के रखरखाव में अनियमितताएं दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश परिमंडलों में भी जारी पाई गईं।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) डेटा माइग्रेशन कमांड सेंटर, चेन्नई ने पूर्व से ही संचय पोस्ट में विद्यमान डेटा के उचित सत्यापन एवं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्हें एल-लेयर रिपोर्ट/ टी-लेयररिपोर्ट के माध्यम से परिमंडलों द्वारा सत्यापित/ स्वीकार किया गया था जिसके पश्चात् संबंधित परिमंडलों के अधिकारियों द्वारा साइन ऑफ दिए गए थे। तथ्य यह है कि अनियमित खाते अभी भी जारी थे तथा फिनेकल सिस्टम ने स्वचालित रूप से अनियमितताओं का पता नहीं लगाया था।

इसके अतिरिक्त, उत्तर इंगित करता है कि फिनेकल सॉफ्टवेयर को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में डेटा के प्रवासन से पूर्व विक्रेता द्वारा डीओपी की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित नहीं किया गया था।

### 3.1.15.4 केवाईसी डेटा के बिना पीओएसबी खातों का प्रवासन

लेखापरीक्षा ने आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में विभिन्न प्रमुख/ उप डाकघरों में डेटा की नमूना जांच के दौरान पाया कि खाताधारकों के विवरण यथा नाम, पता एवं अन्य व्यक्तिगत विवरण या तो अपूर्ण या केवाईसी गैर-अनुपालित थे। नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी, लेखापरीक्षा ने पाया कि छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश परिमंडलों में केवाईसी समस्याओं के प्रकरण अभी भी अनवरत हैं।

विवरणों के बिना बचत बैंक खातों के संचालन के प्रकरण को 2006 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 1 (पैरा 2.7.2.5) में उल्लेख किया गया था तथा विसंगति को ठीक नहीं किया गया था एवं संचय पोस्ट से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के फिनेकल में यथावत प्रवासित किया गया था।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) डेटा माइग्रेशन कमांड सेंटर, चेन्नई ने पूर्व से ही संचय पोस्ट में विद्यमान डेटा के उचित सत्यापन एवं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्हें एल-लेयर रिपोर्ट/ टी-लेयर रिपोर्ट के माध्यम से परिमंडलों द्वारा सत्यापित/ स्वीकार किया गया था जिसके पश्चात् संबंधित परिमंडलों के अधिकारियों द्वारा साइन ऑफ दिए गए थे। उत्तर ने इंगित किया कि अनुबंध में निर्दिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन प्रणाली को चालू करने से पूर्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।

### 3.1.15.5 एक से अधिक खाते खोलने में अपर्याप्त प्रणाली नियंत्रण

डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) नियमों के अनुसार, बचत बैंक, लोक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि योजना एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न क्षमताओं में एक ग्राहक/ जमाकर्ता को अनुमत्य किये जा सकने वाले खातों की संख्या निर्धारित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने वर्ष 2012-13 के मौद्रिक नीति विवरण में विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आवंटित करने के लिए कदम उठाने की सलाह दी क्योंकि इससे विभिन्न खातों में वित्तीय लेनदेन की निगरानी हेतु बैंकिंग प्रणाली में उचित ग्राहक पहचान की सुविधा होगी। डाक विभाग ने, तदनुसार ग्राहक सूचना फाइलों (सीआईएफ) के निर्माण, डी-डुप्लिकेशंस एवं विलय वैशिष्टियों को एफएसआई अनुबंध की कार्यात्मक आवश्यकताओं में समाहित किया।

लेखापरीक्षा ने दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल परिमंडलों में देखा कि 133 प्रकरणों में नियमों के उल्लंघन में एक ही जमाकर्ता के नाम से एक से अधिक खाते खोले गए थे। कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के दौरान इन खातों को

फिनेकल में प्रवासित कर दिया गया था। नवंबर 2021 की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी इसी प्रकार के प्रकरण पंजाब, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल परिमंडलों में पाये गए थे।

इसी प्रकार, लेखापरीक्षा ने आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना एवं पश्चिम बंगाल परिमंडलों में भी पाया कि एक ही ग्राहक के लिए एक या विभिन्न प्रकार के खातों के 5,383 प्रकरणों में कई सीआईएफ का आवंटन किया गया था। यद्यपि, नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी, एक ही ग्राहक के लिए कई सीआईएफ के आवंटन कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल परिमंडलों में भी पाये गये थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (मई 2019) में कहा कि परिमंडलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे तथा प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की गई थी। आगे कहा (जनवरी 2022) कि निदेशालय ने परिमंडलों से विसंगतियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रदान करने के लिए भी अनुरोध किया है।

नमूना जांच किए गए परिमंडलों में अद्यतनीकरण एवं मंत्रालय के उत्तर ने दर्शाया कि डाक परिमंडल कार्यालयों द्वारा निदेशालय के निर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा था।

### 3.1.15.6 लोडलेयर रिपोर्ट एवं गो-लाइव रिपोर्ट का गैर-मिलान

डाक विभाग प्रवास नीति के अनुसार, प्रमुख रिपोर्ट प्रवासन के दिन तैयार की जानी थी जो प्रवासन के दिन योजनावार/ खातावार शेष राशि प्रदान करेगी। प्रवासन किए गए डेटा (सीबीएस पर) तथा जो प्रवास से पूर्व डाकघर द्वारा उपयोग किया जा रहा था, में विसंगति, यदि कोई हो, को ज्ञात करने हेतु परिमंडल/ परिक्षेत्र/ मंडल को विशेष दल गठित कर, संचय पोस्ट से डाकघर द्वारा लिए गए अंतिम बैकअप के साथ मिलान रिपोर्ट के सारांश का विश्लेषण किया जाना था।

आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल परिमंडलों में, पीओएसबी योजनाओं के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में अपलोड किए गए डेटा की गो-लाइव रिपोर्ट के साथ लीगेसी सिस्टम (संचय पोस्ट) की लोड लेयर रिपोर्ट के मध्यशेषों की संवीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि लोड लेयर डेटा एवं गो लाइव डेटा के मध्य शेष राशि का अंतर ₹36.12 करोड़ था, जैसा कि **अनुलग्नक-3.3** में वर्णित है।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) डेटा माइग्रेशन कमांड सेंटर, चेन्नई ने पूर्व से ही संचय पोस्ट में विद्यमान डेटा के उचित सत्यापन एवं सीबीएस प्लेटफॉर्म पर माइग्रेशन हेतु आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं, जिन्हें एल-लेयर रिपोर्ट/ टी-लेयर रिपोर्ट के माध्यम से परिमंडलों द्वारा सत्यापित/ स्वीकार किया गया था जिसके पश्चात् संबंधित परिमंडलों के अधिकारियों द्वारा साइन ऑफ दिए गए थे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभागीय निर्देशों के बावजूद, शेष राशि में अंतर था, फिर भी, संचय पोस्ट से सीबीएस में डेटा के प्रवासन को सुगम करने हेतु डाक अधिकारियों द्वारा साइन-ऑफ रिपोर्ट जारी की गई थी। तथ्य यह है कि एफएसआई विक्रेता एवं संबंधित डाक प्राधिकारियों ने डेटा के प्रवासन से पूर्व शेष राशि के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए, जिसके परिणामस्वरूप शेष राशि में अंतर हुआ तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावना थी, जैसा कि नमूना जांच किए गए परिमंडलों<sup>14</sup> में पाया गया था।

चुकि डाकघर जनता के पैसे से लेन-देन रहे थे, डाक विभाग को पुराने सिस्टम से नई प्रणाली में माइग्रेट किए गए डाटा की सफाई सुनिश्चित करने और अपने ग्राहक को जानिए (के वाई सी) मानदंडो/ विरोधी का पालन करने के लिए ग्राहक प्रोफाइल को डी-डुप्लीकेट करने के लिए प्रभावी प्रणाली अपनाने की जरूरत है। धन शोधन निवारण (के एम एल) उपाय/ आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला (सी एफ टी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के तहत दायित्व था।

### 3.1.16 एफएसआई के अंतर्गत संविदात्मक दायित्व

#### 3.1.16.1 बैंकिंग समाधानों हेतु वैकल्पिक वितरण चैनलों का गैर-प्रावधान

अनुबंध के अनुसार, डाक बैंकिंग यथा इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग (आईवीआर), कॉल सेंटर के माध्यम से बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस ट्रेकिंग एवं अलर्ट तथा एटीएम हेतु वैकल्पिक वितरण चैनलों हेतु समाधान की आपूर्ति, अनुकूलन, वृद्धि, स्थापना एवं संस्थापन हेतु एफएसआई उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डाक विभाग मई 2014 तक ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग एवं एटीएम की सुविधा प्रदान कर सकता था जबकि कोर बैंकिंग समाधान के अंतर्गत मोबाइल बैंकिंग तथा अन्य सेवाओं आदि को आयोजित करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ था।

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि आईवीआर-सीआरएम कार्यात्मकता अक्टूबर 2021 में कार्यान्वित की गई थी, मोबाइल बैंकिंग अक्टूबर 2019 में कार्यान्वित की गई थी तथा जमा, निकासी आदि जैसे विभिन्न लेनदेन हेतु पीओएसबी ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट भी प्रेषित किए जा रहे थे। विभाग ने कहा कि चिन्हित अवस्थानों पर 1,000 एटीएम लगाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

उत्तर ने इंगित किया कि अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन के साथ-साथ कार्यात्मक आवश्यकता, सीबीएस के कार्यान्वयन से पाँच वर्षों से अधिक के लिए विलम्बित थी, जिससे जनसाधारण को सुविधाओं के लाभ में विलम्ब हुआ।

<sup>14</sup> हरियाणा (राष्ट्रीय राजमार्ग2-फरीदाबाद एस ओ) ₹11.16 करोड़; पश्चिम बंगाल (सिन्धी एस ओ) ₹5.59 करोड़.

### 3.1.16.2 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक (पीओएसबी) खातों में मोबाइल नंबर की प्रविष्टि न होना

एफएसआई अनुबंध यह निर्धारित करता है कि सिस्टम को ग्राहक सूचना फ़ाइल (सीआईएफ) में मोबाइल नंबर सहित ग्राहक के समस्त डेटा को अधिकृत करना चाहिए। इसी क्रम में डाक विभाग ने नया खाता खोलते समय मोबाइल फोन नंबर अनिवार्य करने के निर्देश (अक्टूबर 2017) जारी किए तथा अपने डाकघरों को व्यापक प्रचार के साथ विशेष अभियान के माध्यम से विद्यमान खातों में भी मोबाइल नंबर प्रविष्टि करने के निर्देश दिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पीओएसबी खाताधारकों की ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) के साथ डाक विभाग द्वारा मोबाइल नंबर प्रविष्टि का प्रतिशत बहुत कम है तथा सितंबर 2021 के अंत तक मोबाइल नंबर प्रविष्टि की समग्र स्थिति केवल 64.61 प्रतिशत थी। यह भी पाया गया कि 1,80,494 प्रकरणों में डीओपी एटीएम डेबिट कार्ड से जुड़ी ग्राहक सूचना फाइल (सीआईएफ) आईडी को भी मोबाइल नंबरों से अद्यतन नहीं किया गया था।

2018 के साथ-साथ नवंबर 2021 के दौरान फ़िल्ड डेटा की नमूना जांच के दौरान छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना परिमंडलों में यह देखा गया कि मोबाइल नंबर प्रविष्टि बहुत कम थी।

मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) कि कुल 33,25,586 एटीएम कार्ड धारकों जिनको एटीएम कार्ड जारी किए गए में से 31,45,092 खातों में प्रविष्टि की गयी थी।

### 3.1.17 मैनुअल हस्तक्षेप की निरंतरता – परिपक्वता पूर्व एवं परिपक्वता पश्चात् ब्याज की मैनुअल गणना

पीओएसबी नियम परिपक्वता की तारीख के बाद खाते को बंद करने के मामले में परिपक्वता अवधि के बाद ब्याज की अनुमति के साथ-साथ परिपक्वता पूर्व ब्याज के साथ योजनाओं को समय से पहले बंद करने के लिए कुछ शर्तें प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश परिमंडलों में पाया कि वित्तीय सेवा प्रणाली इंटीग्रेटर (एफएसआई) अनुबंध के अंतर्गत फिनेकल ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में आंशिक अवधि हेतु ब्याज की गणना की सुविधा की अनुपलब्धता के कारण पीओएसबी योजनाओं के खातों के परिपक्वता पूर्व/ पश्चात समाप्त होने पर ब्याज की गणना मैनुअल रूप से की जाती रही। नवंबर 2021 में अनुवर्ती लेखापरीक्षा के दौरान भी राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल परिमंडलों में इसी प्रकार के प्रकरण पाये गए थे।

परिपक्वता पश्चात ब्याज संचय पोस्ट पैकेज की मैनुअल गणना का प्रकरण 2006 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 1 (पैरा 2.7.2.19) में लाया गया था तथा फिनेकल ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में विसंगति अभी भी जारी है।



मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2022) कि निदेशालय ने परिमंडलों से की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। चूंकि साक्ष्य दर्शाते हैं कि डाकघरों में पूर्व एवं पश्चात परिपक्वता ब्याज की मैन्युअल गणना डाकघरों में जारी है अतः समाधान के प्रभावी अनुकूलन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

### 3.1.18 रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर के अंतर्गत नेटवर्किंग एवं संयोजकता समस्यायें

अनुबंध के अनुसार, आरएसआई विक्रेता को ग्रामीण आईसीटी सेवा वितरण प्लेटफॉर्म (एसडीपी) की रूप-रेखा, निर्माण, आपूर्ति, स्थापना एवं संस्थापना सहित संपूर्ण ग्रामीण आईसीटी समाधान के परिनियोजन तथा समग्र समाधान वास्तुकला तथा अन्य मुख्य अनुप्रयोगों जैसे मेल संक्रियायें, कोर बैंकिंग समाधान, डाक जीवन बीमा समाधान एवं ई-एमओ आदि अन्य के साथ एकीकरण के लिए उत्तरदायी होना था जबकि आरएच विक्रेता रखरखाव सहित स्थानीय नेटवर्क सेवा से संयोजकता के साथ ग्रामीण आईसीटी उपकरणों की आपूर्ति हेतु उत्तरदायी था। तथापि, अनुबंध के प्रावधानों से निम्नलिखित विचलन पाये गये:

#### 3.1.18.1 गैर-कार्यात्मक ग्रामीण सूचना संचार प्रोद्योगिकी (आर आई सी टी) उपकरण

ग्रामीण हार्डवेयर (आरएच) समझौते के अनुसार, विक्रेता को कार्यान्वयन स्थानों पर सेवाओं की उपलब्धता के आधार पर शाखा डाकघरों को आपूर्ति किए गए आरआईसीटी उपकरणों के लिए 3जी, वायरलेस ब्रॉडबैंड, वायर्ड ब्रॉडबैंड या जीपीआरएस (सामान्य पैकेट रेडियो सेवाएं) जैसी नवीनतम तकनीकों में से एक के माध्यम से कनेक्टिविटी की व्यवस्था करनी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विक्रेता द्वारा प्रदान की गई खराब नेटवर्क संयोजकता के कारण आरआईसीटी उपकरण उचित रूप से कार्य नहीं कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप शाखा डाकघरों में आरआईसीटी उपकरणों के माध्यम से ग्रामीण ग्राहकों को सेवाओं के प्रावधान में बार-बार विघ्न आ रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा 4638 प्रकरणों में नमूना जांच के दौरान बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल तथा मध्य प्रदेश परिमंडलों के शाखा डाकघरों में संयोजकता समस्याओं के प्रकरण पाये गये थे।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि सिम स्वैपिंग, एंटीना की आपूर्ति, 4जी डोंगल की स्थापना के माध्यम से शाखा डाकघरों में नेटवर्क संयोजकता में सुधार हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। यद्यपि, तथ्य यह है कि शाखा डाकघरों में संयोजकता की समस्या अभी भी बनी हुई है।

#### 3.1.19 नेटवर्क इंटीग्रेटर के अंतर्गत नेटवर्किंग एवं संयोजकता समस्यायें

नेटवर्क इंटीग्रेटर अनुबंध ने प्रत्येक विभागीय डाकघर अवस्थान हेतु दो अलग-अलग नेटवर्क सेवा प्रदाताओं (एन एस पी) अर्थात् प्राथमिक नेटवर्क बीएसएनएल (एनएसपी-I) से तथा द्वितीयक (एनएसपी-II) विक्रेताओं (मैसर्स सिफी) के स्वयं के नेटवर्क से होना चाहिए, से संयोजकता के प्रावधान को निर्धारित किया ताकि एक एकल डब्ल्यूएन के माध्यम से निर्बाध



नेटवर्क संयोजकता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, अभिलेखों की समीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

### 3.1.19.1 एकल सेवा प्रदाता (एनएसपी) एवं अपर्याप्त प्राथमिक बैंडविड्थ के कार्य करने वाले डाकघर

लेखापरीक्षा ने पाया कि डाक विभाग के 2,308 अवस्थान एकल बैंडविड्थ संयोजकता अर्थात् जनवरी 2019 के अंत तक मात्र 663 अवस्थान प्राथमिक नेटवर्क के साथ एवं 1645 अवस्थान द्वितीयक नेटवर्क के साथ कार्य कर रहे थे जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था कि निरंतर सेवाओं हेतु दो स्तरों के नेटवर्क प्रदान किये जाने थे। इस प्रकार, फॉल-बैक व्यवस्था के अभाव में एकल उपलब्ध नेटवर्क की विफलता के दौरान ये कार्यालय गैर-कार्यात्मक रहे। नमूना जांच के दौरान, यह पुष्टि की गई थी कि कर्नाटक, झारखंड एवं तमिलनाडु परिमंडलों में डाकघर एकल नेटवर्क पर काम कर रहे थे।

नवंबर 2021 में अनुवर्ती अद्यतनीकरण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि कुल 1677 स्थान अभी भी एकल बैंडविड्थ संयोजकता के साथ कार्य कर रहे थे अर्थात् प्राथमिक नेटवर्क के साथ 548 अवस्थान तथा द्वितीयक नेटवर्क के साथ 1129 अवस्थान।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2019 के अंत तक श्रेणी डी एवं ई अवस्थानों के 450 डाकघरों को 256 केबीपीएस की प्राथमिक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी जो राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत 512 केबीपीएस की निर्धारित न्यूनतम बैंडविड्थ से कम था। नमूना जांच के दौरान यह भी पुष्टि की गई कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, उत्तर पूर्व, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड परिमंडलों में डाकघर 512 केबीपीएस से कम के साथ कार्य कर रहे थे। नवंबर 2021 में अनुवर्ती अद्यतनीकरण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि श्रेणी डी एवं ई अवस्थानों के 302 डाकघरों को अभी भी मात्र 256 केबीपीएस प्रदान किए गए थे।

एकल एनएसपी बैंडविड्थ के प्रावधान के संबंध में, मंत्रालय ने कहा (जनवरी 2022) कि सभी स्थानों पर दोनों कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास किए गए थे लेकिन बीएसएनएल से दूरसंचार बुनियादी ढांचे पर और 3 जी सेवाओं की वापसी की क्षेत्रीय चुनौतियां/ निर्भरता थी। कम प्राथमिक बैंडविड्थ कनेक्टिविटी के संबंध में, यह कहा गया था कि इन स्थानों पर बीएसएनएल द्वारा उन्नयन संभव नहीं था।

### 3.1.20 निष्कर्ष

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को सरकार द्वारा 2012 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघरों सहित देश के समस्त डाकघरों के आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण हेतु अनुमोदित किया गया था। यद्यपि सीएसआई, एफएसआई, एनआई तथा आरएसआई/ आरएच जैसे प्रमुख खंडों को एक से चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात अधिकांशतः पूर्ण किया

गया था, तथापि कुछ अवस्थानों पर कार्यपूर्ण न होने के कारण, डाक विभाग के साथ ही साथ इसके ग्राहकों हेतु समग्र रूप से इच्छित एकीकरण लाभ उपलब्ध नहीं थे। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में मुख्य विचार बिंदु हैं:

1. डाकघरों में नेटवर्क नहीं अथवा खराब नेटवर्क होना जैसे नेटवर्किंग समस्याओं के परिणामस्वरूप डाक विभाग में सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है जिससे ग्राहक असंतुष्टि होती है। इसी प्रकार 2694 स्थानों पर तकनीकी गैर व्यवहार्यता के परिणामस्वरूप विशेष रूप से उत्तर पूर्व, पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी को आधुनिकीकरण के लाभ उपलब्ध नहीं हुए।
2. व्यवसाय नियमों के उचित अनुकूलन एवं डेटा के सत्यापन के बिना कोर बैंकिंग समाधान के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप अनियमितताएं हुईं। डाक मुख्यालय के निर्देशों के बावजूद डाक विभाग के क्षेत्रीय गठनों ने डाटा के उचित सत्यापन के साथ पूर्व के आवेदनों से डाटा का त्रुटि मुक्त डेटा स्थानांतरण सुनिश्चित किये बिना किया गया था।
3. एक दीर्घ अवधि तक ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाओं जैसे मोबाइल बैंकिंग तथा एसएमएस बैंकिंग आदि हेतु वैकल्पिक वितरण चैनलों का प्रावधान नहीं करना, जबकि परियोजना के उद्देश्यों एवं अनुबंधों के अनुसार विक्रेता द्वारा प्रदान किये जाना अपेक्षित है।
4. सीएसआई में मुख्य उप-मॉड्यूल यथा बजट, परिसंपत्ति लेखा एवं लागत आदि का कार्यान्वयन चार से पांच वर्षों के महत्वपूर्ण विलंब के पश्चात् लागू किया गया था।
5. अन्य सिस्टम इंटीग्रेटर्स द्वारा विकसित समस्त सॉफ्टवेयरों तथा समाधानों का एक दीर्घ अवधि हेतु गैर-एकीकरण भी उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति में परिणामित हुआ है।
6. डाक परिचालनों के लिए संपूर्ण हार्डवेयर की आपूर्ति नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इच्छित उद्देश्यों यथा परिचालन प्रभावशीलता में वृद्धि तथा कर्मचारी के कार्य के घंटों में कमी आदि की प्राप्ति नहीं हुई।

परियोजना कार्यान्वयन समितियां तथा इसकी संबंधित मुख्य उप-समितियां उचित अनुकूलन/ कार्यान्वयन हेतु विक्रेताओं का अनुसरण करने एवं परियोजना को पूर्ण करने हेतु समय-सीमा का पालन करने में विफल रहीं जिसके परिणामस्वरूप डाकघरों में "कहीं भी, कभी भी बैंकिंग" की उपलब्धि से वंचित होना पड़ा। स्पष्ट है कि, 643 डाकघर अभी भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) के बिना कार्य कर रहे थे, 1,677 अवस्थान अभी भी एकल बैंडविड्थ संयोजकता के साथ कार्यरत थे एवं 2,694 अवस्थान तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं (टीएनएफ) के अंतर्गत हैं। परिमंडलों तथा प्रधान/ उप डाकघरों में क्षेत्र संरचनाओं ने डेटा के त्रुटि मुक्त प्रवासन एवं व्यावसायिक नियमों के सत्यापन को सुनिश्चित नहीं किया। इच्छित लाभ अर्थात् अधिक ग्राहक संपर्क चैनलों, श्रेष्ठतर ग्राहक सेवा, व्यापार की नई दिशाओं एवं व्यावसायिक प्रक्रियाओं की आईटी सक्षमता के माध्यम से विकास तथा सहायक प्रकार्यों आदि से भारतीय जनसाधारण तक व्यापक पहुंच प्राप्त नहीं की जा सकी, जैसा कि प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है।

### 3.1.21 अनुशासार्थ

उक्त वर्णित की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, निम्नलिखित अनुशासार्थ प्रस्तावित हैं:

- ❖ डाक विभाग विभिन्न प्रणालियों में डेटा की विसंगतियों से बचने हेतु अन्य प्रणालियों जैसे कि वित्तीय सेवा प्रणाली इंटीग्रेटर तथा ग्रामीण सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ कोर सिस्टम का एकीकरण सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ डाकघर के नियमों एवं विनियमों के संदर्भ में कोर बैंकिंग समाधान का अनुकूलन सुनिश्चित कर सकता है और खातों के रखरखाव में अनियमितताओं से बचना तथा पीओएसबी नियमों के उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने तथा हेराफेरी के मामलों को रोकने हेतु केवाईसी को ग्राहक सूचना फाइलों (सीआईएफ) में अद्यतन किया जा सकता है।
- ❖ सभी डाकघरों में दो अलग-अलग नेटवर्क सेवा प्रदाताओं से नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों के लिए सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।
- ❖ कोई नेटवर्क क्षेत्र (टी एन एफ) नहीं होने की स्थिति में, डाक विभाग टी एन एफ स्थानों में डाकघरों को आधुनिकीकरण की मुख्य धारा में लेन के लिए उपग्रह लिंक (वी सेट) जैसे वैकल्पिक कनेक्टिविटी उपायों का पता लगा सकता है।
- ❖ डी ओ पी को ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए त्रुटिमुक्त डाटा बेस के साथ सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए समयबध तरीके से सिस्टम में सभी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।

## 3.2 डाक विभाग में रेलवे डाक सेवा एवं सड़क परिवहन नेटवर्क की कार्यप्रणाली

### 3.2.1 प्रस्तावना

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें 1.55 लाख से अधिक डाकघर हैं और यह देश के दूरस्थ कोनों तक फैला हुआ है। डाक विभाग (डीओपी) की मुख्य गतिविधि डाक का प्रसंस्करण है, जिसमें डाक का संग्रह, प्रसारण और वितरण शामिल है। प्रशासनिक सुविधा के लिए नेटवर्क को 23 पोस्टल सर्किलों में बांटा गया है।

रेलवे डाक सेवा (आरएमएस) डाक सामग्री को देश के सभी भागों में ले जाने और प्रेषित करने के लिए डाक विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण चैनल है। डाक विभाग की आरएमएस शाखा डाक के संग्रह, छंटाई और प्रेषण के लिए जिम्मेदार है। 69 मंडल कार्यालय, 400 सॉर्टिंग कार्यालय और 345 रिकॉर्ड कार्यालयों का एक नेटवर्क इस सेवा को संभालते हैं। वरिष्ठ अधीक्षक/ अधीक्षक (एसएसआरएम/ एसआरएम) आरएमएस मंडल के प्रमुख होते हैं। आरएमएस मंडलों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के पास है।

डाक विभाग के पास आरएमएस के माध्यम से डाक के परिवहन के लिए 66 विभागीय आरएमएस वैन हैं और 144 ट्रेनों (मार्च 2020 तक) में किराए पर लिया हुआ जगह है। 269 आरएमएस सेक्शन में से 39 सेक्शन विभागीय आरएमएस वैन से काम कर रहे हैं और बाकी 230 सेक्शन ट्रेनों में किराए पर लिये हुए जगह से काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे की सेवाओं का उपयोग करने के अलावा, आरएमएस विंग डाक की दुलाई के लिए सड़क परिवहन नेटवर्क (आरटीएन) भी संचालित करता है, जिसे जून 2013 में शुरू किया गया था। डाक निदेशालय द्वारा अनुमोदित योजना 'सड़क परिवहन नेटवर्क का विकास' का उद्देश्य पार्सल, विशेष रूप से ई-कॉमर्स सामग्री का सुरक्षित एवं सकुशल परिवहन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, डाक विभाग ने पार्सल व्यवसाय बढ़ने तक स्पीड पोस्ट सामग्री के परिवहन के लिए आरटीएन वैन में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने का भी निर्णय लिया।

2017-20 के दौरान विभाग द्वारा संचालित डाक यातायात की मात्रा तालिका 3.4 में दी गई है, जो इस अवधि के दौरान अपंजीकृत डाक में उल्लेखनीय गिरावट और विभाग के पंजीकृत डाक और प्रीमियम उत्पादों में स्थिर कारोबार को दर्शाता है। हालांकि, कुल कारोबार 2017-18 में ₹634.61 करोड़ से घटकर 2019-20 में ₹510.27 करोड़ हो गया।

**तालिका 3.4: 2017-2020 के दौरान डाक यातायात**

(आंकड़े करोड़ में)

श्रेणी	2017-18	2018-19	2019-20
पंजीकृत	19.33	19.79	19.30
अपंजीकृत	567.69	501.81	446.66
प्रीमियम उत्पाद*	47.59	54.65	44.31
<b>कुल</b>	<b>634.61</b>	<b>576.25</b>	<b>510.27</b>

\*स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट आदि

2017-20 के दौरान डाक के परिवहन के लिए किया गया व्यय तालिका 3.5 में दिया गया है।

**तालिका 3.5: डाक परिवहन सेवाओं पर वर्षवार व्यय**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	डाक परिवहन सेवाओं पर व्यय <sup>15</sup>	आरटीएन पर व्यय	आरएमएस पर व्यय <sup>16</sup>
2017-18	26018.84	2386.29	16.09	116.86
2018-19	27994.35	2611.33	9.74	194.74
2019-20	29139.74	2501.18	10.53	183.02

<sup>15</sup> एचओए में शामिल हैं: 3201-01-101-04-आरएमएस डिवीजन; 3201-02-102-डाक सॉर्टिंग और 3201-02-103-डाक का परिवहन

<sup>16</sup> एचओए में शामिल हैं: 3201-01-101-04-आरएमएस डिवीजन

यद्यपि डाक सेवाओं पर कुल व्यय में इस अवधि के दौरान कुछ गिरावट देखी गई, आरएमएस पर व्यय ₹116 करोड़ से बढ़कर ₹183 करोड़ हो गया।

### 3.2.2 लेखापरीक्षा का दायरा, उद्देश्य और लेखापरीक्षा की पद्धति

#### 3.2.2.1 लेखापरीक्षा का दायरा

लेखापरीक्षा 22<sup>17</sup> पोस्टल सर्किलों में आयोजित किया गया था, जिसमें तीन साल की अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए आरएमएस विंग की गतिविधियों को शामिल किया गया था। जून 2020 से सितंबर 2020 तक आयोजित लेखापरीक्षा के दौरान, डाक निदेशालय, अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और आरएमएस प्रभागों के अभिलेखों की आरएमएस और आरटीएन दोनों कार्यों के लिए नमूना जांच की गई थी।

#### 3.2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह देखना था कि क्या

1. आरएमएस और आरटीएन संचालन डाक विभाग के नियमों/निर्देशों के अनुरूप किए गए थे और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ राजस्व अर्जित करने के लिए संचालन को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित किया गया था।
2. रेल/सड़क पारेषण के लिए पहचाने गए मार्ग और ट्रेनों में किराए पर ली हुई जगह निदेशालय द्वारा जारी नियमों/ निर्देशों/ मानदंडों के अनुरूप थे।
3. कुशल प्रबंधन के लिए विभागीय आरएमएस वैन, किराए के वैन और ट्रेनों में किराए के जगह की आवश्यकता को क्षेत्रीय कार्यालयों के परामर्श से समय-समय पर समीक्षा की गई।

#### 3.2.2.3 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा ने डाक मुख्यालय में प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की। प्रत्येक पोस्टल सर्कल में, डाक के परिवहन के लिए किए गए व्यय के आधार पर 50 प्रतिशत आरएमएस डिवीजन जिसमें कम से कम एक डिवीजन और अधिकतम तीन डिवीजनों को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण, यूनिट प्रमुखों के साथ बैठकों के लिए 'एमएस टीम' जैसे इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों, रिकॉर्ड के संग्रह के लिए डिजिटल माध्यम/ ई-मेल, प्रबंधन को ऑडिट मेमो जारी करने के लिए ई-मेल आदि का उपयोग किया गया था। जहां भी संभव हो, लेखापरीक्षा टीमों ने पोस्टल सर्कल कार्यालयों, क्षेत्रीय पीएमजी कार्यालयों और आरएमएस डिवीजनों का दौरा किया।

<sup>17</sup> डाक विभाग के अधीन 23 पोस्टल सर्किलों में से, उत्तर पूर्वी सर्कल को लेखापरीक्षा के लिए नहीं चुना गया था, क्योंकि वहाँ कोई आरएमएस डिवीजन नहीं है।

### 3.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष - रेलवे डाक सेवाएं

आरएमएस डाक संचालन के लिए विभागीय रूप से खरीदी हुई रेलवे बोगियों (डाक वैन) के साथ-साथ किराए की रेलवे बोगियों (गैर-डाक वैन) का उपयोग करता है। डाक वैन (पूरी बोगी) का उपयोग चयनित मार्गों पर चलने वाली ट्रेनों के साथ जोड़कर किया जाता है। डाक विभाग रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं के आधार पर डाक और गैर-डाक दोनों वैन के लिए रेलवे को ढुलाई शुल्क का भुगतान करता है।

डाक विभाग ने बर्थ विस्थापन की संशोधित प्रणाली के अंतर्गत रेलवे को ढुलाई प्रभारों के भुगतान के संबंध में सभी परिमंडल प्रमुखों को निर्देश जारी किए (जनवरी 2007)। इन निर्देशों ने निम्नलिखित निर्धारित किया:

- ❖ ढुलाई प्रभारों की गणना के लिए सीट विस्थापन प्रणाली को बर्थ विस्थापन प्रणाली से बदल दिया गया था और पूर्ण बोगी को ब्रॉड गेज (बीजी) में 72 बर्थ और मीटर गेज (एमजी) में 64 बर्थ के रूप में माना जाना था; तथा
- ❖ रेलवे द्वारा डाक वैन पर डाक विभाग के पूंजीगत निवेश पर दो प्रतिशत की छूट दी जाती रहेगी।

डाक विभाग ने ढुलाई प्रभारों के उद्देश्य से डाक वैन के वर्गों को स्पष्ट किया (फरवरी 2007), जिसके अनुसार बर्थ के चार स्लैबों के लिए भुगतान किया जाना था अर्थात (i) 1-18, (ii) 19-36 (iii) 37-54 और (iv) 55-72। इसके अनुसार, डाक विभाग को एक स्लैब के लिए बर्थ की अधिकतम संख्या के लिए भुगतान करना पड़ता था, भले ही उस स्लैब में बर्थ की न्यूनतम संख्या उपयोग हो। इस प्रकार, लागत को कम करने के लिए, डाक विभाग ने सर्किलों को सभी वर्गों के लिए जगह की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया।

ढुलाई प्रभारों के अधिक भुगतान पर टिप्पणियों को 2017 की रिपोर्ट संख्या 21 के पैरा संख्या 2.4 में शामिल किया गया था। मंत्रालय ने अपने कार्रवाई नोट (एटीएन) में कहा था (अक्टूबर 2017) कि सभी संबंधितों को उपयुक्त निर्देश जारी किए गए थे।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डाक विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा था और कमियां बनी रहीं जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

#### 3.2.3.1 रेलवे द्वारा किए गए दावों पर अनुचित सत्यापन/ निष्क्रियता के कारण ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान

डाक के समय पर परिवहन के लिए, एक अनुभाग द्वारा संभाले गए डाक की मात्रा के आधार पर बोगियों में बर्थों की आवश्यकताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और स्वीकृत बर्थों को डाक विभाग द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधों को संशोधित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। बर्थ विस्थापन आदेश

में डाक विभाग ने निर्देश दिया (जनवरी 2007), कि भुगतान रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवाओं पर आधारित होगा। लेखापरीक्षा ने अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियों को देखा।

### 3.2.3.2 वास्तविक आवंटन को सत्यापित किए बिना स्वीकृत बर्थ पर भुगतान

22 परिमण्डलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि रेलवे ने तीन परिमण्डलों में आवंटित वास्तविक बर्थों के स्थान पर स्वीकृत बर्थों के लिए बिल जारी किये थे और परिमण्डलों ने दावों के सत्यापन के बिना भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.15 करोड़ के ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि तालिका 3.6 में वर्णित है।

तालिका 3.6: आवंटित के स्थान पर स्वीकृत बर्थों के भुगतान का विवरण

परिमंडल	अनुभाग	बर्थ की संख्या				अतिरिक्त भुगतान (₹ करोड़ में)	अवधि
		स्वीकृत	आवंटित	भुगतान			
गुजरात	जे-29	36	18	36	1.09	04/2018 से 03/2020	
ओडिशा	12 ट्रेनें	36*	18	36	10.61	04/2017 से 02/2020	
तेलंगाना	एल-1	36	18	36	0.37	07/2017 से 01/2020	
	जेड -26	36	18	36	0.08	04/2017 से 06/2019	
<b>कुल</b>					<b>12.15</b>		

\*हर ट्रेन की बोगी में

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि (जून 2021) अधिक भुगतान की वसूली के लिए मामले को संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के साथ परिमण्डलों द्वारा उठाया गया है। तथ्य यह है कि डाक इकाइयों ने वास्तव में आवंटित बर्थों की पुष्टि किए बिना रेलवे द्वारा उठाए गए बिलों के लिए भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ढुलाई शुल्क का अधिक भुगतान हुआ।

### 3.2.3.3 स्वीकृति की तुलना में बर्थों का कम आवंटन

रेलवे द्वारा आरएमएस के लिए बर्थ की मंजूरी डीओपी द्वारा अनुमानित आवश्यकताओं पर आधारित है। तथापि, रेलवे द्वारा स्वीकृत बर्थों की तुलना में बर्थों के कम आवंटन के कई मामले थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि 22 परिमण्डलों में से तीन में, 2017-2020 की अवधि में कम आवंटन था, जिसके कारण चार अनुभागों में अपर्याप्त स्थान के कारण प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जैसा कि तालिका 3.7 में दिया गया है।

**तालिका 3.7: संस्वीकृति की तुलना में बर्थ का कम आवंटन**

परिमण्डल	अनुभाग	बर्थों की संख्या		
		स्वीकृत	आवंटित	कमी
गुजरात	एम-38	36	18	18
उत्तर प्रदेश	ओ-2	36	18	18
	एक्स-1	36	18	18
उत्तराखंड	डीएन-2	36	18	18

मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि समय-समय पर रेलवे को उपलब्ध कराए गए कम जगह के मामलों को संबोधित किया गया है और परिमंडलों द्वारा क्षेत्रीय रेलवे को एवं साथ-साथ निदेशालय से रेलवे बोर्ड को अनुरोध किया गया है।

तथापि, तथ्य यह है कि कम आवंटन ने विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।

**3.2.3.4 अनुभागों के भाग के बंद होने के बाद भी पूर्ण अनुभागों के लिए किया गया भुगतान**

बिहार परिमंडल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि दो अनुभागों में, पूर्ण अनुभागों के लिए भुगतान किया गया था, भले ही अनुभागों के भाग बंद कर दिए गए थे जैसा कि तालिका 3.8 में वर्णित है।

**तालिका 3.8: बंद मार्गों के लिए ढुलाई प्रभारों के भुगतान का विवरण**

परिमण्डल	अनुभाग	दूरी बिल	वास्तविक दूरी	अतिरिक्त भुगतान (₹ लाख में)	परिमण्डल
बिहार	आरएन-32	460	286	54.82	06/2015 से 03/2017
	एच-26	859	512	43.19	07/2014 से 10/2017
कुल				98.01	

आरएन-32 खंड (नगर उन्तारी-डाल्टनगंज-गोमो 460 किमी) में खंड के एक हिस्से अर्थात् डाल्टनगंज-नगर उन्तारी मार्ग को 01 जून 2015 से समाप्त कर दिया गया था। उक्त मार्गों को समाप्त करने के बाद, गोमो से डाल्टनगंज आने-जाने की दूरी घटकर 286 किलोमीटर रह गया। मार्ग की लंबाई में इस कमी के बावजूद, रेलवे ने पहले वाले मार्ग की लंबाई के आधार पर ढुलाई प्रभार बिलों की मांग को जारी रखा। पोस्टल सर्किल द्वारा सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप आरबीआई द्वारा विभाग को ₹54.82 लाख के ढुलाई शुल्क का अधिक डेबिट (मार्च 2020 तक) हुआ।

सर्किल ने दो आरएमएस अनुभाग एच-26 (सियालदह से साहिबगंज - 347 किलोमीटर) और डीएच-3 (साहेबगंज से मुगलसराय/ वाराणसी - 512/528 किलोमीटर) संचालित किए जो सियालदह से मुगलसराय/ वाराणसी के बीच डाक ले जाने के लिए परिचालन में थे। बिहार पोस्टल सर्किल को सूचित करते हुए 01 जुलाई 2014 से पश्चिम बंगाल सर्किल, कोलकाता



द्वारा अनुभाग एच-26 को समाप्त/ बंद कर दिया गया था। हालांकि, रेलवे ने अनुभाग एच-26 के बंद होने के बावजूद सियालदह से मुगलसराय/ वाराणसी के लिए ढुलाई प्रभारों का दावा करना जारी रखा और बिलों का भुगतान बिहार पोस्टल सर्कल द्वारा मार्ग की लंबाई में कमी को ध्यान में रखे बिना किया गया। इसके परिणामस्वरूप डाक विभाग द्वारा ₹43.19 लाख के ढुलाई प्रभारों का अधिक भुगतान भी हुआ।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि बिहार परिमंडल द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेलवे के साथ मामले को उठाया जा रहा है कि बिलों में भुगतान की गई अधिक राशि का समायोजन बाद के बिलों में किया जा सके या निदेशक लेखा (डाक) के माध्यम से वापस जमा कराया जाये।

उपरोक्त उदाहरण केवल नमूना जांच पर आधारित हैं और ऐसे और मामलों से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह इंगित करता है कि रेलवे द्वारा दावा किये गए बिलों का डाक विभाग में आंतरिक सत्यापन अपर्याप्त था और डाक विभाग को किए गए दावों पर आंतरिक जांच और आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू करके रेलवे द्वारा किए गए दावों के प्रति अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता थी।

### 3.2.3.5 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ढुलाई प्रभारों का अधिक डेबिट करना

एफएचबी वॉल्यूम-II परिशिष्ट-5 में निहित प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रेलवे को बर्थ विस्थापन प्रणाली पर भुगतान किए जाने वाले ढुलाई शुल्क के संबंध में, बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी। जोनल रेलवे संबंधित माह के अगले महीने की 10 तारीख तक बिल पेश करेगा। माह के दौरान प्रदान की गई वास्तविक सेवाओं पर बिलिंग की जाएगी। रेलवे को क्रेडिट और डीओपी को डेबिट करने के लिए रेलवे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को डीओपी के खिलाफ डेबिट करने की सलाह भेजेगा। यदि रेलवे द्वारा उठाए गए बिलों में कोई कमी पाई जाती है, तो उस पर चर्चा की जाएगी और रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों और डाक विभाग के बीच होने वाली मासिक समाधान बैठक में समाधान किया जाएगा। सुलह बैठक में आपसी सहमति के अनुसार डाक विभाग से देय नहीं होने वाली कोई भी राशि रेलवे द्वारा अगले बिल के साथ तुरंत समायोजित की जाएगी।

डाक निदेशालय ने सर्किल कार्यालयों को सलाह दी कि अतिरिक्त भुगतान पर समायोजित की जाने वाली राशि के बारे में मामला आरबीआई (सीएएस - केंद्रीय लेखा अनुभाग), नागपुर के साथ समायोजित करने के लिए तुरंत उठाया जाए और विवरण जल्द से जल्द निदेशालय को सूचित किया जाए। उपरोक्त निर्देशों की प्रति (सितंबर 2017) भी आरबीआई, नागपुर को इस निर्देश के साथ पृष्ठांकित की गई थी कि रेलवे को भुगतान संबंधित डाक लेखा कार्यालयों से उचित सत्यापन प्राप्त होने पर ही किया जाना चाहिए ताकि अधिक भुगतान की घटनाओं से बचा जा सके। 2017 की सीएजी रिपोर्ट संख्या 21 के पैरा नंबर 2.4 पर एटीएन के माध्यम से डीओपी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर आरबीआई को ये निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विशिष्ट निर्देशों (सितंबर 2017) के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेलवे बिलों के लिए डीओपी को सीधे डेबिट करने की प्रथा, डाक विभाग द्वारा बिलों के सत्यापन के बिना ही जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप अकेले पांच सर्किलों में ₹17.85 करोड़ की अधिक डेबिट हुई, जैसा कि तालिका 3.9 में वर्णित है।

**तालिका 3.9: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ढुलाई प्रभारों के अतिरिक्त डेबिट का विवरण**

परिमण्डल	आरबीआई द्वारा अतिरिक्त डेबिट (₹ करोड़ में)	अवधि
बिहार	1.82	10/2017 से 09/2020
ओडिशा	5.28	2017 से 2020
हरियाणा	0.19	04/2018 से 03/2020
उत्तर प्रदेश	10.51	04/2019 से 12/2020
गुजरात	0.05	10/2017 से 12/2019
<b>कुल</b>	<b>17.85</b>	

ओडिशा और यूपी सर्किल में, यह भी देखा गया कि रेलवे द्वारा उठाए गए बिलों पर चर्चा और समाधान करने के लिए मासिक सुलह बैठकें नियमित रूप से नहीं की जा रही थीं।

मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि ढुलाई प्रभारों के भुगतान की वर्तमान प्रणाली में डाक विभाग के संबंधित नोडल भुगतान सर्किल से पूर्व-सत्यापन का कोई प्रावधान नहीं था और भारतीय रिजर्व बैंक (सीएएस) नागपुर के अनुरोध के बावजूद, ढुलाई में उल्लिखित राशि क्षेत्रीय रेलवे द्वारा उठाए गए बिलों को डाक विभाग को डेबिट कर दिया गया। बिहार, हरियाणा और गुजरात सर्किलों के संबंध में, आरबीआई नागपुर द्वारा डेबिट की गई अतिरिक्त राशि को सर्किल में वापस जमा कर दिया गया है; जबकि गुजरात सर्किल के मामले में, हालांकि राशि वापस जमा कर दी गई थी, इसे रेलवे द्वारा फिर से डेबिट कर दिया गया था। ओडिशा सर्किल के संबंध में, ₹1.98 लाख समायोजित किया गया है और यूपी सर्किल के संबंध में, क्षेत्रीय रेलवे के साथ मामला उठाया जा रहा था। मंत्रालय ने आगे कहा कि इन परिस्थितियों से बचने और भविष्य में ढुलाई भुगतान की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, डाक विभाग द्वारा हॉलेज बिलों के सत्यापन के बाद रेलवे को सीधे भुगतान की प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव नवंबर 2020 में रेलवे को भेजा गया है और मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

उत्तर इंगित करता है कि डीओपी के निर्देश (सितंबर 2017) पूर्व-सत्यापन आवश्यकता पर उनके साथ किसी भी परामर्श के बिना आरबीआई को पृष्ठांकित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप न केवल डाक विभाग द्वारा दिए गए आश्वासन का कार्यान्वयन नहीं हुआ है, बल्कि आरबीआई द्वारा अतिरिक्त प्रत्यक्ष डेबिट जारी है। जब तक डाक विभाग द्वारा भुगतान प्रणाली में प्रस्तावित बदलाव नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें रेलवे द्वारा किए गए दावों को जो सीधे आरबीआई डेबिट करता है, नियमित समाधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

### 3.2.3.6 रेलवे के स्वामित्व वाले आरएमएस भवनों के किराए का अधिक भुगतान

डाक विभाग द्वारा जमा योजना के तहत निर्मित आरएमएस भवनों के संबंध में लाइसेंस शुल्क की गणना/भुगतान के लिए जारी निर्देश (मई 2010) के तहत प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 6 प्रतिशत की दर से हर पांच साल में संशोधित किया जाना है। रेलवे के स्वामित्व वाले आरएमएस भवनों के लिए, ब्याज शुल्क की संशोधित दरें निम्नलिखित थीं

- (i) 01 अप्रैल 1964 के बाद निवेश की गई पूंजी पर 6 प्रतिशत की दर से
- (ii) 01 अप्रैल 1964 के पूर्व निवेश की गई पूंजी पर 4.5 प्रतिशत की दर से

रेलवे ने ब्याज दर पर पुनरावृत्ति करते हुए कहा (जनवरी 2018) कि संबंधित राज्य के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य के आधार पर वार्षिक किराए का निर्धारण किया जा सकता है और इसे हर पांच साल में संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा में बकाया किराए का गलत गणना, किराए के असामयिक संशोधन और ब्याज दरों के गलत आवेदन के कारण ₹1.53 करोड़ का अधिक भुगतान पाया गया है जिसे तालिका 3.10 में वर्णित किया गया है।

**तालिका 3.10: गलत गणना के कारण किराए के अधिक भुगतान का विवरण**

परिमंडल	भवन का नाम	अधिक भुगतान (₹ करोड़ में)	अवधि	टिप्पणी
तमिलनाडु	चेन्नई सॉर्टिंग डिवीजन और एम डिवीजन	1.31	1995-2010	2018 में पूर्वव्यापी रूप से 5 साल के बजाय हर साल के लिए संशोधित
पंजाब	आरएमएस पटियाला, बठिंडा और रूपनगर	0.07	2015-2020	4.5 प्रतिशत के बजाय 6 प्रतिशत की दर से ब्याज
ओडिशा	'एन' डिवीजन के आधीन मौजूद सेवा भवन, नामतः कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा, भद्रक, पुरी, जेके रोड और पारादीप	0.05	2017-2018	वर्ष 1964 से पहले निर्मित भवन के लिए ब्याज दर का गलत निर्धारण
झारखंड	आरएमएस रांची	0.10	2011-2020	रेलवे ने हर पांच साल के बजाय हर साल जमीन के बाजार मूल्य को 7 प्रतिशत से संशोधित किया और उस आधार पर ब्याज लगाया
	<b>कुल</b>	<b>1.53</b>		

उपरोक्त मामले केवल उदाहरणात्मक हैं और डाक विभाग को रेलवे द्वारा बिल किए जा रहे ऐसे सभी शुल्कों और आरएमएस के लिए किराए पर लिए गए भवनों के लिए डाक विभाग द्वारा किए गए भुगतानों का आंतरिक रूप से ऑडिट करने की आवश्यकता है।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2021) कि मामला संबंधित रेलवे अधिकारियों के साथ उठाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संबंधित परिमंडलों को मई 2021 में यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में इसी तरह का अधिक भुगतान न किया जाए।

### 3.2.3.7 खाली/ अप्रयुक्त भवन पर परिहार्य किराए का भुगतान

मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए, उपयोग में न होने पर किराए के भवन/ आवश्यकता से अधिक लिए गए भवन को सरेंडर करना ही न्यायसंगत है। जबकि, लापरवाही के कारण किराए के भवन/आवश्यकता से अधिक लिए गए भवन को सरेंडर करने में विलम्ब के मामले देखे गए, जिसके परिणामस्वरूप छह परिमंडलों में खाली/ अनुपयोगी भवनों के लिए ₹72.17 लाख के परिहार्य किराए का भुगतान किया गया जिसे तालिका 3.11 में वर्णित किया गया है।

**तालिका 3.11: अतिरिक्त स्थान/ खाली भवन पर परिहार्य किराए का विवरण**

परिमंडल	भवन का नाम	परिहार्य भुगतान (₹ लाख में)	अवधि	टिप्पणी
तमिलनाडु	ट्रांजिट मेल कार्यालय, तांबरम	24.29	04/2017 से 03/2020	भवन सितंबर 2017 से खाली है
आंध्र प्रदेश	आरएमएस, चित्तूर	22.75	12/2017 से 11/2019	भवन के समर्पण में 24 महीने की देरी
राजस्थान	एसएसआरएम जयपुर का भवन बांदीकुई में	11.75	06/2017 से 11/2018	जून 2017 में कार्यालय को जयपुर स्थानांतरित करने के बाद से खाली पड़ा हुआ है।
उत्तर प्रदेश	आरएमएस, एसआरओ आगरा	1.55	2015 से 2017	20-09-2015 को खाली होने पर भी समर्पण में डेढ़ साल का विलंब
केरल	आरएमएस, कोल्लम	4.97	2017 से 2020	उचित स्थान से 1787 वर्ग फुट अतिरिक्त स्थान अधिग्रहीत कर लिया
पंजाब	आरएमएस, पटियाला	6.86	2018 से 2019	खाली बिल्डिंग के लिए बिल किया गया और भुगतान किया गया
	<b>कुल</b>	<b>72.17</b>		

मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और केरल सर्किल को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्वीकार (जून 2021) किया। उत्तर प्रदेश सर्किल के संबंध में, मंत्रालय ने उत्तर दिया कि वरिष्ठ अभिलेख अधिकारी, आगरा कार्यालय का पुराना भवन विभाग के कब्जे में था क्योंकि यह भवन संचालन के उद्देश्य के लिए आवश्यक था। परन्तु मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि भवन 2015 में ही खाली कर दिया गया था लेकिन उसके बाद तत्काल भवन को सरेंडर करने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई थी। केरल सर्किल के संबंध में, मंत्रालय ने कहा कि कोल्लम आरएमएस कार्यालय का कारपेट एरिया 3,314 वर्ग फुट था

और कार्यालय के समुचित कार्य के लिए उसी क्षेत्र की आवश्यकता थी। मंत्रालय द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसएसआरएम रिकॉर्ड के अनुसार न्यायोचित क्षेत्र 2,182 वर्ग फुट था जबकि 3,969 वर्ग फुट क्षेत्र के लिए बिल किया जा रहा था।

डाक विभाग द्वारा सभी सर्किलों को डाक विभाग के कब्जे वाली संपत्तियों में जगह की समीक्षा करने और किफायती आरएमएस संचालन के लिए खाली/ अतिरिक्त स्थान का समय पर सरेंडर सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

### 3.2.3.8 डीओपी द्वारा लिए गये रेलवे के स्थान का अनसुलझा लाइसेंस शुल्क/ किराया

डीओपी और रेलवे के बीच इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट की प्रक्रिया के अनुसार, सभी लेनदेन आरबीआई नागपुर के माध्यम से केवल बुक एडजस्टमेंट के रूप में किए जाते हैं। किसी भी राशि के लिए जिसे डीओपी खाते में डेबिट किया जाना है, संबंधित रेलवे जोन एक एडवाइस जारी करता है और इसे आरबीआई को भेजता है। बिल को विवरण के साथ डाक विभाग को भेजा जाता है। आरबीआई को एडवाइस मिलने के बाद, वह डीओपी को डेबिट करके रेलवे खाते को क्रेडिट कर देता है और डीओपी को एक एडवाइस संख्या के साथ एक क्लीयरेंस मेमो जारी करता है। डेबिट की गई राशि पर विवादों को विवाद निवारण तंत्र के माध्यम से सुलझाया जाता है। जबकि, यह देखा गया कि दो सर्किलों के डीओपी खातों में बहुत अधिक लाइसेंस शुल्क बकाया था जिसे तालिका 3.12 में दर्शाया गया है।

#### तालिका 3.12: आरएमएस भवनों पर अनसुलझे लाइसेंस शुल्क का विवरण

सर्किल	विवरण	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
उत्तर प्रदेश	6 आरएमएस भवन	18.23
तेलंगाना	15 आरएमएस भवन	11.69
<b>कुल</b>		<b>29.92</b>

उत्तर प्रदेश सर्किल में, बकाया राशि छह आरएमएस भवनों से संबंधित थी जहां भूमि लाइसेंस शुल्क के लिए रेलवे के दावे विवादित थे। सर्किल द्वारा विवादों के निपटारे के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। चूंकि भुगतान मोड "बुक डेबिट" था, उपरोक्त राशि भी आरबीआई द्वारा डीओपी खाते से डेबिट की गई थी।

तेलंगाना सर्किल में बकाया राशि में, कब्जे की तारीख से संबंधित विवादों के लिए, पहले के भुगतानों को अदत्त दर्शाना, कब्जा की गई भूमि के क्षेत्र में अंतर और बिलिंग किराया भूमि मूल्य 6 प्रतिशत की दर के बजाय 12 प्रतिशत के मामले शामिल है। हालांकि, सर्किल ने इन प्रकरणों को निपटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं की है।

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2021) कि संबंधित सर्किलों को भविष्य में आरएमएस भवनों पर लाइसेंस शुल्क के निपटान के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश मई 2021 में दिया गया था।

### 3.2.3.9 रेल मंत्रालय को भुगतान किए गए किराए पर सेवा कर/ जीएसटी का अनियमित भुगतान

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश (दिसंबर 2016) निर्धारित करते हैं कि भारतीय रेलवे द्वारा डीओपी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सेवा कर के लिए देय नहीं हैं, क्योंकि दोनों विभाग केंद्र सरकार के अंग हैं। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश (जून 2017) यह निर्धारित करते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को माल और सेवा कर (जीएसटी) के भुगतान से छूट दी गई है। डाक विभाग ने अपने सर्किलों को यह स्थिति भी स्पष्ट (मार्च 2019) कर दी कि आरएमएस कार्यालय के लिए किराए की संपत्तियों के लिए रेल मंत्रालय को भुगतान किए जाने वाले लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी लागू नहीं है।

जबकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सात सर्किलों में रेलवे ने किराए के साथ जीएसटी बिल किया और डाक विभाग ने दावों के सत्यापन के बिना ₹3.46 करोड़ का भुगतान किया जैसा कि तालिका 3.13 में वर्णित है।

**तालिका 3.13: किराए पर सेवा कर/ जीएसटी के अनियमित भुगतान का विवरण**

सर्किल	डिवीज़न	राशि (₹ लाख में)	अवधि
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	1.14	2017 से 2019
	विशाखापत्तनम	9.47	
उत्तर प्रदेश	आरएमएस मुजफ्फरनगर, मेरठ कैंट	2.15	2018
	लखनऊ में आरएमएस/ डाक प्रतिष्ठान	278.52	2015 से 2020
बिहार	पीटी डिवीजन, पटना	6.66	2014 से 2018
झारखंड	रांची	1.72	2018 से 2020
ओडिशा	'एन' डिवीजन, कटक	16.20	2017 से 2020
हिमाचल प्रदेश	एसआरओ पठानकोट, कालका और शिमला	4.26	2016 से 2018
पंजाब	पंजाब सर्किल	25.82	2017 से 2018
कुल		345.94	

मंत्रालय ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2021) कि संबंधित सर्किलों को मई 2021 में निर्देश दिया गया था कि भविष्य में जीएसटी/ सेवा कर का भुगतान नहीं किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। हालांकि, मंत्रालय पूर्व में किये गये भुगतान जीएसटी के रिफंड/ समायोजन के संबंध में चुप रहा।

### 3.2.3.10 इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न लेना

जीएसटी की शुरुआत के परिणामस्वरूप, डाक विभाग ने अगस्त 2017 में सभी सर्किलों को जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ प्राप्त करने के संबंध में निर्देश जारी

किए। जीएसटी व्यवस्था में कर अनुपालन के उद्देश्य से, नोडल कार्यालय या पंजीकृत व्यक्ति केवल चेक-आहरण डीडीओ (सीडीडीओ) होगा। विभाग में पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने और कर अनुपालन का कार्य सीडीडीओ द्वारा किया जाएगा। गैर-चेक आहरण डीडीओ (एनसीडीडीओ) हर संभव जानकारी जैसे आदेश संख्या, मंजूरी ज्ञापन एवं जीएसटी अनुपालन विक्रेता के चालान आदि सीडीडीओ के साथ कर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। यदि जीएसटी अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित सभी लागू शर्तें पूरी होती हैं तब सीडीडीओ द्वारा इनपुट टैक्स का लाभ उठाया जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आठ सर्किलों ने विभिन्न कारणों से निजी एयरलाइनों को किए गए भुगतानों के लिए आईटीसी का लाभ नहीं उठाया था, जैसा कि तालिका 3.14 में वर्णित है।

**तालिका 3.14: अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण**

सर्किल	डिवीज़न/यूनिट	राशि (₹ लाख में)	अवधि	कारण
गुजरात	पी एम् जी	3.63	7/2017 से 03/2019	जीएसटीआईएन के बिना विक्रेता चालान
तमिलनाडू	सर्किल कार्यालय	550.00	2017 से 2020	एक प्राधिकरण पर चालान और दूसरे द्वारा भुगतान
राजस्थान	आर एम एस जयपुर	31.10	2017 से 2020	नहीं दिखाया गया
जम्मू कश्मीर	सर्किल कार्यालय	15.78	05/2016 से 05/2019	सर्किल कार्यालय और सर्किल कार्यालय द्वारा किये गये भुगतान को प्रधान डाकघरों की ओर से जीएसटी का दावा नहीं किया जा सकता
बिहार	सर्किल कार्यालय	13.19	2017 से 2020	सर्किल कार्यालय द्वारा भुगतान, गलत तरीके से 'नो आउटपुट सर्विस' के रूप में उल्लेखित किया गया
झारखण्ड	सर्किल कार्यालय	33.97	07/2017 से 02/2020	जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 बी एयरलाइंस द्वारा दाखिल नहीं किए गए थे
केरल	सर्किल कार्यालय	65.87	07/2017 से 03/2020	नहीं दिखाया गया
ओड़िसा	सर्किल कार्यालय	15.23	07/2017 से 10/2019	नहीं दिखाया गया
	<b>कुल</b>	<b>728.77</b>		

मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि आईटीसी का लाभ उठाने और दिशानिर्देशों का ठीक से पालन करने के लिए सभी सर्किलों को इस विषय पर एक पत्र जारी किया गया था।

उपरोक्त अधिकांश मामलों में, आईटीसी का दावा करने के लिए अनुमत समय पहले ही समाप्त हो चुका है और इसलिए निदेशालय को तदनुसार सेवा कर अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाना होगा।

### 3.2.3.11 बारकोड प्रिंटर/ बार कोड स्कैनर/ टैग प्रिंटर की निष्क्रियता

डीओपी के आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के मेल ऑफिस हार्डवेयर (एमओएच) घटक के तहत, फरवरी 2018 में निदेशालय द्वारा परिमंडलों को मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, जैसे स्कैनर, प्रिंटर, जेनसेट, यूपीएस और भार मापने की तुला की खरीद के लिए मात्रा के पैमाने पर अधिकृत किया गया था तथा तकनीकी विशिष्टताओं को संप्रेषित किया गया। यह देखा गया कि 12 परिमंडलों द्वारा एमओएच के तहत खरीदे गए मेल हार्डवेयर (टैग प्रिंटर आदि) बेकार पड़े थे जैसा कि तालिका 3.15 में वर्णित है।

**तालिका 3.15: निष्क्रिय पड़े टैग प्रिंटर्स/ स्कैनर्स का परिमंडलवार विवरण**

परिमण्डल	वस्तु	मात्रा	लागत (लाख में)	खरीद का वर्ष	उपयोग न करने के कारण
कर्नाटक	टैग प्रिंटर	36	4.63	2018-19	सीएसआई मॉड्यूल में थर्मल प्रिंटर के माध्यम से बारकोड लेबल प्रिंट करने का कोई विकल्प नहीं है।
गुजरात	टैग प्रिंटर	55	3.10	2019-20	टैग प्रिंटर थर्मल प्रिंटर हैं और कार्यालय के लिए उपयोगी नहीं हैं।
तमिलनाडु	टैग प्रिंटर	112	15.60	2019-20	सीएसआई मॉड्यूल में थर्मल प्रिंटर के माध्यम से बारकोड लेबल प्रिंट करने का कोई विकल्प नहीं है।
आंध्र प्रदेश	टैग प्रिंटर	55	6.85	2018-19	सीएसआई सॉफ्टवेयर के लिए अनुकूल नहीं है।
	प्रिंटर	46	11.32	2018-20	क्षेत्रीय इकाइयों को आपूर्ति न करना
	स्कैनर्स	41			
तेलंगाना	टैग प्रिंटर	49	6.67	2018-19	सीएसआई सॉफ्टवेयर के लिए अनुकूल नहीं है।
राजस्थान	टैग प्रिंटर	41	4.02	2018-19	स्टैंड अलोन उपयोग के लिए कोई डिस्प्ले या कीबोर्ड नहीं
यूपी	टैग प्रिंटर	14	1.67	2018-19	मौजूदा सीएसआई सॉफ्टवेयर के साथ संगत नहीं है
महाराष्ट्र	टैग प्रिंटर आदि।	112	10.22	2018-19	वास्तविक आवश्यकता का आकलन न करना
बिहार	टैग प्रिंटर	23	3.04	2018-19	निदेशालय द्वारा अभी तक उपयोग स्पष्ट नहीं किया गया है
केरल	टैग प्रिंटर	54	6.51	2018-19	मौजूदा सॉफ्टवेयर एसएपी के साथ संगत नहीं है
जम्मू और कश्मीर	टैग प्रिंटर	7	0.91	2018-19	सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता
पंजाब	टैग प्रिंटर	11	1.85	2018-19	इसके उपयोग के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं हैं
कुल			76.39		



इस प्रकार, आवश्यक विनिर्देशों का आकलन किए बिना मेल हार्डवेयर की खरीद के परिणामस्वरूप ₹76.39 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि मेल कार्यालयों, ट्रांजिट मेल ऑफिस (टीएमओ) और स्पीड पोस्ट हब / इंटरा स्टेट हब में बैग लेबलों की छपाई के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के मेल ऑपरेशन हार्डवेयर (एमओएच) खंड के तहत विभिन्न मेल कार्यालयों के लिए टैग प्रिंटर खरीदे गए थे। हालांकि, सीएसआई रोलआउट के प्रारंभिक चरण के दौरान, पूर्व-मुद्रित बारकोड का उपयोग किया गया है और आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 में टैग प्रिंटर का उपयोग प्रक्रियाधीन था और इन प्रिंटरों का उपयोग टैग लेबल की छपाई के लिए किया जाएगा।

इस प्रकार, डीओपी द्वारा आवश्यक विशिष्टताओं का आकलन किए बिना टैग प्रिंटर की खरीद के परिणामस्वरूप ₹76.39 लाख मूल्य के टैग प्रिंटर निष्क्रिय हो गए, जिससे इसका मूल उद्देश्य विफल हो गया।

### 3.2.3.12 आयामी वजन प्रणाली का अनुपयोग

डीओपी ने ई-व्यापार बाजार को पूरा करने और शहरी/ ग्रामीण ग्राहकों को विश्वसनीय और किफायती सेवाएं प्रदान करने, पार्सल/ मेल हैंडलिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने और छँटाई की पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल मानवीय त्रुटि को कम करने के उद्देश्य से आयामी वजन प्रणाली<sup>18</sup> (डीडब्ल्यूएस) नामक आधुनिक उपकरण तैनात करने का प्रस्ताव रखा था।

डीडब्ल्यूएस का मकसद आयतनमितीय भार और कुल भार मापन का सटीक आंकड़ा उत्पन्न करना है। इस प्रकार प्राप्त किए गए आयतनमितीय भार और कुल भार को डीओपी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, यानी स्पीड नेट/ बिजनेस पार्सल नेट आदि के साथ निर्बाध रूप से साझा किया जाएगा। पार्सल छँटाई प्रणाली का एक अन्य घटक यानी कन्वेयर प्रणाली को 3000 पीपीएच के प्रवाह क्षमता को सुनिश्चित करने के लिए फीडर को एक-एक करके पार्सल की निरंतर और व्यवस्थित फीडिंग को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

लेखापरीक्षा छानबीन से पता चला कि खरीदे गये डीडब्ल्यूएस प्रणाली सीएसआई सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत नहीं थी और इसलिए पांच परिमंडलों में उपयोग नहीं लायी गई जिसके परिणामस्वरूप ₹4.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जैसा कि तालिका 3.16 में वर्णित है।

<sup>18</sup> डीडब्ल्यूएस- इसे पार्सल के आयतनमितीय भार की गणना के लिए पार्सल के आयामों और वजन को सटीक रूप से कैप्चर करना चाहिए। इस प्रणाली का मकसद आयतनमितीय भार और कुल भार मापन का सटीक आंकड़ा उत्पन्न करना है। इस प्रकार प्राप्त किए गए आयतनमितीय भार और कुल भार को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मूल रूप से साझा किया जाना चाहिए।

**तालिका 3.16: प्राप्त डीडब्ल्यूएस प्रणाली पर विवरण**

परिमंडल	लागत (₹ करोड़ में)	खरीद का महीना/ वर्ष
राजस्थान	1.23	सितंबर 2019
आंध्र प्रदेश	1.04	फरवरी 2020
तेलंगाना	0.85	नवंबर 2018
पश्चिम बंगाल	0.56	सितंबर 2018
उत्तर प्रदेश	0.76	सितंबर 2017
<b>कुल</b>	<b>4.44</b>	

विक्रेता के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार, डीओपी के वर्तमान/ प्रस्तावित सॉफ्टवेयर (सीएसआई) के साथ डीडब्ल्यूएस समाधान को एकीकृत करने के लिए सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा प्रदान किया जायेगा। तथापि, जैसा कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से देखा जा सकता है सीबीएस/ सीएसआई प्लेटफॉर्म में डीडब्ल्यूएस प्रणाली को नियुक्त/ विस्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए, वर्तमान में प्रणाली लीगेसी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर, स्पीड नेट और पार्सल नेट पर काम कर रहा है।

इस प्रकार, मौजूदा सीएसआई सॉफ्टवेयर के साथ डीडब्ल्यूएस प्रणाली के एकीकरण नहीं होने के कारण ₹4.44 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के बिंदु को स्वीकार किया और कहा (जून 2021) कि डीडब्ल्यूएस मशीनों को लीगेसी सॉफ्टवेयर अर्थात् स्पीड नेट, पार्सल नेट, बीएनपीएल पार्सल के साथ एकीकृत किया गया था जहां पार्सल के आयतनमितीय भार के साथ-साथ सकल भार को भी प्राप्त किया जा रहा है। लीगेसी सॉफ्टवेयर आयतनमितीय भार या सकल वजन में से जो भी उच्च भार हो उस पर डाक शुल्क की गणना करता है और ग्राहकों से तदनुसार शुल्क लिया जा रहा था। इसके अलावा, आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 1.0 में विभाग द्वारा सीएसआई के साथ डीडब्ल्यूएस का एकीकरण वर्तमान में प्रक्रियाधीन था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि डीडब्ल्यूएस से सीएसआई को निर्बाध डाटा स्थानांतरण नहीं किया जा रहा था और डीडब्ल्यूएस प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया जा रहा था। डीडब्ल्यूएस की स्थापना का उद्देश्य पार्सल/ मेल हैंडलिंग प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करना और पारंपरिक प्रक्रिया में शामिल मानवीय त्रुटि को कम करना था जिसे हासिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप डीडब्ल्यूएस प्रणाली पर निष्फल व्यय हुआ है।

#### **3.2.4 सड़क परिवहन नेटवर्क (आरटीएन) के माध्यम से मेल सेवाएं**

डीओपी ने 12वीं योजना (2012-2017) के तहत चयनित मार्गों पर पार्सल की ढुलाई के लिए "सड़क परिवहन नेटवर्क के विकास" के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। योजना के लिए स्वीकृत लागत ₹35 करोड़ (जून 2013) थी। इस योजना को 2017-18 से 2019-20 (12वीं योजना के बाद) की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

आरटीएन योजना के उद्देश्य थे:

- i) भारत में ई-कॉमर्स के विकास के कारण उत्पन्न हुए अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए पार्सल के परिवहन के लिए एक सुरक्षित और सुदृढ़ प्रणाली विकसित करना
- ii) महानगरों के आस-पास और अन्य शहरों के बीच मार्गों पर पार्सल के परिवहन के लिए एक विश्वसनीय और तेज सड़क परिवहन तंत्र विकसित करना
- iii) ग्राहकों को पार्सल की निश्चित-समय पर डिलीवरी प्रदान करके सेवा की गुणवत्ता में सुधार करना

योजना का अनुमोदन (जून 2013) करते समय, यह धारणा थी कि योजना के कार्यान्वयन से डीओपी को अतिरिक्त पार्सल यातायात और राजस्व प्राप्त होगा। 2012-2017 की अवधि के दौरान नए पार्सल यातायात के 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद थी। डीओपी ने प्रस्तावित आरटीएन वाहनों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का उपयोग स्पीड पोस्ट वस्तुओं के परिवहन के लिए भी करने का निर्णय लिया, जब तक कि पार्सल व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो जाती। विभाग ने, संबंधित विभाग के नियमों के तहत, मानक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सेवा प्रदाता/ विक्रेता के चयन के साथ सड़क परिवहन के आउटसोर्स मॉडल को अपनाने का निर्णय लिया। यह भी उल्लिखित किया गया कि डीओपी द्वारा वाहनों की आवाजाही के प्रभावपूर्ण पर्यवेक्षण के लिए, सेवा प्रदाताओं को वाहनों पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) फिट करने की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

परियोजना में, डाक निदेशालय स्तर पर दैनिक निगरानी, विकास और नए अनुप्रयोगों के रखरखाव, यदि आवश्यक हो, एमआईएस और निगरानी प्रणालियों के विकास के उद्देश्य से **किराये की श्रमशक्ति से**, एक गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ (क्यूएमसी), की स्थापना का उल्लेख किया गया है।

नमूना जांच किए गए परिमंडलों में आरटीएन योजना की संवीक्षा में निम्नलिखित कमियां पाई गईं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

#### 3.2.4.1 योजना के अनुमानित उद्देश्यों की गैर उपलब्धि

डीओपी ने 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान 18 परिमंडलों में 54 आरटीएन मार्गों को मंजूरी दी थी, और इनमें से 2014-15 और 2016-17 के बीच 16 परिमंडलों में 43 मार्गों को चालू किया गया। 43 मार्गों में से छह मार्ग<sup>19</sup>, मूल योजना अवधि (मार्च 2017 तक) के दौरान विभिन्न कारणों, जैसे पार्सल और स्पीड पोस्ट वस्तुओं की निश्चित समय पर डिलीवरी प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार न होना और ई-वाणिज्य पार्सल में बहुत कम विकास, से

<sup>19</sup> अहमदाबाद-वडोदरा, अहमदाबाद-राजकोट, जयपुर-आगरा, त्रिवेंद्रम-कोझीकोड, रांची-पटना और भुवनेश्वर-बेरहामपुर।

बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा, 19 नए आरटीएन मार्गों<sup>20</sup> को डीओपी द्वारा 2017-18 से 2019-20 (12वीं योजना के बाद) की अवधि के दौरान अनुमोदित किया गया था और इनमें से ग्यारह मार्गों को चालू कर दिया गया था, हालांकि, इस अवधि के दौरान एक मार्ग बंद कर दिया गया था।

31 मार्च 2020 तक, 47 आरटीएन मार्ग कार्य कर रहे थे जबकि आरटीएन के लिए आयोजन योजना में भाग लेने वाले विक्रेताओं/ ठेकेदारों के बारे में जानकारी सहज में उपलब्ध नहीं थी। वर्ष 2014-15 से 2019-20 के दौरान एक्सप्रेस पार्सल/ बिजनेस पार्सल के माध्यम से संचालित पार्सल यातायात की संवीक्षा से पता चला, 25 प्रतिशत प्रति वर्ष की अपेक्षित वृद्धि के मुकाबले डीओपी द्वारा पार्सल यातायात में अपेक्षित वृद्धि द्वारा हासिल नहीं की गई थी और वास्तव में, यह 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान मात्रा के मामले में काफी कम हो गया जैसा कि तालिका 3.17 में वर्णित है।

**तालिका 3.17: पार्सल यातायात में वृद्धि/ कमी का विवरण (एक्सप्रेस पार्सल/ बिजनेस पार्सल)**

वर्ष	यातायात (करोड़ में)	विकास का प्रतिशत/ पिछले वर्ष से कमी	बजट प्रावधान	आरटीएन पर किया गया खर्च
2015-16	1.29	-6.52	25.00 करोड़*	24.45 करोड़*
2016-17	1.56	20.93		
2017-18	1.21	-22.44	13.00 करोड़	13.00 करोड़
2018-19	0.91	-24.79	16.24 करोड़	9.74 करोड़
2019-20	0.86	-5.49	19.80 करोड़	10.53 करोड़

\* 2012-13 से 2016-17 के दौरान आरटीएन योजना का बजट प्रावधान और व्यय

यद्यपि वर्ष 2017-18 तक के दौरान आरटीएन पर व्यय पूरी तरह से समाप्त हो गया था और डीओपी ने वित्त वर्ष 20 के अंत में ₹57.72 करोड़ का कुल व्यय किया, लेकिन योजना में अनुमानित पार्सल यातायात में प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की अपेक्षित वृद्धि, साकार नहीं हुआ। इसके विपरीत पिछले तीन वर्षों में पार्सल यातायात में काफी गिरावट आई है।

<sup>20</sup> असम (गुवाहाटी से तेजपुर और इसके विपरीत; गुवाहाटी से जोरहाट और इसके विपरीत; गुवाहाटी से तिनसुकला और इसके विपरीत); केरल (एर्नाकुलम से कालीकट और इसके विपरीत; एर्नाकुलम से त्रिवेंद्रम; एर्नाकुलम से कोयंबटूर बनाम चद्रनगर, पलक्कड़; कालीकट से कोयंबटूर बनाम चद्रनगर, पलक्कड़); मध्य प्रदेश (इंदौर-शाजापुर); ओडिशा (विज़ कटक, जयपुर, बालासोर और भद्रक आरएमएस); राजस्थान (जयपुर से कोटा और इसके विपरीत सवाई माधोपुर से; जोधपुर से बीकानेर और इसके विपरीत नागपुर से, अजमेर से फालना और इसके विपरीत); पश्चिम बंगाल (कोलकाता/हावड़ा-बुदवान और इसके विपरीत; कोलकाता/हावड़ा से गुवाहाटी और इसके विपरीत मालदा के माध्यम से; कोलकाता/हावड़ा से भुवनेश्वर और इसके विपरीत; कोलकाता/सैदह से बेरहामपुर और इसके विपरीत; कोलकाता-बांकुरा बनाम बर्दावान; कोलकाता/हावड़ा से पटना और इसके विपरीत; कोलकाता-रांची)

डी ओ पी को परिचालन व्यय को कम करने के लिए, पार्सल मेल की पर्याप्त उलब्धता नहीं होने पर, आरटीएन सेवाओं के लिए पूर्ण वाहनों को किराए पर लेने के बजाय परिवहन, के वैकल्पिक साधनों का पता लगाने की आवश्यकता है।

### 3.2.4.2 नकारात्मक व्यवहार्यता वाले मार्गों को चालू करना और उनका संचालन करना

आरटीएन मार्गों की नमूना जांच से पता चला कि इन मार्गों पर ₹3.85 करोड़ का व्यय करने के बाद, पांच परिमंडलों में छह मार्गों का संचालन, मेल की बहुत कम मात्रा और लाभ नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया था (जून 2017-नवंबर 2019)।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इन बंद किए गए छह मार्गों में से तीन मार्ग, दो से तीन साल की अवधि के लिए संचालित किए गए थे, हालांकि विभाग को प्रारम्भ से ही मार्गों के खिलाफ नकारात्मक व्यवहार्यता/ समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जैसा कि तालिका 3.18 में विवरण दिया गया है।

**तालिका 3.18: नकारात्मक व्यवहार्यता रिपोर्ट के साथ संचालित मार्गों का विवरण**

परिमंडल	संचालन का मार्ग और अवधि	बंद होने की तिथि	टिप्पणियाँ
उड़ीसा	भुवनेश्वर - बरहामपुर (मार्च 2016 से नवंबर 2019)	01-11-2019	अगस्त 2017 में समीक्षा रिपोर्ट (नकारात्मक प्रतिक्रिया)
झारखंड	रांची - पटना (अगस्त 2016 से अगस्त 2018)	09-08-2018	अक्टूबर 2015 में समीक्षा रिपोर्ट (नकारात्मक प्रतिक्रिया)
केरल	त्रिवेंद्रम-कालीकट (जनवरी 2017 से अगस्त 2019)	06-08-2019	नवंबर 2017 में समीक्षा रिपोर्ट (नकारात्मक प्रतिक्रिया)

इस प्रकार, नकारात्मक व्यवहार्यता/ समीक्षा रिपोर्ट के बावजूद मार्गों को चालू करने और उन्हें बंद करने में देरी के कारण, निष्फल व्यय के अलावा, इन मार्गों में आरटीएन की शुरुआत का उद्देश्य विफल रहा।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमत होते हुए उत्तर दिया (जून 2021) कि मेलों की मात्रा में वृद्धि या कमी के आधार पर, समय-समय पर मेल ट्रांसमिशन की समीक्षा की गई और आरटीएन जैसे ट्रांसमिशन के वैकल्पिक साधनों की शुरुआत हो चुकी थी। जब परिमंडलों ने महसूस किया कि कुछ मार्गों पर, पार्सल/ मेल मात्रा का अपेक्षित अनुमानित यातायात उचित नहीं था, तो उन्होंने मार्गों को बंद कर दिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि निष्फल आरटीएन मार्गों के कुछ उदाहरण ऊपर बताये गये हैं, जो कि बिना किसी स्पष्ट लाभ के संचालित थे।

डी ओ पी को नियमित रूप से मार्गों की समीक्षा करने और अलाभकारी मार्गों को समय पर बंद करने की आवश्यकता है।

### 3.2.4.3 गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना न करना

डीओपी द्वारा "सड़क परिवहन नेटवर्क के विकास" पर स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) को प्रस्तुत योजना प्रस्ताव (अप्रैल 2013) में निदेशालय स्तर पर और प्रत्येक हब शहरों में किराए के जनशक्ति के माध्यम से दैनिक निगरानी, एम आई एस और निगरानी प्रणाली आदि के विकास के उद्देश्य से एक गुणवत्ता निगरानी सेल (क्यू एम एस) की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। तदनुसार, डीओपी ने गुणवत्ता निगरानी सहित परिमंडलों को आयोजन योजना पर निर्देश जारी किए (जून 2013)।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि डीओपी ने निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से क्यूएमसी की स्थापना नहीं की और न ही हब शहरों में इन केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित की। क्यू एम सी के अभाव में, नए अनुप्रयोगों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी, विकास और रखरखाव, एमआईएस और निगरानी प्रणालियों के विकास और रखरखाव, जहां आवश्यक हो को हासिल नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा तर्क से सहमत होते हुए उत्तर दिया (जून 2021) कि क्यूएमसी की स्थापना एक अनिवार्य घटक नहीं था और परियोजना के संबंध में उभरती हुई संचालनगत आवश्यकता पर निर्भर था।

आर टी एन के संचालन की समीक्षा का कार्य परिमंडल स्तर पर छोड़ने के बजाय, विभाग को योजना के लिए गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ (क्यूएमसी) की स्थापना निदेशालय/ हब स्तर पर करने के लाभों को समझने की आवश्यकता है।

### 3.2.4.4 आरटीएन वाहनों में जीपीएस का प्रावधान न होना

डी ओ पी ने स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) को अनुमोदन प्रदान करते समय (जून 2013) सभी परिमंडलों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) में आरटीएन के लिए जीपीएस युक्त वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त खंड शामिल किया जाए, ताकि वाहनों के गतिविधियों की निगरानी की जा सके। निदेशालय ने भी अपने आदेशों में दोहराया (मार्च 2016) कि वाहनों के स्थान की ऑनलाइन और वास्तविक समय निगरानी के लिए परिमंडलों द्वारा जारी एनआईटी में जीपीएस क्लॉज को शामिल किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांच परिमंडलों<sup>21</sup> में, निदेशालय के आदेशों के बावजूद, जीपीएस के प्रावधान या तो शामिल नहीं थे या नहीं लगाए गए थे जिससे आरटीएन वाहनों में जीपीएस का प्रावधान न होने के कारण वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी का अभाव था।

<sup>21</sup> गुजरात सर्किल (अहमदाबाद-भुज-गांधीधाम), केरल (त्रिवेंद्रम-कालीकट), झारखंड (रांची-पटना), पश्चिम बंगाल, पंजाब

उदाहरण के लिए, केरल परिमंडल में, आरटीएन मार्ग शोरनूर आरएमएस (मार्च 2017 से अगस्त 2019 तक) तक नहीं जा रहा था, लेकिन अधिकारियों द्वारा वास्तविक समय में मार्ग की समीक्षा न करने के कारण, मार्ग को बंद करने पर ही इसका पता चला।

जीपीएस के गैर-प्रावधान को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि जीपीएस एक निगरानी उपकरण है और हालांकि वाहनों में जीपीएस स्थापित नहीं किया गया था, फिर भी वाहन की आवाजाही की निगरानी और किसी भी अनियमितता को दर्ज करने के लिए प्रभावी निगरानी प्रणाली मौजूद थी। आगे यह आश्वासन दिया गया कि निगरानी उपकरण के रूप में जीपीएस का उपयोग करने के लिए परिमंडलों को अब संवेदनशील बनाया गया है।

डीओपी को न केवल आरटीएन मार्गों पर वाहनों के समय पर आगमन और प्रस्थान पर प्रभावी नियंत्रण के लिए, बल्कि अंतर, यदि कोई हो, के लिए ठेकेदार को दंडित करने के लिए भी इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार आरटीएन योजना के कार्यान्वयन से डाक विभाग द्वारा किए गए व्यय के अनुरूप पार्सल यातायात में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। संचालन की ठीक से निगरानी नहीं की गई। मार्गों के प्रारंभ होने से पूर्व उचित व्यवहार्यता अध्ययन के अभाव तथा मार्गों की समीक्षा में विलम्ब के कारण इन मार्गों पर निष्फल व्यय करने के बाद मार्गों को बंद कर दिया गया। आदेशों के बावजूद, निदेशालय स्तर पर/हब शहरों में गुणवत्ता निगरानी सर्किल स्थापित नहीं किए गए थे और विक्रेताओं द्वारा वाहनों की आवाजाही की उचित निगरानी के लिए जीपीएस स्थापित नहीं किया गया था।

### 3.2.5 निष्कर्ष

राजस्व सृजन हेतु डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही आरएमएस सेवाएं विभाग हेतु महत्वपूर्ण हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अपने स्वयं के वित्तीय हितों में आर्थिक रूप से तथा निपुणता से प्रबंधित करने की आवश्यकता को इंगित करते हैं। रेलवे द्वारा उन्हें आवंटित बर्थों के प्रबंधन में कमियां पायी गईं, आरएमएस सेवाओं हेतु आवंटित/उपयोग किए जा रहे स्थान का उप-इष्टतम उपयोग तथा रेलवे को त्रुटिपूर्ण/अधिक भुगतान किया जा रहा था जो सहमत प्रतिबंधों आदि के अनुरूप नहीं थे। तथा रेलवे द्वारा किए गए दावों के गैर/अनुचित सत्यापन के कारण समय पर ज्ञात नहीं हुए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा पाए गए अधिक/त्रुटिपूर्ण बिलिंग/भुगतानों के उदाहरण सत्यापन के बिना किए गए भुगतानों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाते हैं जिसके परिणामस्वरूप दुलाई शुल्क, रेलवे से किराए पर लिए गए भवनों पर किराए आदि हेतु अधिक/परिहार्य भुगतान हुआ। डीओपी में लाइसेंस शुल्क/आरएमएस स्थान के लिए कब्जे वाले किराए के लिए डीओपी में बड़े अनसुलझे दावे थे।

डाक विभाग के खाते से डेबिट करने से पूर्व रेलवे द्वारा किए गए दावों के पूर्व-सत्यापन के संबंध में आरबीआई को जारी किए गए डाक विभाग के निर्देश (सितंबर 2017) उचित रूप से अनुसरण नहीं किया गया जिसके कारण आरबीआई द्वारा निरंतर अधिक प्रत्यक्ष डेबिट किया गया जो दीर्घ अवधियों से असमायोजित पड़े थे।

डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किये गए मेल हार्डवेयर निष्क्रिय थे तथा सीएसआई सॉफ्टवेयर से एकीकृत नहीं थे।

आरटीएन सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित नहीं किया गया था, जैसा कि कवर की गई अवधि में पार्सल यातायात में गिरावट से स्पष्ट है, निगरानी दोषपूर्ण थी, जिसके परिणामस्वरूप पार्सल यातायात में 25 प्रतिशत की वृद्धि के योजना के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका।

### 3.2.6 अनुशंसायें

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि डाक विभाग को चाहिए:

- ❖ *दुलाई प्रभारों, किराये आदि के अधिक भुगतान से बचने हेतु रेलवे द्वारा किए गए दावों के सत्यापन हेतु आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ बनाना।*
- ❖ *डाक विभाग के खाते से डेबिट होने से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से रेलवे द्वारा किए गए दावों की डाक विभाग द्वारा पूर्व-सत्यापन प्रणाली के समावेशन द्वारा भुगतान प्रणाली में परिवर्तन करना।*
- ❖ *किए गए अधिक भुगतानों को समायोजित करने हेतु रेलवे प्राधिकारियों से नियमित रूप से समाधान बैठकें आयोजित करना।*
- ❖ *डाक विभाग के अधिग्रहण वाली आरएमएस संपत्तियों की समीक्षा एवं मितव्ययी संचालन के हित में अतिरिक्त/ रिक्त स्थान खाली करना।*
- ❖ *डीओपी को आरटीएन मार्गों की समय पर समीक्षा करने के लिए विशेष प्रकोष्ठों के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि, उन्हें उपयोगी बनाया जा सके। उन्हें संभावित शहरों/ कस्बों के लिए दैनिक कनेक्टिविटी को, ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं के लिए सक्षम बनाने और आरटीएन के माध्यम से विभाग के लिए राजस्व सृजन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।*
- ❖ *उन्हें वाहनों की आवाजाही की लाइव निगरानी के लिए जीपीएस सेवाएं प्रदान करके सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।*
- ❖ *समयबद्ध रूप से विभाग के कोर सिस्टम के साथ एकीकरण के माध्यम से आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत आपूर्ति किये गए मेल हार्डवेयर का इष्टतम उपयोग करना।*



### 3.3 डाकघर आधार केंद्रों में आधार नामांकन किट का निष्क्रिय होना

डाक विभाग (डीओपी) यूआईडीएआई के अनुरोध पर आधार नामांकन केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुआ। उन्होंने 2018-19 के दौरान ₹178.08 करोड़ व्यय करके 13,353 आधार नामांकन किट खरीदे। इनमें से 1,976 किट या तो हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टाफ की कमी के कारण काम नहीं कर रहे थे। इसके परिणामस्वरूप ₹25.75 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई। इसके अतिरिक्त, सेवा की खराब गुणवत्ता के कारण, यूआईडीएआई ने डाक विभाग पर ₹3.84 करोड़ का निवर्तक लगाया।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार नामांकन सह अद्यतनीकरण केंद्रों<sup>22</sup> को डाकघरों (पीओ) में स्थापित करने हेतु इस बात पर जोर देते हुए डाक विभाग (डीओपी) से अनुरोध किया (अप्रैल 2017) कि यह विभाग को मौजूदा जनशक्ति और संसाधनों के साथ अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद करेगा। डाक विभाग ने 31 दिसंबर 2017 तक 14,200 डाकघरों में आधार केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया और भारत सरकार ने (अक्टूबर 2017) विभाग को ₹200 करोड़ की राशि मंजूर की। व्यवसाय विकास और विपणन निदेशालय (बीडी और एमडी), डाक विभाग ने सभी डाक परिमण्डलों को 31 दिसंबर 2017 तक आधार केंद्र स्थापित करने हेतु सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से आधार नामांकन किट<sup>23</sup> (चित्र 3.1) की खरीद के लिए प्रति पीओ ₹1.50 लाख तक खर्च करने हेतु अधिकृत (नवंबर 2017) किया।

<sup>22</sup> डाकघर आधार केन्द्रों में मुख्य रूप से दो प्रकार की सेवायें प्रदान की जाती हैं

क. **आधार नामांकन:** नामांकन प्रक्रिया में निवासियों की जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण सम्मिलित है। डाकघरों में आधार नामांकन निशुल्क किया जाता है।

ख. **आधार अद्यतनीकरण:**(i) जनसांख्यिकीय अद्यतन जैसे नाम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पता जन्म तिथि इत्यादि। (ii) बायोमेट्रिक अद्यतन चेहरे की छवि, 10 उंगलियों के निशान और आईरिस डाकघरों के माध्यम से अद्यतन किए जाते हैं। आधार अद्यतन शुल्क योग्य हैं और प्रत्येक आधार प्रयत्न हेतु नागरिकों से ₹50 (18 प्रतिशत जीएसटी सहित) की राशि एकत्र की जाती है।

<sup>23</sup> आधार नामांकन किट में सफल आधार नामांकन और अद्यतन करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरणों का एक सेट होता है। उपकरणों का यह सेट लैपटॉप/डेस्कटॉप, मॉनिटर, मल्टीफंक्शन प्रिंटर/स्कैनर, व्हाइट स्क्रीन,फोक्स लाइट, सर्ज प्रोटेक्टर स्पाइक आईरिस स्कैनर, कैमरा, स्लैप स्कैनर और जीपीएस डिवाइस का संघटन है।

### चित्र 3.1: आधार नामांकन किट



डाकघर, सिविल लाइन्स, दिल्ली के आधार नामांकन सह अद्यतन केंद्र पर आधार नामांकन किट (सीपीयू, वेब कैमरा, मॉनिटर, प्रिंटर, आइरिस स्कैनर, दस फिंगरप्रिंट स्कैनर, कीबोर्ड और माउस)

डाक परिमण्डलों ने 13,353 आधार नामांकन किटों की खरीद 2018-19 के दौरान ₹1.10 लाख से ₹1.42 लाख तक की दरों पर जीईएम से की जिससे पीओ में आधार केंद्र स्थापित करने हेतु कुल ₹178.08 करोड़ का खर्च आया। ₹21.92 करोड़ की शेष अव्ययित निधि परिमण्डलों द्वारा अभ्यर्पित कर दी गई। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 तक विभाग ने 4.46 करोड़ लेनदेन पर ₹179.72 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

डाक विभाग में आधार केन्द्रों की स्थापना और संचालन से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक कुल 13,353 किटों में से 11,377 किटों का संचालन किया गया था और विभाग को व्यवसाय प्रदान कर रहे थे, जबकि शेष 1,976 किट या तो संचालन में नहीं थे या शून्य व्यवसाय प्रदान कर रहे थे जैसा कि नीचे बताया गया है:

#### 3.3.1 डाकघर आधार केंद्रों में आधार नामांकन किट का निष्क्रिय होना

डाक निदेशालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक वर्ष 2018-19 के दौरान 23 परिमण्डलों द्वारा खरीदी गयी कुल 13,353 आधार नामांकन सह अद्यतन किटों में से 1,976 किट (12 परिमण्डलों<sup>24</sup> में) या तो परिचालन में नहीं थे या ये विभाग को कोई व्यवसाय प्रदान नहीं कर रहे थे (19 परिमण्डलों<sup>25</sup> में), जैसा कि अनुलग्नक 3.4 में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि डाक निदेशालय विभाग द्वारा जिम्मेदार ठहराए गए कारण थे:

- ❖ मशीनें लगाई गईं लेकिन संचालक/ पर्यवेक्षक की ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं की गयी थी
- ❖ समन्वयन एक औपचारिकता है और केंद्रों द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया जा रहा था
- ❖ प्रदर्शन चित्र न लगाने और मेलों का आयोजन न करने के कारण प्रचार का अभाव

<sup>24</sup> असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर पूर्व, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

<sup>25</sup> दिल्ली, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र उत्तर पूर्व, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

- ❖ इस सेवा को प्रदान करने और यहां तक कि ग्राहकों को सेवा से वंचित करने के प्रति पूर्ण उपेक्षा
- ❖ समय के कुप्रबंधन के कारण लगी लंबी कतारें
- ❖ आधार के लिए विशेष काउंटरों की अनुपलब्धता

डाक निदेशालय ने (अगस्त 2018) परिमण्डलों को देश भर में परियोजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कड़ी निगरानी करने के निर्देश भी जारी किए और पीओ में प्रदर्शन चित्र/ सूचना बैनर के माध्यम से उचित प्रचार करके जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के निर्देश भी दिए।

उपर्युक्त अनुदेशों और निर्देशों के बावजूद केंद्रों द्वारा हार्डवेयर और नेटवर्क में कमी, जन सामान्य की प्रतिक्रिया का अभाव और पहुँच/ प्रचार की कमी के कारण 937 किट वाले 19 परिमण्डलों ने 2019-20 के दौरान कोई व्यवसाय नहीं किया था। हालांकि, निदेशालय ने (अगस्त 2019) अप्रयुक्त आधार किटों को लेन-देन की संभावना वाले अन्य डाकघरों में स्थानांतरित करने के निर्देश जारी किए, 20 परिमण्डलों के संबंध में केवल 725 किटों को 31 अगस्त 2021 तक लेनदेन की संभावना वाले अन्य नजदीकी डाकघरों में स्थानांतरित किया गया था और 1,251 आधार किट अभी भी 2019-20 के दौरान कोई व्यवसाय प्रदान किए बिना उसी स्थान पर बेकार पड़ी हैं।

इसे इंगित किए जाने पर विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि 1,648 केंद्र संचालन में नहीं थे, कहा (अगस्त 2021) कि कई समस्याओं के कारण आधार किट गैर-परिचालन शून्य लेनदेन वाले हो सकते हैं जो अस्थायी प्रकृति के हो सकते हैं अर्थात् लिंक विफलता, कार्यालयों का विलय, नेटवर्क/ तकनीकी समस्याएँ, हार्डवेयर समस्याएँ। इनमें से अधिकाँश समस्याएँ अस्थायी प्रकृति के थे और इन्हें परिमण्डलों/ यूआईडीएआई द्वारा सुधारा गया। ऊपर बताए गए किसी भी कारणों से कोई किट किसी निश्चित तिथि पर काम नहीं भी कर सकती है। इसलिए इन त्रुटियों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि किट हमेशा बेकार रही और परिणामस्वरूप राजस्व अवरुद्ध हुआ।

इसके अतिरिक्त, डाक विभाग ने कहा कि शून्य लेनदेन वाले या कम व्यवसाय करने वाले किटों को समेकित करने और उन्हें उच्च फुटफॉल वाले केंद्रों में स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे। इससे पता चलता है कि विभाग ने राजस्व अर्जित करने वाले किटों के इष्टतम उपयोग हेतु किटों के कार्यपद्धति की बारीकी से निगरानी की।

बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आदि जैसे बड़े राज्यों में निष्क्रिय किट/ गैर-संचालन केंद्रों ने आधार जारी करने के संचालन को बढ़ाने हेतु डाक विभाग की अपर्याप्त पहुँच का संकेत दिया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर आदि के दुष्कर/ कठिन क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां डाक नेटवर्क नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, "शून्य" व्यापार केंद्रों और निष्क्रिय किटों की संख्या से स्पष्ट है कि विभाग ने स्पष्टतः आधार जारी करके अधिक

व्यवसाय करने के अपनी अनुकूल परिस्थिति का लाभ नहीं उठाया। 725 किट के हस्तांतरण के पश्चात भी ₹16.30 करोड़<sup>26</sup> मूल्य की 1,251 किट संचालित नहीं थे और बेकार पड़े थे।

इस तरह, 21 परिमण्डलों में ₹25.75 करोड़ मूल्य के 1,976 किट हार्डवेयर, नेटवर्क और स्टाफ की कमी के कारण निष्क्रिय पड़ी थी जिसके परिणामस्वरूप निधि अवरुद्ध थी।

### 3.3.2 डेटा की खराब गुणवत्ता के आंकड़ों और नामांकन प्रक्रिया के मानदंडों से विचलन के कारण यूआईडीएआई द्वारा निवर्तकों को अधिरोपित करना

विनियम 26 - आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 के पंजीयकों, नामांकन एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी और चूक के मामले में कार्रवाई" यह निर्धारित करती है कि यूआईडीएआई ऐसे रजिस्ट्रार या नामांकन एजेंसी या सेवा प्रदाता या किसी अन्य व्यक्ति पर वित्तीय निवर्तकों को अधिरोपित करने हेतु और अधिनियम या इन विनियमों या कोई अन्य कदम जो कि विशेष रूप से प्राधिकरण से कार्य की शर्तों के तहत उन्हें जारी किए गए क्रेडेंशियल्स, कोड और अनुमतियों को रद्द करने हेतु कदम उठा सकती है। किसी दिए गए महीने में त्रुटियों के कारण कुल वित्तीय निवर्तक रजिस्ट्रार को उस महीने में देय कुल राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ₹49.76 करोड़ के कुल दावे में से यूआईडीएआई ने डाक विभाग पर ₹3.84 करोड़ का निवर्तक अधिरोपित किया। विभिन्न परिमण्डलों पर लगाया गया अर्थदंड का प्रतिशत 0.27 प्रतिशत से 39.23 प्रतिशत के मध्य था। ₹3.84 करोड़ के कुल अर्थदंड में से ₹1.51 करोड़ की राशि उत्तर प्रदेश परिमण्डल से ही संबंधित थी।

विभाग ने ₹3.84 करोड़ का निवर्तक लगाने के तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अगस्त 2021) कि उन्होंने यूआईडीएआई के अधिकारियों से कई बार पत्र, ईमेल और यहां तक कि बैठकों में अर्थदंड का विवरण साझा करने का अनुरोध किया था ताकि सुधारात्मक उपाय किए जा सकें। हालांकि यूआईडीएआई से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन त्रुटियों हेतु अर्थदंड लगाया गया था उन्हें यूआईडीएआई द्वारा समय समय पर डाक विभाग को सूचित किया जा रहा था और इसे डाक विभाग द्वारा अपने परिमण्डलों को सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, त्रुटिपूर्ण संचालकों सहित त्रुटियों का विवरण यूआईडीएआई द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्वीकृत आदेशों के साथ उपलब्ध कराया था।

<sup>26</sup> किट मशीन की औसत लागत @ 1,30,336\*1251

### 3.3.3 अनुशंसा

डाक विभाग निष्क्रिय किटों/ शून्य व्यापार केंद्रों की स्थिति की निगरानी/ समीक्षा कर सकता है ताकि उन्हें जरूरतमंद परिमंडलों में स्थानांतरित करने हेतु समय पर कार्रवाई की जा सके। विभाग को उन पर लगाए गए निवर्तक/ अर्थदंड को रद्द करने और वापस करने हेतु यूआईडीएआई से प्रयास करना चाहिए।

### 3.4 डाकघरों द्वारा पेंशन का अनियमित भुगतान

पश्चिम बंगाल पोस्टल परिमंडल के तहत पांच प्रधान डाकघरों (एचपीओ) ने 122 मामलों में पेंशनभोगियों से अनिवार्य जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पेंशन का अनियमित जमा करना जारी रखा, जिसका कुल योग ₹6.02 करोड़ था। लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर 14 मामलों में अनियमित रूप से धारित ₹64.51 लाख की पेंशन राशि सरकारी खातों में वापस जमा कर दी गई थी, जबकि शेष प्रकरणों में वसूली लम्बित थी।

डाक विभाग (डीओपी) पर लागू पी एंड टी फाइनेंशियल हैंड बुक वॉल्यूम-II का नियम 137 पेंशनभोगियों के जीवन की निरंतरता के वार्षिक सत्यापन को निर्धारित करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ बाद के महीनों के लिए पेंशन खाते में पेंशन जमा करने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में पेंशनभोगी के जीवन प्रमाण पत्र की प्राप्ति को अनिवार्य करता है। यह आगे निर्धारित करता है कि यदि पेंशनभोगी या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने या जीवनप्रमाण पत्र भेजने में विफल रहता है तो पेंशन स्वचालित रूप से उसके खाते में जमा नहीं की जाएगी। प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आधार से जुड़े पेंशन खाते वाले पेंशनभोगियों के संबंध में वर्ष 2014 से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (जीवनप्रमाण) ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, फिनेकल सॉफ्टवेयर (डीओपी का कोर बैंकिंग सिस्टम) 2015-16 के दौरान डाक नेटवर्क में पेश किया गया था ताकि पेंशनभोगियों को भारत के किसी भी डाकघर से पेंशन राशि निकालने की सुविधा मिल सके।

पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल के अंतर्गत पांच प्रधान डाकघरों (एचपीओ), राणाघाट, बरुईपुर, अलीपुर, तामलुक और बारासात में अभिलेखों की जांच (अप्रैल 2018 और जुलाई-नवंबर 2021) में पाया गया कि 122 पेंशनभोगियों के मामले में जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना पेंशनभोगियों के खातों में पेंशन जमा की जा रही थी। 122 मामलों के और अधिक विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- क. तीन एचपीओ (रानाघाट, बरुईपुर और अलीपुर) ने पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त न होने और पेंशनभोगियों द्वारा खातों का संचालन न करने के बावजूद ₹64.51 लाख की राशि 14 खातों में मासिक पेंशन जमा करना जारी रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, एच.पी.ओ ने इस तथ्य को स्वीकार किया और

लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर पेंशनभोगियों के खातों से सरकारी खाते में ₹64.51 लाख वापस ले लिए थे।

- ख. चार एचपीओ (बरुईपुर, अलीपुर, तामलुक और बारासात) ने पिछले एक से 10 वर्षों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के बावजूद अन्य 85 मामलों में पेंशन क्रेडिट करना जारी रखा। ऐसे खातों में कुल अनियमित क्रेडिट ₹4.22 करोड़ था।
- ग. इसके अतिरिक्त, तामलुक एच.पी.ओ ने ऐसे 23 पेंशन खातों में पेंशन जमा करना जारी रखा जिसमें पेंशनभोगी की पिछले 1-10 वर्ष पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इन खातों में अनियमित रूप में जमा की गई कुल राशि ₹1.16 करोड़ है।

इस प्रकार, पश्चिम बंगाल पोस्टल सर्कल के पांच प्रधान डाकघरों (एचपीओ) के संबंध में ₹6.02 करोड़ की राशि अनियमित रूप से निकाली गई और 122 पेंशनभोगियों के खातों में जमा की गई, जिसका विवरण नीचे तालिका 3.19 में दिया गया है।

**तालिका 3.19: अनियमित रूप से आहरित पेंशन का एचपीओ विवरण**

क्र.सं.	एचपीओ	मामलों की संख्या	शामिल राशी (₹)
1	तामलुक	64	3,28,65,186.00
2	अलीपुर	38	2,13,22,610.00
3	बरुईपुर	8	32,05,230.00
4	रानाघाट	8	25,22,087.00
5	बारासात	4	3,28,876.00
	<b>कुल</b>	<b>122</b>	<b>6,02,43,989.00</b>

डाकपाल, बारासात एचपीओ ने प्रत्युत्तर में सूचित किया (नवंबर) 2021) कि जिन पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र की मांग की जा रही थी, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं किया जा सका। अनियमित क्रेडिट के नियमितीकरण/ वसूली पर तामलुक, अलीपुर, बरुईपुर और रानाघाट एचपीओ से उत्तर प्रतीक्षित था। मामला जनवरी 2022 में मंत्रालय को भेजा गया, परन्तु जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

नवंबर के बाद के महीनों में संबंधित खातों में पेंशन जमा करने से पूर्व वार्षिक जीवन की निरंतरता के अनिवार्य सत्यापन का पालन नहीं करने पर डाक अधिकारियों की ओर से हुई चूक के परिणाम स्वरूप न केवल ₹6.02 करोड़ की पेंशन की अनियमित जमा की गई थी बल्कि अनुचित उत्प्रवाह और पेंशनभोगियों के खातों में एक साथ वर्षों तक सरकारी धन अवरोधित हुआ। इसके अलावा, संबंधित डाकलेखा कार्यालय नियमों के अनुपालन के संबंध में सतर्क नहीं थे, जिसमें कहा गया है कि डाकघरों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र को संबंधित अनुसूचियों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए (एफ एच बी वॉल्यूम-II का नियम 137(15))। डाक विभाग ने फिनेकल सॉफ्टवेयर में उन खातों में पेंशन जमा करने पर रोक/ जांच करने का प्रावधान या

विशिष्टता की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जिनमें पेंशनर ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किये।

यह अनुशांसा की जाती है कि:

- ❖ डीओपी उन मामलों में पेंशन के स्वतः क्रेडिट को रोकने के लिए फिनेकल सॉफ्टवेयर में अपेक्षित नियंत्रण आरम्भ कर सकता है जहां पेंशनभोगी द्वारा निर्धारित समय सीमा में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- ❖ डाक लेखा कार्यालय जीवन प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किए बिना पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन के क्रेडिट को प्रतिबंधित करने के लिये अपने सॉफ्टवेयर और सिस्टम में प्रर्याप्त जांच शुरू कर सकते हैं।
- ❖ डाक विभाग सभी परिमण्डलों में इसी तरह के मामलों की समीक्षा कर सकता है और ऐसे सभी मामलों में सुधार की प्रक्रिया को कार्यान्वित कर सकता है जिसमें अनियमित पेंशन जमा करने हेतु डाक परिमण्डलों पर जिम्मेदारी तय कर ना सम्मिलित है।

### 3.5 डाक विभाग में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग

डाक विभाग के अन्तर्गत प्रधान डाकघरों द्वारा डाकघर बचत बैंक (पी ओ एस बी) डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) योजनाओं के संचालन में धोखाधड़ी गतिविधियों की रोकथाम के लिए डाक विभाग द्वारा संहिताबद्ध आंतरिक जांच को लागू करने में विफलता के कारण चौदह डाक परिमण्डलों में फैले डाकघरों में ₹95.62 करोड़ की राशि के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ।

डाकघर बचत बैंक देश में सबसे पुरानी और अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली है, जो शहरी और ग्रामीण दोनों ग्राहकों की निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। डाक विभाग इन सेवाओं को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के लिए एजेंसी के आधार पर प्रदान करता है। प्रस्तावित कई उत्पाद<sup>27</sup> जनता की सुविधा के लिए डीओपी की क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से नागरिकों के विभिन्न निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

डाक विभाग (डीओपी) द्वारा जारी डाकघर बचत बैंक नियमावली उप डाकघरों, एस. ओ. समूह और प्रधान डाकघरों में बचत बैंक नियंत्रण संगठन (एसबीसीओ)<sup>28</sup>, मंडल, क्षेत्रीय और परिमंडल कार्यालयों में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के लिये बचत बैंक संचालन में धोखाधड़ी और

<sup>27</sup> बचत बैंक (एसबी), आवर्ती जमा (आरडी), सावधि जमा (टीडी), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी), लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), मासिक आय खाता योजना (एमआईएस), सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए), और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आदि जैसी पीओएसबी योजनाएं।

<sup>28</sup> पीओएसबी योजनाओं पर जांच और दिन-प्रतिदिन की जांच के लिए बचत बैंक नियंत्रण संगठन (एसबीसीओ) प्रत्येक प्रधान डाकघर/ सामान्य डाकघर में स्थापित किया गया है



धोखाधड़ी गतिविधियों की रोकथाम के लिए आंतरिक जाँच का प्रावधान और जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

डाक विभाग ने समय-समय पर आंतरिक आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से भी डाक परिमंडलों को निर्देश<sup>29</sup> जारी किए हैं, जिसमें अपने कर्मचारियों के द्वारा धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा की जाने वाली निवारक जांच/ आवश्यक कार्यवाहियाँ शामिल हैं। पीओएसबी संचालन पर बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए, एस.बी आदेश संख्या 2/2008 भी जारी किया गया था।

सार्वजनिक धन और बेहतर ग्राहक अनुभव की सुरक्षा के लिए, डाक विभाग ने आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत एक केंद्रीय मंच के माध्यम से बैंकिंग कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया। तदनुसार, डाक विभाग ने दिसंबर 2013 से कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया ताकि डाकघरों में "संचय पोस्ट<sup>30</sup>" सॉफ्टवेयर के मौजूदा बैंकिंग प्लेटफॉर्म को बदलकर "कहीं भी, कभी भी बैंकिंग" हासिल करने के लिए ग्राहकों को अपने खाते संचालित करने में सक्षम बनाया जा सके।

कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में माइग्रेट किए गए संचय पोस्ट डेटा की प्रामाणिकता की जांच करने के लिए, डाक विभाग ने सभी परिमंडलों को निर्देश (मार्च 2016) जारी किए, जिसके अनुसार, सभी डाकघरों में संचय पोस्ट डेटा के सीबीएस में स्थानांतरण से पहले और बाद में सत्यापन के लिए एक व्यापक अभ्यास आयोजित किया जाना था। इसमें एसबीसीओ को यह भी निर्देश दिया गया था कि सीबीएस में होने वाले सभी लेन-देनों की दैनिक आधार पर जांच की जाए, ताकि गंभीर विसंगतियों, यदि कोई मिली हो, पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, आदेशों<sup>31</sup>/ निर्देशों / दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला सीबीएस वातावरण में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जारी किए गए थे। अंत में, डाक विभाग ने (मार्च 2018) सभी डाक परिमंडलों के प्रमुखों को अप्रैल 2018 के अंत तक सत्यापन कार्य पूरा करने का निर्देश दिया।

<sup>29</sup> i) संख्या 110-13/2004-एसबी (वॉल्यूम-II) (एसबी आदेश संख्या 9/2007) दिनांक 22-06-2007; ii) संख्या 113-11/2003-एसबी (एसबी आदेश संख्या 11/2012) दिनांक 06-09-2012; और iii. फा. सं. 116-09/2007-एसबी (एसबी आदेश संख्या 2/2008) दिनांक 04-02-2008

<sup>30</sup> संचय पोस्ट, एक आईटी प्रणाली, 2003 में बचत बैंक, आवर्ती जमा, सावधि जमा, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, लोक भविष्य निधि खाते और मासिक आय योजना और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) से संबंधित योजनाओं को संभालने के लिए लाई गई थी।

<sup>31</sup> i) संख्या 25-11/2016-एसबी-एफएस-सीबीएस (एसबी आदेश संख्या 5/16) दिनांक 21-06-2016; ii. एफ. सं.116-15/2013-एसबी (पी1-एसबीसीओ) दिनांक 04-08-2016; iii. संख्या 25-11/2016-एफएस-सीबीएस दिनांक 27-07-2016 और सम संख्या दिनांक 10-11-2016; iv. फा.सं.113-01/2017-एसबी (एसबी आदेश संख्या.03/2018) दिनांक 12-03-2018



निवेश योजनाओं में हेराफेरी/अनियमितताओं से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण डाक कर्मचारियों द्वारा धन की अनाधिकृत निकासी की जाती है। लेखापरीक्षा ने नवंबर 2002 से सितंबर 2021 के बीच की अवधि से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों और धन के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की विस्तृत जांच की (अगस्त 2018 से दिसंबर 2021) और यह देखा गया कि एसओ शाखा के साथ-साथ प्रधान डाकघरों में एसबीसीओ के पी ओ एस बी संचालन से संबंधित निर्धारित जांच करने में विफलता और साथ साथ संचय पोस्ट से सी बी एस में माइग्रेट किए गए डेटा के समय पर सत्यापन में देरी के कारण, 14 परिमंडलों<sup>32</sup> के विभिन्न नमूना जांच किए गए डाकघरों में कम से कम ₹95.62 करोड़ के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ था। कुछ मामलों में, विभाग के निरीक्षण अधिकारी पांच साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी हेराफेरी/ अनियमितताओं का पता लगाने में विफल रहे और ये हेराफेरी ग्राहकों की शिकायतों के बाद ही सामने आईं।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त हेराफेरी/ अनियमितताओं के मामलों के कारणों/ कार्यप्रणाली का आगे विश्लेषण किया जिससे निम्नलिखित का पता चला:

- i) डाक कर्मचारियों द्वारा पाँच परिमंडलों<sup>33</sup> में बंद खातों से ₹62.05 करोड़ की धोखाधड़ी से निकासी की गई, उन्हें जाली शेष के साथ लाइव खातों के रूप में दिखाया गया और फिर से बंद कर दिया गया। संचय पोस्ट से सीबीएस में खातों के पूर्व/ बाद के स्थानांतरण के दौरान कार्यप्रणाली का पालन किया गया था।
- ii) चार परिमंडलों<sup>34</sup> में फर्जी खाते खोलकर और इन खातों में जमा की फर्जी प्रविष्टियां करके डेटाबेस में हेर-फेर और बाद में इन खातों से ₹15.98 करोड़ की धनराशि की निकासी की गई।
- iii) आठ परिमंडलों<sup>35</sup> में ग्राहकों से ₹9.16 करोड़ की नकद जमा राशि डाक कर्मचारियों द्वारा केवल ग्राहक पासबुक में दर्ज की गई थी और उनके संबंधित खातों में जमा नहीं की गई थी और बाद में ले ली गई थी।
- iv) फर्जी हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान के साथ ग्राहक के बचत खातों से ₹4.08 करोड़ की धोखाधड़ी से निकासी की गई, जो डाक कर्मचारियों की मिली भगत द्वारा चार परिमंडलों<sup>36</sup> में हुआ।

<sup>32</sup> आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

<sup>33</sup> पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र

<sup>34</sup> पंजाब, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश

<sup>35</sup> केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान

<sup>36</sup> पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान

- v) अन्य डाक कर्मचारियों या बाहरी लोगों द्वारा यूजर आईडी और पासवर्ड के अनधिकृत उपयोग के कारण चार परिमंडलों<sup>37</sup> में ₹3 करोड़ की धोखाधड़ी से निकासी हुई।
- vi) दो परिमंडलों<sup>38</sup> में डाक कर्मचारियों ने बाहरी लोगों की मिलीभगत से विभिन्न खाते खोले, ₹1.35 करोड़ की जाली जमाएँ की, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया।

उपरोक्त ₹95.62 करोड़ की हेरा-फेरी/ अनियमितताओं में से ₹14.39 करोड़ (₹40.85 लाख की पेनल्टी व ब्याज शामिल है) सम्बंधित/ शामिल व्यक्ति से वसूल की गई है और ₹81.64 करोड़ की राशि **अनुलग्नक 3.5** में विवरण के अनुसार वसूल होना बाकी थी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि डाक विभाग के कर्मचारी और पर्यवेक्षक प्राधिकारी वर्ग ने निर्धारित आन्तरिक जांच प्रभावी रूप से नहीं किया तथा निगरानी में विफलता थी ।

इसे इंगित किए जाने पर, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, त्रिवेन्द्रम, गुजरात और आंध्र प्रदेश डाकपरिमंडलों में डाक अधिकारियों ने कहा कि मुद्दों के निपटारे और मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनायडू डाक परिमंडलों में डाक अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या प्रक्रियाधीन थी। तेलंगाना, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र डाक परिमंडलों के जवाब अभी भी प्रतीक्षित थे। मामला (फरवरी 2022) में मंत्रालय को भेजा गया, जवाब अभी भी प्रतीक्षित है।

यद्यपि विभाग ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान की वसूली करने की बात कही, तथ्य यही है कि निर्धारित जांच में कमी के कारण धोखाधड़ी की गई थी।

उपरोक्त उद्धृत धोखाधड़ी/ अनियमितताओं के मामले मांग करते हैं कि डाक बचत योजनाओं में जनता द्वारा लगाए गये बड़े विश्वास के देखते हुए डाक विभाग इसकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए कड़े कदम उठाए।

उपरोक्त संदर्भ में, यह अनुशंसा की जाती है कि:

- ❖ **कर्मचारियों द्वारा की गई कपटपूर्ण गतिविधियों से सरकार के साथ निवेश किए गए सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए, डाक विभाग यह सुनिश्चित करे कि प्रभावी और सख्त आंतरिक जाँच और आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न पदानुक्रमित स्तरों पर अक्षरशः लागू की गई है।**

<sup>37</sup> जम्मू और कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा

<sup>38</sup> उत्तर प्रदेश और उड़ीसा

- ❖ डाक विभाग परिपक्व खातों/ जमाओं/ योजनाओं आदि की मौजूदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी सुनिश्चित करे, यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त परिवर्तनों द्वारा, ताकि डाक विभाग यह सुनिश्चित कर सके कि धन सही दावेदारों को वितरित किया गया है।
- ❖ डाक विभाग यह सुनिश्चित करे कि खाताधारकों को अनियमित/अनधिकृत लेनदेन, यदि कोई हो, पर सचेत करने के लिए सभी पीओएसबी लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से (एसएमएस/ई-मेल आदि) सूचित किया जाता है।
- ❖ विभाग को पीओएसबी लेनदेन में किसी भी प्रकार की मैन्युअल प्रविष्टियों को रोकना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल सिस्टम से उत्पन्न कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टियां ही की जाती हैं। ग्राहकों को इस आशय का मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय भाषा में प्रमुख दृश्य स्थान पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना चाहिए कि उनकी पासबुक प्रविष्टियां इलेक्ट्रॉनिक मोड में होनी चाहिए।
- ❖ कर्मचारियों द्वारा किसी भी अनधिकृत उपयोग/लॉगिन को रोकने के लिए डीओपी आईटी सुरक्षा नीति के एक भाग के रूप में व्यवहार में प्रभावी पासवर्ड नीति सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ डाक बचत खातों से हेराफेरी को रोकने के लिए डाक विभाग नई प्रणालियों के साथ-साथ खाता धारकों/लाभार्थियों का के.वाई.सी. सत्यापन के लिए डेटा सत्यापन सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ डाक विभाग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों, जिनके कार्यकाल में अनियमितताएं हुई हैं, पर जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई शुरू कर सकता है।

#### 4.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) द्वारा नए/ उन्नत केंद्रों की स्थापना

पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को सूचना और संचार तकनीक से संबंधित शिक्षा लाभ के लिए आवासीय सुविधा के साथ उन्नत आधार भूत संरचना केन्द्र प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आई ई सी टी परियोजना की मंजूरी (मई 2012) दी। एन आई ई एल आई टी कार्यान्वयन एजेंसी थी और परियोजना को पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। परियोजना पर किया गया वास्तविक व्यय ₹206.08 करोड़ (जुलाई 2020) था। हालांकि परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को काम पर रखा गया था जिन्हें एजेंसी शुल्क का भुगतान किया जा रहा था, उसके बावजूद भी परियोजना निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। यह देखा गया कि नए स्थापित या अपग्रेड किए जाने वाले 18 केन्द्रों में से छह परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था और छह परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा भूमि प्रदान न करने/ बाधा मुक्त भूमि उपलब्ध न करवाने, दोषपूर्ण परियोजना प्रबंधन आदि जैसे कारणों से काफी देरी हुई थी। संकाय विकास योजना में अपर्याप्तता, उद्योग इंटरफेस की कमी, एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार क्षमता, परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितताएं थी और इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) के समाजिक और आर्थिक विकास के लिए कहे गए उद्देश्यों की प्राप्ति इस परियोजना में नहीं हो सकी। परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) ने परियोजना की प्रभावी रूप से निगरानी नहीं की।

₹27.58 करोड़ का व्यय नवीन/ विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों को पूरा करने के लिये नहीं किया गया था और इसमें से ₹3.95 करोड़ का व्यय बंद कर दी गई परियोजनाओं पर व्यर्थ हो गया था। परियोजना प्रबंधन सलाहकारों के पास ₹10.71 करोड़ का अग्रिम था और इसमें से बंद कर दी गई परियोजनाओं के लिये ₹5.63 करोड़ की अग्रिम राशि दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹7.18 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

##### 4.1.1 परियोजना के उद्देश्यों और गतिविधियों का परिचय

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी) जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) आधीन स्थापित एक स्वायत्तशासी वैज्ञानिक संस्थान है, की स्थापना 1994 में मानव संसाधन विकास (एचआरडी) और सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के लिए एमईआईटीवाई की मानव

संसाधन विकास शाखा के रूप की गयी थी। संस्था का प्रबंधन और प्रशासन एक गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है जिसमें आईटी उद्योग के प्रख्यात शिक्षाविद और पेशेवर शामिल हैं एवं जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में आठ स्थानों, त्रिपुरा (अगरतला), मिजोरम (आइजोल), सिक्किम (गंगटोक), मणिपुर (इम्फाल), अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर), नागालैंड (कोहिमा), मेघालय (शिलांग) और असम (गुवाहाटी) राज्यों सहित अखिल भारतीय स्तर पर 43 स्थानों में उपस्थिति है।

एनईआर के दूर-दराज के क्षेत्रों के छात्रों के लाभ के लिए आवासीय सुविधा के साथ उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा प्रदान करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने एचआरडी और आई इ सीटी संबंधित गतिविधियों को करने के लिए एनईआर के एनआईईएलआईटी केंद्रों में स्थायी परिसर की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी (मई 2012), जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं:

अ. गुवाहाटी (असम), इम्फाल (मणिपुर), शिलांग (मेघालय), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), गंगटोक (सिक्किम) और आइजोल (मिजोरम) में **मौजूद छह एनआईईएलआईटी केंद्रों का उन्नयन।**

ब. तेजपुर (असम) और चुचुयिमलंग (नागालैंड) में **मौजूद दो एनआईईएलआईटी विस्तार केंद्रों का उन्नयन।**

स. सिलचर, कोकराझार, डिब्रूगढ़ और जोरहाट (असम में चार), चुराचांदपुर और सेनापति (मणिपुर में दो), पासीघाट और तेजू (अरुणाचल प्रदेश में दो), लुंगलेई (मिजोरम में एक) और तुरा (मेघालय में एक) में **दस नए विस्तार केंद्र स्थापित करना।**

प्रत्येक उन्नत<sup>39/</sup> सेट-अप केंद्र का अपना परिसर होगा जिसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, कक्षाओं की एक एकीकृत सुविधा होगी, जो प्रमाणपत्र स्तर से लेकर स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक विभिन्न प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छात्र और शिक्षा संकाय के लिए छात्रावासों और आवासीय सुविधाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। नए केन्द्रों के मामले में, संबंधित राज्य सरकारें स्थायी परिसर के निर्माण तक निर्मित अस्थायी क्षेत्र का निःशुल्क आवंटन करेंगी। यह परियोजना इसकी मंजूरी के पांच साल के भीतर पूरी हो जाएगी और उम्मीद की गयी थी कि इस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों/ औद्योगिक घरानों को आकर्षित किया जाएगा जिससे इसका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके।

एनआईईएलआईटी केंद्र उद्योग की आवश्यकता के आधार पर औपचारिक और गैर-औपचारिक दोनों क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करेंगे और स्नातकों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए और उभरती जरूरतों के अनुरूप कामकाजी पेशेवरों की तकनीकी और व्यावसायिक क्षमताओं

<sup>39</sup> आई ई सी टी के साथ संरेखित करने के लिए परिसर और पाठ्यक्रमों के उन्नयन के रूप में उन्नयन

को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। साथ ही यह कहा गया था कि पेश किए गए कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर विज्ञान और आईटी के क्षेत्र में पेशेवर रूप से योग्य उद्योग के लिए तैयार कर्मियों और उद्यमियों निर्माण होगा।

परियोजना का उद्देश्य छात्र समुदाय/ युवाओं, शिक्षा संकाय सदस्यों, उद्यमियों, स्थानीय उद्योग, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षित नियोजित और एनईआर के समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को आईईसीटी क्षेत्र में उनकी क्षमता/ शिक्षा को बढ़ाने के लिए लाभान्वित करना है। यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना से पांचवें वर्ष से एनआईईएलआईटी की प्रशिक्षण क्षमता 3,080 प्रति वर्ष से बढ़कर 14,400 प्रति वर्ष हो जाएगी।

एनआईईएलआईटी मुख्यालय ने दिल्ली में तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू), मेसर्स नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसीएल)<sup>40</sup>, मेसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएससीसीएल)<sup>41</sup> और मेसर्स नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसीएल)<sup>42</sup> का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया और उन्हें मई 2013 में परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में एनईआर में 18 स्थानों पर एनआईईएलआईटी केंद्रों और विस्तार केंद्रों के स्थायी परिसर के निर्माण और विकास के लिए नियुक्त किया। पीएमसी परियोजना प्रबंधन, योजना, डिजाइनिंग, परामर्श सेवाओं आदि के लिए एजेंसी शुल्क सहित स्वीकृत लागत के भीतर एनआईईएलआईटी की ओर से कार्य निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार थे। वे परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार थे और उन्हें जमा कार्य के 5.24-10 प्रतिशत की दर से एजेंसी प्रभार का भुगतान किया जाना था। उन्हें जुलाई 2020 तक पी एम सी एजेंसी कमीशन के लिए ₹2.56 करोड़ का भुगतान किया गया था

#### 4.1.1.1 परियोजना बजट और समय सीमा

एनआईईएलआईटी ने एनईआर के लिए पांच वर्षों में पूरा किए जाने वाले आईईसीटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एनआईईएलआईटी (मई 2012) को ₹388.68 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। परियोजना के प्रस्तावित प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथियां क्रमशः 26 जुलाई 2012 (जीआईए की पहली रिलीज की तारीख) और 25 जुलाई 2017 थीं। इस बजट का उपयोग पूंजीगत व्यय (सिविल कार्यों, उपयोगिताओं, उपकरणों पर) और आवर्ती व्यय (वेतन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, केंद्रों के परिसर के लिए किराया, बिजली/ डीजी/ यात्रा जैसे अन्य प्रशासनिक खर्चों, प्रशिक्षक का प्रशिक्षण, कॉर्पोरेट ओवरहेड नियंत्रण केंद्रों, अन्य स्थापना व्यय) के लिए किया जाना था। मंत्रालय ने कार्य के दायरे में गिरावट के कारण आवंटित बजट को संशोधित कर

<sup>40</sup> इंफाल, चुराचांदपुर, सेनापति, डिब्रूगढ़, सिलचर, जोरहाट, कोकराझार, तुरा, तेजूर, पासीघाट और चुचुयिमलंग केंद्रों के लिए

<sup>41</sup> आइजोल, लुंगलेई, गुवाहाटी, तेजपुर और शिलांग केंद्रों के लिए

<sup>42</sup> गंगटोक और ईटानगर केंद्रों के लिए

₹366.78 करोड़ कर दिया और परियोजना को मार्च 2018 तक बढ़ा दिया। छह स्थानों (गुवाहाटी, सिलचर, तुरा, शिलांग, ईटानगर और तेजू) में निर्माण गतिविधियों को बंद करने के कारण एमईआईटीवाई ने परियोजना के बजट परिव्यय को घटाकर ₹287 करोड़ (सितंबर 2019) कर परियोजना की अवधि को 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दिया, जिसे बाद में मार्च 2021 तक और बढ़ा दिया गया। जुलाई 2020 तक परियोजना पर वास्तविक व्यय ₹206.08 करोड़ था।

#### 4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

##### 4.1.2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई ई सी टी परियोजनाओं की स्थिति

परियोजनाओं के समय पर और निर्बाध निष्पादन के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा भूमि आवंटित किए जाने और परियोजना के निष्पादन के लिए पी एम सी के साथ एक समझौता करने के बाद, कार्यपालक एजेंसी को बाधा रहित साइट सौंपने की जिम्मेदारी एन आई ई एल आई टी की थी। इसलिए, एन आई ई एल आई टी को परियोजना के अनुमोदन चरण में ही संबंधित मंत्रालयों/विभागों जैसे वन, वन्यजीवन और पर्यावरण मंजूर, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणों आदि से उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरीयाँ प्राप्त करनी थी। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी और पी एम सी के बीच हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, समय, अनुबंध का प्रमुख बिंदु था। पी एम सी, उन्हें सौंपी गई संबंधित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जिम्मेदार थे।

##### 4.1.2.2 स्थापित किए जाने वाले नए केंद्रों के संबंध में टिप्पणियां

स्वीकृत परियोजना के अनुसार दस नए केंद्रों की स्थापना के सम्बन्ध में, तीन परियोजनाएं पूरी की गईं, चार परियोजनाएं अपूर्ण/विलंबित थी और तीन परियोजनाओं को बन्द कर दिया गया । विवरण निम्न तालिका 4.1 के अनुसार हैं:

तालिका 4.1: स्थापित किए जाने वाले नए केंद्रों की स्थिति

क्र.सं.	केंद्र का नाम (राज्य)	प्रारंभ करने की तिथि	जुलाई 2020 तक भौतिक समापन (%)	जुलाई 2021 तक केंद्र/विस्तार केंद्र की स्थिति	पूर्णता/विस्तार की तिथि	बजट परिव्यय (₹ करोड़ में)	07/2021 तक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	सेनापति (मणिपुर)	22.08.2016	85	विस्तारित	30.06.2021	21.70	17.22
2.	लुंगलेई (मिजोरम)	30.05.2016	57	विस्तारित	31.10.2021	12.40	10.23
3.	डिब्रूगढ़ (असम)	17.10.2016	75	विस्तारित	30.06.2021	17.84	11.49
4.	पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)	30.04.2016	91	विस्तारित	31.05.2021	12.79	11.13
5.	चुराचांदपुर (मणिपुर)	20.09.2016	100	पूर्ण	26.02.2020	19.86	19.85
6.	जोरहाट (असम)	10.03.2016	76	पूर्ण	30.07.2021	20.67	17.62
7.	कोकराझार (असम)	27.04.2016	92	पूर्ण	30.07.2021	17.66	16.61

8.	सिलचर (असम)			बन्द कर दिया गया		5.06	5.02
9.	तुरा (मेघालय)			बन्द कर दिया गया		0.99	1.84
10.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)			बन्द कर दिया गया		1.47	2.16

बन्द कर दिये गए केन्द्रों का परियोजनावार विवरण इस प्रकार है -

i. **सिलचर परियोजना:** असम सरकार ने भूमि आवंटित की, जो अतिक्रमित एवं न्यायालय के अधीन विवादित थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी ने भूमि की उपयुक्तता का सर्वेक्षण और मूल्यांकन करने के लिए कोई स्थल चयन समिति नहीं बनाई थी और इसलिए, भूमि का कब्जा लेने से पहले आवंटित भूमि की संभाव्यता और आर्थिक व्यवहार्यता की जांच नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप परियोजना का परित्याग करना पड़ा (अप्रैल 2019)।

ii. **तुरा परियोजना:** इस परियोजना को एन आई ई एल आई टी द्वारा निविदा की उच्च लागत के कारण छोड़ दिया गया था। एन आई ई एल आई टी द्वारा पी एम सी के साथ किए गए समझौते के खंड 2.3 में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि राज्य पी डब्ल्यू डी एस ओ आर या सी पी डब्ल्यू डी एस ओ आर में जो भी कम हो, पर तैयार अनुमानों के आधार पर कार्य निष्पादित किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि पी एम सी (एन पी सी सी एल) ने मेघालय दर अनुसूची (एस ओ आर) 2015-16 के बजाय दिल्ली दर अनुसूची 2016 के आधार पर ₹8.36 करोड़ के ड्राइंग के साथ विस्तृत अनुमान तैयार किए। दिल्ली एस ओ आर राज्य के एस ओ आर से लगभग 60 प्रतिशत कम था। एन आई ई एल आई टी ने इन अनुमानों को दरों की स्वतंत्र तुलना के बिना अनुमोदित किया। जब पी एम सी ने काम के लिए निविदा जारी की, तो प्राप्त एल 1 बोलीदाता की दरे बहुत अधिक ₹11.31 करोड़ थी जो कि निविदा में लगाई गई अनुमानित लागत से 65 प्रतिशत अधिक थी। यद्यपि पी एम सी ने एल 1 बोलीदाता की बोली को सही ठहराया, एन आई ई एल आई टी ने इसे स्वीकृत अनुमानित लागत से अत्यधिक अधिक होने के कारण स्वीकृति नहीं दी और परियोजना को छोड़ने का निर्णय लिया।

यदि एन आई ई एल आई टी समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक और विस्तृत अनुमानों की अपनी जांच में सतर्क रहता, और आवश्यकता के अनुसार अनुमान तैयार नहीं करने के लिए पी एम सी को फटकार लगता, तो परियोजना को बन्द नहीं करना पड़ता (अप्रैल 2019)। यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए पी एम सी को नवीनतम लागू राज्य एस ओ आर के अनुसार संशोधित परियोजना अनुमान तैयार करने के लिए क्यों नहीं कहा गया था।

iii. **तेजू परियोजना:** अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन में देरी के कारण पी आर एस जी की 7वीं बैठक (25 अप्रैल 2019) की सिफारिशों के अनुसार तेजू केंद्र (अरुणाचल प्रदेश) का निर्माण बंद कर दिया गया था। यद्यपि राज्य सरकार ने परियोजना को



छोड़ने के बाद पांच एकड़ भूमि आवंटित की थी, लेकिन परियोजना को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान फिर से शुरू नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त **डिब्रूगढ़, पासीघाट, सेनापति और लुंगलेई** विस्तार केन्द्र परियोजनाओं के संबंध में यह देखा गया कि डिब्रूगढ़ में प्रस्तावित स्थल एक नदी के बहुत करीब था, जिसके कारण बार-बार बाढ़ आती थी। एन आई ई एल आई टी ने स्थल को बाढ़ से बचाने के लिए एक चारदीवारी के निर्माण के लिए असम सरकार के साथ मिलकर प्रयास किए जिससे कार्य में विलम्ब हुआ और एन आई ई एल आई टी ने निविदा लागत के अनुमोदन में भी देरी की जिसके परिणामस्वरूप लगभग 37 महीने की देरी हुई। पासीघाट केंद्र के लिए, भूमि के अतिक्रमण और अप्रोच रोड समाधान जैसे मुद्दों के कारण निर्माण कार्य में 41 महीने की देरी हुई। इसके अलावा, सेनापति और लुंगलेई केंद्रों के संबंध में, एन आई ई एल आई टी द्वारा निविदा लागत के अनुमोदन में विलम्ब से कार्य पूरा होने में 36-37 महीने की देरी हुई।

#### 4.1.2.3 उन्नयन केंद्रों के संबंध में टिप्पणियां

परियोजना के तहत छः मौजूदा केंद्रों और दो विस्तार केंद्रों का उन्नयन किया जाना था। इसके विपरीत, जून/ जुलाई 2021 तक तीन केंद्रों को बन्द कर दिया गया था, दो को पूरा कर लिया गया था और तीन में देरी हुई थी। विवरण नीचे दी गई तालिका 4.2 में है।

तालिका 4.2: उन्नयन किये जाने वाले मौजूदा केंद्रों/ विस्तार केन्द्रों की स्थिति

क्र.सं.	केंद्र का नाम (राज्य)	प्रारंभ करने की तिथि	जुलाई 2020 तक भौतिक समापन (%)	जुलाई 2021 तक केंद्र/ विस्तार केंद्र की स्थिति	पूर्णता/ विस्तार की तिथि	बजट परिव्यय (₹ करोड़ में)	07/2021 तक व्यय (₹ करोड़ में)
1.	गंगटोक (सिक्किम)	18.04.2017	58	विस्तारित	31.12.2021	40.57	18.24
2.	इंफाल (मणिपुर)	27.10.2015	100	पूर्ण	26.02.2020	27.66	27.19
3.	आइजोल (मिजोरम)	30.05.2016	100	पूर्ण	23.01.2020	21.94	20.44
4.	गुवाहाटी (असम)			बन्द कर दिया गया		4.09	5.98
5.	शिलांग (मेघालय)			बन्द कर दिया गया		4.79	6.81
6.	ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)			बन्द कर दिया गया		4.87	5.77
मौजूदा विस्तार केंद्र जिनका उन्नयन किया जाना है							
7.	तेजपुर (असम)	12.05.2016	91	विस्तारित	31.03.2021	14.69	14.00

8.	चुचुयिमलंग (नागालैंड)	10.03.2016	92	विस्तारित	30.06.2021	15.25	12.47
----	-----------------------	------------	----	-----------	------------	-------	-------

बन्द कर दी गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

i. **गुवाहाटी परियोजना:** इस परियोजना को पी आर एस जी ने अपनी 7वीं बैठक (अप्रैल 2019) में असम सरकार से पर्यावरण मंजूरी और भूमि काटने की अनुमति न मिलने के कारण छोड़ दिया था, क्योंकि भूमि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के पास थी। इन मंजूरियों को प्राप्त करने में एन आई ई एल आई टी और पी एम सी की भूमिका रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यह देखा गया कि तब से इस केंद्र पर 31 जुलाई 2020 तक ₹5.98 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसमें से ₹1.92 करोड़ सिविल और उपयोगिताओं पर खर्च किए गए थे जो परियोजना के छोड़े जाने के कारण निष्फल हो गए।

ii. **शिलांग परियोजना:** इस परियोजना को स्थानीय अधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त न होने के कारण बंद कर दिया गया। यद्यपि एन आई ई एल आई टी ने मेघालय सरकार द्वारा आवंटित भूमि पी एम सी को सौंप दी (फरवरी 2016) और पी एम सी ने फरवरी 2017 में एक ठेकेदार को काम सौंप दिया, परन्तु ठेकेदार काम शुरू नहीं कर सका क्योंकि शिलांग के स्थानीय मावपत दोरबार प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एन ओ सी) प्राप्त नहीं हुआ था। स्थानीय प्राधिकरण एन आई ई एल आई टी केंद्र में अपने स्थानीय लोगों की भर्ती के लिए एन आई ई एल आई टी शिलांग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहता था। उक्त समझौता ज्ञापन एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में तुरंत स्वीकृत नहीं किया गया और इस मुद्दे को सुलझाने में काफी समय व्यतीत हो गया। अंत में, पी आर एस जी ने कार्य को बंद करने का निर्देश (अप्रैल 2019) जारी किया। एन आई ई एल आई टी के साथ-साथ पी एम सी ने स्थानीय अधिकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए स्थानीय प्राधिकरण के साथ समय पर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को समय से पहले बंद कर दिया गया। सिविल और उपयोगिताओं पर ₹2.02 करोड़ का खर्च हुआ जो परियोजना को बंद करने के कारण अपव्यय बन गया।

iii. **ईटानगर परियोजना:** अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा भूमि आवंटन के अभाव में ईटानगर केंद्र की परियोजना को बंद कर दिया गया था (25 अप्रैल 2019) ।

इसके अतिरिक्त **गंगटोक, तेजपुर और चुचुयिमलंग** विस्तार केन्द्र परियोजनाओं के संबंध में यह देखा गया कि जहां तक गंगटोक केंद्र का संबंध है, पी एम सी की ओर से प्रशासनिक खामियां थीं क्योंकि ठेकेदार उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था जिससे निर्माण गतिविधि में 24 महीने की देरी हुई। तेजपुर केंद्र के संबंध में भूमि के अतिक्रमण और अप्रोच रोड समाधान जैसे मुद्दों के कारण निर्माण कार्य में 34 महीने की देरी हुई। चुचुयिमलंग केन्द्र के संबंध में निर्माण कार्य में 41 महीने की देरी हुई।

4.1.2.2 और 4.1.2.3 में उपरोक्त निष्कर्षों के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने का प्रबंध नहीं कर सका जिसके कारण स्थापित/ उन्नयन किए जाने वाले नए केंद्रों को पूरा करने में विलंब हुआ/ छोड़ दिया गया। इसके अलावा कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए कोई उचित परियोजना नियंत्रण तंत्र मौजूद नहीं था। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि सात परियोजनाएं इसकी स्वीकृति से आठवें वर्ष के अंत तक भी पूरी नहीं हुईं, जिन्हें अन्यथा पांच वर्षों के भीतर पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्धारित बारह/ पन्द्रह माह की अवधि के विपरीत कार्य को पूर्ण करने में 24 - 41 माह का विलम्ब था। विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करते समय, लेखापरीक्षा ने पाया कि पी एम सी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के साथ-साथ एन आई ई एल आई टी द्वारा उचित निगरानी की कमी परियोजनाओं को पूरा करने में देरी के लिए मूल योगदान कारक थे। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी के प्रबंधन ने क्षेत्र में भारी वर्षा, आर्थिक नाकाबंदी, निविदा लागत के अनुमोदन में देरी, स्पष्ट साइट, डिजाइन और ड्राइंग को संभालने, अग्नि सुरक्षा प्रतिष्ठानों में देरी, भूमिगत पानी की टंकी के निर्माण में देरी, चल रही कोविड-19 महामारी आदि कारणों को जिम्मेदार ठहराया।

एन आई ई एल आई टी ने परियोजनाओं को बंद करने के कारणों को सही ठहराते हुए (सितंबर 2020/फरवरी 2021) लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया। मंत्रालय ने उत्तर दिया (अगस्त 2021) कि परियोजना के दो प्रमुख भाग थे - अस्थायी परिसर से प्रशिक्षण गतिविधियाँ शुरू करना और स्थायी परिसर का निर्माण करना और प्रशिक्षण गतिविधियों को अस्थायी परिसर से स्थायी परिसर में स्थानांतरित करना। प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों को निर्माण गतिविधियों से काफी पहले या समानांतर में शुरू किया गया था और इन केंद्रों के संचालन को सभी स्थलों पर नवनिर्मित स्थायी परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा, परियोजना की शुरुआत से ही सभी केंद्रों के मौजूदा स्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियाँ चल रही थीं। छह छोड़े गए केंद्रों पर किए गए ₹27.58 करोड़ के खर्च के संबंध में, यह कहा गया कि अस्थायी केंद्रों से प्रशिक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए खर्च की आवश्यकता थी। संबंधित स्थानों पर आवर्ती व्यय, उपकरणों की खरीद जैसे व्यय किए गए और ये केंद्र अभी भी अस्थायी स्थानों से चालू हैं।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि देरी के लिए एक निवारक तंत्र के रूप में पी एम सी के साथ समझौते में एलडी/ जुर्माने का एक उपयुक्त खंड पहले से मौजूद है। विभिन्न पूर्व गतिविधियों जैसे कि भूमि का आवंटन, भवन संबंधी योजनाओं का अनुमोदन आदि जो कि विभिन्न बाहरी कारकों जैसे कि स्थानीय हस्तक्षेप, समुदाय/ गांव के लोगों से अनुमति इत्यादि के अलावा राज्य सरकारों पर निर्भर थी, के पूरा होने के उपरान्त, एन आई आर केंद्रों पर निर्माण गतिविधियाँ शुरू की गईं।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों के साथ उचित समन्वय और संवाद का स्पष्ट अभाव था और परियोजनाओं को समय पर आगे बढ़ाने के लिए एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय की ओर से उच्च स्तर पर अपर्याप्त प्रयास थे, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं को छोड़ दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में मंत्रालय तीन केन्द्रों में से दो के लिये भूमि आवंटन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। मेघालय परियोजना को राज्य सरकार द्वारा भूमि के आवंटन के बावजूद अनुबंधों के अनुचित संचालन के कारण छोड़ दिया गया था। इसलिए नए केंद्रों/ उन्नत केंद्रों को उनके अतिरिक्त लाभों के साथ स्थापित करने का परियोजना का आवश्यक लक्ष्य विफल हो गया। इसके अलावा, एन आई ई एल आई टी द्वारा कार्य पूरा होने में हुई देरी के सभी उल्लिखित कारक पूर्वोत्तर राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समान्य थे और एन आई ई एल आई टी के साथ -साथ मंत्रालय के भी ज्ञान में थे। इन कारकों को अनुबंध करने से पूर्व ही समय सीमा में शामिल किया जाना चाहिये था और उसके बाद पर्याप्त रूप से निगरानी की जानी चाहिये थी।

बंद की गई परियोजनाओं पर किए गए ₹27.58 करोड़ के कुल व्यय में से ₹3.95 करोड़ का व्यय सिविल कार्यों और उपयोगिताओं पर खर्च किया गया जो बेकार हो गया। शेष व्यय अस्थायी या पहले से मौजूद संरचनाओं से केंद्रों को चलाने, उपकरणों की खरीद आदि पर किया गया था। चूंकि ये परियोजनाएं शुरू नहीं हुईं, इसलिए ₹3.95 करोड़ का व्यय निष्फल रहा और यद्यपि आवर्ती लागत, उपकरणों पर और अस्थायी केंद्रों पर ₹23.63 करोड़ का व्यय हुआ, परंतु यह नए केंद्रों की स्थापना के परियोजना के उद्देश्यों जिसके लिए बजट स्वीकृत किया गया था, के अनुरूप नहीं था। एन आई ई एल आई टी ने जुलाई 2020 तक पी एम सी को दोनों छोड़ दी गई परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्ण हुई/ विलंबित परियोजनाओं के लिए एजेंसी कमीशन के रूप में ₹2.65 करोड़ का भुगतान किया। उन्हें, छोड़ दी गई/ विलंबित और अधूरी परियोजनाओं के लिए किया गया भुगतान उस सीमा तक निष्फल रहा।

अनुबंध में एल डी/ जुर्माने का खंड डालने के संबंध में, मंत्रालय ने स्वयं ही बाढ़, भारी वर्षा, आर्थिक नाकाबंदी और अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे कारणों से प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया था, और पी एम सी पर कोई परिसमापन हर्जाना नहीं लगाया था। अस्थायी प्रशिक्षण संरचनाओं के संचालन के संबंध में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आई ई सी टी परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर में 18 स्थानों पर एन आई ई एल आई टी शैक्षणिक केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करना था ताकि दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को पर्याप्त शिक्षकों से युक्त अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दे कर उभरती प्रौद्योगिकियों में नए पाठ्यक्रमों से शिक्षित और परिचित किया जा सके। एन ई आर में केवल अस्थायी प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन जैसा कि एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय द्वारा कर दिया गया, परियोजना का मुख्य उद्देश्य नहीं था। भारत सरकार के अनुमोदन के साथ-साथ डी पी आर में स्पष्ट रूप से निर्धारित शैक्षणिक लक्ष्यों के अलावा, भौतिक पूर्णता का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था जो

कि 13 परियोजनाओं में परियोजना के अनुमोदन की तिथि से आठ वर्षों के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### 4.1.2.4 योजना कार्यान्वयन

##### 4.1.2.4(i) शिक्षक विकास योजना में अपर्याप्तता

जैसा कि परिकल्पित था, सभी एन आई ई एल आई टी केंद्रों और विस्तार केंद्रों को बी एस एन एल द्वारा प्रारंभ किये गए नेशनल नालिज नेटवर्क (एन के एन) के माध्यम से उच्च बैंडविड्थ ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ जोड़ा जाना था ताकि एक केंद्रीकृत नेटवर्क में गुणवत्ता वाले व्याख्यानों के निर्माण, भंडारण और प्रसार को सक्षम बनाया जा सके। शिक्षकों को जुटाने के लिए आभासी कक्षा के निर्माण पर भी जोर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

- ❖ सभी केंद्रों में एन के एन कनेक्टिविटी स्थापित नहीं की गई थी
- ❖ लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, एन ई आर में किसी भी एन आई ई एल आई टी केंद्र ने मूल्यवर्धित आधार पर और राज्य की सीमा के बाहर के छात्रों के लिए अन्य केंद्रों के संसाधनों को साझा करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए मौजूदा शिक्षण ढांचे को छोड़कर एक मिश्रित शिक्षण ढांचा नहीं अपनाया था।

एन आई ई एल आई टी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (सितंबर 2020/ फरवरी 2021)। उन्होंने आगे कहा कि साइबर फोरेंसिक डेटा सेंटर प्रोजेक्ट के तहत पाठ्यक्रम संचालित किए गए थे, और वर्चुअल मोड के माध्यम से नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में साझा किए गए थे। यह मिश्रित मोड में प्रशिक्षण कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों पर फ्यूचर स्किल प्राइम लैब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास की प्रक्रिया में था। कर्मचारियों की आवश्यकताओं को मौजूदा स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों के साथ पूरा किया गया, जिन्हें आवश्यकता के आधार पर विभिन्न शिक्षक विकास कार्यक्रमों में उनके ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। मंत्रालय ने एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा दिए गए उत्तर को दोहराया (अगस्त 2021)।

एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि छह केन्द्रों नामतः गुवाहाटी, तेजपुर, शिलांग, ईटानगर, इम्फाल और गंगटोक एन के एन कनेक्टिविटी से जुड़े थे इस प्रकार शेष छह केंद्रों को अभी भी उच्च बैंडविड्थ (100 एम बी पी एस और अधिक) से जोड़ा जाना था और वे निजी नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहे थे। आभासी कक्षाओं के साथ-साथ सीखने के पाठ्यक्रमों का मिश्रित हिस्सा भी आंशिक रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों के पाठ्यक्रमों के साथ लागू किया गया था। इसके अलावा, जैसा कि एन आई ई एल आई टी

द्वारा कहा गया, साइबर फोरेंसिक डाटा सेंटर परियोजना, एम ई आई टी वाई द्वारा अनुमोदित आई ई सी टी परियोजना के तहत नहीं थी।

#### 4.1.2.4(ii) उद्योग इंटरफेस की कमी

किसी भी शैक्षणिक संस्थान के लिए यह वांछनीय है कि वह शिक्षक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के साथ गठजोड़ करें और वांछित पाठ्यक्रम तैयार करें, जो इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पूर्वोत्तर में एन आई ई एल आई टी केंद्रों का संगठित औद्योगिक संघों जैसे नैसकॉम, एम ए आई टी आदि के साथ कोई उद्योग इंटरफेस नहीं था और इसलिए वे उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त रूप से उन्मुख नहीं थे। यद्यपि एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में एक समिति ने सभी एन ई आर एन आई ई एल आई टी केंद्रों को राजस्व सृजन क्षेत्रों के लिए विभिन्न रास्ते तलाशने की सिफारिश की, जहां "उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उद्योग के साथ गठजोड़" ऐसे क्षेत्रों में से एक था, लेकिन यह कदम जनवरी 2020 में उठाया गया।

अपने उत्तर में, एन आई ई एल आई टी/ मंत्रालय ने (फरवरी/ अगस्त 2021) कहा कि विभिन्न सेमिनारों/ संगोष्ठियों का आयोजन करके स्थानीय उद्योगों, कॉलेजों, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए थे।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एन आई ई एल आई टी द्वारा उद्योगों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ गठजोड़ करने के प्रयास बहुत देर से, परियोजना को शुरू किए जाने के आठ साल बाद, किए गए थे और इसकी प्रभावशीलता को अभी तक देखा जाना बाकी है।

#### 4.1.2.4(iii) एन आई ई एल आई टी के छात्रों की खराब रोजगार योग्यता

एन ई आर के लिए आई ई सी टी परियोजना का अनुमोदन देते समय, यह कल्पना की गई थी कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर विज्ञान और आई टी के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से योग्य तथा उद्योग के लिए तैयार कर्मियों और उद्यमियों का विकास होगा। क्वालिफायर न केवल उद्योग में रोजगार प्राप्त करेंगे बल्कि क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए तथा उद्योग स्थापित करने के लिए उद्यमियों/ औद्योगिक घरानों को भी आकर्षित करेंगे। सभी एन आई ई एल आई टी क्वालिफायर को रोजगार हेतु सुविधा और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, एक समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल की आवश्यकता थी। एन आई ई एल आई टी के छात्रों को दिए जाने वाले प्लेसमेंट मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक केंद्र को प्लेसमेंट सेल स्थापित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन आई ई एल आई टी के 13 केन्द्रों में प्रशिक्षित छात्रों की औसत रोजगार योग्यता वर्ष 2012-13 से 0.14 प्रतिशत से 27.07 प्रतिशत के बीच थी छात्रों की रोजगार योग्यता का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कोई समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल अस्तित्व में

नहीं था। छात्रों को रोजगार मिलने के कम अवसर होने का कारण, एन ई आर में आई टी उद्योगों की कम संख्या, एन ई आर (गुवाहाटी, शिलांग, गंगटोक और ईटानगर) में छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट के लिए मार्गदर्शन सेल की स्थापना न करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च अंत पाठ्यक्रम तैयार नहीं करना, केंद्रों के उद्योग इंटरफेस की कमी आदि थे।

उत्तर में, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने (फरवरी 2021) लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि एन आई ई एल आई टी छात्रों के रोजगार योग्यता अभिलेखों के प्रावधान के साथ-साथ समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल का विकास भी किया जा रहा है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित टिप्पणियों के अनुपालन में एन आई ई एल आई टी द्वारा पहले से ही प्रयास किए जा रहे थे।

मंत्रालय ने कहा (अगस्त 2021) कि एन आई ई एल आई टी के छात्रों को संबंधित केंद्रों द्वारा अनिवार्य रूप से प्लेसमेंट मार्गदर्शन दिया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ एन आई ई एल आई टी केंद्रों ने औपचारिक स्थापना के रूप में कैरियर मार्गदर्शन स्थापित किया है। एन आई ई एल आई टी प्रमाणित उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक समर्पित प्लेसमेंट पोर्टल के माध्यम से इन उम्मीदवारों को सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह भी कहा गया था कि नौकरी में शामिल होने के बाद, एन आई ई एल आई टी में छात्रों द्वारा इस बाबत वापस रिपोर्ट करने की संभावना कम थी और रोजगार के रिकॉर्ड को बनाए रखने पर पहले विचार नहीं किया गया था।

हालांकि, तथ्य यह है कि संगठन के प्रयासों के बावजूद, एन ई आर में छात्रों की रोजगार योग्यता प्रतिशत उत्साहजनक नहीं थी और सभी प्रयासों के साथ सुधार करने की आवश्यकता थी।

#### 4.1.2.5 वित्तीय प्रबंधन: परियोजना प्रबंधन सलाहकारों को ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम और अतिरिक्त अग्रिम देने के कारण ब्याज की हानि

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) वर्क्स मैनुअल 2012 की धारा 32 के तहत पैरा 32.5 के अनुसार, ठेकेदारों को विशिष्ट अनुरोध पर किसी भी अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी (बी जी) जमा करने के विरुद्ध 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर मोबिलाइजेशन अग्रिम निविदा राशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्वीकृत किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कम से कम दो किशतों में अग्रिम जारी किया जाना चाहिए तथा 10 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर वसूली की जानी चाहिए और 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने तक ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली की जानी चाहिए।

एन आई ई एल आई टी और पी एम सी के बीच हस्ताक्षरित अनुबंधों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एन आई ई एल आई टी ने संबंधित पी एम सी को 16 केंद्रों के संबंध में प्रारंभिक कार्य जैसे स्थल योजना तैयार करना, मिट्टी की जांच, डिजाइन और ड्राइंग तैयार



करना, विस्तृत अनुमान, निविदा प्रसंस्करण गतिविधियों, निविदा को अंतिम रूप देना और ठेकेदार को कार्य प्रदान करना आदि के लिए किए गए खर्च को पूरा करने के लिए ₹17.06 करोड़ का ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान किया। इस अग्रिम में से केवल ₹7.05 करोड़ वापस/समायोजित किया गया था और शेष राशि ₹10.01 करोड़ (दिए गए कुल अग्रिम का लगभग 59 प्रतिशत) को 31 मार्च 2020 तक पी एम सी द्वारा रोक लिया गया।

पी एम सी द्वारा अनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकारी धन के अनाधिकृत प्रतिधारण की अनुमति देकर एन आई ई एल आई टी ने विभाग के वित्तीय हितों से समझौता किया और पी एम सी को अनुचित लाभ प्रदान किया। ₹17.06 करोड़ में से ₹5.63 करोड़<sup>43</sup> की अग्रिम राशि पी एम सी को उन परियोजनाओं के लिए दी गई, जिन्हें छोड़ दिया गया था। निधियों के इस प्रतिधारण के परिणामस्वरूप एन आई ई एल आई टी (अनुलग्नक 4.1) को 31 मार्च 2020 तक ₹7.18 करोड़ के ब्याज की हानि<sup>44</sup> हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि एन आई ई एल आई टी ने सितंबर 2015 से जुलाई 2018 के दौरान समझौते के उप-खंड 4.9 के अनुसार दो पी एम सी (एन पी सी सी और एन बी सी सी) को सात केंद्रों के संबंध में ₹7.26 करोड़ का अतिरिक्त ब्याज मुक्त अग्रिम जारी किया, जिसमें से पी एम सी से उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही, 31 मार्च 2020 तक चालू लेखा बिलस् के माध्यम से ₹ 6.56 करोड़ का समायोजन किया। इसके अलावा, जबकि पी एम सी ने कार्यों के निष्पादन के लिए, ठेकेदारों की नियुक्ति के लिए निविदा दस्तावेजों में 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर मोबिलाइजेशन अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान किया था, परंतु एन आई ई एल आई टी ने समान प्रथा का पालन नहीं किया जिससे उसके वित्तीय हितों की रक्षा हो सके। इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च 2020 तक पी एम सी को अनुचित लाभ हुआ और ₹ 1.60 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (अनुलग्नक-4.2)। सरकारी धन को वर्षों तक एक साथ बिना उसके उपयोग के उद्देश्य के लिए रखना, विशेष रूप से जब कुछ परियोजनाओं को छोड़ दिया गया/विलंबित किया गया, गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

एन आई ई एल आई टी ने शुरू में यह तर्क दिया कि ब्याज प्रावधान यहां लागू नहीं थे, हालांकि, लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर, बिलों के अंतिम निपटान में पी एम सी द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय को समायोजित करने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में पी एम सी के साथ समझौतों में ब्याज युक्त अग्रिम का प्रावधान शामिल किया जाएगा।

<sup>43</sup> एन पी सी सी एल को ₹1.69 करोड़ और एच एस सी एल को ₹3.94 करोड़

<sup>44</sup> 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकल्पित



#### 4.1.2.6 निगरानी

एन ई आर के लिए आई ई सी टी परियोजनाओं को मंजूरी देते समय, कैबिनेट ने परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निम्नलिखित तंत्र को मंजूरी दी:

- i. समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने, परियोजना के तीसरे वर्ष में मध्यावधि समीक्षा करने, परियोजना के दायरे में उपयुक्त संशोधन / संशोधन की सिफारिश करने और उपयुक्त कार्यान्वयन रणनीतियों का सुझाव देने के लिए एम ई आई टी वाई (तत्कालीन डी आई टी) के सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी।
- ii. (i) राजस्व सृजन, (ii) क्षमता उपयोग, (iii) सफल/ असफल अनुपात, (iv) रोजगार/ प्लेसमेंट के साथ-साथ इन मानदंडों के लिए संख्यात्मक मान जिनसे परियोजना के प्रदर्शन को मापा जा सकता है, के आधार पर एक पैरामीट्रिक दृष्टिकोण अपनाकर परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और संचालन के लिए संयुक्त सचिव/अतिरिक्त सचिव, एम ई आई टी वाई की अध्यक्षता में एक परियोजना समीक्षा और संचालन समूह (पी आर एस जी) का गठन किया जाएगा।
- iii. एन आई ई एल आई टी परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एम ई आई टी वाई के समर्थन में एक तंत्र भी बनाएगा जो समय पर कार्यान्वयन के लिए पी आर एस जी को आवश्यक इनपुट प्रदान करेगा और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मानक वेब सक्षम प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) विकसित करेगा।
- iv. उपरोक्त के अलावा, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय में विभिन्न एन आई ई एल आई टी केंद्रों से प्राप्त डॉटा इनपुट के संबंध में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) पोर्टल तैयार किया जाना था। इसके अलावा, समय-समय पर साइट के दौरे के माध्यम से निर्माण कार्य की निगरानी और समीक्षा करने के लिए, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय को अप्रैल 2014 में एन ई आर में प्रत्येक एन आई ई एल आई टी केंद्र में एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी (बी पी एम सी) या यूनिफॉर्म बिल्डिंग कमेटी (यू बी सी) का गठन करना था।

यह देखा गया कि नवंबर 2013 से अगस्त 2020 की अवधि के दौरान नौ पी आर एस जी बैठकें आयोजित की गईं। पी आर एस जी बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में एन आई ई एल आई टी की आई ई सी टी परियोजना की निगरानी और विकास में निम्नलिखित कमियां पाई गईं -

- i. यद्यपि पी आर एस जी बैठकों में भूमि अधिग्रहण में देरी पर चर्चा हुई, वे राज्य सरकार और एन आई ई एल आई टी के बीच उत्पन्न होने वाले भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से निपटने के लिए एन आई ई एल आई टी को स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहे। समूह ने आयोजित बैठकों में निर्माण गतिविधियों में देरी के कारणों का विश्लेषण और उल्लेख

नहीं किया। इस प्रकार, पी आर एस जी पी एम सी को विशेष रूप से राज्य सरकारों द्वारा भूमि का आवंटन न करने और परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आने वाली वैधानिक मंजूरी और अन्य समस्याओं के संदर्भ में विशिष्ट निर्देश देने में विफल रहा। कार्य की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के निष्पादन में विलम्ब को संबोधित नहीं किया गया था।

- ii. एम आई एस पोर्टल, पी आर एस जी को आवश्यक इनपुट और समीक्षा के लिए पी एम सी को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एन ई आर में एन आई ई एल आई टी केंद्रों को सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।
- iii. यद्यपि अप्रैल 2014 में एन ई आर में प्रत्येक एन आई ई एल आई टी केंद्र में एक बी पी एम सी या यू बी सी का गठन किया गया था, केंद्रों ने वर्ष 2016-17 के दौरान दो साल के अंतराल के बाद एक समिति की स्थापना की। समिति मुख्य रूप से स्थल निरीक्षण किए बिना और निर्माण कार्य में कमियों को इंगित किए बिना पी एम सी के दावों को निपटाने में मुख्य रूप से शामिल थी। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने जुलाई 2018 में भवन समिति को भंग कर दिया और एक पुनर्गठित समिति का गठन किया जहां समिति द्वारा निर्माण स्थलों पर स्थल निरीक्षण अनिवार्य नहीं था।
- iv. एन आई ई एल आई टी मुख्यालय के साथ-साथ एन आई ई एल आई टी केंद्रों पर कोई रोजगार योग्यता डेटाबेस नहीं रखा गया था ताकि एन आई ई एल आई टी उत्तीर्ण छात्रों की रोजगार योग्यता की निगरानी की जा सके। इस मुद्दे पर मुख्यालय स्तर पर एक पोर्टल निर्माणाधीन था।
- v. किसी भी पी आर एस जी बैठक में राजस्व सृजन, क्षमता उपयोग, सफल/ असफल अनुपात और रोजगार/नियुक्ति के प्रदर्शन मानकों के आधार पर परियोजना के प्रदर्शन का विश्लेषण नहीं किया गया था। कुछ बैठकों में, राजस्व सृजन और क्षमता उपयोग पहलुओं को सामान्य टिप्पणी के रूप में उल्लेख किया गया था।

एन आई ई एल आई टी ने (फरवरी 2021) उत्तर दिया कि तत्काल परियोजना की पी आर एस जी द्वारा सभी दिशाओं में समीक्षा की जा रही थी। उपयोग प्रमाणपत्रों के आधार पर पी एम सी से समय पर धन की मांग की प्रगति और प्राप्ति की पुष्टि के बाद समिति की सिफारिश के साथ भुगतान की प्रक्रिया के लिए एक बी पी एम सी का गठन किया गया था। प्रत्येक साइट से इनपुट के आधार पर तैयार की गई निर्माण प्रगति सहित मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से परियोजना की निगरानी और समीक्षा की जा रही थी, जब कभी भी आवश्यकता/मांग की गई, एम आई आई टी वाई/ अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत की गई। मंत्रालय ने (अगस्त 2021) यह भी कहा कि मुख्य अन्वेषक और एन ई-पी एम यू के एक संसाधन व्यक्ति की नियुक्ति के माध्यम से परियोजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित की गई थी।

मंत्रालय/ एन आई ई एल आई टी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परियोजना कार्यान्वयन और मूल्यांकन पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष दर्शाते हैं कि बारंबारता और पी आर एस जी बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दे परियोजना के परिमाण और आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थे और इसलिए अप्रभावी साबित हुए।

#### 4.1.3 निष्कर्ष

एम ई आई टी वाई ने मई 2012 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों कि शैक्षिक संवृद्धि और विकास के लिए, आई ई सी टी परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, जिसे एन आई ई एल आई टी द्वारा नोडल इमपलिमेंटिंग एजेंसी के रूप में पांच वर्षों में पूरा किया जाना था। परियोजनाओं को पी एम सी नियुक्त करके कार्यान्वित किया जाना था, जो परियोजना की समय-सीमा तैयार करने, ठेके देने और उनके निष्पादन की निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। जुलाई 2020 तक उन्हें लागत कि प्रतिशतता के रूप में ₹2.65 करोड़ एजेंसी कमीशन का भुगतान किया गया था। यद्यपि लेखापरीक्षा में पता चला कि परियोजना को मूल/ संशोधित समय सीमा में पूरा नहीं किया जा सका और इसे दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दिया गया। राज्यों द्वारा भूमि या आपत्ति रहित भूमि के आवंटन में असहयोग और एन आई ई एल आई टी एवं पी एस सी द्वारा परियोजना निष्पादन के दौरान आने वाली समस्याओं के अपर्याप्त संचालन और साथ संबंधित राज्य सरकारों के साथ पर्याप्त प्रशासनिक स्तर पर संवाद की अनुपस्थिति के कारण पाये गये। परिणामस्वरूप, स्थापित किए जाने वाले दस नए केंद्रों के संबंध में तीन परियोजनाएं (असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश) छोड़ दी गई, चार (मणिपुर, मिजोरम, असम और अरुणाचल प्रदेश) अधूरी/ विलंबित रह गई और तीन (एक मणिपुर और असम में दो) पूरी हुई। इसी तरह परियोजना के तहत छह मौजूदा केंद्रों और दो विस्तार केंद्रों को अपग्रेड करने के संबंध में तीन केंद्र (असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में एक-एक) छोड़ दिए गए, दो (मणिपुर और मिजोरम में) पूरे हुए और तीन (सिक्किम, असम और नागालैंड) जून/ जुलाई 2021 तक विलंबित थे। सात परियोजनाओं के संबंध में समय विस्तार के बावजूद दिसम्बर 2021 तक परियोजनाएँ पूरी नहीं हुई। राज्य सरकारों के साथ संबंधित कारणों को हल करके छोड़ दी गई परियोजनाओं का मार्च 2021 तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया था। ₹27.58 करोड़ का व्यय नए/ विस्तार केन्द्रों की स्थापना के परियोजना उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नहीं किया गया और इसमें से बंद/ छोड़ दी गई परियोजनाओं पर किया गया ₹3.95 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

परियोजना के वित्तीय प्रबंधन में भी अनियमितताएं पाई गईं। एन आई ई एल आई टी ने पी एम सी को निधि (₹10.71 करोड़) के अनाधिकृत प्रतिधारण और अनियमित ब्याज मुक्त अग्रिम की अनुमति देकर अनुचित वित्तीय लाभ दिया, विशेष रूप से उन मामलों में जहां परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था या गंभीर रूप से विलंबित किया गया था। पी एम सी को ब्याज रहित अग्रिम देने से भी एन आई ई एल आई टी को ₹8.78 करोड़ की हानि हुई।

एन ई आर में किसी भी एन आई ई एल आई टी केंद्र ने, जैसा कि योजना में परिकल्पित है, मौजूदा शिक्षण ढांचे की बजाय मिश्रित शिक्षण ढांचे को नहीं अपनाया, ताकि मूल्य वर्धित आधार पर और राज्य की सीमा से बाहर के छात्रों के लिए अन्य केंद्रों के संसाधनों को साझा करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम की पेशकश की जा सके। इसके साथ-साथ, सभी प्रस्तावित केन्द्रों में तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों तरह के नियमित कर्मचारियों की भी लगातार कमी थी। परियोजना के शुरू होने के आठ साल बाद भी, सभी एन आई ई एल आई टी केंद्रों द्वारा वास्तव में प्रशिक्षित छात्रों की संख्या छात्रों की लक्षित संख्या से कम रही और रोजगार के आंकड़े भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। पिछले आठ वर्षों के दौरान औसतन नियोजित छात्रों की प्रतिशतता प्रशिक्षित छात्रों की संख्या का 3.57 प्रतिशत ही थी। यह छह परियोजनाओं को बंद करने के कारण भी था। साथ ही एन ई आर (गुवाहाटी, शिलांग, गंगटोक और ईटानगर) में छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट के लिए मार्गदर्शन सेल की स्थापना न करना, उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए उच्च अंत पाठ्यक्रम को गैर प्राथमिकता देना, केंद्रों के उद्योग इंटरफेस की कमी आदि ने इस मुद्दे को ओर बढ़ावा दिया।

परियोजना की निगरानी के संबंध में, हालांकि पी आर एस जी बैठकों में भूमि अधिग्रहण के मुद्दों से लेकर निर्माण कार्य तक आई ई सी टी परियोजना की बाधाओं पर चर्चा की गई, फिर भी वे परियोजना की प्रगति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले मूल कारणों का विश्लेषण करने और कार्य की सुचारू प्रगति के लिए समस्या के निष्पादन हेतु परियोजना प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश देने में विफल रहे। एन आई ई एल आई टी ने वेब समर्थित प्रबंधन सूचना प्रणाली स्थापित नहीं की थी, जैसा कि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट नोट में प्रस्तावित किया गया था।

इस प्रकार एन आई ई एल आई टी की एन ई आर परियोजना की लेखापरीक्षा से पता चला कि यद्यपि परियोजना पर स्वीकृत व्यय का 70 प्रतिशत से ज्यादा व्यय हो चुका था, योजना बड़े पैमाने पर अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। परिणामस्वरूप, युवा आबादी को रोजगार बाजार के लिए उन्नत कौशल से लैस करके क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए परियोजना को वित्तपोषित करने का सरकार का समग्र उद्देश्य भी समय पर प्राप्त नहीं किया जा सका।

#### 4.1.4 अनुशासन

लेखापरीक्षा अनुशासन करता है कि एन आई ई एल आई टी

- ❖ सभी हितधारकों के साथ पर्याप्त योजना बनाने और चर्चा करने के बाद परियोजनाओं को मंजूरी दे सकता है।
- ❖ अपूर्ण और विलंबित परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा कर सकता है और छोड़ी गई/विलंबित परियोजनाओं के लिए पी एम सी/ठेकेदारों पर जवाबदेही तय कर सकता है।

- ❖ कार्यशील केन्द्रों में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों श्रेणियों के लिए निमित्त कर्मचारियों की भर्ती सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर संवाद स्थापित करके बंद पड़ी परियोजनाओं को पुनर्जीवित कर सकता है।
- ❖ पी एम सी के साथ किए गए अनुबंधों में उपयुक्त खंड शामिल कर सकता है, जिससे भारत सरकार के वित्तीय हितों की रक्षा हो सके।
- ❖ एक प्रशिक्षण कैलेंडर के साथ मिश्रित शिक्षण मोड में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ डी पी) पर विचार कर सकता है ताकि छोटे केंद्र भी पहले से अच्छी तरह से योजना बना सकें और शिक्षकों को प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए लंबे समय तक स्टेशन छोड़ने की बाध्यता से भी छूट मिल सके।
- ❖ मुख्यालय के साथ-साथ इकाई स्तर पर परियोजना निगरानी नियंत्रण को मजबूत कर सकता है जैसे कि केंद्रित पी आर एस जी बैठकें आयोजित करके, यूनिफॉर्म बिल्डिंग कमेटी में सुधार करके, नियमित स्थल का दौरा करके आदि।

#### 4.2 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी) अपने कर्मचारियों और उनके द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/ योजनाओं में लगे कर्मचारियों के लिए मासिक कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, एन आई ई एल आई टी को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को ई पी एफ अंशदान के विलम्ब से प्रेषण के लिए ब्याज और शास्ति प्रभारों के कारण ₹ 71.71 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम आई आई टी वाई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ई एल आई टी) की स्थापना वर्ष 1994 में मानव संसाधन विकास और सूचना, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार प्रौद्योगिकी (आई ई सी टी) से संबंधित गतिविधियों को करने के लिए की गई थी। इसके पूरे भारत में तैंतालीस (43) केंद्र हैं। यह गैर-औपचारिक क्षेत्र में पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए संस्थानों/ संगठनों को मान्यता देता है और कई राज्य सरकारों के लिए उनके कर्मचारियों और जनता के लिए आई टी साक्षरता कार्यक्रम भी चलाता है। यह विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधन सृजित करने के उद्देश्य से आई ई सी टी में क्षमता निर्माण के तहत विभिन्न परियोजनाएं चलाता है, जिसमें रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े गुणवत्ता और लागत प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। एन आई ई एल आई टी केंद्र देय ई पी एफ अंशदान की कटौती के बाद अपने स्वयं के प्रतिष्ठानों के लिए या राज्य सरकारों/ संगठनों की किसी

परियोजना/ योजना के लिए अपने द्वारा नियुक्त शिक्षकों/ जनशक्ति को वेतन का भुगतान करते हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 38 और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 3 के अनुसार, किसी भी स्थापना के नियोक्ता को संबंधित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) को माह समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक प्रभार के साथ-साथ कर्मचारी भविष्य निधि (ई पी एफ) अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 14बी के तहत, जहां एक नियोक्ता निधि में अंशदान या किसी भी प्रभार के भुगतान में चूक करता है, क्षेत्रीय ई पी एफ आयुक्त को इस तरह के क्षति को शास्ति के रूप में वसूल करना आवश्यक है जो ई पी एफ योजना 1952 के पैरा 32 ए में निर्दिष्ट दरों पर क्षति और बकाया राशि से अधिक नहीं हो। ई पी एफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के पैरा 7क्यू यह नियत करता है कि नियोक्ता इस अधिनियम के तहत देय किसी भी राशि पर उस तिथि से जब से वह राशि देय है, से उसके वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से या योजना में निर्दिष्ट किसी उच्च दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

एन आई ई एल आई टी, मुख्यालय दिल्ली और एन आई ई एल आई टी गोरखपुर के मामले में, एन आई ई एल आई टी देश भर में स्थित डी ओ ई ए सी सी दो आर सी सी (क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र), तथा सात सी ई डी टी आई (इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन और प्रौद्योगिकी केंद्र) से मिलकर बनी संस्था है। सभी संस्थाएँ ई पी एफ योजना के अंतर्गत नहीं आती थीं। संस्थाओं में एकरूपता बनाए रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी ने एन आई ई एल आई टी के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान ई पी एफ योजना के कार्यान्वयन को मार्च 2013 में 01 जनवरी 2003 से प्रभावी करने की मंजूरी दी थी। तुरंत शासी परिषद के अनुमोदन के बाद, एन आई ई एल आई टी मुख्यालय ने अपने कर्मचारियों से अप्रैल 2013 के वेतन से ई पी एफ अंशदान की वसूली करना शुरू कर दिया। लेखापरीक्षा ने फरवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान वर्ष 2011 से 2020 तक एन आई ई एल आई टी केंद्रों के संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा की। यह देखा गया कि एन आई ई एल आई टी चंडीगढ़ ने सभी प्रकार के कर्मचारियों (संविदात्मक और नियमित), के वेतन से ई पी एफ के लिए मासिक अंशदान की कटौती की। लेकिन नियोक्ता और कर्मचारी के अंशदान का हिस्सा 28 से 1,825 दिनों तक की देरी के साथ ई पी एफ कार्यालय को प्रेषित किया गया था। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय और एन आई ई एल आई टी गोरखपुर द्वारा ई पी एफ अंशदान को क्रमशः 731 दिनों और 1,002 दिनों तक की देरी से जमा किया गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका 4.3 में दिया गया है -

तालिका 4.3: ई पी एफ प्रेषण में देरी का विवरण

(₹ लाख में)

एन आई ई एल आई टी केंद्र	योजना/ परियोजना के तहत लगे कर्मचारी	अवधि	देरी से जमा करने के दिन	जुर्माने की राशि/ भुगतान किया गया ब्याज
चंडीगढ़	हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को आई टी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए तकनीकी जनशक्ति/ शिक्षक प्रदान करना।	2010-11 to 2016-17	28 - 740	18.72
	एन सी पी यू एल (नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज) की सी ए बी ए-एम डी टी पी (कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग एण्ड मल्टीलिगुअल डी टी पी) योजना के तहत आई टी शिक्षा प्रदान करने के लिए योग्य तकनीकी शिक्षक प्रदान करना।	2014-15 से 2019-20	28 - 760	16.79
	पंजाब सरकार और चंडीगढ़ यू टी के विभिन्न विभागों जैसे पी एस टी एस (पंजाब राज्य परिवहन संस्था), पी ई पी एस (पंजाब ई-पंचायत संस्था), चंडीगढ़ परिवहन को तकनीकी जनशक्ति सहायता प्रदान करना।	2014-15 से 2019-20	28 - 1,126	7.78
	नियमित कर्मचारी	2013-14 से 2019-20	28 - 1,825	2.84
	एन सी पी यू एल का ड्रीम प्रोजेक्ट	2014-15 से 2017-18	28 - 212	0.99
मुख्यालय दिल्ली	नियमित कर्मचारी	2013-14 से 2017-18	28 - 731	22.90
गोरखपुर	नियमित कर्मचारी	2012-13 से 2015-16	1,002	1.69
कुल				71.71

इस प्रकार, विभिन्न अवसरों पर कर्मचारियों के लिए ₹18.88 करोड़ (प्रत्येक नियोक्ता और कर्मचारी के ₹9.44 करोड़) की राशि के ई पी एफ अंशदान को एन आई ई एल आई टी प्राधिकरण द्वारा संबंधित ई पी एफ ओ को समय पर प्रेषित करने में विफलता के कारण, अधिनियम की धारा 14बी एवं 7क्यू के अंतर्गत एन आई ई एल आई टी मुख्यालय एवं एन



आई ई एल आई टी केन्द्र चण्डीगढ़ एवं गोरखपुर पर बकाया का 5 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की वार्षिक दर से ₹71.71 लाख क्षति के लिए शास्ति और ब्याज लगाया गया। आगे की जांच से पता चला कि एन आई ई एल आई टी चंडीगढ़ द्वारा नवंबर 2015 से जून 2020 के दौरान सात अवसरों<sup>45</sup> पर, एन आई ई एल आई टी, गोरखपुर द्वारा एक अवसर पर (05 जुलाई 2016) और एन आई ई एल आई टी मुख्यालय द्वारा एक अवसर पर (15 अप्रैल 2019) शास्ति का भुगतान किया गया। यदि एन आई ई एल आई टी ने संबंधित ई पी एफ ओ को ई पी एफ अंशदान का समय पर प्रेषण किया होता तो इस भुगतान से बचा जा सकता था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, एन आई ई एल आई टी, चंडीगढ़ ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि की और कहा (जनवरी 2021) कि ई पी एफ अंशदान में देरी, संविदात्मक कर्मचारियों के वेतन के प्रसंस्करण में हुई देरी के कारण थी क्योंकि यह अखिल भारतीय एन सी पी यू एल के लगभग 325 केंद्रों को जनशक्ति प्रदान कर रहा था। जब और जैसे भी उपस्थिति का विवरण प्राप्त हुआ ई पी एफ की कटौती के बाद वेतन दिया गया और अंशदान ई पी एफ ओ के पास जमा कर दिया गया। इसके अलावा, यह कहा गया था कि नव नियुक्त शिक्षक के मामले में, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यू ए एन) के आवंटन के लिए आवश्यक दस्तावेज अक्सर देर से प्राप्त होते थे या उन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती थी। एन आई ई एल आई टी मुख्यालय दिल्ली ने कहा (अक्टूबर 2020) कि ई पी एफ अधिकारियों से स्थापना कोड प्राप्त करने के बाद, संबंधित केंद्रों को अपने ई पी एफ अंशदान को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा करने के लिए मुख्यालय को अग्रेषित करने के लिए सूचित किया गया था। ई पी एफ अंशदान के विवरण सहित प्राप्त होने पर मुख्यालय ने अंशदान जमा कर दिया। एन आई ई एल आई टी गोरखपुर ने बताया (जून 2021) कि क्षेत्रीय ई पी एफ कार्यालय गोरखपुर द्वारा खाता खोलने की प्रक्रिया के दौरान की अवधि के लिए शास्ति का भुगतान किया गया था।

मंत्रालय ने एन आई ई एल आई टी के उत्तर का समर्थन किया (अक्टूबर 2021) और कहा कि पिछले वर्षों के दौरान ई पी एफ के विलम्बित प्रेषण पर ब्याज और क्षति का किया गया भुगतान विभिन्न कारणों से अपरिहार्य था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसके अलावा, मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ई पी एफ के विलंबित भुगतान के कारण होने वाले क्षति के भुगतान को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रबंधन के उत्तर जो खाता खोलने सहित विभिन्न प्रशासनिक देरियों के लिए ई पी एफ ओ को शास्ति के भुगतान की पुष्टि करते हैं, यह दर्शाते हैं कि एन आई ई एल आई टी के क्षेत्रीय केंद्र और मुख्यालय समय पर सांविधिक देय राशि के भुगतान में सतर्क नहीं थे। यहां यह

<sup>45</sup> ₹47,11,409 = ₹2,26,542 (09.11.2015) + ₹29,49,424 (18.01.2017) + ₹4,23,709 (20.02.2020) + ₹57,980 (07.02.2020) + ₹4,90,927 (08.02.2020) + ₹2,72,592 (20.02.2020) + ₹2,90,235 (05.06.2020)



उल्लेख करना उचित है कि चंडीगढ़ केंद्र ने नवंबर 2015 से जून 2020 तक सात अवसरों पर ब्याज और शास्ति का भुगतान किया, जो यह दर्शाता है कि सांविधिक बकाया राशि के प्रेषण को गंभीरता से नहीं लिया गया था। इसके अलावा सी पी एफ से ई पी एफ योजना में प्रवास के संबंध में, एन आई ई एल आई टी को परिवर्तन काल से पूर्व आवश्यक तैयारी करनी चाहिए थी। एन आई ई एल आई टी, मुख्यालय ने अप्रैल 2013 से जुलाई 2017 की अवधि के दौरान लगभग हर महीने देरी से मासिक अंशदान अधिकतम 731 दिनों तक की देरी के साथ जमा किया।

इस प्रकार, एन आई ई एल आई टी द्वारा ई पी एफ ओ को बकाया राशि के समय पर प्रेषण की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ई पी एफ अंशदान के विलम्बित प्रेषण के लिए ब्याज और क्षति प्रभार के रूप में ₹71.71 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया।

**लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि**

**ब्याज और क्षति प्रभार से बचने के लिए कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता के ई पी एफ अंशदान को संबंधित ई पी एफ कार्यालय में नियत तारीख तक जमा करना एक सांविधिक आवश्यकता है। मंत्रालय इससे संबंधित को सांविधिक आवश्यकता का पालन करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है और कर्मचारियों को ई पी एफ ओ द्वारा एन आई ई एल आई टी पर लगाए गए शास्ति प्रभार के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहरा सकता है।**



---

---

**खंड-ख**

**मंत्रालयों के अन्तर्गत**

**सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

---

---



**5.1 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में संपदा प्रबन्धन**

एक प्रलेखित व्यापक संपदा प्रबंधन नीति का अभाव, संपदा प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एम टी एन एल में एक समर्पित प्रशासनिक संरचना और डी ओ टी से निर्देश की कमी, सभी ने एम टी एन एल की खाली/ प्रमुख संपत्तियों के मुद्रीकरण में निराशाजनक प्रदर्शन में योगदान दिया। कंपनी के पास उनके कब्जे में संपत्तियों के संबंध में स्वामित्व/ पट्टा विलेख नहीं था। इसके कारण अधिगृहीत भूमि/ संपत्तियों का उपयोग न करना, खाली भूमि का अतिक्रमण और संपत्तियों के मुद्रीकरण की प्रक्रिया में देरी हुई। कंपनी ने अनुपयोगी संपत्तियों पर भूमि किराया, संयोजन शुल्क आदि के रूप में ₹113.91 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। कंपनी के पक्ष में टाइटल का म्यूटेशन न होने के कारण कंपनी ने दिल्ली में एक प्रमुख संपत्ति खो दी। कंपनी ने 31 मार्च 2021 तक विभिन्न पार्टियों को किराए पर दी गई संपत्तियों पर ₹150.74 करोड़ के किराए का बकाया भी संचित किया तथा खाली स्थानों को किराए पर न देने के कारण ₹205.80 करोड़, की संभावित हानि हुई थी।

**5.1.1 प्रस्तावना**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल, कंपनी) की स्थापना अप्रैल 1986 में कंपनी अधिनियम 1956, के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी। इसने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) के अंतर्गत दो महानगरों अर्थात् अब दिल्ली और मुंबई में पहले दिल्ली टेलीफोन जिला (डी ओ टी) और बाम्बे टेलीफोन जिला (बी टी डी) द्वारा प्रबंधित, टेलीकाम सेवा के नियंत्रण, प्रबंधन, संचालन की जिम्मेदारी संभाली। दिल्ली में ₹40.80 करोड़ और मुंबई में ₹15.95 करोड़ की भूमि और इमारतों सहित डी टी डी और बी टी डी की सभी संपत्तियां नवगठित कंपनी एम टी एन एल में निहित थीं। इसने बाद में भूमि/ भवन का भी अधिग्रहण किया। यह भूमि स्वामित्व, भवनों, शॉपिंग सह कार्यालय परिसरों और स्टाफ क्वार्टरों के बड़े हिस्से के कब्जे में था। नवंबर 2019 तक सभी संपत्तियों का अनंतिम अनुमानित मूल्यांकन ₹57,750 करोड़ (दिल्ली में ₹26,400 करोड़ और मुंबई में ₹31,350 करोड़) था जिसमें से लीज होल्ड संपत्ति का मूल्य ₹35,776 करोड़ और फ्री होल्ड संपत्ति ₹21,279 करोड़ थी। कंपनी का श्रेणीवार भूमि स्वामित्व और भवनों का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है

**तालिका 5.1: एम टी एन एल की स्वामित्व वाली भूमि पर भवनों का विवरण**

एम टी एन एल यूनिट	फ्री होल्ड भूमि (एच एच एल)			लीजहोल्ड भूमि (एल एच एल)			शॉपिंग/ ऑफिस परिसर (एस सी ओ)			खरीदे गए क्वार्टर स्टाफ क्वार्टर(एस क्यू)			कुल संभावित बाजार मूल्य (₹ करोड़ में)
	स्थान	क्षेत्रफल वर्गमीटर <sup>46</sup>	एच एच एल की कीमत (₹ करोड़ में)	स्थान	क्षेत्रफल वर्गमीटर	एल एच एल की कीमत (₹ करोड़ में)	स्थान	क्षेत्रफल वर्गमीटर	एस सी ओ की कीमत (₹ करोड़ में)	क्वार्टर	क्षेत्रफल वर्गमीटर	एस क्यू की कीमत (₹ करोड़ में)	
दिल्ली	0	0	0	92	6,40,651	26,202	26	13,135	132	103	8,400	66	26,400
मुंबई	53	5,00,371	21,279	52	2,50,445	9,574	12	3,760	58	591	36,007	439	31,350

स्रोत: सिविल विंग, कॉर्पोरेट कार्यालय एम टी एन एल दिल्ली द्वारा किए गए आंतरिक मूल्यांकन के अनुसार कीमत

### 5.1.2 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली और उद्देश्य

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में एम टी एन एल के गठन पर उसके स्वामित्व वाली साथ ही कंपनी द्वारा बाद में अधिग्रहित भूमि और भवनों के प्रबंधन की जांच शामिल की गई। लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि को कवर किया और इसमें, मुंबई और दिल्ली में स्थित एम टी एन एल के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय महाप्रबंधकों और ईडी कार्यालयों में भूमि प्रबंधन से संबंधित कंपनी के अभिलेखों की जांच शामिल थी। दिल्ली और मुंबई दोनों इकाइयों में विशिष्ट पहलुओं की समीक्षा जैसे कि प्रभावी संपदा प्रबंधन नीति का वजूद और सहायक प्रशासनिक संरचना, भूमि और भवन का उपयोग, भूमि और भवनों को पट्टे पर देना/ किराए पर देना, भूमि का अतिक्रमण, भूमि और भवनों के वाणिज्यिक उपयोग और मुद्रीकरण के प्रस्तावों का गठन और कार्यान्वयन किया गया।

एम टी एन एल में संपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि कंपनी के पास एक प्रभावी संपदा प्रबंधन प्रणाली है या नहीं। इसके अलावा, लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह भी पता लगाना था कि हाल के दिनों में कंपनी के बढ़ते नुकसान, जो जारी थे को देखते हुए, क्या कंपनी ने सरकारी दिशानिर्देशों यदि कोई हो के अनुपालन में मुद्रीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए भूमि और भवन संपत्ति का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं।

### 5.1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा से महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत विस्तृत हैं:

- क. संपदा का प्रबंधन
- ख. संपत्ति/ परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

<sup>46</sup> वर्ग मीटर

### 5.1.4 संपदा का प्रबंधन

#### 5.1.4.1 कंपनी के पास संपत्ति के टाइटल डीड और पट्टा विलेख की अनुपलब्धता

एम टी एन एल को संबंधित भूमि प्राधिकरणों को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने के बाद कंपनी के पास निहित संपत्तियों को अपने नाम पर बदलना था। पट्टे पर ली गई संपत्तियों के मामले में, पट्टा विलेख अपने नाम पर निष्पादित की जानी थी। एम टी एन एल को हस्तांतरित डी ओ टी की अचल संपदा संपत्ति के लिए एक औपचारिक हस्तांतरण विलेख निष्पादित किया गया था (30 मार्च 1987); लेकिन इसे अब तक यथोचित नगरपालिका प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी के कार्पोरेट कार्यालय द्वारा संपत्तियों के समयबद्ध म्यूटेशन और पट्टा विलेख निष्पादन के लिए कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दिल्ली में 92 पट्टे पर ली गई संपत्तियों (5.56 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल) में से 91 के मामले में, कंपनी द्वारा मालिकों के साथ कोई पट्टा विलेख निष्पादित नहीं किया गया। मुंबई में संपत्तियों के मामले में, कंपनी के अभिलेखों में दर्ज 45 संपत्तियों (3.81 लाख वर्गमीटर क्षेत्रफल) के टाइटल डीड अभी भी सरकार के नाम पर थे न कि एम टी एन एल के नाम पर। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दिल्ली में ऐसी 27 संपत्तियों में से जहां कोई पट्टा विलेख नहीं था और मुंबई में बिना टाइटल डीड के चार संपत्तियों को "मुद्रीकरण" के लिए चुना गया था।

टाइटल डीड की अनुपलब्धता और संपत्तियों के गैर-म्यूटेशन के लिए, प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2021) कि 2019 में कैबिनेट की मंजूरी से पहले, विभिन्न साधनों जैसे बिक्री, पट्टा अथवा लाइसेंस द्वारा सरकारी/ सरकार द्वारा नियंत्रित सांविधिक प्राधिकारियों के कब्जे और नियंत्रण वाली भूमि के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कोई सरकारी अनुदेश/ नीति स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा, यह कहा गया था कि कोई भी पट्टा विलेख बनाने पर स्टाम्प शुल्क लगता है

इसे राज्य के संबंधित स्टाम्प कानूनों के तहत निर्धारित तरीके से भुगतान करने की आवश्यकता होती है और दिल्ली और मुंबई में पट्टा विलेख/ संपत्तियों के म्यूटेशन के लिए एम टी एन एल को भारी खर्च करने की आवश्यकता होती थी एम टी एन एल की कमजोर वित्तीय स्थिति और परिपरीसंपत्तियों के हस्तांतरण/ बिक्री पर स्पष्टता की कमी के कारण, पट्टा विलेख/ म्यूटेशन का निर्णय रोक दिया गया था। डी ओ टी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2021) कि राजस्व अभिलेखों का रखरखाव संबंधित सी पी एस ई की जिम्मेदारी थी और कहा कि डी ओ टी का परिपरीसंपत्ति प्रबंधन डिविजन एम टी एन एल परिपरीसंपत्तियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड की निगरानी नहीं करता है। अन्य पहलुओं के लिए, डी ओ टी ने दिसंबर 2021 में प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया।

मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तीन दशकों से उसके अधिकार में अचल संपदा संपत्ति को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी कंपनी की थी। इसके अलावा, कंपनी उस समय एक अच्छी वित्तीय स्थिति में थी और कंपनी को अपने हित में संपत्ति को अपने स्वामित्व में कानूनी रूप से सुरक्षित करने के लिये पंजीकरण की किसी भी कीमत का वहन करना चाहिए था। डी ओ टी, ने प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, इतने सालों में एम टी एन एल द्वारा भूमि स्वामित्व विलेखों की निगरानी नहीं की और इन सभी वर्षों में न ही कंपनी ने अधिग्रहित भूमि के उपयोग या इसके मुद्रीकरण की निगरानी की।

#### 5.1.4.2 कंपनी की अपने स्वामित्व वाली भूमि के मूल्यांकन और स्थिति के अभिलेखों में कमियां

कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेखों की समीक्षा से डाटा अधिग्रहण के वर्ष, क्षेत्र और संपत्ति के मूल्य में निम्नलिखित कमियों का पता चला:

- (i) मुंबई इकाई के परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार, कंपनी के कब्जे में कुल 130 संपत्तियों में से 17 संपत्तियों (12 भूमि और 5 भवन) का मूल्य लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था।
- (ii) मिंटो रोड, दिल्ली में स्थित संपत्ति को पी जी एम (डी) द्वारा पट्टे पर लिया गया बताया गया था जबकि सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वर्ष 2018-19 की अपनी रिपोर्ट में इसे फ्रीहोल्ड कहा था। प्रबंधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया था (दिसंबर 2021) कि यह संपत्ति एम ओ यू डी द्वारा आवंटित एक पट्टे पर ली गई संपत्ति है। हालांकि, यह देखा गया कि 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट ने इस संपत्ति को फ्रीहोल्ड के रूप में दिखाना जारी रखा। इसलिए संपत्ति की होल्डिंग स्थिति में विसंगति मौजूद थी।
- (iii) लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि मुंबई इकाई के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय एम टी एन एल दिल्ली के सिविल विंग और मुंबई में योजना/ परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में 24 मामलों में भूमि के अधिग्रहण के वर्ष और क्षेत्र में मेल नहीं था।

इसे इंगित किए जाने पर, डी ओ टी ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2021) कि मामला समीक्षाधीन था और 17 संपत्तियों के संबंध में एम टी एन एल मुंबई के साथ उठाया जा रहा था। इसमें आगे कहा गया है कि मुंबई में 24 संपत्तियों के लिए डेटा समाधान किया जा रहा था। मिंटो रोड पर संपत्ति के संबंध में, यह कहा गया था कि यह एक लीजहोल्ड संपत्ति थी।

#### 5.1.4.3 पहले से निहित सम्पत्ति के पुनः आवंटन पर परिहार्य व्यय

एम टी एन एल को (1986 में) डी ओ टी से कनॉट प्लेस, दिल्ली में एक पुराना टेलीफोन एक्सचेंज मिला। कंपनी ने शहरी विकास मंत्रालय/भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) को टेलीफोन एक्सचेंज के नए भवन के लिए एन ओ सी/योजना की मंजूरी के लिए आवेदन



किया (मई 2001)। हालांकि, एम टी एन एल अपने नाम पर संपत्ति के म्यूटेशन के अभाव में भूमि पर अपना स्वामित्व स्थापित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप, एम ओ यू डी ने एम टी एन एल को उसी भूमि का पुनः आवंटन (दिसंबर 2001) किया और कंपनी को दिसंबर 2015 में फिर से अपने नाम पर भूमि का पुनः आवंटन करवाने के लिए विभिन्न अवसरों पर ₹108.33 करोड़<sup>47</sup> का खर्च उठाना पड़ा और तब से जनवरी 2021 तक जमीन का किराया देना पड़ा।

मार्च 2021 में लेखापरीक्षा द्वारा संपत्ति के भौतिक सत्यापन से पता चला कि कंपनी ने नए टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण शुरू नहीं किया था और उस स्थान पर पुराना ढांचा मौजूद था (चित्र 5.1)।

चित्र 5.1: कनाॅट प्लेस, दिल्ली में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज भवन



कनाॅट प्लेस, दिल्ली में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज

इसलिए, नए टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण के लिए नई भवन योजना बनाने और ₹108.33 करोड़ का व्यय करने का पूरा उद्देश्य विफल हो गया क्योंकि भूमि का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए इसकी योजना बनाई गई थी।

#### 5.1.4.4 दिल्ली में खाली संपत्तियों पर निधि अवरोधन और परिहार्य व्यय

एम टी एन एल ने 1985 से 1998 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज, आर एस यू और प्रशिक्षण केंद्र आदि के निर्माण के उद्देश्य से कुछ भूमि प्राप्त/ बाद में अधिग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एम टी एन एल ने जमीन का किराया और कंपोजिशन फीस पर ₹16.40 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी संपत्ति का उपयोग प्रायोजित उद्देश्य के लिये नहीं किया था, जैसा कि नीचे तालिका 5.2 में बताया गया है:

<sup>47</sup> 47.86 करोड़ (एक वर्ष के लिए भूमि किराए सहित भूमि की लागत) + ₹48.80 करोड़ ( जनवरी 2011 तक जमीन का किराया और भूमि की लागत के विलंबित भुगतान पर ब्याज) ₹11.67 करोड़ (2012 से जनवरी 2021 तक की अवधि के लिए जमीन का किराया)

तालिका 5.2: संपत्तियों का विवरण

संपत्ति का विवरण	व्यय हुआ	लेखापरीक्षा टिप्पणी
₹88.32 करोड़ की लागत से टेलीफोन एक्सचेंज, आर एस यू और प्रशिक्षण केंद्र आदि के निर्माण के लिए 15 भूमि पार्सल <sup>48</sup> (मार्च 1985 से सितंबर 1998) का अधिग्रहण	मार्च 2019 तक ₹5.58 करोड़ संरचना शुल्क <sup>49</sup> के रूप में	एम टी एन एल ने निर्धारित समय के भीतर इन संपत्तियों पर भवनों का निर्माण नहीं किया, और इसलिए आवंटन प्राधिकरणों डी डी ए/ एम ओ यू डी/ नोएडा को संयोजन शुल्क का भुगतान करना पड़ा।
टेलीफोन एक्सचेंज, ग्राहक सेवा केंद्र (सी एस सी), रिमोट स्विचिंग यूनिट (आर एस यू) और बेस ट्रांस-रिसीविंग स्टेशन (बी टी एस) के निर्माण के लिए ₹21.69 करोड़ की लागत से 23,130 वर्गमीटर की 10 भूमि संपत्तियों <sup>50</sup> का अधिग्रहण (1992 से 2010 तक)।	मार्च 2022 तक ₹10.82 करोड़ जमीन के किराए के लिए	ये संपत्तियां अधिग्रहण के बाद से अर्थात् 10 से 28 साल की अवधि से बिना किसी निर्माण के खाली पड़ी हैं। कुछ खाली पड़ी संपत्तियों को चित्र 5.2 में दिखाया गया है।

चित्र 5.2: दिल्ली में एम टी एन एल के कुछ खाली भूखंड



बवाना, दिल्ली में खाली भूखंड

रोहिणी, सेक्टर V, दिल्ली में खाली भूखंड

<sup>48</sup> कनॉट प्लेस, नोएडा, मयूर विहार, वसंत विहार, वसंत कुंज, शाहदरा, बीकाजीकामा प्लेस, सरिता विहार, एशियाई खेल गांव, कडकडूमा, मंडावली और यमुना विहार में स्थित है

<sup>49</sup> भूखंड के अधिग्रहण के बाद शुरुआती अवधि के अंदर में निर्माण पूर्ण न करने के लिये कंपोजिशन शुल्क उगाही योग्य है

<sup>50</sup> बुराड़ी ग्राम सभा, गांधी मैदान, मेवा होटल टाउन हॉल, कुचानटवा, जौनापुर प्लॉट-1, सन लाइट कॉलोनी टीई, मयूरविहार फेज-1 ए पार्ट 4, बवाना सेक्टर-1 उद्योग विहार, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1, रोहिणी सेक्टर-5

प्रबंधन ने कहा कि (दिसंबर 2021) शुरू में संभावित ग्राहकों तक पहुंचने और उनकी मांग को पूरा करने के लिए, एम टी एन एल द्वारा अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था। हालांकि, बाद के वर्षों में जैसे ही दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, एम टी एन एल को भी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने और नई सेवाएं शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन वर्षों के दौरान कम्पनी के लिये यह उचित था कि वह ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्य सेवाओं पर निवेश करें। इसलिए, आगे के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और एम टी एन एल ने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए सेवाएं जारी रखीं। उसने कहा (जनवरी 2022) कि वह निधि की कमी या बड़े भवनों के लिए निर्माण की आवश्यकता की कमी के कारण अन्य संपत्तियों पर निर्माण नहीं कर सका। हालांकि खाली भूखंडों का उपयोग अन्य लाभकारी उद्देश्यों जैसे स्टोर, टावर और अस्थायी आर एस यू/ आर एल यू के लिए किया गया था। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया।

एम टी एन एल ने न तो संपत्तियों का समय पर उपयोग उस उद्देश्य के अनुसार किया जिसके लिए उन्हें अधिग्रहित किया गया था और न ही उन्होंने इन वर्षों में उनका मुद्रीकरण किया। इसके अतिरिक्त खाली पड़ी जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। कंपनी अधिग्रहीत भूमि का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने और कठिन समय में अपनी कार्यशील पूंजी को बढ़ाने के लिए आवश्यक अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में भी विफल रही, जब कंपनी प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रही थी।

#### 5.1.4.5 कंपनी के नाम पर शीर्षक के गैर-म्यूटेशन के कारण दिल्ली में नेताजी नगर भूखंड को रद्द कर दिया गया

1954 से 1966 के दौरान स्टोर स्थापित करने के लिए एम ओ यू डी/एल एंड डी ओ द्वारा डाक और टेलीग्राफ विभाग को 7.472 एकड़ भूमि (लगभग) आवंटित की गई थी। इस भूमि पार्सल का संयुक्त रूप से दूरसंचार विभाग, बी एस एन एल और एम टी एन एल द्वारा उपयोग किया गया था। कुल भूमि में से 1.30 एकड़ (5,261 वर्गमीटर) भूमि 1986 से एम टी एन एल के कब्जे में थी। एम टी एन एल ने इस भूमि पर केबल स्टोर डीपो (सी एस डी) के लिए स्टोर शेड के साथ एक स्थायी संरचना का निर्माण किया, लेकिन उक्त भूमि इन वर्षों में उसके नाम पर हस्तांतरित नहीं की गई। यह भूमि एम ओ एच यू ए द्वारा फरवरी 2020 में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण के लिए ली गई थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि एम टी एन एल ने भूमि का अपने नाम पर म्यूटेशन नहीं कराया था और यद्यपि कंपनी ने अपनी भूमि के नुकसान के लिए उचित मुआवजे हेतु डी ओ टी और एम ओ एच यू ए के समक्ष मुद्दा उठाया था, एम टी एन एल को कोई मुआवजा/ वैकल्पिक भूमि प्रदान नहीं की गई थी।

उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2021) कि भूमि के ऐसे आवंटन के संबंध में अधिकार सरकार में निहित है। अतः सरकार के निर्णय एवं निर्देशों के अनुपालन में उक्त भूखंड का कब्जा एल एंड डी ओ को सौंप दिया गया।



इस प्रकार एम टी एन एल द्वारा म्यूटेशन/ उसके नाम में परिवर्तित भूमि के पट्टा अधिकार प्राप्त करने में विफलता और मामले में प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने में डी ओ टी की विफलता के कारण, एम टी एन एल भूमि के अपने स्वामित्व को स्थापित करने में सक्षम नहीं था और वैकल्पिक भूमि के आंवटन या मुआवजे के भूमि खो दी थी। एम ओ एच यू ए द्वारा ली गई संपत्ति का संभावित बाजार मूल्य लगभग ₹827 करोड़ था जो कंपनी का नुकसान है।

#### 5.1.4.6 दिल्ली और मुंबई में प्रमुख संपत्तियों पर अतिक्रमण

संपत्तियों की स्थिति की लेखापरीक्षा संवीक्षा में अतिक्रमण के मामले सामने आए जिनमें से एक मामला दिल्ली से और ग्यारह मामले मुंबई से संबंधित थे। इन मामलों के विवरण पर नीचे चर्चा की गई है:

टेलीफोन एक्सचेंज के निर्माण के लिए ₹1,22,398 की लागत से नजफगढ़, दिल्ली में कंपनी द्वारा 1,897 वर्गमीटर का एक पट्टे पर भूखंड लिया गया (मई 1999)। अधिग्रहण के समय ही आधा भूखंड अतिक्रमण के अधीन था (चित्र 5.3) और एम टी एन एल ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद अधिग्रहण जारी किया लेकिन उस भूमि का केवल आंशिक कब्जा ले सका जो अतिक्रमण के अधीन नहीं थी।

चित्र 5.3: नजफगढ़, दिल्ली में एम टी एन एल संपत्तियों का अतिक्रमण



नजफगढ़ गांव सभा, दिल्ली में एम टी एन एल संपत्तियों का अवैध अतिक्रमण

इसके अलावा, अधिग्रहण के बाद, कंपनी न तो अतिक्रमण हटा सकी और न ही आगे अतिक्रमण को रोक सकी। परिणामस्वरूप दिसंबर 2009 तक भूखंड पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। एम टी एन एल ने देर से एक मामला दायर किया जो अभी भी अदालत में लंबित था (अप्रैल 2021)। इस प्रकार, अधिग्रहीत भूमि को अधिग्रहण के बाद से उपयोग में नहीं लाया जा सका। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि कंपनी के पास इस संपत्ति के संबंध में पट्टा विलेख नहीं था।

प्रबंधन ने कहा कि उसने भूमि, पुलिस और निगम अधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार किया था और कानूनी कार्रवाई की गई थी।

भूमि का अतिक्रमण और वांछित पट्टा विलेख भविष्य में भूमि के सफल मुद्रीकरण के लिए एक बाधक होगा। एम टी एन एल ने इन सभी वर्षों में संपत्ति से अतिक्रमण हटाने का कोई प्रबंध नहीं किया था। इस संपत्ति का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग ₹17.53 करोड़ है। यदि अतिक्रमण को प्रभावी ढंग से हटा दिया जाए तो यह मूल्य और भी अधिक हो सकता है।

मुंबई में, छह निहित और पांच अधिग्रहित संपत्ति अतिक्रमण के अधीन थी (दो से 100 प्रतिशत की रेंज तक) जैसा कि संपत्तियों के सम्भावित मूल्य के साथ तालिका 5.3 में दिया गया है।

तालिका 5.3: मुंबई में अतिक्रमित संपत्तियों का विवरण

क्रमांक	संपत्ति का नाम	मुद्रीकरण योजना में शामिल	भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अतिक्रमित क्षेत्र (वर्गमीटर में)	अतिक्रमण की प्रतिशतता	संभावित मूल्य (₹ करोड़ में)
1	ए वसारी हिल मलाड		9,004	9,004	100 (1986 से अतिक्रमण)	203.67
	ए वसारी हिल (भूखंड) आवासीय	चरण - I	5,525	503	9	
2	ए मांजरेकर शेड वर्ली		3,074	2,779	90	233.63
3	ए कांदिवली, अकुर्लि		1,574	200	13	36.90
4	ए एकसार-I (अतिरिक्त भूमि) बोरीवली	चरण - I	4,388	164	4	120.85
5	ए एकसार-I टी.ई (बोरीवली)	चरण - I	19,999	425	2	573.74
6	वी सेंट जॉर्ज हॉस्प (छप्पर)		3,003	2,278	76	231.83
7	वी कालबादेवी टी.ई		1,569	895	57	47.14
8	वी एकसार-II शिम्पोली, बोरीवली	चरण - I	1,06,240	42,641	40	2831.99
9	वी बंगाल केमिकल्स वर्ली		4,153	1,300	31	136.99
10	वी घाटकोपर (नया)		4,618	758	16	128.31
11	वी विले पार्से टेलीफोन एक्सचेंज		6,519	945	14	309.91

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि डी ओ टी में निहित किए जाने के बाद से इनमें से चार संपत्तियों का मालिकाना हक बॉम्बे टेलीफोन के नाम पर बना हुआ है, जो अतिक्रमण की बेदखली के लिए कानूनी कार्यवाही के दौरान कंपनी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। तीन दशकों के बीत जाने के बावजूद, प्रबंधन ने कंपनी के नाम पर अतिक्रमण को हटाने और भूमि के स्वामित्व के हस्तांतरण/ म्यूटेशन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए और भूमि को आज तक अनुपयोगी रखा था।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2021) कि अतिक्रमण के मामलों को राज्य सरकार/ एम सी जी एम/ संबंधित प्राधिकरण के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए बातचीत जा रही थी और कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई थी।

कंपनी के नाम पर संपत्ति के म्यूटेशन में देरी और अतिक्रमणों को न हटाने से इन भूमि के मुद्दीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

#### 5.1.4.7 संपत्तियों से आय

##### 5.1.4.7(i) किराए पर दिये गए स्थानों के संबंध में प्राप्य किराए का संचय

31 मार्च 2021 को क्षेत्रवार/ इकाईवार बकाया किराए की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बकाया किराया वर्ष 2014-15 से 31 मार्च 2021 (दिल्ली में ₹35.31 करोड़ और मुंबई इकाई में ₹115.43 करोड़) तक ₹150.74 करोड़ जमा हो गया था। 31 मार्च 2020 को संचित किराए का संगत आंकड़ा ₹136.59 करोड़ था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बकाया में और वृद्धि दर्शाता है।

एम टी एन एल के मुम्बई परिसर<sup>51</sup> में रहने वाले सबसे ज्यादा चूककर्ता थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि 54 में से 10 चूककर्ताओं ने किराया करार का नवीनीकरण नहीं किया था।

मंत्रालय/ प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि मंत्रालय के मामले में, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी के अभिलेखों में ₹12.76 करोड़ के अशोध्य ऋणों का प्रावधान था और बकाया किराये देय को बढ़े खाते में डालने की प्रक्रिया सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन थी। प्रबंधन ने यह भी कहा कि एम टी एन एल ने सी एम डी एम टी एन एल तक विभिन्न स्तरों पर किरायेदारों जो ज्यादातर सरकारी विभाग हैं, के साथ बैठकों के माध्यम से देय किराये की वसूली और करार के नवीनीकरण के लिए सभी प्रयास किए हैं। संबंधित सरकारी विभागों में सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन लंबित था या निधि आवंटन अभी तक नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा अधिकांश एम टी एन एल भवन पुराने निर्माण थे और इन भवनों के रखरखाव के लिए उच्च रखरखाव की आवश्यकता थी और एम टी एन एल इन मुद्दों के समाधान के लिए भी काम कर रहा है। प्रबंधन ने यह भी पुष्टि की, कि उन्होंने 28 अक्टूबर 2021 को जी एस टी विभाग के साथ करार किया था। हालांकि, सब-रजिस्ट्रार के मामले में करार का नवीनीकरण अभी भी लंबित था।

इस प्रकार, कंपनी को अपने देयों की वसूली और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत थी और वैध करार के मामलों में जहां संपत्तियों पर चूककर्ताओं का कब्जा हो कर्ज को बढ़े खाते में नहीं डालना चाहिए, या यह सुनिश्चित करना चाहिये कि कब्जा करने वाले प्रधिकारियों के साथ वैध करार किये जायें।

<sup>51</sup> उप पंजीयक (4 स्थानों) से ₹32.33 करोड़, एमपीएससी-₹13.91 करोड़, मंत्रालय-₹12.76 करोड़ और जीएसटी विभाग- ₹8.65 करोड़ बकाया है

**5.1.4.7(ii) खाली स्थानों को किराए पर न देने के कारण संभावित किराया राजस्व की हानि**

एम टी एन एल द्वारा किराए पर दिए गए स्थान और किराए के लिए उपलब्ध खाली स्थानों पर मासिक विवरणों की समीक्षा से पता चला कि जनवरी 2021 के अंत में 145, खाली स्थान (39 दिल्ली, 106 मुंबई) अभी भी किराए पर देने के लिए उपलब्ध थे। आगे के विश्लेषण से पता चला कि इन खाली स्थानों में से 134 खाली स्थान (36 दिल्ली, 98 मुंबई) की पहचान की गई थी और किराए पर देने के लिए उपलब्ध थे, लेकिन जनवरी 2021 तक 11 से 17 महीनों तक खाली रहे। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा बाजार की दरों के अनुसार गणना करने पर किराये के राजस्व के रूप में ₹205.80 करोड़ की संभावित हानि हुई, जैसा कि तालिका 5.4 में दिया गया है।

**तालिका 5.4 : राजस्व की संभावित हानि का विवरण**

एम टी एन एल इकाई	जनवरी 2021 तक खाली स्थान उपलब्ध हैं	नौ महीने से अधिक समय से उपलब्ध खाली स्थान	कब से खाली	जनवरी 21 तक खाली पड़े रहे महीनों की संख्या	अपेक्षित मासिक राजस्व ₹ करोड़ में	कुल संभावित हानि ₹ करोड़ में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) <sup>52</sup>	(7)=(5)*(6)
दिल्ली	39	22	सितम्बर 19	17	3.04	51.68
		14	मार्च 20	11	1.74	19.14
मुंबई	106	98	सितम्बर 19	17	7.94	134.98
<b>कुल</b>	<b>145</b>	<b>134</b>			<b>12.72</b>	<b>205.80</b>

उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (दिसंबर 2021) कि अधिकांश एम टी एन एल भवन पुराने निर्माण हैं और नए किरायेदारों को आकर्षित करने के लिए रखरखाव की आवश्यकता है। निजी बिल्डरों द्वारा सभी नवीनतम सुविधाओं से युक्त दिल्ली व मुंबई दोनों कार्यालयों/ वाणिज्यिक स्थान उपलब्ध है जो एम टी एन एल से बेहतर है। यह भी कहा गया कि एम टी एन एल इमारतों को किराए पर देने और किराये की आय में वृद्धि के लिए सचेत प्रयास कर रहा है।

हालांकि, तथ्य यह है कि पहचान के बाद सत्रह महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कंपनी संपत्तियों को किराए पर नहीं दे पाई है।

**5.1.4.8 संपदा प्रबंधन ढांचा**

संपदा संपत्ति एक दुर्लभ और मूल्यवान संपत्ति है और इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक उद्यम के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए, कंपनी के लिए संपदा प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीति और निर्धारित प्रक्रियाओं का होना महत्वपूर्ण था। इसके अलावा कॉर्पोरेट स्तर पर या/ और दिल्ली और मुंबई में इकाई स्तर पर स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ संपदा प्रबंधन के लिए एक समर्पित प्रशासनिक ढांचा भी महत्वपूर्ण था।

<sup>52</sup> जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है

- ❖ लेखापरीक्षा में देखा गया कि गठन के 35 वर्षों के बाद भी, कंपनी के पास विस्तृत भूमि और संपदा प्रबंधन नीति के दस्ततावेज नहीं थे। इसने संपत्ति को किराए पर देने/पट्टे पर देने के सीमित उद्देश्य के लिए केवल 2006 और 2010 में कुछ दिशानिर्देश जारी किए थे। ये दिशानिर्देश भी बहुत प्रभावी नहीं थे क्योंकि उन्होंने कई खाली भवनों को प्रभावी रूप से पट्टे/ किराए पर देने में कम्पनी को समर्थ नहीं बनाया और संभावित राजस्व की हानि हो रहा थी।
- ❖ इसके अलावा, यह देखा गया कि 2019 तक कंपनी के पास कंपनी की संपदा के प्रबंधन के लिए एक समर्पित प्रशासनिक ढांचा नहीं था। 2019 में एमटीएनएल के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज की सरकार की मंजूरी के बाद ही, मुद्राकरण से संबंधित को संभालने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन (एएम) इकाई का गठन (दिसंबर 2019) किया गया था और अचल सम्पदा परिसंपत्तियों के मुद्राकरण के मामलों से निपटने के लिए और दूरसंचार विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) इत्यादि सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ संचार और समन्वय के लिए और इसकी संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए दिल्ली (दिसम्बर 2019) और मुंबई (फरवरी 2020) में इकाई स्तर पर एएम सेल का गठन किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि एम टी एन एल में, फील्ड यूनिट दिल्ली और मुंबई, उनके अधिकार क्षेत्र में संपत्तियों के लिए संरक्षक इकाइयां हैं और संबंधित कार्यकारी निदेशक सभी भूमि/ भवन संबंधी मामलों का प्रबंधन करते हैं। 2019 में एम टी एन एल के लिए पुनरुद्धार पैकेज की सरकार की मंजूरी से पहले, बिक्री, पट्टे या लाइसेंस जैसे विभिन्न माध्यमों से सरकार/ सरकार नियंत्रित वैधानिक प्राधिकरणों के कब्जे और नियंत्रण में भूमि के हस्तांतरण के संबंध में कोई स्पष्ट सरकारी निर्देश/ नीति नहीं थी। दिसंबर 2020 में जी ओ एम<sup>53</sup> द्वारा ₹100 करोड़ तक की परिसंपत्ति के मुद्राकरण के लिए एक दिशानिर्देश/ प्रक्रिया तैयार करने के निर्णय के बाद , एम टी एन एल में अचल सम्पदा के मुद्राकरण के लिए एकमुश्त बिक्री/ हस्तांतरण के साथ-साथ विस्तृत परिचालन निर्देशों के साथ एक नीति तैयार की गई। डीओटी ने उल्लेख किया (दिसंबर 2021) कि सीपीएसई की संपत्ति के मुद्राकरण के लिए दिशानिर्देश मार्च 2019 में दीपम द्वारा जारी किए गए थे और कैबिनेट ने अक्टूबर 2019 में संपत्ति के मुद्राकरण के निर्णय सहित एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए डीओटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

डी ओ टी ने प्रबंधन द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर किए बिना दिसंबर 2021 में प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया।

---

<sup>53</sup> 21 दिसंबर 2020 को आयोजित "एमटीएनएल के पुनरुद्धार" के लिए गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक



इस प्रकार तीन दशकों से अधिक की लंबी अवधि के लिए इस कार्य का समर्थन करने के लिए एक दस्तावेज व्यापक संपदा प्रबंधन नीति और एक समर्पित प्रशासनिक संरचना की अनुपस्थिति ने एमटीएनएल में संपत्तियों के मुद्रिकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। भूमि स्वामित्व अभिलेखों के रखरखाव और अद्यतन, खाली भूमि के उपयोग और प्रबंधन, संपत्तियों को पट्टे पर देने/ किराए पर लेने जैसे प्रमुख कार्य नहीं किए गए थे, जिससे कंपनी अपनी खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद अपनी संपत्तियों के मुद्रिकरण का कोई लाभ नहीं उठा सकी।

### 5.1.5 संपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए प्रस्ताव

#### 5.1.5.1 एम टी एन एल के स्वामित्व वाली संपत्तियों का अनुमानित/ योजनाबद्ध मुद्रिकरण

सरकार ने “एम टी एन एल के पुनरुद्धार” के लिए डी ओ टी के एक प्रस्ताव (अक्टूबर 2019) को मंजूरी दी जिसमें दीपम के दिशानिर्देशों के अनुसार भूमि/ भवन परिसम्पत्ति संपदा के मुद्रिकरण का प्रावधान शामिल था। उपरोक्त के आधार पर, एम टी एन एल ने परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए एक रोडमैप की परिकल्पना की, जैसा कि तालिका 5.5 में वर्णित है।

तालिका 5.5: संपत्ति का वर्ष-वार अनुमानित मुद्रिकरण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
एम टी एन एल	300	7,000	7,000	3,000	17,300

कुछ शर्तों के अनुपालन के अंतर्गत तालिका 5.6 में वर्णित दिल्ली और मुंबई दोनों इकाइयों की संपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के बारे में डी ओ टी ने अवगत कराया।

तालिका 5.6 : संपत्तियों के मुद्रिकरण के अनुमोदन का विवरण

प्रस्ताव भेजे गए	दिल्ली	मुंबई	कुल
चरण- I (13 नवंबर 2019)	35 संपत्तियां 96 स्टाफ क्वार्टर 11 संपत्तियां	23 संपत्तियां 403 स्टाफ क्वार्टर 05 संपत्तियां	58 संपत्तियां 499 स्टाफ क्वार्टर 16 संपत्तियां
चरण- I (16 दिसंबर 2019) (आवासीय स्टाफ क्वार्टर)	96 फ्लैट	398 फ्लैट	494 फ्लैट/ संपत्तियां
चरण- II (17 जुलाई 2020)	24 संपत्तियां	18 संपत्तियां	42 संपत्तियां

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि कंपनी सभी शर्तों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में है, फिर भी स्वामित्व विलेख अभी भी दूरसंचार विभाग के नाम होने तथा कंपनी के नाम ना होने, भूमि पर निरंतर अतिक्रमण आदि जैसे कारणों से, वैधानिक दस्तावेज दीपम को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। दिल्ली में स्थित संपत्तियों के संबंध में, कंपनी को भूमि की श्रेणी

को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए रूपांतरण शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। हालांकि कंपनी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से मुद्दीकरण के बाद सभी शुल्कों का भुगतान करने की अनुमति देने के लिए छूट की मांग की थी (जून 2021) परिणाम ज्ञात नहीं है।

लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि मुंबई में, मुद्दीकरण के लिए पहचानी गई परिसंपत्तियों में 13 ऐसी परिसंपत्तियां शामिल थीं जिन्हें कृषि भूमि कहा गया था, चार संपत्तियां अतिक्रमण के तहत और चार परिसंपत्तियां जिनके पास कंपनी के नाम पर टाइटल डीड नहीं था। इसी तरह दिल्ली में 27 ऐसी परिसंपत्तियां थीं जहां कंपनी के पास कोई लीज डीड उपलब्ध नहीं थी **(अनुलग्नक 5.1)** यहां, यह उल्लेख करना उचित है कि लीजहोल्ड परिसंपत्तियों के मामले में, कंपनी को उन्हें फ्रीहोल्ड परिसंपत्तियों में परिवर्तित करना होगा, इससे पहले कि वे मौजूदा सर्किल दरों पर सक्रिय बाजार में बेचे जा सकें। इसके अलावा, कंपनी को परिसंपत्ति के भूमि उपयोग को आवश्यक भूमि उपयोग में बदलने की आवश्यकता है और भूमि को कंपनी के नाम पर दाखिल कराना होगा ताकि भूमि को बिक्री योग्य बनाया जा सके।

मुद्दीकरण के रोडमैप के संबंध में की गई प्रगति पर, प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि अंतर मंत्रालयी समूह ने ₹5,158 करोड़ के संभावित मूल्य के साथ चरण -I में शामिल मुंबई की कुछ परिसंपत्तियों के मुद्दीकरण के लिए मंजूरी दे दी है। इन परिसंपत्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे और उन्होंने परिसंपत्ति की व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यद्यपि, अभी तक किसी भी परिसंपत्ति का मुद्दीकरण नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर सरकारी अनुमोदन में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन और चरण I की समय-सीमा पर मौन था।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021) कि आई एम जी द्वारा चरण-I में दिल्ली परिसंपत्तियों के मुद्दीकरण को रोक दिया गया था क्योंकि दिल्ली में अधिकांश परिसंपत्तियां डी डी ए द्वारा लीजहोल्ड आधार पर संस्थागत परिसंपत्ति आवंटित की गई थीं। इसने आगे कहा, कि कंपनी इन परिसंपत्तियों के मुद्दीकरण/ एकमुश्त बिक्री के लिए डी डी ए से एनओसी प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी; हालांकि, एम टी एन एल 27 डी डी ए आवंटित संपत्तियों में से केवल 20 के लिए कई राइडर्स के साथ एनओसी प्राप्त करने में सक्षम हुई थी। मुंबई संपत्तियों के चरण -I के संबंध में, यह कहा गया था कि दीपम द्वारा एक भूमि पार्सल (₹270 करोड़) और 20 क्वार्टर (₹20.32 करोड़) को नीलामी के चरण तक ले जाया जा सकता है, नीलामी 2022 के शुरुआत में पूरी की जाएगी, मुंबई में शेष 378 क्वार्टर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति सलाहकार (आई पी सी) की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अन्य परिसंपत्तियों में आरक्षण और पदनाम का मुद्दा था जो इसके मुद्दीकरण को प्रभावित कर रहा है। यह भी उल्लेख किया गया था कि एम टी एन एल शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र और ग्रेटर मुंबई के नगर निगम (एमसीजीएम) के साथ पदनाम और आरक्षण संबंधी मुद्दों को हटाने के लिए प्रयास कर रहा था। दिल्ली में होल्डिंग का मुद्दा और मुंबई में आरक्षण/ पदनाम का मुद्दा दूसरे चरण की परिसंपत्तियों के लिए

भी बना रहा। एम टी एन एल में अचल परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए एक व्यापक नीति अब तैयार की गई है और दूरसंचार विभाग से अनुमोदन प्राप्त और परिचालित किया गया है। इसके अलावा एम टी एन एल की 11 परिसंपत्तियों को पहले चरण के तहत मुद्रीकरण के लिए दीपम को भेजा गया था, जिसमें से छह परिसंपत्तियों को श्रेणी क के तहत माना गया था, जिसके लिए आईपीसी की नियुक्ति की गई थी। एम टी एन एल की चार परिसंपत्तियों में आरक्षण/ पदनाम के मुद्दे हैं। ई-नीलामी के लिए दो परिसंपत्तियों को मंजूरी दी गई है।

जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्वीकार किया गया (अप्रैल 2021) एम टी एन एल ने दीपम दिशानिर्देशों के आधार पर मुद्रीकरण के लिए चरण-I के लिए ₹6,228 करोड़ और चरण-II के लिए ₹11,836 करोड़ के संभावित बाजार मूल्य के साथ परिसंपत्ति प्रस्तुत की। हालांकि, एम टी एन एल मुंबई की एक अतिक्रमित परिसंपत्ति सहित केवल दो परिसंपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए आगे बढ़ाया जा सका।

यह सब दर्शाता है कि भूमि परिसंपत्ति के मुद्रीकरण की प्रक्रिया अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। नवंबर 2019 में मुद्रीकरण के चरण-I और जुलाई 2020 में चरण-II के लिए सरकार की मंजूरी के आधार पर, कंपनी परिसंपत्ति को बिक्री योग्य बनाने के लिए अपनी परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की प्रक्रिया में थी। एम टी एन एल वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक ₹14,300 करोड़ की परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लक्ष्य, जिससे कि कर्ज चुकाये जाने और अपने सी ए पी ई एक्स और अन्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, से बहुत दूर है। अगर कंपनी और डी ओ टी ने इन सभी वर्षों में खाली परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की समस्याओं पहचान की और उन पर कार्रवाई की होती, तो मुद्रीकरण प्रक्रिया सुचारू हो जाती।

#### 5.1.6 निष्कर्ष

एम टी एन एल द्वारा संपदा प्रबंधन पर अनुपालन लेखापरीक्षा ने पुष्टि की है कि न तो कंपनी और न ही सरकार ने दूरसंचार विभाग में इन सभी वर्षों में उन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया, जो कंपनी के कब्जे में थीं। हालांकि एम टी एन एल के पास दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर लगभग ₹57,750 करोड़ मूल्य की पर्याप्त भूमि और प्रमुख परिसंपत्तियां थी, कंपनी अपनी खाली भूमि और भवनों का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने और अपनी खराब वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त निधि एकत्र करके, इसका लाभ उठाने में असमर्थ थी। कंपनी को लगभग ₹14,300 करोड़ का नुकसान हुआ था जो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए राजस्व अर्जित करने हेतु संपत्तियों के मुद्रीकरण की सख्त आवश्यकता बताता है।

कंपनी के कब्जे में संपत्तियों का स्पष्ट स्वामित्व नहीं था, संपत्ति का भूमि उपयोग इसकी बिक्री या मुद्रीकरण की अनुमति देने के लिए नहीं बदला गया था, म्यूटेशन नहीं किया गया था, खाली संपत्तियों पर अतिक्रमण और लंबित मुकदमेबाजी चल रही थी। कंपनी किराये पर

दी गई संपत्तियों से किराया वसूल करने में असमर्थ थी और मार्च 2021 के अंत में देय राशि ₹150.74 करोड़ थी। 2019 से सरकारी योजनाओं के तहत अपनी संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के कंपनी के प्रयास अभी भी जारी थे।

### 5.1.7 अनुशासन

- ❖ एम टी एन एल कॉर्पोरेट मुख्यालय में एक समर्पित प्रशासनिक ढांचे द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक व्यापक संपदा प्रबंधन नीति बना सकता है।
- ❖ कंपनी, अपनी संपत्तियों का स्पष्ट शीर्षक प्राप्त करने के लिए समर्पित प्रयास कर सकती है, खासकर जब इसकी संपत्तियों का विमुद्रीकरण किया जाना हो।
- ❖ डी ओ टी भूमि स्वामित्व में परिवर्तन, आरक्षण और पदनाम से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न निर्णय लेने में लेखापरीक्षा में देखी गई देरी और कमियों की व्यापक जांच कर सकता है जो उसकी भूमि परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण को प्रभावित कर रहे हैं और उनकी बारीकी से निगरानी कर सकता है।
- ❖ संपत्ति के मूल्य और मात्रा/ आकार के संबंध में डेटा का मिलान न होना एक गंभीर कमी है जिसे कंपनी द्वारा संपत्तियों की सुचारु बिक्री सुनिश्चित करने के लिए तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है।
- ❖ कंपनी अन्य संगठनों को पट्टे/ किराए पर लेने से संबंधित मामलों को सुलझाने और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए किराये की देय राशि की वसूली के लिए सख्त कदम उठा सकती है। कंपनी अपने देय राशि को प्रभावित करने के लिए कब्जा करने वाले प्राधिकरण के साथ वैध किराया करार भी सुनिश्चित कर सकती है।

### 5.2 भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में टेलीकॉम फैक्ट्रियों का भंडारण प्रबंधन

टेलिकॉम फैक्ट्रियों ने अधिक सामग्री की खरीद की जिससे माल और भंडार का संचय हुआ। घटती मांग के परिणामस्वरूप अप्रयुक्त कच्चा माल और तैयार टॉवर सामग्री, जिसकी कीमत क्रमशः ₹18.45 करोड़ और ₹47.44 करोड़ है, 2015-16 से स्टोर में बेकार पड़ा है इससे कम्पनी को संभावित हानि हुई।

#### 5.2.1 प्रस्तावना

बीएसएनएल के पास विभिन्न लाइन स्टोर, केबल एक्सेसरीज (अर्थात् ड्रॉपवायर और एच डी पी ई पी एल बी पाइप) कॉइन बॉक्स टेलीफोन, एक्सचेंज उपकरण, टावर आदि के उत्पादन और आपूर्ति के लिये इन-हाउस निर्माण इकाइयां हैं, जिनका टेलीकॉम फैक्ट्रियों (टीएफ) में उत्पादन होता है। राज्यों में उनसे संबंधित बीएसएनएल सर्किल कार्यालयों के प्रशासनिक प्रभार के तहत सात दूरसंचार फैक्ट्रियाँ पश्चिम बंगाल में अलीपुर, गोपालपुर और खड़गपुर, मध्य प्रदेश में राइट टाउन, रिचाई और भिलाई और महाराष्ट्र में मुंबई थीं।

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, 2020 में बीएसएनएल के सर्कलों के पुनर्गठन से पहले, अलीपुर, गोपालपुर और खड़गपुर में टीएफ को मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) टीएफ, कोलकाता सर्कल के तहत समूहीकृत किया गया था; राइट टाउन, रिचाई और भिलाई टीएफ को सीजीएम टीएफ, जबलपुर सर्कल के तहत समूहीकृत किया गया था और मुंबई स्वयं सी जी एम टी एफ, मुंबई सर्कल के तहत स्वतंत्र था। इन फैक्टरियों ने मुख्य रूप से पी एल बी पाइप और ड्रॉपवायर का उत्पादन किया। सर्कलों से मांग में कमी के कारण ड्रॉपवायर का उत्पादन काफी कम हो गया। एचडीपीई पीएलबी पाइप का उत्पादन खड़गपुर टीएफ और रिचाई टीएफ को छोड़कर इन फैक्टरियों में किया गया था।

**तालिका 5.7** वित्तीय दृष्टि से पिछले छह वर्षों के दौरान फैक्टरियों की उपलब्धि के साथ-साथ पाइप और संबंधित सामग्री के उत्पादन लक्ष्य का वर्णन करती है।

**तालिका 5.7: 2015-21 के दौरान टेलिकॉम फैक्टरियों का लक्ष्य और उपलब्धि**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	मुख्य महाप्रबंधक (टीएफ) कोलकाता सर्कल		मुख्य महाप्रबंधक (टीएफ) जबलपुर सर्कल		मुख्य महाप्रबंधक (टीएफ) मुंबई सर्कल		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	190	192.95	0	139.89	151	133.87	341	466.71
2016-17	232	195.09	185	150.22	190	121.84	607	467.15
2017-18	224	214.6	175	147.54	182	144.17	581	506.31
2018-19	129	159.46	120	141.44	100	107.93	349	408.83
2019-20	0*	19.21	0*	9.43	0*	26.38	0*	55.02
2020-21	70	57.07	72	43.36	82	14.88	224	115.31

स्रोत: टेलिकॉम फैक्टरियों की एम आई एस रिपोर्ट

\*बीएसएनएल में निधि की कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

### 5.2.2 लेखापरीक्षा का दायरा, उद्देश्य और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि के लिये सातो टीएफ में कच्चे माल/ तैयार माल की प्राप्ति और जारी, सामग्री की बुकिंग, स्टोर में पड़ी अप्रयुक्त सामग्री, अचल और अप्रचलित सामग्री और उनके निपटान, रिकॉर्ड और सामग्री का भौतिक सत्यापन, बीएसएनएल सीओ द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित निर्देशों के अनुपालन से संबंधित बनाए गए अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांचना था कि क्या सामग्री की खरीद और उत्पादन बीएसएनएल के मानदंडों के अनुसार था और सामग्री का प्रबंधन किफायती और कुशल था। लेखापरीक्षा ने सामग्री प्रबंधन अभिलेखों जैसे कि प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), भौतिक सत्यापन रिपोर्ट, पड़ी हुई सामग्री के उपयोग/ निपटान के संबंध में समिति की रिपोर्ट, दूरसंचार विभाग और बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी दिशानिर्देश, की जांच की।

### 5.2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 5.2.3.1 अप्रयुक्त कच्चा और तैयार टावर सामग्री का लंबे समय से भंडारों में पड़ा रहना

डीओटी ने उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिये “सेवा प्रदाताओं और बुनियादी ढांचा प्रदाताओं के बीच बुनियादी ढांचे साझाकरण” पर दिशानिर्देश जारी किए (अप्रैल 2008) और टावरों/ खम्भों, भवन, शेड, बिजली आपूर्ति, बैटरी बैकअप पावर उपकरण, वातानुकूलन आदि सहित निष्क्रिय बुनियादी ढांचे के साझाकरण की अनुमति दी। यह उम्मीद की गई थी कि इससे न केवल सेवा प्रदान करने की लागत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण की गिरावट को रोकने में भी मदद मिलेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा बुनियादी ढांचे को साझा करने के कारण टावरों की मांग में गिरावट हुई। तथापि, बीएसएनएल ने इस घटती प्रवृत्ति का संज्ञान नहीं लिया और 2009-10 से 2011-12 के दौरान टावरों के उत्पादन के लिये कच्चे माल की खरीद जारी रखी। परिणामस्वरूप, 40 मीटर टावरों के निर्माण के लिये कच्चा माल इकट्ठा हो गया और अप्रैल 2015 में ₹25.60 करोड़ मूल्य की सामग्री स्टोर में जमा हुई। उपरोक्त में से, बीएसएनएल ने 2015-16 से 2020-21 की अवधि के दौरान मार्च 2021 तक शेष राशि ₹18.45 करोड़<sup>54</sup> को छोड़कर, ₹7.14 करोड़ मूल्य की सामग्री उपयोग की या अन्य फैक्टरियों में स्थानांतरित कर दी।

इसके अलावा, कंपनी ने टावर सामग्री का अतिरिक्त उत्पादन कर दिया, जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि मार्च 2021 तक बिना किसी लाभकारी उपयोग के 2015-16 से ₹47.44 करोड़<sup>55</sup> की तैयार टॉवर सामग्री टेलीकॉम फैक्टरियों के स्टोर में खुली जगह में पड़ी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, टीएफ कोलकाता और टीएफ जबलपुर के प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021 और नवंबर 2020) कि 2005-10 के दौरान मोबाइल टेलीफोन के विस्तार के कारण टावर की भारी मांग थी। इसके बाद टेलीफोन ऑपरेटरों के बीच निष्क्रिय बुनियादी ढांचे का साझा करने के संबंध में सरकार की नीति में बदलाव के कारण गिरावट आई। तदनुसार, सभी ब्लैक टॉवर सामग्री 2018-19 में बिक चुकी थी। हालांकि टावरों के उत्पादन को 2011-12 से बंद कर दिया गया था, लेकिन टावर के तैयार पुर्जे, कच्चा माल, डब्ल्यूआईपी आइटम और काले रंग के गढे हुए घटक अप्रयुक्त पड़े थे। इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि कुछ सर्कलों की आवश्यकता के लिये कुछ सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मामले के निपटान या किसी अन्य कार्रवाई की मंजूरी के लिए जांच की जा रही है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यद्यपि 2010-11 से टावर की मांग में अचानक गिरावट आई थी, कॉर्पोरेट कार्यालय ने 2010-11 और 2011-12 में टावरों के उत्पादन के लिये

<sup>54</sup> अलीपुर ₹0.61 करोड़, गोपालपुर ₹0.10 करोड़, खडगपुर ₹0.36 करोड़, राइट टाउन ₹11.09 करोड़, भिलाई ₹2.90 करोड़, और रिचाई ₹3.40 करोड़

<sup>55</sup> गैल्वेनाइज्ड स्टॉक अलीपुर ₹0.21 करोड़, गोपालपुर ₹3.92 करोड़, खडगपुर ₹19.20 करोड़, राइट टाउन ₹13.12 करोड़, और रिचाई ₹10.90 करोड़ गोपालपुर टीएफ में ब्लैक टावर कंपोनेट ₹0.09 करोड़

लक्ष्य निर्धारित करना जारी रखा और उस अवधि के दौरान फैक्टरियों ने टावरों का उत्पादन किया। फैक्टरियों के अधिकारियों ने भी टावरों की मांग में गिरावट को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएँ वास्तविक रूप से तैयार नहीं की।

इस प्रकार, अविवेकपूर्ण योजना और टावरों की मांग में गिरावट की प्रवृत्ति की बाजार स्थिति को समझने के लिये कंपनी की ओर से देरी के परिणामस्वरूप न केवल ₹18.45 करोड़ के टावरों के लिये कच्चा माल बेकार पड़ा रहा, बल्कि ₹47.44 करोड़ के तैयार उत्पाद भी बेकार पड़े रहे। कंपनी की निधि को भी उस सीमा तक अवरुद्ध कर दिया गया था और सामग्री के उपयोग/ निपटान में समय के अंतराल को देखते हुए, यह कंपनी को संभावित नुकसान होगा।

### 5.2.3.2 अचल, अप्रचलित और बेकार सामग्री का निपटान न करना

बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय ने सर्कलों को निर्देश जारी किए (जनवरी 2017) कि अप्रचलित और बेकार स्टोर/ उपकरण का निपटान और उपयोगी अधिशेष माल का उपयोग सामग्री प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था। यह आवश्यक था क्योंकि स्टोर और उपकरण लंबे समय तक उपयोग, तकनीकी में परिवर्तन, क्षति, आर्थिक मरम्मत से परे आदि के कारण अधिशेष, अप्रयुक्त, अप्रचलित, अनुपयोगी आदि हो जाता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये उपयोगी सामग्री के प्रयोग के अलावा ऐसी वस्तुओं का निपटान आवधिक आधार पर किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि टीएफ ने सामग्री प्रबंधन के उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया। बाद में, दूरसंचार उद्योग में प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के कारण स्टोरों का तेजी से अप्रचलन हो गया था। इसके कारण लंबे समय तक स्टोर का उपयोग नहीं हुआ और परिणामस्वरूप उनका अप्रचलन और गैर-निपटान हुआ। लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 46.98 करोड़<sup>56</sup> मूल्य की वस्तुएँ 2015-16 से स्टोर में अप्रयुक्त पड़ी थीं और स्टॉकयार्ड/ वेयरहाउस में बहुत जगह घेर रखी थी और उन पर भी अतिरिक्त व्यय हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप समय बीतने के साथ स्टोर वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा और मूल्य में गिरावट आई।

यह भी देखा गया कि 2015-16 से ₹9.50 करोड़<sup>57</sup> मूल्य की अप्रचलित घोषित सामग्री स्टोर में पड़ी थी, जिससे स्टोर्स की गुणवत्ता में गिरावट आई।

दूरसंचार विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि टेलीकॉम फैक्ट्री कोलकाता में इन स्टोर के लाभकारी उपयोग या निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे थे और टेलीकॉम फैक्ट्री मुंबई में, ₹1.15 करोड़ के नॉन-मूविंग/ स्लो मूविंग स्टोर मार्च 2021 तक घटकर ₹64.86 लाख रह गए। अप्रचलित स्टोर के लिए, विभाग ने कहा कि अप्रचलित स्टोर का टीएफ कोलकाता (अलीपुर, गोपालपुर और खड़गपुर) और भिलाई में निपटान किया गया था।

<sup>56</sup> अलीपुर ₹0.66 करोड़, गोपालपुर ₹4.14 करोड़, खड़गपुर ₹23.32 करोड़, राइट टाउन ₹6.05 करोड़, रिचर्ड ₹5.09 करोड़, भिलाई ₹6.57 करोड़, और मुंबई ₹1.15 करोड़

<sup>57</sup> अलीपुर ₹1.48 करोड़, गोपालपुर ₹0.69 करोड़, खड़गपुर ₹6.66 करोड़, राइट टाउन ₹0.66 करोड़, भिलाई ₹0.006 करोड़



मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सितंबर 2021 तक अचल स्टोर टी.एफ मुम्बई में फिर से बढ़कर ₹1.17 करोड़ हो गया था और टीएफ जबलपुर (राइट टाउन) में ₹46.42 लाख मूल्य के अप्रचलित स्टोर का अभी भी मार्च 2021 तक निपटान नहीं किया गया था।

### 5.2.3.3 भंडारण रजिस्टर के रखरखाव में विसंगतियां

बीएसएनएल में कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के परिणामस्वरूप, कच्चे माल और तैयार उत्पादों को सीधे एसएपी में बुक किया गया था। परिणामस्वरूप, विभिन्न मैनुअल रजिस्टर बंद कर दिए गए (नवंबर 2015)।

अलीपुर, खड़गपुर, राइट टाउन, भिलाई और रिचाई फैक्टरियों की भंडारण/ प्राइस स्टोर लेजर और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 2015-16 से 2019-20 के दौरान भंडारण रजिस्टर और पीवीआर के बीच विभिन्न स्टोर आइटम और तैयार उत्पादों के मूल्य और मात्रा में ₹22.70 करोड़ का अंतर था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए आंकड़ों का मिलान करने पर सहमति व्यक्त की।

### 5.2.4 निष्कर्ष

सामग्री प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री की खरीद, भंडारण और वितरण के लिए प्रभावी योजना बनाना है। हालांकि, बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय और टेलिकॉम फैक्टरियों ने टावर सामग्री की बाजार में घटती मांग का विश्लेषण किए बिना कच्चे माल की खरीद की। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक इकट्ठा हो गया और कच्चा माल और टावर सामग्री के तैयार उत्पाद अप्रयुक्त पड़े रहे। टेलिकॉम फैक्टरियों ने समय पर बेकार/ अप्रचलित सामग्री का निपटान नहीं किया जिससे तकनीकी अप्रचलन हो गया और स्टोर की गुणवत्ता और मूल्य में और गिरावट आई। फैक्टरियों ने सामग्री रजिस्टर के प्रति भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में कमियों की पहचान नहीं की और उनका समाधान नहीं किया। फैक्टरियों में भंडारण प्रबंधन में विचलन नवंबर 2015 में एसएपी की शुरुआत के बावजूद थे।

### 5.2.5 अनुशंसाएं

- ❖ बीएसएनएल प्रचलित बाजार स्थितियों और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कच्चे माल और उत्पादन की व्यवहारिक खरीद की योजना बना सकता है ताकि कच्चे माल और उत्पादन की अधिक खरीद से बचा जा सके। वे दूरसंचार कारखानों में बेकार पड़े सामग्री टावरों के उपयोग/ निपटान के लिए शीघ्र निर्णय ले सकते हैं।
- ❖ बीएसएनएल अप्रचलित माल के स्टॉक की समीक्षा कर सकता है और सामग्री के मूल्य में और गिरावट से बचने के लिए उनके निपटान के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू कर सकता है।



## अध्याय

## VI

## इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

## 6.1 एन आई सी एस आई की अपर्याप्त ऋण वसूली तंत्र

एन आई सी एस आई में उचित वसूली तंत्र न होने से सरकारी विभागों/ एजेंसियों से देय राशि ₹111.20 करोड़ का संचय हुआ और इसने पूर्ण परियोजनाओं के राजस्व हानि के जोखिम को उजागर किया।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा आई एन सी (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) के अंतर्गत कम्पनी के खंड 8 के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन आई सी), एम ई आई टी वाई व अन्य सरकारी विभागों व संगठनों (जैसे-पी एस यू, स्वायत्त निकाय इत्यादि) द्वारा शुरू की गई ई गवर्नेंस परियोजनाओं हेतु सूचना व प्रौद्योगिकी (आई टी) समाधान करने व खरीदने के लिए है जिसके लिए यह समय-समय पर निर्धारित दरों पर 'प्रशासनिक प्रभार' लेता है।

एन आई सी एस आई (कंपनी) ने आई टी परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सरकारी विभागों और सरकारी एजेंसियों के साथ करार/ समझौता ज्ञापन किया था। कंपनी ने 1995 में स्थापना के बाद से लगभग 35,000 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया था, जिसमें से लगभग 4,030 परियोजनाएं बकाया/ प्रगति पर थी और मार्च 2021 तक 30,970 परियोजनाएं बंद/ पूर्ण बताई गई थीं। 31 मार्च 2021 तक कंपनी को ₹98.23 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ और इसकी मुख्य आय प्रशासनिक प्रभारों, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और बैंको के पास अधिशेष निधि पर ब्याज के ही थे।

कंपनी प्रयोगकर्ताओं/ ग्राहकों/ ग्राहक विभागों से 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की मांग के लिए प्रोफार्मा बीजक जारी करती है, जिसे अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं और सामानों की खरीद के लिए विक्रेताओं को भुगतान करना होता है। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि प्रयोगकर्ता विभागों से अग्रिम प्राप्त होने पर, कंपनी ने अपने पैन्ल में शामिल उन विक्रेताओं को कार्य आदेश दिए जिन्होंने आदेश पूरा होने के बाद कम्पनी को बीजक जमा किए और कार्य आदेश में भुगतान की शर्तों के अनुसार उन्हें भुगतान किए। तथापि, प्रयोगकर्ता विभागों ने परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी अग्रिमों/ शेष देय राशियों के भुगतान में चूक की जबकि एन आई सी एस आई ने पहले ही विक्रेताओं को भुगतान कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप बड़े देनदारों का संचय हुआ और 31 मार्च 2021 तक, कम्पनी के पास ₹348.69 करोड़<sup>58</sup> की देनदारी का संचय था। इसमें से ₹111.20 करोड़ का बकाया, 2,378 परियोजनाओं से संबंधित

<sup>58</sup> ग्राहक विभाग में 29 केन्द्र सरकार के विभाग, 24 राज्य सरकार के विभाग, 5 पी एस यू, 6 स्वायत्त संस्थान आदि शामिल हैं

था जो 1998 से 2021 के दौरान पूरी की गई थी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका 6.1 में सक्षेपित किया गया है।

**तालिका 6.1: अवधि वार बकाया प्राप्य**

परियोजनायें पूर्ण	बकाया देय (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
पिछले दस वर्ष से अधिक (1998 से 31.03.2011)	37.16	33.42
पांच से दस वर्ष पूर्व (01.04.2011 से 31.03.2016)	41.00	36.87
तीन से पांच वर्ष पूर्व (01.04.2016 से 31.03.2018)	19.16	17.23
तीन वर्ष पूर्व तक (01.04.2018 से 31.03.2021)	13.88	12.48
<b>कुल</b>	<b>111.20</b>	<b>100</b>

उपरोक्त तालिका 6.1 के अनुसार, बकाया देयों का 87.52 प्रतिशत तीन वर्षों से अधिक का था, ऐसे पुराने देयों की वसूली की सम्भावना समय बीतने के साथ धूमिल हो गई थी। इसके अतिरिक्त, बकाया देयों का ₹46.34 करोड़ 628 बंद परियोजनाओं से संबंधित था जिसे एन आई सी एस आई द्वारा अपने मूल विभाग/ कार्यालय अर्थात एन आई सी की ओर से किया गया था, इसमें से ₹23.52 करोड़ उन 227 परियोजनाओं से सम्बन्धित थे जो कि पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से बंद पडी थी। 31 मार्च 2021 तक बकाया ₹111.20 करोड़ के देनदारों में से ₹86.73 करोड़ (लगभग 78 प्रतिशत) का भुगतान एन आई सी एस आई की आंतरिक निधि में से विक्रेताओं को किया गया था।

संवीक्षा से पता चला कि कम्पनी ने पूर्व की परियोजनाओं के देयों का निपटान करने के पहले ही उन्हीं ग्राहकों के साथ नई परियोजनायें शुरू की तथा उनसे प्राप्त अग्रिम के आधिक्य में अपनी निधि से व्यय करना जारी रखा। कम्पनी ने अपने लेखों में 10 वर्ष से भी अधिक पुराने देनदारों के लिये 100 प्रतिशत का प्रावधान, 5 से 10 वर्ष पुराने देनदारों के लिये 50 प्रतिशत तथा 3 से 5 वर्ष पुराने देनदारों के लिये 25 प्रतिशत प्रावधान दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा (जून 2018), इंगित किये जाने के बाद विक्रेताओं को दिये गये क्रय आदेशों में त्रुटियां स्वीकार करते हुये प्रबन्धन ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2018) बताया कि उसके बाद, इसने क्रय आदेशों में एक शर्त शामिल की कि सामान व सेवाओं की सुपुर्दगी/ प्रतिष्ठापन/ आपूर्ति के बाद, कम्पनी उपयोगकर्ता विभागों से शेष निधि प्राप्त होने के बाद ही विक्रेताओं को आगे भुगतान जारी करेगी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि यद्यपि एन आई सी एस आई द्वारा प्रपत्र बीजक में शर्त के रूप में उल्लेखित किया जा रहा था कि सम्मिलित 100 प्रतिशत की लागत अग्रिम में जारी की जाये, कुछ ग्राहक जी एफ आर प्रावधानों जिसमें केवल 40 प्रतिशत तक राशि अग्रिम में दिये जाना आवश्यक है, निधि प्रतिरोध इत्यादि जैसे कारणों के कारण कम राशि जारी कर रहे थे। तदनुसार, वार्षिक आधार पर बड़ी संख्या में देनदारों का संचयन हुआ है। कम्पनी ने

यह भी बताया कि नियमित जांच के अलावा, बड़ी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2021 में एक विशेष सेल का गठन किया गया था। मंत्रालय ने कम्पनी के उत्तर पर सहमति जताते हुए आश्वासन (सितम्बर 2021) दिया कि एन आई सी एस आई बकाया देयों की वसूली में तेजी लाने के लिए संबंधित उपयोगकर्ताओं के साथ आवश्यक कार्रवाई सक्रियता से जारी रखेगा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रय आदेश में विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित संशोधित खंड की प्रविष्टी व अनुसरण के बावजूद, कम्पनी ग्राहकों से पूर्ण परियोजनाओं की ₹111.20 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं कर सकी, जबकि उन्होंने अपनी आंतरिक निधि से विक्रेताओं को भुगतान किया था। जब परियोजनाओं पर कार्य चल रहा था, कम्पनी उन विभागों/ एजेंसियों से देय राशि के वसूली के बारे में पर्याप्त रूप से सतर्क नहीं थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी को राजस्व जोखिम के साथ ₹38.04 करोड़<sup>59</sup> के ब्याज के संभावित जोखिम का सामना करना पड़ा है। कम्पनी ने उन एजेंसियों से भी देय की वसूली के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जिनके साथ उसने नये करार किये थे।

इस प्रकार उचित प्रक्रियाओं और वसूली तंत्र न होने तथा वसूली के प्रति उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप परियोजनाओं के प्रति देय की वसूली/ निपटान नहीं हुआ।

**लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि**

**एन आई सी एस आई चालू तथा पूर्ण परियोजनाओं में एक कुशल वसूली तंत्र सुनिश्चित करे। उन्हें ग्राहकों के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने के प्रकरण से पहले उनके साथ पिछले लेखों का निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। वे विभिन्न ग्राहकों से अपने लंबित बकाया की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाये।**

<sup>59</sup> ब्याज में हानि की गणना परम्परागत आधार पर प्रतिवर्ष 6 प्रतिशत की दर पर 10 वर्षों के लिए ₹37.16 करोड़ पर, 5 वर्षों के लिए ₹41 करोड़ पर और 3 वर्षों के लिए ₹19.16 करोड़ पर की गई है

अध्याय	<b>वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के</b>
<b>VII</b>	<b>उपक्रम</b>

**7.1 अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) पर परिहार्य वित्तीय बोझ**

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट की निवेश समिति के एक निजी कंपनी के साथ कर्मचारी ट्रस्ट निधि का निवेश करने के अविवेकपूर्ण निर्णय से, ट्रस्ट को हुए नुकसान के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा। कंपनी को ईपीएफ ट्रस्ट को ₹1.37 करोड़ का ब्याज का काफी नुकसान उठाना पड़ा और ₹81.43 लाख की ब्याज देयता लंबित थी। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान के लिए ट्रस्ट को क्षतिपूर्ति भी करनी होगी क्योंकि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी (आईएल एंड एफएस) ने ब्याज के भुगतान में चूक की थी और परिसमापन में चली गई थी।

भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (फरवरी 1995) के रूप में इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, कि भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आरबीआई को सक्षम बनाया जा सके ताकि आरबीआई देश में बैंक नोटों की आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर को समाप्त कर सके। बीआरबीएनएमपीएल (कंपनी) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया है, जिसका पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय बंगलुरु में स्थित है। बीआरबीएनएमपीएल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ट्रस्ट की स्थापना मार्च 1997 में अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए की गई थी और इसे न्यासी मण्डल द्वारा प्रशासित किया जाता है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ ट्रस्टों द्वारा निवेश के लिए जारी अधिशेष निधियों के निवेश के लिए संशोधित निवेश दिशानिर्देश (सितंबर 2015) को बीआरबीएनएमपीएल के ईपीएफ ट्रस्ट द्वारा भी अपनाया गया था। इन संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट सरकारी प्रतिभूतियों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-i प्रतिभूतियां), ऋण लिखतों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-ii प्रतिभूतियां), अल्पावधि ऋण लिखतों और संबंधित निवेशों (श्रेणी-iii प्रतिभूतियां), इक्विटी और संबंधित निवेश (श्रेणी-iv प्रतिभूतियां) और समर्थित परिसंपत्ति, संरचित ट्रस्ट और विविध निवेश (श्रेणी-v प्रतिभूतियां) में निर्धारित प्रतिशत पर निवेश कर सकता है। निवेश के

निर्णय ट्रस्ट की निवेश समिति<sup>60</sup> द्वारा लिए जाने थे और ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किए जाने थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट पूरी तरह से 'वार्षिक यील्ड टू मैच्योरिटी' (ए वाई टी एम) के आधार पर एच-1 स्क्रिप्ट में निवेश कर सकता है। इसके अलावा, बीआरबीएनएमपीएल के ईपीएफ ट्रस्ट नियमों के पैरा 35 (बी) के अनुसार, नियोक्ता चोरी, संधमारी, गबन, दुर्विनियोग या किसी अन्य कारण से निधि को होने वाले किसी भी अन्य नुकसान की पूर्ति करेगा।

कंपनी के ईपीएफ ट्रस्ट की निवेश समिति ने ट्रस्ट के पास 30 जून 2017 को उपलब्ध ₹5.70 करोड़ श्रेणी (ii) प्रतिभूतियों में पीएसयू बांड, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान बांड, निजी क्षेत्र के बांड और सावधि जमा रसीदों में निवेश करने का निर्णय लिया। समिति ने अरेंजर्स से कोटेशन आमंत्रित किए और 14 अरेंजर्स से कोटेशन प्राप्त किए। तुलनात्मक विवरण के अनुसार, मेसर्स जे एंड के बैंक एच-1 के रूप में उभरा, जिसमें एवाईटीएम जून 2022 में 9.06 प्रतिशत की दर पर पूरा हो रहा था। हालांकि, निवेश समिति ने निवेश के लिए एच-1 पर विचार नहीं किया और इसके बजाय आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) द्वारा उद्धृत एच-2 स्क्रिप्ट में पूरी राशि का निवेश करने का निर्णय लिया (जून 2017) जिसमें एवाईटीएम जून 2024 में 7.99 प्रतिशत की दर पर पूरा हो रहा था।

लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021) कि निवेश समिति ने जेएंडके बैंक द्वारा एच-1 उद्धरण को इसे पर्याप्त आकर्षक नहीं पाए जाने के लिए कुछ भी निर्दिष्ट किए बिना केवल यह कहकर खारिज कर दिया कि यह एक बेसल III बॉन्ड था। निजी क्षेत्र के बांडों (दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 सी) के चयन के लिए संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, शेयरों की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग एएए और दो रेटिंग एजेंसियों से होनी चाहिए। हालांकि आईएल एंड एफएस के लिए क्रेडिट रेटिंग को दो रेटिंग एजेंसियों (केयर और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा तुलनात्मक विवरण में एएए के रूप में दिखाया गया था, केयर द्वारा दी गई रेटिंग की सत्यापन स्थिति को नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा 'सत्यापित नहीं' के रूप में दर्शाया गया था। निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी, आईएल एंड एफएस ने 22 जून 2018 को देय पहले वर्ष के लिए निवेश पर ₹45.60 लाख के ब्याज का भुगतान किया लेकिन 2019 से 2021 तक तीन वर्षों के लिए ब्याज की किश्तों की ₹1.37 करोड़ की राशि के भुगतान में चूक की। चूक के कारण, कंपनी को ट्रस्ट को हुए नुकसान की भरपाई करनी पड़ी। इसने ईपीएफ ट्रस्ट को वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए देय ब्याज के रूप में ₹55.37 लाख का भुगतान किया, जबकि कंपनी द्वारा वर्ष 2020-21 और 2021-22 (22 जून 2021 तक)

<sup>60</sup> निवेश समिति में अध्यक्ष (डीजीएम और उससे ऊपर के स्तर पर), ट्रस्टी सचिव और सलाहकार, कार्यकारी ट्रस्टी, एक प्रबंधन ट्रस्टी, कॉर्पोरेट कार्यालय में तैनात बीआरबीएनएमपीएल पीएफ ट्रस्ट के दो कर्मचारी ट्रस्टी शामिल होंगे

के लिए ₹81.43 लाख के ब्याज का भुगतान किया जाना बाकी था। इसके अलावा, ₹5.70 करोड़ की मूल राशि के संभावित नुकसान को भी कंपनी को वहन करना होगा क्योंकि आईएल एंड एफएस का परिसमापन होने वाला था। यह उल्लेख करना उचित है कि आईएल एंड एफएस ने 2018 और 2019 के दौरान 64 अन्य डिबेंचर धारकों को भी देय तिथियों पर ब्याज और डिबेंचर के प्रतिदान के भुगतान में चूक की थी। ऐसे में आईएल एंड एफएस से ₹5.70 करोड़ की मूल राशि की वसूली की संभावना न के बराबर है। इस प्रकार, दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को अपने स्वयं के फंड से मूलधन और ब्याज की कुल हानि ₹7.07 करोड़ (मूलधन ₹5.70 करोड़ और ब्याज ₹1.37 करोड़) की भरपाई करनी होगी। मूलधन की वसूली तक ब्याज दायित्व रहेगा।

प्रबंधन ने कहा (जून और अगस्त 2021) कि निवेश समिति ने एच-1 स्क्रिप्ट में निवेश नहीं करने का निर्णय लिया था क्योंकि यह एक बेसल III बांड था और साथ ही निवेश की तारीख को इसकी रेटिंग ए ए थी, जो आवश्यक क्रेडिट रेटिंग (ए ए+) से कम थी। पीएसयू बांड में निवेश के लिए उन्होंने यह कहते हुए निवेश को उचित ठहराया कि आईएल एंड एफएस की क्रेडिट रेटिंग एए थी जैसा कि दो एजेंसियों अर्थात् आईएनडी एंड केयर द्वारा किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सबसे पहले संशोधित निवेश दिशानिर्देशों के पैरा 2.1 (ii) के अनुसार, आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में निवेश को न्यूनतम एए रेटिंग के साथ अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, कम क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जेएंडके बैंक, जो एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, के एच-1 कोट को अस्वीकार करने के लिए निवेश समिति का निर्णय सही नहीं था। दूसरा, आईएल एंड एफएस ने उद्धरण प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार आईएनडी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा क्रेडिट रेटिंग को सत्यापित किया था और अन्य क्रेडिट रेटिंग को सत्यापित/ जांच नहीं देखा था। इसके अलावा दिशानिर्देशों के पैरा 4.2 (सी) के अनुसार, एकल जारीकर्ता/ कंपनियों के समूह के साथ निवेश चालू वर्ष में ट्रस्ट के कुल निवेश के पांच प्रतिशत या ₹5 करोड़ जो भी कम हो, तक सीमित किया जा सकता है। निवेश समिति ने निजी क्षेत्र की कंपनी में निर्धारित राशि से अधिक निवेश करते समय भी इस सीमा की अनदेखी की।

इस प्रकार, ईपीएफ ट्रस्ट का ईपीएफ ट्रस्ट के अधिशेष धन को एक निजी क्षेत्र की कंपनी में ₹5.70 करोड़ की सीमा तक निवेश करने का निर्णय उचित नहीं था, क्योंकि यह निवेश दिशानिर्देशों के अनुपालन में नहीं था। कंपनी के ईपीएफ ट्रस्ट को हुए नुकसान की भरपाई कंपनी को करनी है, जिससे अब तक ₹1.37 करोड़ का परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा, जिसमें से 2020-22 के लिए ₹81.43 लाख का ब्याज भुगतान हेतु लंबित है। कंपनी को ₹5.70 करोड़ की मूल राशि का भी भुगतान करना पड़ सकता है क्योंकि आईएल एंड एफएस ने तीन साल

के लिए ब्याज के भुगतान में चूक की थी और परिसमापन में चला गया था। इसके अलावा कंपनी पर ब्याज की देनदारी मूल राशि की वसूली तक रहेगी।

मामला सरकार को भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अप्रैल 2022)।

**लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि**

- ❖ कंपनी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईपीएफ ट्रस्ट निवेश के दिशा-निर्देशों का ईमानदारी से पालन करे ताकि हानि वाले निवेशों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
- ❖ कंपनी ट्रस्ट के उन कर्मचारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जिनके अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय के कारण कंपनी पर परिहार्य वित्तीय बोझ पड़ा है।

नई दिल्ली

दिनांक: 17 जून 2022



(मनीष कुमार)

महानिदेशक लेखापरीक्षा

वित्त एवं संचार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 21 जून 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक





---

---

## परिशिष्ट और अनुलग्नक

---

---



**परिशिष्ट-I**

(पैराग्राफ 1.6.1.7; 1.6.2.3; 1.7.2 देखें)

संचार मंत्रालय (एम.ओ.सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई), वित्त मंत्रालय और सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई) के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

क्र. स.	सी. पी. एस. यू. का नाम	भारत सरकार निवेश	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ/हानि (₹ करोड़ में)
<b>संचार मंत्रालय</b>					
<b>दूरसंचार विभाग</b>					
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	100	5000	18,594.81	(-7441.12)
2	बी.एस.एन.एल. टॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बी.एस.एन.एल. की सहायक कंपनी		0.31	0.01
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	56.25	354.38	1,788.41	(-2,461.79)
4	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम.टी.एल)	एम.टी.एन.एल. की सहायक कंपनी		0.27	0.14
5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)	100	60	933.63	1.44
6	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड	परिसमापन के तहत			
7	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	90	840.7	2,523.56	11.2
8	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड (टी.टी.एल.)	टी.सी.आई.एल. की सहायक कंपनी		0.06	(-9.89)
9	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी.सी.आई.एल.)	100	59.2	1,765.80	52.76
10	लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	टी.सी.आई.एल. की सहायक कंपनी		6.1	(-3)
11	बीना टोल रोड लिमिटेड	टी.सी.आई.एल. की सहायक कंपनी		17.58	1.38
<b>कुल</b>			6314.28	25630.53	14.17

डाक विभाग					
12	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	100	1255	213.13	(-)320.54
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय					
13	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा	100	2	1356.61	98.23
14	सी.एस.सी. ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड		58.26	1441.81	124.96
15	सी.एस.सी. वाई-फाई चौपाल	सी.एस.सी. की सहायक कंपनी		211.66	13.91
16	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	-	-	152.76	0
कुल			60.26	3162.84	237.1
वित्त मंत्रालय					
आर्थिक मामलों का विभाग					
17	सिक्वोरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस.पी.एम.सी.आई.एल.)	99.99	987.5	4883.74	423.81
18	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी.एन.पी.एम.आई.पी.एल.)	एस.पी.एम.सी.आई.एल और बी.आर.बी.एन.एम.पी.ए ल. का संयुक्त उद्यम	800	1126.46	271.21
19	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी.आर.बी.एन.एम.पी.एल.)	आर.बी.आई की सहायक कंपनी	1800	2806.17	446.83
20	नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन.आई.आई.एफ.टी.एल.)	100	0.02	0.23	0.05
कुल			3587.52	8816.6	1141.9

**परिशिष्ट-II**

(पैराग्राफ 1.12 का संदर्भ लें)

ए टी एन की संक्षिप्त स्थिति

दिसंबर 2021 तक संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के तहत विभागों से प्रतीक्षित

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	बिल्कुल नहीं मिला	पत्राचार के तहत	
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>डाक विभाग</b>				
1	2021 की 03	6	0	6
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>दूरसंचार विभाग</b>				
1	2016 की 4	30	निरंक	30
2	2018 की 21	1	निरंक	1
3	2021 की 03	3	3	0
	<b>कुल</b>	<b>34</b>	<b>3</b>	<b>31</b>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
1	2021 की 03	5	5	0
	<b>कुल</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>व्यय विभाग</b>				
1	2018 की 04	1	निरंक	1
2	2017 की 12	1	निरंक	1
	<b>कुल</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>आर्थिक मामलों का विभाग</b>				
1	2021 की 06	1	1	0
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>39</b>

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 1.13 का संदर्भ लें)

दिसंबर 2021 तक एम.ओ.सी, एम.ई.आई.टी.वाई और एम.ओ.एफ के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतीक्षित कार्रवाई की गई टिप्पणियों की संक्षिप्त स्थिति

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	एटीएन देय	बिल्कुल नहीं मिला	पत्राचार के तहत	
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>भारत संचार निगम लिमिटेड</b>				
1	2000 की 6	2	निरंक	2
2	2001 की 6	2	निरंक	2
3	2002 की 6	1	निरंक	1
4	2003 की 5	5	निरंक	5
5	2004 की 5	2	निरंक	2
6	2005 की 5	2	निरंक	2
7	2006 की 9 (पी ए)	2	निरंक	2
8	2006 की 13	4	निरंक	4
9	2007 की 10 (पी ए)	1	निरंक	1
10	2007 की 12	6	निरंक	6
11	2008 की 9 (पी ए)	1	निरंक	1
12	2008 की 10) सी ए(	1	निरंक	1
13	2008 की 12) सी ए(	6	निरंक	6
14	2009-10 की 09	1	निरंक	1
15	2009 की 25) सी ए(	5	निरंक	5
16	2010-11 की 10 (पी ए)	1	निरंक	1
17	2011-12 की 3	3	निरंक	3
18	2012-13 की 8	2	निरंक	2

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संख्या और वर्ष		एटीएन देय	बिल्कुल नहीं मिला	पत्राचार के तहत
19	2014 की 17	3	निरंक	3
20	2015 की 20	5	निरंक	5
21	2015 की 55	1	निरंक	1
22	2016 की 29	2	निरंक	2
23	2017 की 21	1	निरंक	1
24	2018 की 21	1	निरंक	1
25	2021 की 03	2	2	0
<b>कुल</b>		<b>62</b>	<b>2</b>	<b>60</b>
<b>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड</b>				
1	1999 की 3	1	निरंक	1
2	2004 की 5	1	निरंक	1
3	2007 की 10 (पी ए)	1	निरंक	1
4	2007 की 12	1	निरंक	1
5	2008 की 12) सी ए(	1	निरंक	1
6	2009-10 की 25	1	निरंक	1
7	2014 की 17	1	निरंक	1
8	2017 की 21	1	निरंक	1
<b>कुल</b>		<b>8</b>	<b>निरंक</b>	<b>8</b>
<b>आई टी आई लिमिटेड</b>				
1	2007 की 10	1	निरंक	1
2	2007 की 12	2	निरंक	2
3	2008 की 12	1	निरंक	1
4	2021 की 03	1	1	0
<b>कुल</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

लेखापरीक्षा रिपोर्ट की संख्या और वर्ष	एटीएन देय	बिल्कुल नहीं मिला	पत्राचार के तहत	
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
<b>नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉर्पोरेटेड</b>				
1	2017 की 21	1	निरंक	1
2	2015 की 55	1	निरंक	1
3	2021 की 03	1	1	0
<b>कुल</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>कुल योग</b>		<b>78</b>	<b>4</b>	<b>74</b>



**परिशिष्ट-IV**  
**(पैराग्राफ 1.14 देखें)**

वर्ष 2019-20 के लिए स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में प्रमाणन और खातों को जमा करने का विवरण

क्रमांक सं.	1 संगठन का नाम	2 प्रशासनिक मंत्रालय	3 खाता जमा करने की नियत तिथि	4 खाता जमा करने की वास्तविक तिथि	5 लेखापरीक्षा की अवधि	6 मुख्यालय को टिप्पणियां भेजने की तिथि	7 मुख्यालय अनुमोदन की तिथि	8 प्रमाण-पत्र/ एसएआर की देय तिथि	प्रमाण-पत्र/ एसएआर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण	संसद में नियुक्ति की तिथि
1	यू आई डी ए आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी	30-जून-20	9-जुलाई-20	20/07 से 17/08	11-04-2020	2-दिसंबर-20	6-नवंबर-20	4-दिसंबर-20	28	प्रक्रियात्मक देरी	लोकसभा- 17.03.2021 राज्य सभा- 18.03.2021
2	टी.आर.ए.आई.	संचार	30-जून-20	29-जुलाई-20	4/8 से 24/8	22/09/2020	16-अक्टूबर-20	26-नवंबर-20	21-अक्टूबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं	लोकसभा- 10.02.2021 राज्य सभा- 11.02.2021

वर्ष 2019-20 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में प्रमाणन और खातों को जमा करने का विवरण

क्रमांक सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	खाता जमा करने की नियत तिथि	खाता जमा करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	मुख्यालय को टिप्पणियां भेजने की तिथि	मुख्यालय अनुमोदन की तिथि	प्रमाण-पत्र/ एसएआर की देय तिथि	प्रमाण-पत्र/ एसएआर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण
1	बी एस एन एल	संचार	30-जून-20	14-अगस्त-20	24/8 से 25/9	20/10/2020	02-नवंबर-20	13-अक्टूबर-20	02-नवंबर-20	20	प्रक्रियात्मक देरी
2	बी.टी.सी.एल.	संचार	30-जून-20	27-जुलाई-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			25-सितंबर-20	07-अगस्त-20	देरी नहीं	लागू नहीं
3	एम.टी.एन.एल.	संचार	30-जून-20	04-अगस्त-20	10/8/ से 4/9	11-05-2020	04-दिसंबर-20	03-अक्टूबर-20	04-दिसंबर-20	62	प्रक्रियात्मक देरी
4	एम.टी.एल.	संचार	30-जून-20	06-अगस्त-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			05-अक्टूबर-20	13-अगस्त-20	देरी नहीं	लागू नहीं
5	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-20	09-अक्टूबर-20	14/10 से 4/11	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	08-दिसंबर-20	लागू नहीं	देरी नहीं	लागू नहीं
6	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-20	31-अगस्त-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			30-अक्टूबर-20	05-नवंबर-20	6	प्रक्रियात्मक देरी

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

7	आई टी आई	संचार	30-जून-20	08-जुलाई-20	13/7 से 14/8	15/9/2020		06-सितंबर- 20	19-अक्टूबर-20	43	प्रक्रियात्मक देरी
8	टी सी आई एल	संचार	30-जून-20	20-अगस्त-20	7/9 से 18/9	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	19-अक्टूबर- 20	23-अक्टूबर-20	4	प्रक्रियात्मक देरी
9	टी सी आई एल, एल टी आर एल	संचार	30-जून-20	10-सितंबर-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			09-नवंबर-20	11-सितंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
10	टी सी आई एल, बी टी आर एल	संचार	30-जून-20	28-अगस्त-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			27-अक्टूबर- 20	04-सितंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
11	टी टी एल	संचार	30-जून-20	24-अगस्त-20	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			23-अक्टूबर- 20	24-सितंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
12	आई पी पी बी	संचार	30-जून-20	04-अगस्त-20	17/8 से 21/8	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	03-अक्टूबर- 20	08-अक्टूबर-20	5	प्रक्रियात्मक देरी
13	एन आई सी एस आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-20	30-जुलाई-20	17/8 से 27/8	28/9/2020	23-अक्टूबर-20	28-सितंबर- 20	23-अक्टूबर-20	25	प्रक्रियात्मक देरी
14	बी बी एन एल	संचार	30-जून-20	10-नवंबर-20	17/11 से 26/11	16/12/2020	22-दिसंबर-20	09-जनवरी- 21	22-दिसंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
15	डी आई सी	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-20	17-नवंबर-21	23/11 से 13/12/2021	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	16-जनवरी- 22	18-जनवरी-22	2	प्रक्रियात्मक देरी
16	एस पी एम सी आई एल	वित्त	30-जून-20	24-अगस्त-20	1/9 से 25/9	11-04-2020	19-नवंबर-20	23-अक्टूबर- 20	19-नवंबर-20	27	प्रक्रियात्मक देरी
17	बी आर बी एन एम पी एल	वित्त	30-जून-20	19-अक्टूबर-20	27/10 से 17/11	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	18-दिसंबर- 20	09-दिसंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
18	बी एन पी एम आई पी एल	वित्त	30-जून-20	28-सितंबर-20	5/10 से 9/10	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	27-नवंबर-20	05-नवंबर-20	देरी नहीं	लागू नहीं
19	एम.आई.एस.एल.	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-20	परिसमापन के तहत						0	

वर्ष 2020-21 के लिए स्वायत्त निकायों (एबी) के संबंध में प्रमाणिकरण और खातों को जमा करने का विवरण

क्रमांक सं.	1 संगठन का नाम	2 प्रशासनिक मंत्रालय	3 खाता जमा करने की नियत तिथि	4 खाता जमा करने की वास्तविक तिथि	5 लेखापरीक्षा की अवधि	6 मुख्यालय को टिप्पणियाँ भेजने की तिथि	7 मुख्यालय अनुमोदन की तिथि	8 प्रमाणपत्र/एसए आर की देय तिथि	प्रमाणपत्र/एसएआर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण	संसद में नियुक्ति की तिथि
1	यू आई डी ए आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	26-जुलाई-21	4-8-21 से 24-9-21	7-दिसंबर-21	31-दिसंबर-21	23-नवंबर-21	31-दिसंबर-21	38	प्रक्रियात्मक देरी	अभी रखा जाना है
2	एस.ई.बी.आई	वित्त मंत्रालय	30-जून-21	27-जुलाई-21	26/7 से 24/8 और 20/9 से 28/9 2021	10-नवंबर-21	1-दिसंबर-21	24-नवंबर-21	2-दिसंबर-21	8		7-2-22- लोक सभा, राज्य सभा में अभी रखा जाना है
3	टी.आर.ए.आई	संचार	30-जून-21	3-सितंबर-21	14/9 से 04/10	30-नवंबर-21	16-दिसंबर-21	1-जनवरी-22	16-दिसंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं	16-3-22 लोकसभा 25.03.22 राज्य सभा

वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के संबंध में प्रमाणन और खातों को जमा करने का विवरण

क्रमांक सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	खाता जमा करने की नियत तिथि	खाता जमा करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	मुख्यालय को टिप्पणियाँ भेजने की तिथि	मुख्यालय अनुमोदन की तिथि	प्रमाणपत्र/एसए आर की देय तिथि	प्रमाणपत्र/एसएआर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण
1	बी एस एन एल	संचार	30-जून-21	28-जून-21	29-6 से 6-8	10-सितंबर-21	13-अक्टूबर-21	27-अगस्त-21	13-अक्टूबर-21	47	प्रक्रियात्मक देरी
2	बी टी सी एल	संचार	30-जून-21	1-जुलाई-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			30-अगस्त-21	19-जुलाई-21	देरी नहीं	लागू नहीं
3	एम टी एन एल	संचार	30-जून-21	6-जुलाई-21	12-7 से 13-8	15-सितंबर-21	11-अक्टूबर-21	4-सितंबर-21	11-अक्टूबर-21	37	प्रक्रियात्मक देरी
4	एम टी एल	संचार	30-जून-21	12-जुलाई-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			10-सितंबर-21	11-अगस्त-21	देरी नहीं	लागू नहीं
5	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	25-अक्टूबर-21	9-11 से 17-12	23-दिसंबर-21	18-जनवरी-22	24-दिसंबर-21	18-जनवरी-22	25	प्रक्रियात्मक देरी
6	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	22-सितंबर-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			21-नवंबर-21	5-अक्टूबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
7	आई टी आई	संचार	30-जून-21	30-जून-21	5/7 से 20/7	16-अगस्त-21	10-सितंबर-21	29-अगस्त-21	10-सितंबर-21	12	प्रक्रियात्मक देरी
8	टी सी आई एल	संचार	30-जून-21	6-सितंबर-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			5-नवंबर-21	27-सितंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
9	टी सी आई एल एल टी आर एल	संचार	30-जून-21	6-सितंबर-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			5-नवंबर-21	9-सितंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
10	टी सी आई एल बी टी आर एल	संचार	30-जून-21	6-सितंबर-21	15/9 से 20/9	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	5-नवंबर-21	लागू नहीं	देरी नहीं	लागू नहीं
11	टी टी एल	संचार	30-जून-21	25-अगस्त-21	लेखापरीक्षा नहीं किया गया			24-अक्टूबर-21	1-सितंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
12	आई पी पी बी	संचार	30-जून-21	3-अगस्त-21	10/8 से 27/8	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	2-अक्टूबर-21	22-अक्टूबर-21	20	प्रक्रियात्मक देरी

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

13	एन आई सी एस आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	2-अगस्त-21	16/8 से 31/8	29-सितंबर-21	22-अक्टूबर-21	1-अक्टूबर-21	22-अक्टूबर-21	21	प्रक्रियात्मक देरी
14	बी बी एन एल	संचार	30-जून-21	11-अक्टूबर-21	22/10 से 3/11	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	10-दिसंबर-21	24-नवंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
15	डी आई सी	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	24-जनवरी-22	लेखापरीक्षा नहीं किया गया	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	25-मार्च-22	8-फरवरी-22	देरी नहीं	लागू नहीं
16	एस पी एम सी आई एल	वित्त	30-जून-21	9-अगस्त-21	16/8 से 10/09	8-अक्टूबर-21	22-अक्टूबर-21	8-अक्टूबर-21	22-अक्टूबर-21	14	प्रक्रियात्मक देरी
17	बी आर बी एन एम पी एल	वित्त	30-जून-21	28-अक्टूबर-21	2/11 से 23/11	8-दिसंबर-21	20-दिसंबर-21	27-दिसंबर-21	20-दिसंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
18	बी एन पी एम आई पी एल	वित्त	30-जून-21	27-जुलाई-21	27/7 से 30/7	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	25-सितंबर-21	1-सितंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
19	एन.आई.आई.एफ. टी.एल.	वित्त	30-जून-21	5-अक्टूबर-21	25/10 से 29/10	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	4-दिसंबर-21	29-नवंबर-21	देरी नहीं	लागू नहीं
20	एम.आई.एस.एल.	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-जून-21	परिसमापन के तहत						0	लागू नहीं

अनुलग्नक-3.1

(पैराग्राफ 3.1.15.2 में संदर्भित)

संचय पोस्ट पैकेज में बंद पी ओ एस बी खातों/प्रमाण पत्रों का ब्यौरा दिखाने वाला विवरण जिनका स्थानांतरण लाइव खातों के रूप में कोर बैंकिंग साँल्यूशन (सी बी एस) के फिनेकल में किया गया

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	योजना/खाते का प्रकार	पी ओ एस बी खातों की राशि (एम आई एस/ आर डी/ टी डी/ एस सी एस एस)	प्रमाण पत्रों की राशि (एन एस सी/ के वी पी/ एन एस एस)	कुल राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	एम आई एस/के वी पी /एन एस सी/ एस सी एस एस/ आर डी/ टी डी	3,29,00,020	71,18,000	4,00,18,020
2	असम	के वी पी/ एम आई एस/ टी डी	2,90,50,600	44,93,500	3,35,44,100
3	बिहार	के वी पी/ एन एस सी	-	2,96,12,000	2,96,12,000
4	दिल्ली	एन एस सी/ के वी पी/ एम आई एस/ एस सी एस एस	45,23,72,000	25,89,000	45,49,61,000
5	हरियाणा	एम आई एस	4,92,50,000	-	4,92,50,000
6	हिमाचल प्रदेश	एम आई एस	1,17,21,000	-	1,17,21,000
7	जम्मू व कश्मीर	के वी पी	-	24,90,500	24,90,500
8	झारखंड	एम आई एस/एन एस एस /एस सी एस एस /एन एस सी/के वी पी	42,04,500	77,71,81,673	78,13,86,173
9	महाराष्ट्र	एन एस सी/ के वी पी/ एम आई एस/एन एस एस/ आर डी/टी डी/एन एस सी/ के वी पी	74831800	30,29,10,509	37,77,42,309
10	मध्य प्रदेश	एन एस सी/ के वी पी	-	65,32,889	65,32,889

11	ओड़िशा	एम आई एस/के वी पी/ एन एस सी/टी डी/एन एस एस/ एस बी	17,19,78,800	61,29,828	17,81,08,628
12	राजस्थान	एम आई एस/ टी डी/ एस सी एस एस/ आर डी	13,02,02,950	-	13,02,02,950
13	तमिलनाडू	एन एस सी/ के वी पी	-	15,30,14,297	15,30,14,297
14	उत्तर प्रदेश	के वी पी	-	20,64,69,000	20,64,69,000
15	उत्तराखण्ड	एन एस सी/के वी पी/एस बी/आर डी/टी डी/एन एस एस/ एस सी एस एस	5,63,89,000	5,74,10,000	11,37,99,000
<b>कुल</b>			<b>1,01,29,00,670</b>	<b>1,55,59,51,196</b>	<b>2,56,88,51,866</b>

अनुलग्नक-3.2

(पैरा ग्राफ 3.1.15.2 में संदर्भित)

लाइव पी ओ एस बी खातों/ सर्टिफिकेट्स को संचय पोस्ट पैकेज से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के फिनेकल में स्थानांतरण नहीं किए गए खातों की सूचना दिखाने वाला विवरण

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	योजना/खाते का प्रकार	कुल राशि
1	असम	आर डी /एम आई एस/एन एस सी/ के वी पी	2,70,97,200
2	बिहार	एम आई एस/आर डी /टी डी /एस बी/एस सी एस एस/पी पी एफ/एन एस सी/ के वी पी	2,33,43,971
3	छत्तीसगढ़	एन एस सी/के वी पी	25,89,281
4	दिल्ली	एन एस सी/के वी पी/एम आई एस/पी पी एफ/आर डी/ टी डी/एस बी	48,81,450
5	गुजरात	एन एस सी/के वी पी	3,11,83,492
6	हरियाणा	एन एस सी/के वी पी	77,03,478
7	झारखंड	पी पी एफ/आर डी/एम आई एस/एस सी एस एस /एस बी/एन एस एस/के वी पी /एन एस सी	83,01,064
8	कर्नाटक	एन एस सी/के वी पी	67,34,090
9	महाराष्ट्र	आर डी/एन एस सी/के वी पी /आई वी पी/एन एस एस	1,33,63,789
10	पंजाब	पी ओ एस बी खाते	91,67,594
11	राजस्थान	एम आई एस/आर डी/एस बी/एस सी एस एस /टी डी /एन एस एस/के वी पी/एन एस सी	2,82,75,085
12	उत्तर प्रदेश	एन एस सी/के वी पी/आर डी /टी डी /एस सी एस एस/एस बी/पी पी एफ/एम आई एस /एन एस एस	16,29,10,890
13	उत्तराखण्ड	एन एस सी/के वी पी	3173000
14	पश्चिम बंगाल	एन एस सी/के वी पी	10,09,62,204
<b>कुल</b>			<b>42,96,86,588.00</b>

अनुलग्नक-3.3

(पैरा ग्राफ 3.1.15.6 में संदर्भित)

स्थानांतरण के समय संचय पोस्ट पैकेज की लोड लेयर रिपोर्ट और फिनेकल की गो लाइव रिपोर्ट का मिलान न होने के कारण राशि के अंतर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ में राशि)

क्र. सं.	परिमंडल का नाम	फिनेकल डाटा व संचय पोस्ट में भिन्नता
1	आन्ध्र प्रदेश	62,000
2	बिहार	6,93,57,180
3	छत्तीसगढ़	1,20,000
4	हरियाणा	38,14,631
5	हिमाचल प्रदेश	3,15,73,908
6	जम्मू व कश्मीर	14,43,749
7	महाराष्ट्र	72,582
8	पश्चिम बंगाल	6,64,91,096
9	ओडिसा	18,30,688
10	पंजाब	13,03,372
11	राजस्थान	19756719
12	तमिलनाडू	39,650
13	उत्तराखण्ड	81,950
14	उत्तर प्रदेश	9,47,10,149
15	पश्चिम बंगाल	7,05,97,002
<b>कुल</b>		<b>36,11,92,676</b>



## अनुलग्नक 3.4

(पैरा ग्राफ 3.3.1 में संदर्भित)

आधार नामांकन किटों के संचालन में नहीं होने और शून्य व्यवसाय वाले केंद्रों के कारण पूंजी के अवरोधन को दिखाने वाला विवरण

क्रमांक	परिमंडल का नाम	खरीदी और स्थापित की गई किटों की संख्या	कोई व्यवसाय नहीं करने वाले किटों की कुल संख्या (शून्य व्यवसाय सहित)	एक किट का मूल्य (राशि ₹ में)	पूंजी का अवरोधन (राशि ₹ में)
1	दिल्ली	261	14	137500	1925000
2	आन्ध्र प्रदेश	578	0	112339	0
3	असम*	216	28	105399	2951172
4	बिहार	582	262	130500	34191000
5	छत्तीसगढ़	161	47	136814	6430258
6	गुजरात	878	25	119500	2987500
7	हरियाणा	289	10	119750	1197500
8	हिमाचल प्रदेश	263	13	117322	1525186
9	जम्मू व कश्मीर	87	31	105399	3267369
10	झारखंड	200	4	134520	538080
11	कर्नाटक	869	1	137500	137500
12	केरल	1050	117	117300	13724100
13	मध्य प्रदेश	473	54	136500	7371000
14	महाराष्ट्र	1293	48	142500	6840000
15	पूर्वोत्तर*	121	61	105399	6429339
16	ओडिसा	473	77	137000	10549000
17	पंजाब	503	443	137250	60801750
18	राजस्थान	600	33	122744	4050552
19	तमिलनाडू*	1435	34	105399	3583566
20	तेलंगाना	266	0	0	0
21	उत्तराखण्ड	214	58	113790	6599820
22	उत्तर प्रदेश	1425	93	142500	13252500
23	पश्चिम बंगाल	1116	523	132299	69192377
<b>कुल</b>		<b>13353</b>	<b>1976</b>		<b>257544569</b>

\*किट की दर उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रति किट का सबसे कम मूल्य लिया गया है।

**अनुलग्नक-3.5**  
**(पैराग्राफ 3.5 का संदर्भ लें)**

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
क. संचय पोस्ट से कोर बैंकिंग समाधान में खातों के पूर्व/पश्चात स्थानांतरण के दौरान बंद खातों से, जिन्हें लाइव खातों के रूप में दिखाते हुए, डाक कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण आहरण के मामले											
1	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	सिंथी डाकघर, उत्तरी कोलकाता	उपडाकपाल द्वारा अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी एसबी खाता बनाने के बाद बंद खाते से धन की हेराफेरी	सीबीएस में संचयपोस्ट से फिनेकल सॉफ्टवेयर में पारगमन के दौरान, कुछ मैनुअल रूप से बंद खाते फिनेकल में लाइव खातों के रूप में माइग्रेट हो गए। एसपीएम ने अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना किसी केवाईसी दस्तावेजों के फर्जी एसबी खाते खोले। इन फर्जी अकाउंट से एसपीएम ने पैसे निकाले	05.01.18	11.10.19	14.10.2019	5,59,09,350.00	51,872.00	5,58,57,478.00
2	कपूरथला	हरियाणा	एनएच 2 एसओ, फरीदाबाद हरियाणा	सीबीएस में संचय पोस्ट से फिनेकल सॉफ्टवेयर में माइग्रेट किए गए डेटा की शुद्धता को सत्यापित करने में विफलता के कारण एनएच-2 उपडाकघर फरीदाबाद में सरकारी धन का दुरुपयोग/हानि हुई।	संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर के पहले से बंद एसबी खातों को छद्म नाम से संचालित फर्जी जमा प्रविष्टियों और धोखाधड़ी से निकासी के साथ सक्रिय / पुनर्जीवित किया गया था।	दिसम्बर 2014	30.4.19	06.04.19	11,16,95,734.00	56,64,804.00	10,60,30,930.00
3	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	आरजेएन कॉलोनी, टीएसओ,	गुडीवाड़ा मंडल के तहत राजेंद्रनगर कॉलोनी टीएसओ में	एसपीएम राजेंद्रनगर ने फिनेकल (सीबीएस) में प्रवास के दौरान संचय	प्रगति पर	प्रगति पर	12.02.20	43,66,270.00	-	43,66,270.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
			गुडीवाड़ा क्षेत्र	एसबी/आरडी/टीडी/एमआईएस धोखाधड़ी	पोस्ट में पहले से बंद खातों को फिर से बंद कर दिया। फिनेकल में प्रवास के समय शेष राशि को बदल दिया गया और बाद में निकाल लिया।						
4	अहमदा बाद	गुजरात	पॉलिटेक्निक डाकघर, अहमदाबाद सिटी मंडल	पॉलिटेक्निक एसओ में एसपीएम की मिलीभगत से एमपीकेबीवाई एजेंट द्वारा राशि निकालने के बाद डमी आरडी खातों को फिर से खोलकर और फिर से बंद करके सरकारी धन का दुरुपयोग	पॉलिटेक्निक एसओ में एसपीएम की मिलीभगत से एमपीकेबीवाई एजेंट द्वारा राशि निकालने के बाद डमी आरडी खातों को फिर से खोलकर और फिर से बंद करके सरकारी धन का दुरुपयोग	17.04.14	07.02.17	04.06.20	21,86,58,276.00	1,70,000.00	21,84,88,276.00
5	अहमदा बाद	गुजरात	कच्छ मंडल का रावलवाड़ी एसओ	कच्छ मंडल के रावलवाड़ी एसओ के एसपीएम की मिलीभगत से एमपीकेबीवाई एजेंट ने ₹19.74 करोड़ की धोखाधड़ी की।	एमपीकेबीवाई एजेंट एसपीएम के साथ मिलकर अपनी एजेंसी में खोले गए आरडी खातों को एकल और बहुल फर्जी बंद द्वारा पहले से बंद आरडी खातों और वर्तमान आरडी और एमआईएस / टीडी / एससीएसएस खातों को जाली दस्तावेज यानी एसबी-3, लेजर कार्ड, पासबुक और एसबी-7 ए बनाकर खाताधारकों की जानकारी के बिना बंद कर देता था। कार्यरत एसपीएम	24.11.10	23.03.20	13.11.19	19,75,68,705.00	38,14,197.00	19,37,54,508.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली	
					ने बंद के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के साथ कार्यालय अभिलेखों की उचित जांच किए बिना और उन्हें (एक अनधिकृत व्यक्ति) को ऐसा करने की अनुमति देकर, नकद और चेक में इस तरह के नकली बंदों की राशि सौंपकर प्रमुख अपराधी के कदाचार की सुविधा प्रदान की और पीओ के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए उन्हें विभागीय कार्यक्रमों में कार्यालय के मैनुअल कार्यालय रिकॉर्ड के साथ-साथ कार्यालय के कंप्यूटर सिस्टम यानी संचय पोस्ट और फिनेकल में सभी प्रकार की पहुंच प्रदान की							
6	नागपुर	महाराष्ट्र	परगांव उप डाकघर	एसपीएम ने पहले से बंद खातों को फिर से बंद करके धोखाधड़ी की	एसपीएम ने सीआरडी खातों को फिर से बंद कर दिया जो पहले से ही संबंधित जमाकर्ताओं द्वारा मूल एसबी -3 कार्ड का उपयोग करके बंद कर दिए गए थे और बढ़े हुए मूल्यवर्ग के परिपक्वता मूल्य के साथ बंद एसबी -3 कार्ड खाते पर	15.04.2014	22.08.2016	05.11.2016	1,92,68,544.00	2,24,79,787.00	-	

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					सीआरडी मूल्यवर्ग को सही कर दिया गया था। उसने ₹20000/- से अधिक की राशि के लिए भी हार्ड कैश से खाता बंद कर दिया था। एसपीएम ने एसबी -7 वाउचर तैयार किए और निकासी फॉर्म के आवेदन और वारंट पर एसबी -7 पर जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर किए।						
7	नागपुर	महाराष्ट्र	गोंदिया सिटी एसओ	गोंदिया सिटी एसओ के एसपीएम ने आरडी खातों को, जो सिस्टम यानी संचय पोस्ट में बंद थे, फिर से खोलकर धोखाधड़ी की, और फर्जी जमा प्रविष्टियां कीं और बाद में इन खातों से राशि निकाल ली।	एसपीएम ने पहले से बंद आरडी खातों को फर्जी जमा के साथ फिर से खोल दिया और बाद में इन एसबी खातों से राशि निकाल ली।	17.09.2010	27.01.2015	28.02.2015	1,30,23,541.00	37,28,832.00	92,94,709.00
<b>कुल</b>									<b>62,04,90,420.00</b>	<b>3,59,09,492.00</b>	<b>58,77,92,171.00</b>
<b>ख. फर्जी खाते खोलकर डेटाबेस में हेराफेरी करने और बाद में निकासी करने के मामले:</b>											
8	कपूरथला	पंजाब	रुका कलां एसपीओ, डीजी नकोदर एसपीओ,	दखनी गेट नकोदर एनडीटीएसओ में आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अनुचित अनुपालन की कमी के कारण ₹ 8.55 करोड़ के सरकारी धन का दुरुपयोग	एसबीएम ने फर्जी (एसबी) खाते खोले / फिनेकल में फर्जी जमा प्रविष्टियां बिना सरकारी खाते में लेखा-जोखा किए की, सरकारी खाते में बढ़ी हुई राशि का लेखा-जोखा किए बिना संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में	03.02.2014	05.10.2017	09.10.2017	8,55,14,712.00	14,29,000.00	8,40,85,712.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली	
					<p>आंकड़े में अतिरिक्त शून्य डालकर आरडी (आवर्ती जमा) खातों के मूल्यवर्ग को बढ़ाया। खाता, जमाकर्ताओं से जमाएँ स्वीकृत की, पासबुक/सिस्टम में प्रविष्टि की, लेकिन सरकारी खाते आदि में उसका हिसाब नहीं रखा। जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर कर जमाकर्ता के खातों से आहरण किया, कुछ मामलों में वह फिनेकल में फर्जी जमा प्रविष्टियां बनाकर सिस्टम में उक्त राशि (जमाकर्ता के जाली हस्ताक्षर द्वारा जमाकर्ता के खातों से निकाली गई राशि) की पूर्ति भी करता था, जमाकर्ता को सरकारी खाते में बिना हिसाब के केवीपी जारी किए और वास्तविक खाताधारकों के खातों में नकली जमा किए और फर्जी प्रविष्टियों की राशि को सरकारी खाते में हिसाब में नहीं लिया गया था।</p>							

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
9	चेन्नई	तमिलनाडु	पेरुमानल बीओ	पेरुमानल बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस बीपीएम ने खाताधारकों की जानकारी के बिना आरडी खातों से आंशिक निकासी की और पासबुक में प्रविष्टियां की, व्यपगत आरडी पासबुक का उपयोग करके फर्जी टीडी खाते खोले।	23.05.2014	18.01.2016	18.01.2016	20,92,088.00	9,21,426.00	11,70,662.00
10	चेन्नई	तमिलनाडु	श्रीरंगम मंडल में कुरुम्बरलुर एसओ के साथ अलंबाडी बीओ	अलंबाडी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस एमडी और जीडीएस बीपीएम को जमाराशियों के दमन, बेहिसाब निकासी, फर्जी खाता खोलने के लिए बुक किया गया	13.2.2009	28.10.2017	30.10.2017	23,04,413.00	10,18,427.00	12,85,986.00
11	चेन्नई	तमिलनाडु	सेट्टीकुलम बीओ, दक्षिणी क्षेत्र	सेट्टीकुलम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	जीडीएस बीपीएम ने एसबी खातों में जमा को दबा दिया और एसबी खातों से धोखाधड़ी से निकासी की	21.9.2012	29.6.2017	4.7.2017	21,37,919.00	18,42,000.00	2,95,919.00
12	कटक	ओडिशा	गोरुमाहिसानी एसओ, मयूरभंज मंडल	एसबी मयूरभंज डिवीजन के तहत रायरंगपुर एचओ के अंतर्गत गोरुमाहिसानी एसओ में संचय पोस्ट डेटाबेस में हेरफेर करके बचत बैंक धोखाधड़ी की	एसपीएम ने टीडी / आरडी / एमआईएस डेटाबेस में हेरफेर किया और संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में खाता खोलने की तारीख / नाम / राशि आदि बदलकर फर्जी खाते खोले। और इन टीडी / आरडी / एमआईएस खातों के खिलाफ खोले गए फर्जी	25.11.13	24.02.21	11.03.21	4,86,34,345.00	4,91,35,056.00	-

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					एसबी खाते से राशि निकाली						
13	कटक	ओडिशा	भवानीपटना प्रधान डाकघर	भवानीपटना प्रधान डाकघर में पीएलआई/आरपीएलआई पॉलिसियों को अंतिम बंद करते समय आंकड़ों को इंटरपोलेट करने वाले चेकों के धोखाधड़ी से जारी करने के द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग	डाकपाल ने पीएलआई/आरपीएलआई खाताधारकों को परिपक्वता पर स्वयं का नकद भुगतान किया और चेक की राशि को बढ़ाकर और वास्तविक खाताधारकों के नाम और राशि को चेक प्रतिपण पर लिखकर रिश्तेदारों को उन्हीं बंद खातों के खिलाफ चेक जारी किए। कोषाध्यक्ष ने प्रतिपण के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव किया।	17.12.12	6.2.17	05.05.17	1,32,63,494.00	22,15,000.00	1,10,48,494.00
14	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कुरीचेडु उप डाकघर	कुरीचेडु उप डाकघर में मूक खातों के अनियमित पुनर्जीवन और आरडी/टीडी/एनएससी खातों में धोखाधड़ी के माध्यम से सरकारी धन का दुरुपयोग	एसपीएम ने अनियमिततापूर्वक मूक खाते पुनर्जीवित किये /आरडी ऋण का अनियमित भुगतान किया और नकली पासबुक जारी की। इन फर्जी पासबुक के जरिए दुरुपयोग किया	11.05.16	05.07.19	20.08.18	58,49,927.00	12,75,810.00	45,74,117.00
<b>कुल</b>									<b>15,97,96,898.00</b>	<b>5,78,36,719.00</b>	<b>10,24,60,890.00</b>
<b>ग. ग्राहक के खाते में नकद जमा न करने के मामले:</b>											
15	त्रिवेंद्रम	केरल	मुनियारा बीओ, इडुक्की मंडल	मुनियारा बीओ में एसबी/बीडी/आरपीएलआई/नरेगा धोखाधड़ी	जीडीएस बीपीएम ने डाकघर खातों में जमाएँ जमा नहीं की और जमाकर्ताओं के	4.7.2010	6.9.2013	6.9.2013	4,86,266.00	4,68,383.00	17,883.00



क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					जाली हस्ताक्षर करके पैसे भी निकाले						
16	त्रिवेंद्रम	केरल	थज़थुवडक्कू बीओ	थज़थुवडक्कू बीओ-एसबी/ एसएसए/टीडी में नकदी का गबन	जीडीएस बीपीएम ने उनके खातों में प्राप्त जमाराशियों को पोस्ट ऑफिस खाते में दर्ज किए बिना जमा नहीं किया और जमाकर्ताओं को नकली पासबुक जारी की।	2.11.2009	2.3.2019	5.4.2019	2,44,333.00	-	2,44,333.00
17	नागपुर	महाराष्ट्र	अमरावती मंडल बीपीएम मांजरखेड़	बीपीएम मांजरखेड़ ने ₹33.16 लाख की धोखाधड़ी की।	बीपीएम ने एसबी / आरडी / टीडी खातों के संबंध में संबंधित जमाकर्ताओं से जमा राशि स्वीकार की, पासबुक में प्रविष्टियां कीं, पासबुक में उनके द्वारा की गई जमा प्रविष्टि के खिलाफ शुरु की लेकिन संबंधित खातों / बीओ खाते में जमा नहीं किया और अपने निजी उद्देश्य के लिए राशि का उपयोग किया	07.02.2015	13.07.2021	13.07.2021	33,16,135.00	2,43,000.00	30,73,135.00
18	नागपुर	महाराष्ट्र	वेनिकोथा बीओ, यवतमाल मंडल	जीडीएस बीपीएम वेनिकोथा बीओ (बाभुलगांव एसओ खाते के अंतर्गत) ने ₹54.22 लाख की धोखाधड़ी की। बाहरी व्यक्ति से शिकायत मिलने के बाद धोखाधड़ी का पता चला।	जीडीएस बीपीएम ने ग्राहकों से जमा स्वीकार किए, पासबुक पर तारीख की मुहर लगा दी लेकिन सरकारी खातों में राशि जमा नहीं की। कुछ मामलों में उसने फर्जी खाता संख्या, जो सिस्टम में था ही नहीं,	31.12.2014	15.09.2021	29.09.2021	54,22,081.00	-	54,22,081.00

वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 15

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					के साथ फर्जी पासबुक जारी की ।						
19	दिल्ली	दिल्ली	बलबीर नगर एसओ, ईस्ट मंडल	बलबीर नगर एसओ, ईस्ट मंडल में सरकारी धन का दुरुपयोग।	एसपीएम ने पासबुक में मैनुअल प्रविष्टि की और तारीख की मुहर लगाई और पासबुक वापस कर दी। प्राप्त राशि नकद शेष में परिलक्षित नहीं होती थी। एसपीएम ने खाताधारक द्वारा निकाली गई राशि के बराबर अतिरिक्त राशि भी बनाई।	01.05.2016	14.03.2017	15.03.2017	44,40,962.00	14,37,158.00	30,03,804.00
20	दिल्ली	दिल्ली	जगजीत नगर एसओ,	जगजीत नगर एसओ, दिल्ली में सरकारी धन का दुरुपयोग।	एसपीएम ने एसबी खाताधारकों से नकद लिया और पासबुक में प्रविष्टियां की लेकिन डाकघर नकद शेष राशि जमा नहीं की। उसने एसबी खातों से फर्जी तरीके से निकासी भी की।	21.2.2007	10.5.2012	28.5.2012	25,08,550.00	14,59,866.00	10,48,684.00
21	दिल्ली	दिल्ली	लाजपत नगर	लाजपत नगर एसओ, दिल्ली में सरकारी धन का दुरुपयोग।	काउंटर पीए द्वारा प्राप्त नकद जमा या तो जमा नहीं किया गया था और फिनेकल के तहत पीपीएफ / आरडी / एसएसए खातों में जमा नहीं किया गया था या कम राशि जमा की गई थी। पासबुक में सही राशि के लिए प्रविष्टियां की गई	29.09.2015	11.01.2018	31.01.2018	26,56,350.00	7,30,000.00	19,26,350.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					और तारीख की मुहर लगाकर वापस कर दी गई।						
22	चेन्नई	तमिलनाडु	अनंतपुरम एसओ, पांडिचेरी मंडल	अनंतपुरम एसओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	एसपीएम ने नकद जमा नहीं किया और एसबी धोखाधड़ी की।	1.5.2014	12.10.2015	12.10.2015	37,77,457.00	34,91,595.00	2,85,862.00
23	चेन्नई	तमिलनाडु	एनजीजीओ कॉलोनी एसओ, कोयंबटूर मंडल	एनजीजीओ एसओ, सरकारी धन का दुरुपयोग ।	एलआरपीए ने एसबी खातों में प्राप्त राशि को फिनेकल में जमा नहीं किया, जमाकर्ताओं के जाली हस्ताक्षर द्वारा धोखाधड़ी से निकासी की।	1.6.2020	2.1.2021	7.1.2021	20,55,000.00	13,32,000.00	7,23,000.00
24	चेन्नई	तमिलनाडु	कोनेरीपलायम बीओ	कोनेरीपलायम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	बीपीएम में एसबी/आरडी/टीडी/एसएसए खातों में जमाराशियों को छुपाया और एसबी खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	प्रगति पर	प्रगति पर	16.6.2021	38,78,150.00	4,03,200.00	34,74,950.00
25	चेन्नई	तमिलनाडु	कराईकुडी अंगदी बीओ	कराईकुडी अंगदी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में विलंबित डेबिट की	2.5.2018	22.11.2019	22.11.2019	9,00,818.00	9,51,425.00	-
26	चेन्नई	तमिलनाडु	पूलमपट्टी बीओ	पूलमपट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	21.11.2012	7.12.2016	8.12.2016	9,82,443.00	9,82,443.00	-
27	चेन्नई	तमिलनाडु	मेलारंजोर बीओ	मेलारंजोर बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	14.1.2015	11.12.2018	12.12.2018	5,26,686.00	5,99,080.00	-

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
28	चेन्नई	तमिलनाडु	पसूर एसओ	पसूर एसओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	11.01.2012	19.05.2014	23.06.2016	13,38,742.00	13,80,523.00	-
29	चेन्नई	तमिलनाडु	पोथुम्बु बीओ	पोथुम्बु बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	16.6.2015	8.8.2017	9.8.2017	14,21,345.00	10,08,427.00	4,12,918.00
30	चेन्नई	तमिलनाडु	सिरुनैकेनपट्टी बीओ	सिरुनैकेनपट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में धोखाधड़ी से निकासी की	4.12.2010	17.3.2014	24.3.2014	13,67,137.00	4,15,866.00	9,51,271.00
31	चेन्नई	तमिलनाडु	अराकोट्टई बीओ	अराकोट्टई बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	जीडीएस बीपीएम ने जमाराशियों को छुपाया और एसबी/आरडी/एसएसए खातों में विलंबित डेबिट की	4.1.2016	3.9.2020	7.10.2020	7,52,750.00	9,50,000.00	-
32	चेन्नई	तमिलनाडु	सेम्पट्टी बीओ	सेम्पट्टी बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	बीपीएम ने एसबी/आरडी/टीडी/एसएसए/आरपीएलआई खातों में की गई जमाराशियों को छुपाया और एसबी खातों से धोखाधड़ीपूर्वक निकासी की	10.5.2014	20.2.2019	20.2.2019	18,66,748.00	13,08,660.00	5,58,088.00
33	चेन्नई	तमिलनाडु	पचपलयम बीओ	पचपलयम बीओ में सरकारी धन का दुरुपयोग ।	डाक कर्मचारियों ने जमा न करने/अधिक निकासी/जाली निकासी आदि द्वारा धोखाधड़ी की	25.07.2013	29.12.2017	02.01.2018	25,23,227.00	25,34,339.00	-
34	कटक	ओडिशा	मलकानगिरी कॉलोनी एस.ओ.	कोरापुट डाक मंडल के जेपोर (के) एच.ओ के तहत मलकानगिरी कॉलोनी एस.ओ.	विभिन्न पीओ योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से प्राप्त नकदी को नकद शेष में	13.7.17	19.8.19	18.1.21	1,29,86,488.00	-	1,29,86,488.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
				में कार्यालय नकद का दुरुपयोग और फर्जी एमआईएस/टीडी में धोखाधड़ी।	जमा नहीं किया गया था और वास्तविक नकद शेष को दर्शाए बिना नकली दैनिक लेनदेन रिपोर्ट एचओ को प्रस्तुत की गई थी।						
35	कटक	ओड़िशा	अहरपाड़ा बीओ	आंतरिक नियंत्रण की कमी के कारण भद्रक मंडल के तहत गुजीदारदा एसओ के खाते के अंतर्गत अहरपाड़ा बीओ में एसबी धोखाधड़ी।	जीडीएस बीपीएम ने फिनेकल सिस्टम में जमा और निकासी के वास्तविक शेष को दर्ज नहीं किया और जमाकर्ताओं के पैसे का उपयोग किया। पीओएसबी नियम 75 के अनुसार वार्षिक ब्याज प्रविष्टि के लिए जीडीएस बीपीएम द्वारा कभी भी पासबुक नहीं मांगी गई थी।	2.11.06	27.1.16	28.01.16	35,24,976.00	20,05,000.00	15,19,976.00
36	हैदराबाद	तेलंगाना	औद्योगिक एस्टेट एसओ	औद्योगिक एस्टेट एसओ महबूबनगर में नकदी की किल्लत	एसपीएम ने पीपीएफ योजना के तहत कई मौकों पर जमा की राशि जमा नहीं की। एसबी, आरडी, एमआईएस, टीडी, एनएससी और केवीपी की जमा और निकासी के तहत चार्ज किए गए आंकड़े दैनिक खातों में चार्ज की जाने वाली वास्तविक राशि से अधिक या कम दिखाए गए थे। एसपीएम दैनिक आधार पर	29.9.18	12.12.18	12.12.18	15,72,723.00	5,06,820.00	10,65,903.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					खाते का मिलान करने में विफल रहा						
37	हैदराबाद	तेलंगाना	मोटलापल्ली बीओ	जीडीएस बीपीएम, मोटलापल्ली बीओ द्वारा एसबी धोखाधड़ी और नकदी की कमी	बीपीएम ने पॉलिसी धारकों से राशि एकत्र की लेकिन आरपीएलआई पुस्तकों में जमा नहीं किया। उन्होंने एक साथ महीनों के लिए अतिरिक्त नकदी को बरकरार रखा और SO में FINACLE में EOD पूरा होने के बाद RICT डिवाइस में जमा किया, कुछ मामलों में उन्होंने RICT डिवाइस के माध्यम से जमा किया और नकद नहीं भेजा	31.03.02	12.09.17	12.9.17	16,06,940.00	5,43,800.00	10,63,140.00
38	हैदराबाद	तेलंगाना	वल्लभापुर बीओ	जीडीएस बीपीएम, वल्लभापुर द्वारा आरडी/एसबी/एसएसए/आरपीएलआई/एसबी आदि के संबंध में राशि का दुरुपयोग किया गया और नकदी की कमी	जीडीएस बीपीएम ने तारीख की मोहर लगा दी और पासबुक को ग्राहकों को सौंप दिया लेकिन डाकघर के खातों में राशि का हिसाब नहीं दिया। इसके अलावा बीपीएम ने कुछ पासबुक चुरा ली थी जो उसने एसएसए ग्राहकों को दस अंकों की फिनेकल खाता संख्या के बजाय सात अंकों की खाता संख्या के साथ जारी की थी और जमा राशि को सरकारी खाते में	1.4.14	1.1.20	14.1.20	14,01,205.00	7,74,535.00	6,26,670.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					जमा किए बिना खाते को समानांतर बनाए रखा था।						
39	हैदराबाद	तेलंगाना	कोटपल्ली एसओ	उप डाकपाल (एसपीएम), कोटपल्ली द्वारा नकदी का दुरुपयोग	एसपीएम कोटपल्ली एसओ, भारी अतिशेष रखे हुए थे। तदनुसार एसपी, मंचेरियल सब-डिवीजन ने कोटपल्ली, एसओ का दौरा किया और नकदी की कमी पाई	20.04.20	20.04.20	20.4.20	11,85,998.00	6,50,000.00	5,35,998.00
40	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	जिन्नूर एसओ	भीमावरम डिवीजन में जिन्नूर एसओ के एसपीएम द्वारा एसबी/आरडी/एसएसए/टीडी में धोखाधड़ी द्वारा दुरुपयोग	एसपीएम जिन्नूर ने पासबुक में प्रविष्टियां करने वाले एसबी/आरडी/एसएसवाई जमाकर्ताओं से राशि एकत्र की, लेकिन डाकघर खातों में राशि जमा करने में विफल रहे	24.12.12	28.4.16	24.08.16	1,22,35,335.00	33,99,570.00	88,35,765.00
41	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	कोण्डा बीओ	एलुरु मंडल के तहत कुकुनूर एसओ के खाते में कोण्डा बीओ के कई एसबी/आरडी/केवीपी में हेराफेरी	बीपीएम कोण्डा ने आरडी/एसबी खातों, आरपीएलआई सरेंडर/खरीद आवेदनों के संबंध में ग्रामीणों से जमा राशि स्वीकार की लेकिन पीओ खातों में राशि नहीं ली। बीपीएम ने खाताधारकों की सहमति के बिना आरडी खाते भी बंद कर दिए और नकली एसबी खाते खोले।	2015	2020	08.01.21	10,81,602.00	-	10,81,602.00
42	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	मुरुमुरु बीओ	थोटापल्ली एसओ के खाते के अंतर्गत बीपीएम मुरुमुरु बीओ	बीपीएम ने खुद बीओ की तारीख की मोहर के बिना	29.12.2009	07.12.2015	16.12.2015	67,40,925.00	28,25,000.00	39,15,925.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
				द्वारा एसबी/आरडी/एमआईएस/टीडी/ आरपीएलआई खातों में कथित धोखाधड़ी।	पासबुक जारी की और खाता कार्यालय यानी थोटापल्ली एसओ द्वारा जारी किए गए फर्जी खाता नंबर दिए।						
43	जयपुर	राजस्थान	छपुड़ा कला बीओ	जीडीएस बीपीएम, छपुड़ा कलां शाखा द्वारा अनियमित निकासी द्वारा जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग	जीडीएस बीपीएम ने एसबी, एफडी, एसएसवाई खाताधारकों के पैसे को संबंधित खाते में जमा नहीं किया या फर्जी वाउचर पेश करके धारकों की सहमति के बिना पैसे निकाले।	प्रगति पर	प्रगति पर	27.7.21	3,00,600.00	-	3,00,600.00
44	जयपुर	राजस्थान	पैरवा बीओ	पैरवा बीओ में दुर्विनियोजन	जीडीएसबीपीएम ने जाली आरडी/टीडी पासबुक बनाकर एसबी खातों से जाली निकासी की, और जमाए स्वीकार की जिनका संबंधित खातों में हिसाब नहीं लिया गया	प्रगति पर	प्रगति पर	03.02.21	29,25,808.00	2,45,000.00	26,80,808.00
45	जयपुर	राजस्थान	अकोला एसओ	अकोला एसओ में वरिष्ठ नागरिकों और बचत बैंक खातों के तहत जमा राशि का दुरुपयोग	एसपीएम ने संबंधित खातों में जमाकर्ताओं के पैसे का हिसाब नहीं दिया यहां तक कि बैंक से अकोला एसओ को निकासी और बीओ द्वारा अकोला एसओ को भेजे गए प्रेषण का हिसाब नहीं था।	15.12.16	14.05.19	20.09.19	23,08,332.00	19,48,498.00	3,59,834.00



क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
46	नागपुर	महाराष्ट्र	जामगांव बीओ, बीड एसपीओ	जामगांव बीओ के जीडीएस बीपीएम ने ₹33.06 लाख की धोखाधड़ी की। एसबी/आरडी/एसएसए खाताधारकों से शिकायतें मिलने के बाद धोखाधड़ी का पता चला।	जीडीएस बीपीएम ने खाताधारकों से जमा राशि स्वीकार की लेकिन सरकारी खातों में राशि जमा नहीं की।	Jan-14	Sep-19	Sep-20	33,06,318.00	27,710.00	32,78,608.00
<b>कुल</b>									<b>9,16,42,430.00</b>	<b>3,26,21,898.00</b>	<b>5,93,93,676.00</b>
<b>घ. जाली हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी के साथ ग्राहकों के बचत खातों से धोखाधड़ीपूर्ण आहरण के मामले:</b>											
47	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	रामचंद्रपुर एसओ, तामलुक मंडल	रामचंद्रपुर एसओ, तामलुक मंडल में सरकारी धन का दुरुपयोग	एसपीएम ने जमाकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर कर खाते से राशि निकाली, लेकिन पासबुक में नहीं दिखाया गया	9.2.14	20.9.18	23.10.18	2,98,69,853.00	42,47,500.00	2,56,22,353.00
48	नागपुर	महाराष्ट्र	वंसदी एसओ, चंदा मंडल, चंद्रपुर	एसपीएम वंसदी एसओ ने धोखाधड़ी और कार्यालय की ₹36.10 लाख नकदी का दुरुपयोग किया।	एसपीएम ने एसबी-7 पर जमाकर्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान के साथ जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना एसबी खातों से राशि निकाल ली थी, लेकिन जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं किया और इन राशियों का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किया।	15.11.2016	22.09.2017	23.09.2017	36,09,592.00	28,09,060.00	8,00,532.00
49	चेन्नई	तमिलनाडु	तिरुवल्लुर एचओ, कांचीपुरम मंडल	तिरुवल्लुर एचओ में सरकारी धन का दुरुपयोग	एसपीएम ने फर्जी तरीके से कई आरडी खाते बंद किए और आंशिक निकासी की	2007	2011	14.03.2016	45,69,714.00	40,61,146.00	5,08,568.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
50	जयपुर	राजस्थान	बस्सी चक एसओ, जयपुर मंडल	पीए, बस्सी चक एसओ द्वारा अनियमित निकासी कर जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग	पीए ने जमाकर्ताओं के पैसे को उनकी सहमति के बिना और एक मामले में जमाकर्ता की मृत्यु के बाद और नकली वाउचर पेश करके दूसरे खाते में जमा कर दिया।	प्रगति पर	प्रगति पर	11.9.20	6,88,000.00	-	6,88,000.00
51	जयपुर	राजस्थान	प्रतापगढ़ एसओ, अलवर एचपीओ	प्रतापगढ़ एसओ, अलवर एचपीओ में एसबी खातों में हेराफेरी	एसपीएम ने फर्जी दावे पेश कर जमाकर्ताओं की जानकारी के बिना 6 एसबी खातों से पैसे निकाले।	प्रगति पर	प्रगति पर	11.3.19	21,04,000.00	-	21,04,000.00
<b>कुल</b>									<b>4,08,41,159.00</b>	<b>1,11,17,706.00</b>	<b>2,97,23,453.00</b>
<b>इ. पास वर्ड के अनधिकृत उपयोग के कारण धोखाधड़ी के मामले:</b>											
52	कपूरथला	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर एचओ	₹1.03 करोड़ के सरकारी धन का कथित दुरुपयोग	छुट्टी की अवधि के दौरान पर्यवेक्षी पासवर्ड को अक्षम न करने के कारण कार्यालयीन एसपीएम द्वारा उधमपुर डाकघर के पीए के साथ मिलकर दुरुपयोग किया गया और 4 एसबी खातों को एसओ को स्थानांतरित कर दिया गया, लॉट में उल्लेख किए बिना नकली जमा की प्रविष्टियां की गईं और 4 एसबी खातों को वापस उधमपुर एचपीओ में स्थानांतरित कर दिया गया। पीपीएफ/केवीपी और	28.04.2017	15.07.2017	Mar-18	1,58,37,400.00	-	1,58,37,400.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					एमआईएस खातों में भी हेराफेरी की गई।						
53	त्रिवेंद्रम	केरल	मुथुकुलम दक्षिण एसओ	मुथुकुलम दक्षिण एसओ में POSB धोखाधड़ी	छुट्टी की अवधि के दौरान पर्यवेक्षी पासवर्ड को अक्षम न करने के कारण स्थानापन्न एसपीएम द्वारा दुरुपयोग किया गया	01.07.2018	30.04.2019	07.02.20	21,01,000.00	13,00,000.00	8,01,000.00
54	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	सूरी एचओ, बीरभूम मंडल कार्यालय	सूरी एचओ, बीरभूम मंडल कार्यालय में सरकारी धन का दुरुपयोग	मंडल कार्यालय के कार्यालय सहायक ने 12-08-2017 से 24-06-2020 के दौरान पदस्थापित रहे सूरी एचओ के स्थानापन्न डाकपालो, कर्मचारियों और मंडल कार्यालय के फिनेकल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोस्टमास्टर के डीबीटी खाते (410) से सरकारी धन को एसबी खातों में स्थानांतरित कर दिया। उसने मंडल कार्यालय के कर्मचारियों के फिनेकल यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एटीएम कार्ड जारी करके और पर्यवेक्षक का आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सत्यापित करके एटीएम के माध्यम से	12.8.17	24.6.20	16.7.20	1,01,02,187.00	12,36,228.00	88,65,959.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली
					धोखाधड़ी के पैसे निकाल लिए						
55	कपूरथला	हरियाणा	बीपीएम रोहती, इस्लामाबाद एसओ	जीडीएस बीपीएम रोहती द्वारा ₹18.98 लाख के सरकारी धन का दुरुपयोग	बीपीएम रोहती ने अपना मोबाइल आईपीपीबी माइक्रो एटीएम ऐप के साथ अपनी आईडी और आईपीपीबी एप्लिकेशन के साथ एक बाहरी व्यक्ति को संदीप को दैनिक आधार पर आईपीपीबी खाताधारकों के लेन-देन करने के लिए दिया। जिन्होंने आगे बीपीएम के नौकर रोहती श्री के साथ सभी जानकारी साझा की। अनमोल। दोनों बाहरी लोगों ने अलग-अलग आईपीपीबी खातों की राशि को अपने स्वयं के / रिश्तेदार के खातों में स्थानांतरित कर दिया, जिसे बाद में निकाल लिया गया।	07.08.2020	20.03.2021	20.03.21	19,19,610.00	1,72,000.00	17,47,610.00
<b>कुल</b>									<b>2,99,60,197.00</b>	<b>27,08,228.00</b>	<b>2,72,51,969.00</b>
<b>च. फर्जी खातों के माध्यम से बाहरी लोगों की मिलीभगत से कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मामले:</b>											
56	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	दुधैला कलां बीओ, बलिया मंडल	बीपीएम दुधैला कलां ने बाहरी व्यक्ति की मिलीभगत से की धोखाधड़ी	बीपीएम ने एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर, बाहरी व्यक्ति के रिश्तेदारों के नाम पर विभिन्न आईपीपीबी चालू और बचत	19.03.2019	09.06.2020	10.06.2020	34,38,904.00	29,88,000.00	4,50,904.00

क्रमांक	शाखा कार्यालय का नाम	डाक परिमंडल का नाम	डाकघर का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	तौर-तरीका	अनियमितता की अवधि (से)	अनियमितता की अवधि (तक)	विभाग द्वारा पता लगाने की तिथि	हानि/धोखाधड़ी/ चोरी/ दुरुपयोग की राशि	वसूल की गई राशि	लंबित बकाया वसूली	
					खाते खोले, जमा किए और बाद में विभिन्न बैंकों के दूसरे खातों में राशि हस्तांतरित की और बाद में उसे निकाल लिया। यह पाया गया कि हालांकि आईपीपीबी खातों (डिवाइस के माध्यम से) में जमा दिखाया गया था लेकिन उन खातों में भौतिक रूप से नकद जमा नहीं किया जा रहा था। चूंकि बीओ में भौतिक रूप से कोई नकद जमा या प्राप्त नहीं किया जा रहा था, इसलिए इन्हें बीओ दैनिक खाते में नहीं दर्शाया जा रहा था।							
57	कटक	ओडिशा	कोरापुट मंडल में लचीपेटा एसओ	कोरापुट डिवीजन में लचीपेटा एसओ के श्री बिस्वनाथ पोडियामी, उप डाकपाल, द्वारा कार्यालय नकदी के दुरुपयोग से संबंधित धोखाधड़ी का मामला	उप डाकपाल द्वारा सीबीएस के माध्यम से अपने आईपीपीबी खाते में और उसके बाद एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से अपने विभिन्न बैंक खातों में नकदी स्थानांतरित की गई थी	29.8.19	31.12.20	31.12.20	1,00,72,699.00	7,01,288.00	93,71,411.00	
<b>कुल</b>									<b>1,35,11,603.00</b>	<b>36,89,288.00</b>	<b>98,22,315.00</b>	
<b>सर्वयोग</b>									<b>95,62,42,707.00</b>	<b>14,38,83,331.00</b>	<b>81,64,44,474.00</b>	

अनुलग्नक-4.1

(पैराग्राफ 4.1.2.5 में संदर्भित)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन आई ई एल आई टी के परिसर विकास और भवन निर्माण परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पीएमसी) को भुगतान किए गए मोबिलाइजेशन एडवांस को दर्शाने वाला विवरण										
क्रमांक न.	पीएमसी का नाम	एन आई ई एल आई टी केंद्र/ विस्तार केंद्र का नाम	जारी मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि (₹ लाख में)	मोबिलाइजेशन अग्रिम जारी करने की तिथि	मोबिलाइजेशन अग्रिम की समायोजित/ निपटान/ वापसी की गई राशि (₹ लाख में)	समायोजन की तिथि	31-03-2020 की स्थिति के अनुसार पीएमसी के पास मोबिलाइजेशन अग्रिम की शेष राशि (₹ लाख में)	असमयोजित शेष दिनों की संख्या (31-03-2020 तक)	प्रति वर्ष ब्याज दर	31-03-2020 को ब्याज की संभावित हानि (₹ लाख में)
1	मेसर्स एन पी सी सी लिमिटेड	इंफाल	130.00	14.08.2013	130.00	04.04.2019	0.00	2060	10%	73.00
2	वही	सेनापति	84.50	01.03.2016	0.00	—	84.50	1492	10%	35.00
3	वही	चुराचांदपुर	84.50	01.03.2016	84.50	17.09.2019	0.00	1296	10%	30.00
4	वही	पासीघाट	58.00	03.09.2015	24.34	13.02.2019	33.66	1260	10%	8.00
					17.28	12.04.2019	16.38	1318	10%	6.00
					16.38	18.10.2019	0.00	1507	10%	7.00
5	वही	डिब्रूगढ़	84.50	02.09.2015	0.00	—	84.50	1673	10%	39.00
6	वही	सिलचर	84.50	02.09.2015	84.50	28.03.2018	0.00	939	10%	22.00
7	वही	जोरहाट	103.90	02.09.2015	0.00	—	103.90	1673	10%	48.00
8	वही	कोकराझार	65.20	13.12.2013	65.20	21.06.2019	0.00	2017	10%	36.00
9	वही	तुरा	84.50	20.02.2017	0.00	—	84.50	1136	10%	26.00

10	वही	चुचुयिम्लंग	65.20	14.08.2013	0.00	_	65.20	2422	10%	43.00
11	मेसर्स एच एस सी एल लिमिटेड	आइज़वाल	119.50	19.09.2013	119.50	13.06.2019	0.00	2094	10%	69.00
12	वही	लुंगलेई	67.10	15.10.2015	0.00	_	67.10	1630	10%	30.00
13	वही	गुवाहाटी	192.30	01.10.2015	0.00	_	192.30	1644	10%	87.00
14	वही	तेजपुर	80.50	01.10.2015	74.8	28.04.2020	5.70	1644	10%	36.00
15	वही	शिलांग	202.00	18.02.2017	0.00	_	202.00	1138	10%	63.00
16	एन बी सी सी लिमिटेड	गंगटोक	200.00	30.03.2017	88.58	31.03.2020	111.42	1098	10%	60.00
			1706.20		705.08		1001.12			718.00
<b>मोबिलाइज़ेशन अगिम (31-03-2020 तक) के अनुदान पर ब्याज की कुल हानि ₹ 718.00 लाख है</b>										

अनुलग्नक-4.2

(पैराग्राफ 4.1.2.5 में संदर्भित)

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एन आई ई एल आई टी के परिसर विकास और भवन निर्माण परियोजनाओं के संबंध में परियोजना प्रबंधन सलाहकारों (पी एम सी) को भुगतान किए गए अतिरिक्त अग्रिम को दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	पी एम सी का नाम	एन आई ई एल आई टी केंद्र/ विस्तार केंद्र का नाम	जारी अतिरिक्त अग्रिम राशि (₹ लाख में)	अतिरिक्त अग्रिम जारी करने की तिथि	अतिरिक्त अग्रिम की समायोजित/ निपटान/ वापसी की गई राशि (₹ लाख में)	समायोजन की तिथि	31-03-2020 की स्थिति के अनुसार पीएमसी के पास अतिरिक्त अग्रिम की शेष राशि (₹ लाख में)	असमायोजित शेष दिनों की संख्या (31-03-2020 तक)	प्रति वर्ष ब्याज दर	31-03-2020 को ब्याज की संभावित हानि (₹ लाख में)
1	मेसर्स एन पी सी सी	इंफाल	120.00	02.09.2015	120.00	02.08.2016	0.00	336	10%	11.00
2	वही	कोकराझार	90.00	17.09.2015	90.00	19.10.2016	0.00	399	10%	10.00
3	वही	सिलचर	84.50	17.09.2015	84.50	28.03.2018	0.00	924	10%	21.00
4	वही	डिब्रूगढ़	84.50	17.09.2015	84.50	08.01.2018	0.00	845	10%	20.00
5	वही	चुचुयिम्लंग	70.00	24.09.2015	0.00	शून्य	70.00	1651	10%	32.00
6	वही	जोरहाट	104.00	17.09.2015	104.00	20.02.2019	0.00	1253	10%	36.00
7	एन बी सी सी	गंगटोक	172.50	04.07.2018	172.50	31.03.2020	0.00	637	10%	30.00
			725.50		655.50		70.00			160.00
<b>अतिरिक्त अग्रिम (31-03-2020 तक) के अनुदान पर ब्याज की कुल हानि ₹ 160.00 लाख</b>										



**अनुलग्नक 5.1**  
**(पैराग्राफ 5.1.5.1 में संदर्भित)**  
**मुद्रीकरण के लिए पहचानी गई संपत्तियां**

क्रमांक	संपत्ति का विवरण	स्थान	फेज	लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	मुलुंड टी ई	मुंबई	फेज-1	कृषि कोई टाइटल डीड नहीं
2.	एकसार-II (शिम्पोली) बोरीवली	मुंबई	फेज-1	कृषि कोई टाइटल डीड नहीं अतिक्रमण
3.	एकसार-I टी ई (बोरीवली)	मुंबई	फेज-1	कृषि अतिक्रमण
4.	एकसार-I (अतिरिक्त भूमि) बोरीवली	मुंबई	फेज-1	कृषि अतिक्रमण
5.	वसारी हिल, मलाड गोरेगांव वेस्ट	मुंबई	फेज-1	अतिक्रमण
6.	नौपाड़ा ठाणे	मुंबई	फेज-II	कृषि
7.	पहाड़ी गोरेगांव टैंक प्लॉट	मुंबई	फेज-II	कोई टाइटल डीड नहीं
8.	पंचपखाड़ी आर एल यू ठाणे	मुंबई	फेज-II	कृषि
9.	साकिविहार टी ई पवई	मुंबई	फेज-II	कृषि
10.	मलाड (पश्चिम) इनऑर्बिट मॉल के पास	मुंबई	फेज-II	कृषि
11.	परेल टेलीफोन कॉम्प्लेक्स	मुंबई	फेज-II	कोई टाइटल डीड नहीं
12.	दर्पण (गुंडावली गांव) मरोल, अंधेरी पूर्व	मुंबई	फेज-II	कृषि
13.	चारकोप-II टी ई कांदिवली	मुंबई	फेज-II	कृषि
14.	चारकोप-III व्यवस्थापक / आर एल यू कांदिवली पूर्व	मुंबई	फेज-II	कृषि
15.	बोरीवली (मगाथाने -आर एल यू) हकोबा	मुंबई	फेज-II	कृषि
16.	वर्सावा टी ई, अंधेरी पश्चिम	मुंबई	फेज-II	कृषि
17.	रोहिणी सेक्टर-5, पॉकेट 10, एन डी-85	दिल्ली	फेज-1	कोई लीज डीड नहीं
18.	एम टी एन एल स्टाफ क्वार्टर, रोहिणी, सेक्टर-5, पॉकेट 4, एन डी	दिल्ली	फेज-1	कोई लीज डीड नहीं

19.	आर एल यू भवन सरिता विहार एम-ब्लॉक	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं
20.	रोहिणी सेक्टर XI स्टाफ क्वार्टर	दिल्ली	फेज-I	कोई लीज डीड नहीं
21.	आर एल यू भवन सी बी डी शाहदरा	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
22.	उद्योग विहार बवाना-I	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
23.	द्वारका सेक्टर 16-सी टी ई	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
24.	आर एल यू भवन रोहिणी सेक्टर-6	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
25.	आर एल यू भवन केशव पुरम	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
26.	मंगोलपुरी उद्योगिक क्षेत्र चरण-1	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
27.	नोएडा, जिला जी. बी.नगर, उ प्र -201301	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
28.	रोहिणी सेक्टर 22 टी ई	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
29.	लोथियन रोड आर एल यू बिल्डिंग	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
30.	पंखा रोड	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
31.	सनलाइट कॉलोनी	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
32.	बुराड़ी खसरा नंबर 94/7/2	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
33.	जौनापुर 45/8/2	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
34.	आर एल यू मंडावली फजलपुर	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
35.	मयूर विहार फेज-I (पॉकेट-4) जी एच एस, जी आर पी, ओ सी एफ	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
36.	नजफगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज डी डी ए	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
37.	रोहिणी सेक्टर 5	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
38.	सनलाइट कॉलोनी आर एल यू	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं

39.	आर एल यू भवन वसंत विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
40.	जी-17 एस. क्यू पश्चिम विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
41.	द्वारका सेक्टर 20 सी एस डी	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
42.	आर एल यू भवन सरस्वती विहार	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं
43.	तहखंड स्टोर डिपो और आर एल यू एक्सचेंज	दिल्ली	फेज-II	कोई लीज डीड नहीं

## शब्दावली

ए बी	स्वायत्त निकाय
ए जी आर	समायोजित सकल राजस्व
ए टी	स्वीकृति परीक्षण
ए टी एन	एक्शन टेकन नोट्स
बी बी एन एल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बी जी	बैंक गारंटी
बी एस सी	बेस स्टेशन नियंत्रक
बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी टी एस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
सी ए बी	अनुरूपता मूल्यांकन निकाय
सी ए पी ई अक्स	क्लेम कैपिटल एक्सपेंडिचर
सी सी ए	संचार लेखा नियंत्रक
सी-डी ए सी	उन्नत कम्प्यूटिंग का केंद्र विकास
सी-डी ओ टी	टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र
सी ई आर टी - ई एन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
सी जी ए	लेखा महानियंत्रक
सी पी ई	ग्राहक परिसर उपकरण
सी आर ए	सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी
सी एस सी	सार्वजनिक सेवा केंद्रों
सी एस आर एफ	कॉमन सबस्क्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
डी डी ओ	आहरण और वितरण अधिकारी
डी ई ए	आर्थिक मामलों का विभाग
डी ई आई टी वाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डी एफ आर	ड्राफ्ट व्यवहार्यता रिपोर्ट
डी जी एस एंड डी	आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय
डी आई पी ए एम	निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
डी ओ ई	व्यय विभाग
डी ओ पी	डाक विभाग
डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
डी पी आर	विस्तृत प्रोजेक्ट रीपर
ई एम एफ	विद्युत चुम्बकीय

एफ टी टी एच	फाइबर टू द होम
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जी ई एम	सरकारी ई-बाज़ार
जी पी	ग्राम पंचायतें
जी आर	कुल राजस्व
जी एस एम	मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था
आई एंड बी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ई सी एन आई आर पी	गैर आयनिकरण विकिरण संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग
आई सी टी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई एल ए सी	अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन निगम
आई एल डी	अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी
आई पी पी बी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड
आई आर पी	अंतरिम संकल्प पेशेवर
आई एस पी - आई टी	इंटरनेट सेवा प्रदाता-आई.टी.
आई टी आई	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
के वाई सी	अपने ग्राहक को जानो
एल ए एन	लोकल एरिया नेटवर्क
एल एफ	लाइसेंस शुल्क
एल एस ए	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एम ई आइ टी वाई	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम ई आर सी	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग
एम जी एन आर ई जी एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम ओ सी	संचार मंत्रालय
एम ओ यू	समझौता ज्ञापन
एम ओ एस पी आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम एस ए	मास्टर सेवा समझौता
एम टी सी टी ई	अनिवार्य परीक्षण और दूरसंचार उपकरण का प्रमाणन
एम टी एल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एन ई जी डी	राष्ट्रीय ईगवर्नेस डिवीजन-
एन जी एन	अगली पीढ़ी का नेटवर्क
एन एच ए आई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

एन आई सी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन आई सी एफ	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस
एन आई सी एस आई	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
एन आई टी	निविदा आमंत्रित करने की सूचना
एन एल डी	राष्ट्रीय लंबी दूरी
एन ओ सी	नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर
एन ओ एफ एम	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना
एन पी सी आई	भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम
एन पी एस	नई पेंशन योजना
एन टी आई	राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान
एन टी पी	राष्ट्रीय दूरसंचार नीति
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
ओ ई एम	मूल उपकरण निर्माता
ओ पी ई अक्स	परिचालन व्यय
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी बी सी	पूर्व बोली-सम्मेलन
पी ई	प्रोजेक्ट का अनुमान
पी ई	प्रोजेक्ट का अनुमान
पी एफ एम एस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पी एफ आर डी ए	पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण
पी एल आई	डाक जीवन बीमा
पी एम यू	प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट
पी ओ आई	प्वाइंट ऑफ इंटरकनेक्शन
पी आर ए एन	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या
पी एस पी	निजी सेवा प्रदाता
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
पी टी एम	निजी दूरसंचार निर्माता
आर एफ आई ई	उपकरणों की स्थापना के लिए तैयार
आर एफ पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आर जी	आवासीय द्वार
आर आई सी टी	ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी
आर जे आई ओ	रिलायंस जियो इन्फोकोम लिमिटेड
आर एम एफ एस	दूरस्थ रूप से प्रबंधित प्रणाली

आर पी एल आई	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
एस ए आर	विशिष्टता अवशोषण दर
एस ए	रणनीतिक गठजोड़
एस एफ सी	स्थायी वित्त समिति
एस पी	सेवा प्रदाता
एस पी वी	विशेष उद्देश्य वाहन
एस टी एल	स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड
एस टी क्यू सी	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
एस यु सी	स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
टी सी आई एल	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
टी सी एल	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड
टी डी एस ए टी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण
टी ई सी	दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र
टी ई आर एम	दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी
टी ओ टी	प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
टी आर ए आई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टी टी एल	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड
यू ए एल	यूनिवर्सल एक्सेस लेवी
यू आई डी	विशिष्ट पहचान संख्याएँ
यू आई डी ए आई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू एस ओ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन
यू एस ओ एफ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड
डब्ल्यू एल एल	स्थानीय लूप में वायरलेस
डब्ल्यू पी सी	वायरलेस योजना और समन्वय विंग







© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)